अंक : 123 वर्ष : 31 अक्तूबर–दिसंबर, 2008

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील जी, माननीय गृह मंत्री शिवराज वी. पाटील तथा माननीय गृह राज्यमंत्री डॉ. शकील अहमद ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" प्रशिक्षण विशेषांक की प्रति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील जी को भेंट करते हुए माननीय गृह मंत्री शिवराज वी. पाटील जी

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 14 सितंबर, 2008 को विज्ञान भवन में आयोजित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के हिंदी दिवस समारोह में दिए गए भाषण का सार

देवियों और सज्जनों,

हिंदी दिवस समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है । मैं सभी पुरस्कार विजेता मंत्रालयों, विभागों और उपक्रमों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई देती हूं । साथ ही इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के विजेताओं को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं । मैं चाहती हूं कि आप हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए इसी प्रकार निरन्तर प्रयास करते रहें ।

सभी भारतवासियों ने एक साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था और देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाया था । स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया गया और सन् 1947 में भारत में आजादी का सूर्य उदय हुआ । विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक संपर्क भाषा होना जरूरी है । 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था । उस एतिहासिक दिन की स्मृति में ही हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

भाषा मानवीय जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करता है, उन्हें दूसरे व्यक्तियों तक संप्रेषित करता है । इस अभिव्यक्ति के साथ-साथ भाषा का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य समाज में विभिन्न मानवीय संबंधों की प्रतिष्ठापना भी होता है । कोई भी भाषा असमर्थ और अशक्त नहीं होती । हरेक भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं । अपनी भाषा को समृद्ध और सरल बनाने का प्रयास करें । इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को भी शामिल करने में संकोच न करें । इससे भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है और वह निरंतर प्रगतिशील रहती है । जब हम अपनी भाषा में उच्चस्तरीय, उपयोगी और सार्थक साहित्य देने में सक्षम हो जाएंगे तो सभी उसे सहर्ष अपनाएंगे । हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगी विभिन्न विषयों का साहित्य हिंदी में उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें । हिंदी ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाएं । सशक्त भाषा केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास में भी सहायक होती है ।

उदार व्यापार नीति के तहत अब नित नई विदेशी कंपनियां भारत में अपने व्यवसाय स्थापित कर रही हैं । भारत में अपने व्यवसाय के प्रसार के लिए हिंदी के महत्व को उन्होंने भी समझ लिया है । इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन हिंदी में दिखाई देने लगे हैं । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व के अनेक देशों में हिंदी में अध्ययन–अध्यापन हो रहा है । अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों की बढ़ती संख्या और हिंदी सीखने के प्रति विदेशी विद्यार्थियों का उत्साह हिंदी की लोकप्रियता स्वयं सिद्ध कर देता है । मैं कुछ माह पूर्व लेटिन अमेरिका गई थी । मैंने वहां देखा कि चिली के बच्चों ने हिंदी में वन्देमातरम गाया । हिंदी वहां पढ़ाई जा रही है, यह बहुत सुखद अनुभव था । इसके अलावा, हिंदी और भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों को भी जाता है । हिंदी को एक संपर्क भाषा बनाने का हमारा स्वप्न धीरे-धीरे इसी प्रकार मूर्त रूप ले लेगा । ऐसा मुझे विश्वास है ।

हमें भाषा के संबंध में सौहार्द, समभाव और राष्ट्रीय एकता को महत्व देना चाहिए तथा सभी भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए । हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के विकास और प्रसार को हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए । हिंदी के प्रचार-प्रसार के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा था–"भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिंदी के प्रचार द्वारा एकता स्थापित करने वाले सच्चे भारत

बंधु हैं। आपके मार्ग में विघ्न बाधाओं की कमी नहीं है। कष्ट भी आप उठा रहे हैं, परंतु एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो व्यक्ति से राष्ट्र से और सबसे ऊपर मानवता के हित में है, क्योंकि हिंदी प्रचार केवल राष्ट्रीय एकता ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता के लिए भी है। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप आग्रही न हो, सेवाभावी हों, आपकी भाषा विद्वानों की भाषा न हो, जन साधारण की भाषा हो। यह शक्तिशाली भाषा हो अर्थात् इतनी लचीली हो कि सबको समेटकर सबको ग्रहण करके चले। यदि भाषा सबल और उदार होती हैं तो उसका प्रयोग करने वाले भी वैसे ही सबल और उदार होते हैं। शब्द आपके मुख से ही नहीं, हृदय से निकलें तब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने में कोई नहीं रोक सकता।"

हमें हिंदी में श्रेष्ठ स्तरीय और प्रासंगिक मौलिक रचनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज के लिए उपयोगी पुस्तकों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में सक्षम और योग्य रचनाकारों की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस इन्हें प्रोत्साहन और अवसर देने की। लेखों के साथ-साथ प्रकाशकों को भी यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए के वे श्रेष्ठ और प्रेरक साहित्य प्रकाशित करें अच्छा साहित्य समाज और राष्ट्र के विकास में प्रमुख कारक की भूमिका निभाता है और राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करता है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि सभी भाषाएं निरंतर विकसित होती रहें।

अनुवाद के माध्यम से किसी भी साहित्य को समृद्ध बनाया जा सकता है। विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं की रचनाओं का हिंदी अनुवाद करना चाहिए और हिंदी रचनाओं का अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिएं। इस कार्य के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाएं जिसके तहत योजनाबद्ध ढंग से अनुवाद कार्य किया जा सके। अनूदित साहित्य सरल, भाव प्रवण और मूल पाठ की संवेदनशीलता को अक्षुण्ण रखने में समर्थ होना चाहिए।

मुझे यह बताया गया है कि राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग बहुत कर्मठता और निष्ठा से कार्य कर रहा है। देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार संचार प्राद्योगिकी के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाने और हिंदी में श्रेष्ठ साहित्य लिखा जाए इसके लिए राजभाषा विभाग बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मैं इसके लिए मंत्री जी व उनके विभाग को बधाई देना चाहती हूँ।

हिंदी को और रुचिकर तथा सूचनापरक बनाने में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी आपने देखा कि राजभाषा विभाग ने सी-डेक संस्था के सहयोग से हिंदी भाषा के ज्ञान अर्जन, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, कंप्यूटर श्रुतलेखन जैसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जो देश विदेश में भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। अभी-अभी मैंने हिंदी शिक्षण और अनुवाद से संबंधित चार नए सॉफ्टवेयर जारी किए हैं। मैं समझती हूँ कि इनसे राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में और अधिक सहयोग मिलेगा। हमें भविष्य में भी निरंतर ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए।

हिंदी भाषा को समृद्ध व्यापक तथा व्यापक तथा लोकप्रिय बनाने के लिए हम सबका सक्रिय योगदान बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सम्मिलित प्रयासों से निश्चित ही हमें भविष्य में भी निरंतर ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए।

हिंदी भाषा को समृद्ध व्यापक तथा लोकप्रिय बनाने के लिए हम सबका सक्रिय योगदान बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सम्मिलित प्रयासों से निश्चित ही हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देती हूँ।

धन्यवाद।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 31

अंक : 123

अक्तूबर—दिसंबर, 2008

❑ संपादक
बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24619521

❑ सहायक संपादक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल—ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल—www.rajbhasha.gov.in.

विषय-सूची — पृष्ठ

महामहिम राष्ट्रपति का हिंदी दिवस समारोह पर भाषण

❑ संपादकीय — (iii)

❑ चिंतन
1. हिंदी ही क्यों — डॉ. रवि शर्मा — 1
2. राजभाषा के हित में — डॉ. शशि बाला रावत — 5
3. असम में हिंदी की स्थिति — मोहम्मद सहाबुद्दीन खां — 7
4. राजभाषा हिंदी कल, आज और कल — डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा — 9
5. राष्ट्रभाषा और राजभाषा - द्वंद क्यों — एम. अनंतपद्मनाभ भट्ट — 13
6. राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयां — पी.आर. वासुदेवन — 15

❑ साहित्यिकी
7. तमिलनाडु में प्रेम चंद की व्याप्ति — र. शौरिराजन — 17

❑ विश्व हिंदी दर्शन
8. नई विश्व भाषा - ग्लोबिश — राकेश कुमार — 21

❑ पत्रकारिता
9. साम्प्रदायिक सौहार्द और मीडिया — अरविंद कुमार सिंह — 23

❑ पर्यावरण
10. नदी और सागर - हमें जीवित चाहिए अथवा मृत? — डॉ. अचिन्त्य, सुश्री (डॉ.) मनीष प्रभा — 30

❑ विविध
11. यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन — डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल — 34
12. प्रशिक्षण और प्रस्तुति — श्रीमती कुसुम वीर — 39

❑ राजभाषा संबंधी गतिविधियां :
(क) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें — 41
सम्पदा निदेशालय; फिल्म समारोह निदेशालय; महालेखाकार ग्वालियर; मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर; मुख्य आयकर आयुक्त पंचकुला; केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त नागपुर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क चैन्नई; पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर; पूर्व रेलवे कोलकाता; केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ; बीईएमएल लि. बेंगलूर; भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई; एनएचपीसी लि. फरीदाबाद; दूरदर्शन केंद्र दिल्ली;

आकाशवाणी-विशाखापट्टनम; आकाशवाणी-कडपा; आकाशवाणी-अहमदाबाद; कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इंदौर; भारतीय जीवन बीमा निगम इंदौर; भारतीय जीवन बीमा निगम अलीगढ़; भारतीय जीवन बीमा निगम वाराणसी ।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 50

गन्तोक; गुवाहाटी; अगरतल्ला; दीमापुर; अमृतसर; जयपुर; इलाहाबाद; उदयपुर; बीकानेर; कर्नूल; दिल्ली (बैंक); देवास (बैंक); अनगुल; बालाघाट; बोकारो स्टील; भिलाई दुर्ग; नाशिक; दिल्ली (उपक्रम) ।

(ग) हिंदी कार्यशालाएं 60

महालेखाकार भुवनेश्वर; सीमा सुरक्षा बल गुवाहाटी; भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन; परमाणु ऊर्जा विभाग बड़ौदा; मंडल रेल प्रबंधक राजकोट; गृह मंत्रालय नई दिल्ली; महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस नई दिल्ली; महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल; एनएचपीसी लि. कोलकाता; गुवाहाटी रिफाइनरी; ओरिएन्टल इंशोरेंस कंपनी लि. कोच्चिन; बीईएमएल लि. बेंगलूर; कछाड़ पेपर मिल; गोवा हवाई अड्डा; एन एच पी सी चण्डीगढ़; दूर संचार नाशिक; जयपुर हवाई अड्डा; बोकारो स्टील प्लान्ट; केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर; एम.एस.एम.इ. विकास संस्थान तृश्शुर; केंद्रीय रेशम बोर्ड भंडारा; बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र; बालाघाट; सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली; राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली; कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद ।

(घ) हिंदी दिवस 71

राजभाषा विभाग नई दिल्ली; केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन भुवनेश्वर; वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय हैदराबाद; भारी पानी संयंत्र तालचेर; आकाशवाणी-कडपा; आकाशवाणी-चैन्नई; आकाशवाणी-कटक; आकाशवाणी-बेंगलूर; आकाशवाणी-हैदराबाद; आकाशवाणी-अलप्पुषा; आकाशवाणी एवं दूरदर्शन-गुवाहाटी; इंडियन ओवरसीज बैंक गुवाहाटी; स्टेट बैंक आफ हैदराबाद नई दिल्ली; विजया बैंक मंगलूर; विजया बैंक शिमोगा; नालको नगर; भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण चैन्नई; उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट; बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. धालीगांव; एम.एस.एम.इ-विकास संस्थान कोलकाता; कर्मचारी राज्य बीमा निगम गुवाहाटी; कर्मचारी राज्य बीमा निगम चैन्नई; कर्मचारी राज्य बीमा निगम विजयवाडा; कर्मचारी राज्य बीमा निगम चण्डीगढ़; कर्मचारी राज्य बीमा निगम नागपुर; एन.एच.पी.सी. चण्डीगढ़; सेमी-कंडक्टरलोबोरेटरी एस ए एस नगर; राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे; दूर संचार नाशिक; आकाशवाणी-पणजी; आकाशवाणी-नागपुर; केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला पुणे; रेलवे स्टाफ कालेज वडोदरा; भारी पानी संयंत्र बडौदा; पश्चिम रेलवे भावनगर मंडल; केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नवी मुंबई; भिलाई इस्पात संयंत्र; केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची; राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली; राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली; नराकास भिलाई दुर्ग; आकाशवाणी-इलाहाबाद; आकाशवाणी-राजकोट; आकाशवाणी-शिमला; दूरसंचार-भोपाल; खान सुरक्षा महानिदेशालय उदयपुर; पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल; सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय नई दिल्ली; भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशालय; उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर; भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली ।

➡प्रेरणापुंज 92

श्री बी. एस. गिल, उप महानिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जालंधर

➡हिंदी के बढ़ते चरण 99

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मदुरै

➡संगोष्ठी/सम्मेलन 101

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित ऊटी में दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन; वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग महालेखा नियंत्रक नई दिल्ली; पश्चिम रेलवे राजकोट; गुणता आश्वासन महानिदेशालय नई दिल्ली; भारी पानी संयंत्र बडौदा; नराकास अमृतसर; युनाइटेड बैंक आफ इंडिया कोलकाता; बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली;

➡पुरस्कार/प्रतियोगिताएं 107

भारी पानी संयंत्र बडौदा; एन. एच. पी. सी. लि. चण्डीगढ़; ओरिएण्टल बैंक आफ कॉमर्स चण्डीगढ़; बैंक नराकास लखनऊ; बैंक नराकास दिल्ली;

➡प्रशिक्षण 109

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली;

➡आदेश/अनुदेश 112

➡पाठकों के पत्र 114

संपादकीय

भाषा संस्कृति की वाहिका होती है और उसके साहित्य में उसकी गहरी झलक मिलती है । भाषा न केवल संस्कृति का अविभाज्य अंग है, अपितु उसकी कुंजी भी है । देश में सांस्कृतिक समन्वय के जो प्रयास हो रहे हैं उनमें हिंदी भाषा का विशेष योगदान है । हिंदी भाषा अपने साहित्य, संस्कृति विरासत की विविधता के कारणों से करोड़ों लोगों को साहित्य और संस्कृति से प्रमाणित भी कर रही है ।

हमारा देश अन्य अनेक बातों की तरह भाषा के मामले में भी अत्यंत समृद्ध है । हमारे देश में अनेक उन्नत भाषाएं हैं जिनका इतिहास सैंकडों नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है । इनमें जीवन के समस्त कार्य-व्यापार का साहित्य प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है जो हमारे देश की बहुमूल्य विरासत है । हमारे राष्ट्र की इन सब राष्ट्रीय भाषाओं के बीच हिंदी हमारे देश की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा के रूप में पिछले सैंकड़ों वर्षों से तीर्थाटन-पर्यटन की भाषा और संपर्क-भाषा की अनेक भूमिकाएं निभाती रही है ।

"राजभाषा भारती" परिवार का सदैव यही प्रयास रहता है कि राजभाषा भारती जहां सूचनापरक हो वहीं पाठकों के सामान्य ज्ञान और साहित्यक ज्ञान में भी वृद्धि करे । प्रस्तुत अंक में "चिंतन" के अंतर्गत हिंदी ही क्यों, राजभाषा के हित में, राजभाषा हिंदी कल, आज और कल, राष्ट्रभाषा और राजभाषा - द्वंद क्यों, राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में कठिनाइयां तथा असम में हिंदी की स्थिति आदि लेखों में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं । "साहित्यिकी" स्तंभ में प्रेमचंद और डॉ. हरिवंश राय बच्चन की कृतियों पर प्रकाश डाला गया है । "पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य" में तुलसी और कंबन के नारी-पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. एम. शेषन् ने बड़े ही सुन्दर ढ़ंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त "विश्व हिंदी दर्शन", पत्रकारिता, पर्यावरण और "विविध" स्तंभ में यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन तथा प्रशिक्षण और प्रस्तुति आदि लेखों के माध्यम से नवीनतम, रोचक तथा शिक्षाप्रद जानकारियां देने का प्रयास किया गया है ।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति राजभाषा भारती की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित स्तंभ भी सदैव की भांति इस अंक में दिए जा रहे हैं ।

आशा है इस अंक को भी हमेशा की तरह पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे । प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी ।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री रंजीत ईस्सर आई.ए.एस. 30 सितंबर, 2008 तथा संयुक्त सचिव श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी, केंद्रीय सचिवालय सेवा, 30 नवंबर, 2008 को सेवा निवृत हुए । दोनों ही अनुभवी और वरिष्ठतम अधिकारी रहे हैं । उनके स्थान पर डॉ. प्रदीप कुमार, आई. ए. एस. ने 6 नवंबर, 2008 तथा श्री डी. के. पाण्डेय, केंद्रीय सचिवालय सेवा ने 11 दिसंबर, 2008 से राजभाषा विभाग के क्रमशः सचिव तथा संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया । इन कर्मठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में राजभाषा हिंदी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अग्रसर होगी ।

—संपादक

चिंतन

हिंदी ही क्यों

–डॉ. रवि शर्मा
*हिंदी विभागाध्यक्ष,
दिल्ली विश्वविद्यालय

हिंदी ही क्यों? यह प्रश्न अनेक बार अनेक लोगों के समक्ष उपस्थित होता रहा है; स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी, संविधान निर्माण के समय भी और आज भी नेता अभिनेता, लेखक, व्यापारी, शिक्षक, छात्र सबके सामने कभी-न-कभी यह प्रश्न आता है कि हिंदी ही क्यों? प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है – हिंदी भारतीय अस्मिता की द्योतक है, विश्व में हमारी पहचान है, हमारी समृद्ध संस्कृति की वाहिका है, संस्कृत की बड़ी बेटी और कुशल उत्तराधिकारिणी है। अधिसंख्य भारतीय जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम यह हिंदी भारत की राजभाषा, राज्यभाषा, मातृभाषा, संपर्कभाषा, राष्ट्रभाषा से आगे बढ़ते हुए विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है।

भाषा मनुष्य के भावों-विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त साधन है। पूरे विश्व में बोली जाने वाली लगभग तीन हजार भाषाओं को बारह भाषा परिवारों में रखा जाता है। हमारी हिंदी उसी भारोपीय (भारत + यूरापीय) भाषा परिवार में आती है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रैंच, जर्मन, फारसी, रूसी आदि भाषाएँ शामिल हैं। भारत में 1700 ई.पू. के आसपास प्रयोग की जाने वाली संस्कृत भारतीय आर्यभाषाओं का प्राचीनतम रूप है। लगभग 3700 वर्षों की दीर्घ अवधि में संस्कृत के वैदिक और लौकिक रूप से कालांतर में पालि, प्राकृत और अपभ्रंश विकसित हुईं। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आधुनिक भारतीय भाषाएँ – पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली आदि विकसित हुईं। इतना ही नहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की चारों भाषाओं – तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के भी संस्कृत से ही विकसित होने के कारण, उनमें अनेक संस्कृत शब्द थोड़ा रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं। अनेक संस्कृत शब्द जैसे मातृ, भ्रातृ, दोहित्र, त्रि, सप्त, अष्ट, नव, दश आदि अंग्रेजी में भी पाए जाते हैं। फ्रैंच, जर्मन, रूसी आदि में भी अनेक शब्द खोजे गए हैं।

खड़ी बोली हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। तब से लेकर आज तक हिंदी अपनी पाँच उपभाषाओं – पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी तथा सोलह बोलियों** (ब्रज, अवधी, मारवाड़ी, कुमाऊँनी आदि) की सहायता से इतनी विकसित हुई कि आज उसकी गणना विश्व की प्रमुख भाषाओं में होती है। अपनी विकास यात्रा में हिंदी ने अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी से शब्द ग्रहण करके स्वयं को समृद्ध तथा सजीव भाषा बनाया। इसी हिंदी में विश्व की श्रेष्ठ रचनाएँ जैसे पृथ्वीराज रासो (चंदबरदाई), मुकरियाँ-पहेलियाँ (अमीर खुसरो), रामचरितमानस (तुलसीदास), सूरसागर (सूरदास), पद्मावत (जायसी), पदावली (विद्यापति), कामायनी (प्रसाद), उर्वशी (दिनकर), साकेत (मैथिलीशरण गुप्त), गोदान (प्रेमचंद) आदि लिखी गई हैं।

उन्नीसवीं सदी का मध्याह्न। अंग्रेजी दासता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता छटपटा रही थी। स्वाधीनता का प्रथम संग्राम लड़ा गया, जो किन्हीं कारणों से असफल हुआ। उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में जन्मा एक हिंदी प्रेमी, जिसने स्पष्ट शब्दों में लिखा –

---

*सुर-सदन, डब्ल्यू. जैड. 1987, रानी बाग, दिल्ली-110034

**ध्यान दीजिए कि पहले हिंदी की सत्रह बोलियाँ थीं, मगर एक बोली मैथिली को संविधान की अष्टम अनुसूची में भाषा स्वीकार कर लेने से अब केवल सोलह बोलियाँ रह गई हैं, जबकि संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई है।

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ।

यहीं से शंखनाद हुआ भारतीय नवजागरण का और हिंदी इसकी वाहिका बनी । प्रश्न उठा – हिंदी ही क्यों? संस्कृत, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा क्यों नहीं? उत्तर आया – हिंदी चारों वर्णों (बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र), तीनों वर्गों – (उच्च, मध्यम और निम्न), सभी प्रदेशों के लोगों में आपसी आदान-प्रदान, सामंजस्य तथा सद्भावना उत्पन्न करने में सक्षम है । हिंदी आम भारतीय की भाषा है इसलिए 1875 में जन्मे आर्यसमाज के महर्षि दयानंद सरस्वती हों या 1885 में जन्मी कांग्रेस के अहिंदी भाषी नेता – गाँधी, तिलक, पटेल या नेता जी सुभाष सबने भारतीय जनमानस को आंदोलित करने के लिए, उसमें जागृति लाने कि लिए, पूरे भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने के लिए जिस संपर्क भाषा और राष्ट्र भाषा को अपनाया, वह अन्य कोई नहीं – हिंदी ही थी । हिंदी के अनेकानेक कवियों – लेखकों यथा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह 'दिनकर', 'एक भारतीय आत्मा' माखनलाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि ने सहस्रों लोगों को देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया । महाकवि प्रसाद के शब्दों में –

"जिएँ तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष ।
न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष ।"

15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद जब भारतीय संविधान बनाया जाने लगा तो एक बार फिर वही प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ । सरकारी राजकाज की भाषा कौनसी हो? हिंदी ही क्यों? अंग्रेजी या हिंदुस्तानी (हिंदी-उर्दू का मिलाजुला रूप) क्यों नहीं? विचार-विमर्श, तर्क-वितर्क, पक्ष-विपक्ष, लाभ-हानि का समग्र विश्लेषण-विवेचन करने के पश्चात् 14 सितंबर, 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया । संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया – 'देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी ।' इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है । कालांतर में राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 पारित हुए । हिंदी के विरुद्ध षड्यंत्र कुचक्र निरंतर चलते रहे, फिर भी हिंदी आगे बढ़ती रही ।

बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई । इसके परिणामस्वरूप अनेक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में आईं तो हिंदी के लिए एक खतरा दिखाई दिया था, क्योंकि वे अपने साथ अंग्रेजी और सिर्फ अंग्रेजी का पिटारा लेकर आई थीं । मीडिया महारथी रुपर्ट मरडोक स्टार चैनल लेकर आए । जाहिर है कि वह अंग्रेजी में बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ था । इसी तर्ज पर सोनी, डिस्कवरी, कार्टून नेटवर्क, एनिमल वर्ल्ड आदि भी अंग्रेजी में अपने कार्यक्रम लेकर भारत में आए । मगर आज इनकी क्या स्थिति है? इन सबको विवश होकर हिंदी की ओर मुड़ना पड़ा, क्योंकि इन्हें अपनी दर्शक संख्या बढ़ानी थी, अपना व्यापार, अपना लाभ बढ़ाना था । आज टी.वी. चैनलों एवं मनोरंजन की दुनिया में हिंदी सबसे अधिक मुनाफे की भाषा है । कुल विज्ञापनों का लगभग 75 प्रतिशत हिंदी माध्यम में हैं । "कौन बनेगा करोड़पति" की लोकप्रियता ने मीडिया के क्षेत्र में हिंदी के झंडे गाड़ दिए, कमाई तथा प्रसिद्धि के अनेक कीर्तिमान भंग कर दिए तथा आने वाले समय में हिंदी के सुखद भविष्य के सपने जगा दिए हैं । आज सभी चैनल तथा फिल्म निर्माता अंग्रेजी कार्यक्रमों तथा फिल्मों को हिंदी में 'डब' करके प्रस्तुत करने लगे हैं, क्यों? क्योंकि हिंदी उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सिद्ध हो रही है । आज भारत में सर्वाधिक पत्र-पत्रिकाएँ तथा उनके पाठक हिंदी में हैं, सर्वाधिक फिल्में हिंदी में बनती हैं, ज्ञान-विज्ञान और साहित्य की सर्वाधिक पुस्तकें हिंदी में लिखी और छापी जा रही हैं; यदि आपको ये बातें कपोल कल्पना लग रही हों, तो इस संबंध में उपलब्ध आँकड़े इनकी वास्तविकता को प्रमाणित कर सकते हैं ।

हिंदी भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक विशाल क्षेत्र की भाषा है । यह विशाल क्षेत्र अधिकतर मध्यम वर्ग को अपने में समेटे है । इस मध्यम वर्ग की क्रय-शक्ति अर्थात् खरीदने की ताकत पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ी है । इस विशाल क्षेत्र को पूरी दुनिया एक बाजार के रूप में देख रही है । इस बाजार का उपभोक्ता वर्ग भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में काम की तलाश में गया वह बहुत बड़ा वर्ग भी है, जो विदेश में जाकर हिंदी तथा भारत का महत्त्व अधिक शिद्दत से महसूस करता है, जब तक वह भारत में रहता है तो हिंदी तथा भारतीय संस्कृति उसके लिए 'घर की मुर्गी दाल बराबर' होती है । विदेश में जाकर वहाँ की चकाचौंध के पीछे छिपी वास्तविकता को देखने के बाद, उसे हिंदी तथा हिंदी में अभिव्यक्त होने वाली भारतीय संस्कृति की याद

आती है। इस पूरे हिंदी भाषी बाजार को प्रभावित करना, उस तक अपनी पैठ बनाकर अपना माल वहाँ बेचना, आज लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लक्ष्य है।

यह सत्य है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालयों में अभी भी अंग्रेजी का बोलबाला है, मगर एक सच्चाई यह भी है कि उन्हें अपने उत्पादों को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए, आम उपभोक्ता की सोच और आवश्यकताओं को पहचानने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ रहा है, भले ही उस हिंदी में अंग्रेजी का 'छौंक' लगा हो। आज अपने माल के प्रचार-प्रसार, पैकिंग, गुणवत्ता आदि के लिए हिंदी को अपनाना बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विवशता है और उनकी यही विवशता हिंदी की शक्ति एवं सामर्थ्य की द्योतक है।

भारत में हिंदी की स्थिति पर दृष्टिपात करने के पश्चात्, आइए जरा विश्व भ्रमण भी कर लिया जाए। अमेरिका, जिसे आज विकसित राष्ट्रों का महाराजा कहा जा सकता है, के शिकागो, कैलिफोर्निया, पेंसिलवीनिया, वाशिंगटन आदि 24 विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मॉट्रियल, ओटाना (कनाडा), मास्को (रूस), लंदन (ब्रिटेन), बर्लिन, बॉन, हैम्बर्ग (जर्मनी), ज्यूरिख (स्विटजरलैंड), ओस्लो (नार्वे), नेपल्स, वेनिस (इटली), वारसा (पोलैंड), कोपनहेगन (डेनमार्क), तोक्यो (जापान), बुडापेस्ट (हंगरी), पेइचिंग (चीन) आदि देशों के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैंकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में विद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर (पीएच.डी) तक हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। भारतीय मूल के लगभग डेढ़ करोड़ लोग विश्व के 132 देशों में बिखरे हुए हैं, जिसमें मॉरीशस, फिजी, गियाना, सूरीनाम, त्रिनीडाड के अतिरिक्त ब्रिटेन, कनाडा, रूस, अमेरिका, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नार्वे, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया आदि प्रमुख हैं। विदेशों से अनेक हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ यथा सर्वोदय, जापान भारती, ज्वालामुखी (तीनों जापान से), सचित्र चीन (चीन से), शांतिदूत, अप्रवासी टाइम्स (दोनों नार्वे से), पुरवाई (इंग्लैंड से), सौरभ, विश्व विवेक (अमेरिका से) आदि प्रकाशित होती हैं। रेडियो पर हिंदी में कार्यक्रम अनेक देश प्रसारित करते हैं जिनमें बी.बी.सी., वायस ऑफ अमेरिका, जर्मनी के रेडियो कोलोन की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अनेक हिंदी पुस्तकों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जैसे निर्मला, रामचरितमानस, झूठा सच, कगार की आग, चित्रलेखा, मैला आंचल तथा विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर की सत्तर पुस्तकों के अनुवाद चीनी भाषा में हो चुके हैं। गोदान का तो विश्व की अनेक प्रमुख भाषाओं जापानी, फिनिस, पोलिश, चेक, फ्रांसीसी आदि में अनुवाद हो चुका है।

इतना ही नहीं विश्व में 40 से अधिक विदेशी मूल के विद्वान हिंदी में रचनाएँ लिख रहे हैं, व्याकरण तथा शब्दकोश तैयार कर रहे हैं। विश्व में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें हिंदी मातृभाषा न होने पर भी उच्चस्तर का सर्जनात्मक लेखन करने वाले लगभग सौ से अधिक लेखक हैं। देश और विदेश में पूरी दृढ़ता तथा विश्वास से आगे बढ़ रही इस भाषा के संबंध में अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा हिंदी के प्रतिष्ठित रचनाकार श्री अशोक वाजपेयी ने राजभाषा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 28-9-2000 को आयोजित अपने एक व्याख्यान में एक बड़ी मार्के की बात कही, जिसे उद्धृत करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा, "संसार के नक्शे में जो बड़ी भाषाएँ हैं, यानी 30-40 करोड़ लोग जिन्हें बोलते हैं, उनमें एक हिंदी भी है। बिल गेट के बेटे का एक वक्तव्य पिछले दिनों छपा था कि अंग्रेजी को थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि तीन और भाषाएँ हैं, जो उससे स्पर्धा कर रही हैं। यह वक्तव्य उसने बरमिंघम में दिया था, कोई बरेली वगैरह में नहीं कि वहाँ के लोगों का कुछ मनोबल बढ़े। उसमें उसने जिन भाषाओं का नाम गिनाया, वे भाषाएँ हैं - चीनी, हिंदी और स्पैनिश। इन भाषाओं से भी धीरे-धीरे दबाव बढ़ने वाला है। दबाव बढ़ने वाला इसलिए है कि हिंदी का बाजार सबसे बड़ा है।" (पत्रिका-विदाउट रिजर्व, पृ. 41)

विश्व में हिंदी की स्थिति पर चर्चा करते हुए यह जान लेना भी आवश्यक है कि प्रयोक्ताओं की संख्या के आधार पर 1952 में हिंदी विश्व में पाँचवे स्थान पर थी। 1980 के आसपास वह चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे स्थान पर आ गई। 1991 की जनगणना में हिंदी को मातृभाषा घोषित करने वालों की संख्या के आधार पर पाया गया कि यह पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषियों की संख्या से अधिक है। (स्रोत : राजभाषा भारती, स्वर्ण जयंती अंक, 1999-2000) इतना ही नहीं, डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल ने निरंतर 20 वर्ष तक भारत तथा विश्व में भाषाओं संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करके सिद्ध किया है कि विश्व हिंदी में प्रयोग करने वालों की संख्या चीनी

2/A

से भी अधिक हैं और हिंदी अब प्रथम स्थान पर है। (स्रोत : दैनिक हिंदुस्तान 25 अप्रैल, 2005)

कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति भी निरंतर बेहतर हो रही है। कंप्यूटर की शुरूआत अंग्रेजी भाषी देशों में होने के कारण ही शुरू में कंप्यूटर की भाषा अंग्रेजी थी, किंतु कंप्यूटर एक मशीन है, जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती। आज कंप्यूटर पर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चीनी, रूसी, हिंदी, डच आदि 60 से भी अधिक भाषाएँ प्रयोग की जाती हैं। इनमें भी कंप्यूटर के बेताज बादशाह बिल गेट्स ने स्वयं हिंदी को कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा माना है, क्योंकि हिंदी की लिपि देवनागरी सर्वाधिक वैज्ञानिक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है - जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण 'स्पीच टू टैक्सट' तथा 'टैक्सट टू स्पीच' जैसे सॉफ्टवेयर के लिए हिंदी अंग्रेजी की तुलना में कहीं उपयोगी है। 'सी डेक', पुणे हिंदी में इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने में लगा है। जब यह सॉफ्टवेयर उपलब्ध तथा प्रचलित हो जाएगा, तो हिंदी के पक्ष में कंप्यूटर और इंटरनेट पर एक जबरदस्त क्रांति होगी। ऐसे में निश्चित रूप से इक्कीसवीं सदी हिंदी की, भारत की होगी।

कंप्यूटर पर हिंदी में दो प्रकार का कार्य हो सकता है - **(क) शब्द संसाधन** (वर्ड प्रोसैसिंग) अर्थात् पत्र, टिप्पणी, लेख, प्रारूप, रिपोर्ट आदि तैयार करना तथा **(ख) आंकड़ा संसाधन** (डाटा प्रासैसिंग) अर्थात् वेतन पर्ची, परीक्षा परिणाम, भविष्य निधि लेखा पर्ची, सामान सूची पुस्तक सूची आदि तैयार करना। इसके अतिरिक्त कंप्यूटरों का प्रयोग हिंदी में कुछ विशेष प्रकार के कार्यों जैसे टेलेक्स संदेशों का आदान-प्रदान, इलैक्ट्रॉनिक पत्र व्यवहार, टेली कांफ्रेंसिंग, नेटवर्क सुविधा आदि के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर पर द्विभाषिक शब्द के लिए कई पैकेज बाजार में उपलब्ध हैं जैसे - सुलिपि, आकृति, लीला, हिंदी प्रबोध (डॉस), बैंक मित्र, श्री लिपि, प्रकाशक, सुविंडो, गुरु आदि। लेखक, हिंदी वाणी, अनुसारका, देशिका, शब्दबोध, आकृति आदि भी हिंदी में काम करने में सहायक सॉफ्टवेयर हैं। वृहद् अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने अपना पहला हिंदी सॉफ्टवेयर 'हिंदी वर्ड 2000' जारी किया, जिससे हिंदी में वेवर पेज तैयार करना, ई पत्र (मेल) भेजना और हिंदी में इंटरनेट पर गप्पे लड़ाना संभव हो गया है। इंटरनेट पर वर्डवाला डॉट काम, नेट जाल डॉट काम तथा पहले हिंदी सर्च इंजन 'तलाश' के आ जाने से अब हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ भी अंग्रेजी की सी स्पष्टता और तीव्रता से इंटरनेट पर उपलब्ध होंगी। हिंदी के अनेक समाचार-पत्र-पत्रिकाएँ भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। नेट काम इंडिया द्वारा एक वास्तविक इंटरनेट अखबार 'नेट दैनिक डॉट कॉम' तथा कंप्यूटर जगत् की पहली हिंदी और मराठी पत्रिका 'कंप्यूटर संचार सूचना' भी विद्यमान है। विश्व में हिंदी का पहला पोर्टल होने का दावा करने वाला 'बैव दुनिया डॉट कॉम' 1999 में शुरू हुआ। 'अनुभूति' तथा 'अभिव्यक्ति डॉट-कॉम' विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु शुरू किए।

इतना होने पर भी विद्यार्थियों (विशेषकर पब्लिक स्कूल के) के समक्ष भी प्रायः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आठवीं के बाद नवीं में हिंदी ही क्यों? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रूसी क्यों नहीं? हिंदी बहुत कठिन है तथा हिंदी में अंक कम आते हैं, जैसे तर्क देकर उन्हें हिंदी लेने से हतोत्साहित किया जाता है। इन तर्कों में कुछ सच्चाई थी, मगर अब स्थिति तेजी से बदल रही है। हिंदी को सरल, सरस, रोचक तथा अंकोन्मुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अब हिंदी में भी 100 में से 97, 99 अंक आने लगे हैं। हिंदी में 10वीं और 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। दसवीं तक हिंदी पढ़ लेने से भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने पर हिंदी की अनिवार्य परीक्षा देने से छूट मिल जाती है। आई.ए.एस. जैसी परीक्षा में भी हिंदी का अनिवार्य प्रश्नपत्र उत्तीर्ण किए बिना सफलता नहीं मिलती। क्या अब भी किसी विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि वह नवीं में हिंदी ही क्यों ले।

हिंदी का अच्छा ज्ञान रखने वालों के लिए नौकरी तथा रोजगार के भी नए-नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हिंदी विषय पर अधिकार प्राप्त करके जहाँ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, अनुवादक, हिंदी अधिकारी, हिंदी प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक, उद्घोषक, नेता, संचालक, अभिनेता आदि बना जा सकता है, वहीं कंप्यूटर-इंटरनेट पर कार्य करके स्वरोजगार भी पाया जा सकता है। हिंदी भाषा पर अधिकार रखने वाला प्रभावशाली वक्ता अपने भाषा ज्ञान तथा भाषण कौशल के कारण न केवल जीवन में प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है, अपितु अपने आचार-विचार, व्यवहार, चिंतन-मनन में भी परिष्कार, उन्नयन एवं उदात्तता महसूस करता है। उपर्युक्त विवेचन के बाद यह प्रश्न निरर्थक हो जाता है - हिंदी ही क्यों? ■

626 HA/09—2B

राजभाषा के हित में

–डॉ. शशि बाला रावत*
हिंदी प्रवक्ता, हे.न.बहु., गढ़वाल विश्वविद्यालय

राजभाषा का अर्थ है राज्य या प्रशासन की भाषा अर्थात् वह भाषा जिसमें शासक और शासन का काम होता है। अत: राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, जैसे – वर्तमान काल में भारत सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ प्रादेशिक सरकारों के – हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उतराखण्ड आदि का राजकाज हिंदी में होता है, परन्तु तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश आदि राज्यों की सरकारें अपनी-अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं। राजभाषा अपने देश की भी हो सकती है या किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। अकबर के समय से लेकर मैकाले के काल तक फारसी राजभाषा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यहाँ अंग्रेजी थी अब भी है। देश की संस्कृति से राजभाषा का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। राजभाषा की अभिव्यक्ति सीमित विषयों तक होती है, जैसे – विधि, सरकारी कार्यालयों, प्रशासन इत्यादि। यह अभिव्यक्ति क्रमश: रूढ और रूक्ष हो जाती हैं। इसमें लालित्य, मुहावरेदारी या शैली-वैविध्य का कोई स्थान नहीं है। हर दफ्तर की बनी बनाई शब्दावली है, वाक्यों का एक ढर्रा है।

राजभाषा विभाग की ओर से समय-समय पर ज्ञापन निकाले जाते हैं जिसमें हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का कार्य निश्चित किया जाता है। जो केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, राष्ट्रीकृत बैंकों, कम्पनियों और उद्धमों में लागू होते हैं। राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष राजभाषा के विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित करता है। हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिंदी की कक्षाएँ राजभाषा विभाग द्वारा चलायी जाती हैं, इसके लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ तीन पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। अधिक उपायों के बावजूद भी राजभाषा हिंदी की समुचित प्रगति नहीं हो पा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय राजनीतिक संकीर्णता, अधिकारियों की उदासीनता, दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव, अंग्रेजी के प्रति मोह मुख्य रूप से जिम्मेदार है। राजभाषा हिंदी को समुचित स्थान दिलाने के लिए जन सामान्य में हिंदी के प्रति प्रेम पैदा करना होगा तथा संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए भाषा नीति पर विचार करना होगा।

हमारे देश का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। संविधान में यह व्यवस्था थी कि राजभाषा के रूप में हिंदी को 1965 तक प्रतिष्ठित कर दिया जायेगा। इसके बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग तथा केंद्र सरकार के मंत्रालय आदि ने समय-समय पर सुझाव, नियम, अनुदेश निर्धारित किए गए। अत: 1955 में राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया कि जनता के साथ पत्र व्यवहार में प्रशासकीय रिपोर्टों प्रस्तावों, अन्तर्राज्यीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। जिसमें 21 सदस्य शामिल थे। संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, तथा उनका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात् करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए संस्कृत से और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। संविधान में यह कहा गया था कि सन् 1965 से सरकार का सारा काम-काज हिंदी में होगा, परन्तु सरकार की कमजोर नीतियों के कारण ऐसा सम्भव नहीं है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु और बंगाल में हिंदी का विरोध शुरू हो गया। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया कि हिंदी एकमात्र सरकारी कामकाज करने वाली भाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी भाषी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की और तब तक अंग्रेजी से काम होता रहेगा। राजभाषा अधिनियम 1967 के संशोधित अधिनियम द्वारा इस आश्वासन को कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया। राजभाषा हिंदी संबंधी राष्ट्रपति के आदेशों, संसद की सिफारिशों और राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपा गया। आज इन्हीं नियमों के अनुसार सरकार की भाषा नीति का अनुपालन होता है।

*मार्फत प्रो. मंजुलाराणा, पो. बा. 84, श्रीनगर-गढ़वाल

अब महाराष्ट्र, मद्रास, बंगाल तथा पंजाब आदि प्रान्त के अग्रगण्य लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए राजभाषा की आवश्यकता है तथा समस्त देश में जितनी भाषाएं प्रचलित हैं उनमें सबसे सुलभ, सरल, सुन्दर और व्यापक ऐसी भाषा हिंदी ही है कि जिसे राजभाषा होने का गौरव प्रदान है । उस समय देश में यत्र-तत्र हिंदी हितैषिणी सभाएं थीं, परन्तु वे सब अशृंखलाबद्ध थी । काशी की नगर प्रचारिणी सभा समय गर्भ में आ रही थीं । कौशल्या के गर्भधारण करने पर जिस भाँति देवता लोग राम जन्म की आगवानी के लिए टकटकी लगाए मार्ग प्रतीक्षा करने लगे थे :-

गिरि तरु नख आयुध सब वीरा ।
हरि मारग चिहवहिं रनधीरा ।।
गिरि कानन जहँ तहँ भरभूरी ।
रह निज-निज अनीक रचि रूरी ।। तुलसी

राजभाषा प्रचार समिति के द्वारा साधारण बोलचाल की इस भाषा हिन्दुस्तानी के प्रचार-प्रसार का प्रयास जारी रहा, किन्तु जब इसमें जानबूझकर 'सीता-माता' जैसे शब्दों के स्थान पर 'सीता बेगम' जैसे उर्दू शब्दों की भरमार हो गई तो हिन्दुओं एवं हिंदी समर्थकों ने इसका तीव्र विरोध किया । इसलिए संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दुस्तानी के बदले हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया । अत: राजभाषा के रूप में स्वीकृत और विकसित हिंदी भाषा 'हिन्दुस्तानी' का ही परिष्कृत तथा परिवर्धित रूप माना जा सकता । क्योंकि हिंदी ने हिन्दुस्तानी की शैली, शब्दावली तथा प्रयुक्ति के रूपों को अपने में पूर्णत: समेट लिया है ।

हिंदी का शब्द-भण्डार अत्यन्त समृद्ध है और इसमें देशी, विदेशी सब तरह के शब्दों को पचाने की अद्भूत क्षमता है, जिससे यह भारत की प्रगतिशील भाषा कही जाती है और भारत की सामासिक संस्कृति का सशक्त माध्यम है, इसकी लिपि देवनागरी है । जो कि वैज्ञानिक लिपि है । वर्तमान में इस लिपि में जो संशोधन किए गए हैं । नए वर्ण जोडे गए हैं । उनसे यह भारत की किसी भी भाषा को स्वयं में सामाहित करने में समर्थ है । भारत की स्वाधीनता 15 अगस्त, 1947 से पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्राय: नहीं मिलता । सन् 1949 को भारत के महान् नेता श्री राजगोपालाचार्य ने भारतीय संविधान सभा में 'नेशनल लैंग्वेज' शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर रहे, और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके । राजभाषा के रूप में किसी सरल समृद्ध और व्यापक आधार वाली स्वदेशी भाषा को ही अपनाया जाता है, परन्तु कभी-कभी परिस्थितिवश अपवाद के रूप में भी इस पद पर कोई विदेशी भाषा भी आरूढ़ हो जाती है । दुर्भाग्य से इस अपवाद को हमने अपने पराधीनता के दिनों में लगभग चार सौ वर्षों तक झेला है । यही कारण है कि राजभाषा हिंदी के मार्ग में एक के बाद एक कठिनाई आती चली गई । स्वतंत्रतापूर्वक भारत में बदलती शासन पद्धतियों के कारण इस पर अरबी-फारसीयुक्त उर्दू तथा अंग्रेजी का प्रभाव पड़ता गया । हमारे देश की सरकारी कामकाज की भाषा तथा आम बोलचाल की भाषा में हमेशा अंतर रहा । मुसलमानों के शासनकाल में राज-काज की भाषा अरबी-फारसी शैली प्रधान उर्दू थी तथा सामान्य बोलचाल के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों का चलन था ।

अंग्रेजों के शासन काल में राजकाज की दो भाषाएं थीं- उच्च स्तर पर अंग्रेजी तथा निचले स्तर पर उर्दू प्रधान हिंदी, परंतु दोनों ही कालों में संपर्क भाषा हिंदी की रहती चली आई । व्यापक प्रयोग वाली संपर्क भाषा 'हिंदी' के इसी रूप को स्वतन्त्र भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में अपना लिया । आपने इसी शब्द भण्डार के साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने लगी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने अनेक विभाग, नियम तथा वैज्ञानिक आधार वाले संस्थान स्थापित करने शुरू कर दिए । इस प्रकार के अनेक कार्यालयों के कार्यों को राजभाषा के द्वारा निष्पादित करने के लिये हिंदी को इनके स्तर तक विकसित करना अनिवार्य हो गया । इस कार्य हेतु भारतीय संविधान ने समय-समय पर अनेक संशोधन कर राजभाषा की प्रगति में अनेक कार्य किए हैं । सरकार द्वारा उठाए गए आशान्वित कदम तभी सार्थक होंगे, जब आम भारतीय इस महायज्ञ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा । वस्तुत: कोई भी कानून समाज से ऊपर नहीं है । सामाजिक संचेतना ही वह तंतु है, जिससे राजभाषा हिंदी को सम्मानित किया जा सकता है । राष्ट्रभाषा हिंदी को अपने ही देश में गौरव प्रदान करने के लिए उसके अधिक से अधिक प्रयोग द्वारा उसे राजभाषा का दर्जा दिलाया जा सकता है । ■

1. राजभाषा उन्नति के उपाय - पं. व्यङ्कटश्रीकर
2. वही पृष्ठ संख्या-63
3. वही पृष्ठ संख्या-64
4. हिंदी भाषा संबंधी विवाद - पंडित रघुवर प्रसाद द्विवेदी

असम में हिंदी की स्थिति

–मोहम्मद सहाबुद्दिन खां*

महापुरूष श्रीमन्त शंकरदेव का ब्रजावली में अंकित नाटक और बरगीत की रचना की थी उसे हम तत्कालीन हिंदी भी कह सकते हैं । यह बात अठारहवीं शताब्दी की है अत: राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रथम प्रचारक कोई और नहीं महापुरूष श्रीमन्त शंकरदेव ही थे । महापुरूष माधवदेवजी का कृत नामघोषा का हिंदी अनुवाद हिंदी का अनौपचारिक प्रसार इस क्षेत्र में हुआ ।

इक्कीस वर्ष की उम्र में महापुरूष श्रीमन्त शंकरदेव का विवाह सूर्यवती नामक कन्या के साथ हुआ । तीन वर्ष बाद एक कन्या को जन्म देकर सूर्यवती संसार से चल बसी, पत्नी वियोग के बाद आप तीर्थाटन के लिए निकले । बारह वर्ष तक तीर्थाटन करते रहे – काशी, गया, मथुरा, प्रयाग, पुरी, बदरिकाश्रम, द्वारका, वृन्दावन, रामेश्वरम आदि तीर्थों का भ्रमण किया । दूसरे विवाह के बाद व्यापक रूप से धर्म प्रचार में लग गए । और जब दूसरी बार तीर्थ यात्रा पर निकले तो आप हिंदी से अछुते नहीं रहे । इस प्रकार हिंदी और असमीया का सामंजस्य अक्षुण्ण रहा ।

बरगीत की भाषाशैली के विषय में असमीया भाषा और साहित्य के लेखक देवेन्द्र नाथ बेजबरूआ का मत है – महापुरूष श्रीमन्त शंकरदेव की भाषा शैली, ब्रज और मैथिली मिश्रित असमीया थी । तीर्थ यात्रा के पहले की रचनाओं की भाषा असमीया हैं जिससे हिंदी साहित्य के व्यापक प्रदान करने में सहायक हुई है । महापुरूष श्रीमन्त शंकरदेव ने जिन महान धार्मिक ग्रथों की रचना की उनमें मैथिली भाषा के आधार पर एक नई भाषा को जन्म दिया जो उस समय की आदान प्रदान की भाषा बनाई गई थी । आपने ब्रजावली मिश्रित पुरानी असमीया भाषा प्रयोग कर असम को भारत के साथ जोड़ने का कार्य तो किया ही साथ ही असम में हिंदी प्रचार प्रसार की नींव डाली ।

ब्रिटिश शासनकाल के गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने वाराणसी में हुई एक बैठक में कहा था – मुझे द्विभाषिए की आवश्यकता नहीं है । मैं सीधी भाषा में अपनी बात कहूंगा । आश्चर्य नहीं कि हेस्टिंग ने हिंदी भाषा सीखी और वह जब तक भारत में रहे अपनी टूटी फूटी हिंदी में ही बात करते थे । यह अंग्रेज ने हिंदी के स्वभाव को जाना था और भारत के स्वभाव को पहचाना था, दरअसल हिंदी के विकास का यह एक बीज प्रोत्साहन था । जो फैलते-फैलते असम तक फैल गया ।

गाँधीजी के आह्वान पर सन् 1922 में स्व. भुवन चन्द्र गगै ने शिवसागर के अपने पौलिटैकनिक इन्स्टीट्यूट में सबसे पहले हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था की । आगे चलकर इस संस्था को केंद्र मानकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से हिंदी परीक्षाएं संचालित होने लगी थी । इस प्रकार कार्य अनियमित रूप से असम राज्य में चलता रहा । 1937 में बाबा राघव दास असम का दौरा किया और विभिन्न स्थानों में हिंदी प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया ।

श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी	जोरहाट
श्री शिव सिंहासन मिश्र	डिब्रुगढ़
श्री सूर्यवंशी मिश्र	शिवसागर
श्री देवेन्द्र दत्त शर्मा	नगाव
श्री धनेस्वर शर्मा	गुवाहाटी
श्री बैकुंठनाथ सिंह	गोलाघाट

गोपीनाथ बरदलै कि अध्यक्षता में 1938 की 3 नवम्बर को असम हिंदी प्रचार समिति नामक संस्था की स्थापना हुई । गोपीनाथ बरदलै जी के प्रधान मंत्री होते ही डॉ. हरिकृष्ण दास को अध्यक्ष का भार सौंपा गया और 1200 का वित्तीय अनुदान सरकार से मिलने लगा, और असम हिंदी प्रचार समिति का नाम बदलकर असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति रखा गया । 1948 से स्वतंत्र रूप से संस्था अपनी परिक्षाएं चलाने लगा ।

प्रबोध	**मेट्रीक**
विशारद	**इण्टर**
प्रवीण	**बीए** हिंदी विषय के बराबर की मान्यता प्राप्त हुई ।

*उपसचिव, (नराकास) नैशनल इंश्योरेंश कं. लि., क्षेत्रीय कार्यालय, डिबरूगढ़ (असम)

स्वतंत्रता के बाद हिंदी के प्रचार–प्रसार को दो भागों में बांटा गया, राष्ट्रभाषा व राजभाषा । राष्ट्रभाषा कहने मात्र हिंदी ही नहीं है अपितु हमारे राष्ट्र में बोली जाने वाली समस्त भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है । हम राजभाषा को दो श्रेणी में बांटते हैं । हमारे राज्य की जो भाषा है जिसमें हम अपना दिनचर्या का कार्य उसी भाषा में करते हैं और जब हम राज्य से बाहर अन्य राज्य का भ्रमण करते हैं उस स्थिति में सम्भवत: हमें उस राज्य की भाषा का ज्ञान न हो अत: हम हिंदी का प्रयोग करते हैं । ठीक उसी प्रकार हम राजभाषा को दो श्रेणी में वर्गीत करते हैं राज्य सरकार की कार्यालय व केंद्र सरकार की कार्यालय अनुसार ।

राज्य सरकार की कार्यालय में उस राज्य की जनता द्वारा अधिकांश बोली जाने वाली भाषा, जैसे असम राज्य की जनता की भाषा असमीया है, जिसे अधिकांश जनता आसानी से बोलती, समझती, लिखती व पढ़ती है अत: असम राज्य सरकार की कार्यालय की राजभाषा असमीया है । दूसरे व आसान शब्दों में राजा की भाषा ही राजभाषा है ।

केंद्र सरकार की कार्यालय में समस्त भारत देश की जनता द्वारा अधिकांश बोली जाने वाली भाषा, जैसे हिंदी जनता की भाषा है, जिसे अधिकांश जनता आसानी से बोलती, समझती, लिखती व पढ़ती है अत: हिंदी केंद्र सरकार की कार्यालय की राजभाषा है । शासन, न्याय शिक्षा, वीदेशिक संपर्क आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी का प्रवेश और प्रयास सरकारी स्तर पर ही हो सकता है ।

हिंदी के स्वतंत्र एवं स्वस्थ विकास के लिए हमने भूल और गलतियाँ अधिक की, हमने ईमानदारी से प्रयास नहीं किए, भाषाविदों, शिक्षिविदों, विद्वानों और प्रशासन ने कोई अमल नहीं किया । गांधी जी ने अपने अलग स्वर में 1910 में कहा था-हिंदी में शिक्षा व्यवस्था का सवाल मेरे लिए आजादी से कम नहीं है, पर हमने इसे नजर अंदाज कर दिया । और हमारे नेतागण राष्ट्रभाषा व राजभाषा, संपर्कभाषा आदि नामों से संज्ञापित करते हुए राजनीतिक कर्णधारों ने इसे खराद पर चढ़ा दिया; जिससे वह आज तक नहीं उतर सकी । इसे कुछ चाहने वालों ने अपने योग्य बनाने के लिए कई प्रयोग किए–जैसे राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा अधिनियम 1976 आदि–आदि । पर कोई विशेष नतीजा अब तक साफ नही उभर कर आया । हम हिंदी दिवस, पखवाड़ा, महीना भर में अटक कर रह गए । सम्पर्क की सहज भाषा हिंदी है, इसी कारण संविधान में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा स्वीकार किया गया । भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित अनेक प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद अभी भी कोई सकारात्मक पहल होती नहीं दिख रही हैं । सरकारी काम–काज तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में बहुत प्रयास करने की आवश्यकता हैं । असम में अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी तीव्र गति से बढ़ी है, परन्तु विचारणीय बात यह है कि अंग्रेजी सरकारी काम–काज तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में आगे बढ़ी है, हिंदी वहां सिर्फ मनोरंजन, व्यापार और संपर्क भाषा के रूप में ही बढ़ी है ।

अंत में मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूं की कम्प्यूटर जो 0+1 की भाषा ही समझता है, इसमें फोंट लगाकर आसानी से हिंदी में कार्य किया जा सकता है फिर हम सरकारी काम–काज राजभाषा हिंदी में क्यों नहीं कर सकते । ■

हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है ।
–लाल बहादुर शास्त्री

राजभाषा हिंदी कल, आज और कल

–डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा*
सहायक निदेशक (राजभाषा)

पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि सभी देशी भाषाएँ संस्कृत की बेटियाँ हैं। हिंदी का मूल रूप **'ऋग्वेद'** से है। कबीर, तुलसी, गुरू नानक देव और सूरदास ने अपने ग्रंथों की रचना हिंदी में की। हिंदी भाषा का इस्तेमाल सारे देश में बहुत प्राचीन काल से होता आया है। वह कौन सी भाषा है जो वृंदावन, बदरी नारायण, द्वारका, जगन्नाथपुरी इत्यादि चारों धामों तक एक समान धार्मिक यात्रियों को सहायता देती है। वह मात्र हिंदी भाषा ही है। यह 'लिंगुआ फ्रैंका'–'लिंगुआ फ्रैंका क्यों 'लिंगुआ इंडिका' है। गुरु नानकदेव जी सीलोन, तिब्बत, मक्का-मदीना इत्यादि सब देशों में गए वहां उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था ? यही हिंदी भाषा थी। इससे जान पड़ता है कि उस समय भी हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा थी और इसका सार्वजनिक प्रचार था[1]।

स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी की स्थिति

सन् 1911 की जनसंख्या के अनुसार 32 करोड़ भारतीयों में से थे 13.5 करोड़ हिंदी भाषी। सन् 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भी बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को स्वीकार करने का अनुरोध किया। महात्मा गांधी ने भी भारतीय भाषाओं में से हिंदी भाषा को ही केवल ऐसी भाषा बताया जिसमें राष्ट्रभाषा बनने के सभी गुण हैं। 1937 में श्री जवाहर लाल नेहरू ने हिंदी को अखिल भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की अपील की[3]। वास्तव में स्वतंत्रता का सारा आंदोलन हिंदी के माध्यम से ही चलाया गया।

1905 में श्री अरविंद घोष ने अपने 'वंदे मातरम' अखबार के अग्रलेख में सर्वमान्य भाषा के रूप में हिंदी की वकालत की[4]। इससे भी पूर्व 1875 में बंगाल के महान धार्मिक नेता आचार्य केशवचंद्र सेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत की एकता के लिए एक भाषा हिंदी को ही अपनाया जाना चाहिए।

गांधी जी ने सन् 1931 में कहा था कि "इस संबंध में किसी का चुनाव इस बात पर निर्भर है कि उसकी स्वराज की संकल्पना क्या है। अगर यह केवल अँग्रेजीदां लोगों के लिए है तो अँग्रेजी ही सामान्य माध्यम ठीक रहेगी। अगर स्वराज लाखों करोड़ों भूखों, लाखों करोड़ों निरक्षरों के लिए, अशिक्षित महिलाओं और पीड़ित अछूतों के लिए है तब हिंदी को सामान्य भाषा मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है[5]।" गांधी जी ने लोगों में हिंदी के उस रूप को प्रचारित किया जो उनकी राय में हिंदू और मुस्लमान संप्रदायों के बीच निरन्तर बढ़ती, भेद की खाई को पाट सकता था। इसे उन्होंने हिंदुस्तानी का नाम दिया।

श्री सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि "प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती है। अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न ही हम किसी बाधा को सहन कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की भाषा का पद हिंदी या हिन्दोस्तानी को मिला है[6]।"

इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सभी नेता चाहे वे अहिंदी भाषी प्रांतों से थे या हिंदी भाषी प्रांतों से थे, यही चाहते थे कि हिंदी सारे देश की संपर्क भाषा बने और स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा बने।

किंतु जैसे ही देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई, हिंदी और हिन्दोस्तानी के समर्थकों में मतभेद बढ़ गए।

*कार्यालय, आयकर आयुक्त (कं. ऑप्रेशन) केंद्रीय राजस्व भवन, सैक्टर-17, ई, चंडीगढ़-160017

1946 में भारत का संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा बनाई गई उस समय राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने के आसार कम नजर आ रहे थे क्योंकि गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, राजेन्द्र प्रसाद जैसे सभी लोग हिंदोस्तानी को चाहते थे । लेकिन दूसरी ओर सेठ गोबिन्ददास जैसे हिंदी के समर्थक हिंदोस्तानी की जगह देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे ।

संविधान में हिंदी की स्थिति

लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बनाया गया तो हिंदी को स्वतंत्र भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने की बात पर चर्चा ही नहीं की गई । संविधान सभा में जो भी चर्चा हुई वह हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा बनाने के मुद्दे पर हुई है । 'राजभाषा' शब्द भाषा के सीमित प्रयोग का परिचायक है । जबकि 'राष्ट्रभाषा' शब्द भाषा के व्यापक प्रयोग को अभिव्यक्त करता है । राजभाषा का अभिप्राय केवल सरकारी प्रयोग की भाषा से है ।

संविधान सभा के कुछ सदस्य हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते थे, कुछ सदस्य हिंदोस्तानी के पक्ष में थे तो कुछ अँग्रेजी के पक्ष में । विभिन्न मतभेदों के चलते लम्बी बहस और चर्चा के बाद संविधान सभा में एक समझौता किया गया जिसके परिणामस्वरूप यह व्यवस्था की गई कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ सरकार की राजभाषा होगी और भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप इसके अंक होंगे ।

जिस भाषा के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी गई और स्वतंत्रता सेनानियों ने जिसे राष्ट्रभाषा बनाने की कल्पना की थी, उसी भाषा को केवल राजभाषा स्वीकार करने पर भी इतना विवाद पैदा हुआ और इतनी बहस हुई जितनी संविधान की अन्य किसी मद पर नहीं हुई । इस पर टिप्पणी करते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि "हिंदी के प्रश्न से संबंधित 115वां अनुच्छेद सबसे अधिक विवादास्पद निकला, दूसरे किसी भी अनुच्छेद ने न तो इतना विरोध पैदा किया, न ही इतनी गर्मागर्मी ।[7]"

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ और संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी इसी दिन से संघ की राजभाषा बन गई परन्तु इसके साथ ही इसका प्रयोग 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया । साथ ही यह व्यवस्था भी कर दी गई कि यदि संसद चाहे तो 1965 के बाद भी अँग्रेजी भाषा और देवनागरी अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को चालू रखा जा सकता है । शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी के विकास, प्रचार और प्रयोग के लिए एक 15 वर्षीय योजना तैयार की । शब्दावली के निर्माण के लिए 1950 में एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली बोर्ड बनाया गया । हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए एक हिंदी प्रशिक्षण योजना लागू की गई ।

1956 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया । राजभाषा आयोग ने हिंदी का क्रमिक प्रयोग बढ़ाने की सिफारिश की । आयोग की सिफारिशों की समीक्षा संसदीय समिति ने की । संसदीय समिति हिंदी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाने के पक्ष में थी । समिति की राय थी कि "कामकाज में बिना किसी प्रकार की रुकावट पैदा किए भाषाई परिवर्तन किया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवर्तन के दौरान लोगों को कम-से-कम असुविधा हो । इस परिवर्तन की गति निश्चित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी की प्रगति का और काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की भाषाई क्षमता को ध्यान में रखना होगा । समिति का दृढ़ मत था कि पूर्ण भाषाई परिवर्तन 1965 तक नहीं हो सकता था ।" 1965 के बाद हिंदी प्रधान राजभाषा बन जानी चाहिए और जब तक जरूरत हो अँग्रेजी का सहायक भाषा के रूप में प्रयोग जारी रखना चाहिए[8] ।

राजभाषा को लागू करने की जो योजना बनाई गई उसके कार्यान्वयन में काफी परेशानियाँ थीं । प्रशासन में बैठे कर्मचारी हिंदी में कार्य नहीं करना चाहते थे । उनकी यह दलील थी कि अँग्रेजी में कार्य आसानी से चल रहा है तो उसमें झंझट क्यों खड़ा किया जाए और हिंदी के प्रयोग से कार्यकुशलता को क्यों घटाया जाए ।

प्रथम भाषा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही (1957-58) तमिलनाडु में आंदोलन शुरू हो गया कि राजभाषा के रूप में हिंदी को लाने के लिए निश्चिन अवधि न रखी जाए और अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए राजभाषा मानी जाए । अंग्रेजी को 26 जनवरी, 1965 के बाद भी लागू रखने की सरकार की नीति उस समय ही स्पष्ट हो गई थी जब 7 अगस्त, 1959 को नेहरू जी ने संसद में यह घोषणा की थी कि "अंग्रेजी निश्चय ही एक थोपी गई भाषा है । इसने हमारे लिए ज्ञान-विज्ञान की खिड़कियाँ जरूर खोली हैं और हमें बहुत सा ज्ञान दिया भी है पर इस पर एक ऐसी

भाषा होने का भी लांछन है जो हमारी अपनी भाषाओं और हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। दूसरी बात यह कि अनिश्चितकाल के लिए, मैं नहीं जानता कि उसकी अवधि क्या होगी, मैं अंग्रेजी को सहायक अतिरिक्त भाषा के रूप में देखना चाहूँगा और रखूँगा ताकि इस्तेमाल हो सके। मैं इसे वैकल्पिक भाषा के तौर पर तब तक रखना चाहूँगा जब तक लोग चाहेंगे और इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार मैं हिंदीतर-भाषियों को देना चाहूँगा, हिंदी भाषियों को नहीं [9]।" नेहरू जी के इस आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए सरकार ने अप्रैल, 1963 में संसद में राजभाषा विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी लेकिन यह व्यवस्था हिंदी के अलावा होगी।

सन् 1965 में राजभाषा अधिनियम लागू होने के बाद की स्थिति

17-2-1965 को राष्ट्रपति ने भी संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित बजट अधिवेशन में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि जबकि हिंदी केंद्र की राजभाषा मानी गई है अंग्रेजी तब तक बनी रहेगी जब तक हिंदीतर भाषा-भाषी इसे रखना आवश्यक समझेंगे। हिंदी समर्थक और हिंदी विरोधी दोनों गुटें के समर्थकों को शांत करने के लिए सरकार ने संसद में राजभाषा संशोधन विधेयक, 1967 प्रस्तुत किया।

संशोधित अधिनियम ने एक ऐसी लम्बी द्विभाषी स्थिति लागू कर दी जिसमें कर्मचारी टिप्पणियाँ लिखने, मसौदे तैयार करने इत्यादि के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र थे और उन्हें अपनी टिप्पणियों का दूसरी भाषा में स्वयं अनुवाद नहीं करना था। इस संबंध में जिम्मेदारी कार्यालयों पर डाली गई जिन्हें अनुवाद की आवश्यक व्यवस्था करनी थी। इसके अलावा कुछ उद्देश्यों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया।

राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार 1976 में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 बनाए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर यही राजभाषा नीति जारी रही। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई ने हिंदीतर भाषियों को आश्वासन दिया कि हिंदी उन पर जबरदस्ती नहीं लादी जाएगी, परन्तु राजभाषा के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कदम जरूर उठाए जाएँगे[10]। उन्होंने संसद में यह भी कहा कि "जिस प्रकार हिंदी किसी पर नहीं थोपी जा सकती, उसी प्रकार अंग्रेजी भी किसी पर जबरदस्ती नहीं लादी जा सकती।" उसके बाद निरंतर सरकारें बदलती रहीं लेकिन सरकार की भाषा नीति में कोई प्रमुख बदलाव नहीं आया। सरकार की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की नीति जारी है। राजभाषा नीति में दंड का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है और दंड की व्यवस्था के बिना कोई भी नीति प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकती है।

हिंदी देश के सबसे अधिक भू-भाग पर बोली जाती है। भारत की प्रमुख 22 भारतीय भाषाओं में से हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे अधिकांश भारतीय समझते हैं और बोलते हैं। आजादी के समय केवल हिंदी ही एक भाषा थी जिसे अधिकांश भारतीय समझते थे, जो राष्ट्र के लिए सरल थी और कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक थी। स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी राजभाषा होना उस राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव की बात होती है। 2001 की जनगणना के अनुसार 42,20,48,642 लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया जबकि हिंदी के बाद दूसरी बड़ी भारतीय भाषा बंगला है जिसे 8,33,69,769 लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया। इस प्रकार हिंदी ही राजभाषा बनने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा थी।

राजभाषा का प्रयोग प्रशासन द्वारा आम आदमी से संपर्क के लिए किया जाता है। अत: राजभाषा का स्वरूप साहित्य की भाषा का स्वरूप नहीं हो सकता है। राजभाषा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सारे देश के हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी, सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इस भाषा में वे सभी शब्द शामिल किए जाने चाहिएं जो जनता में प्रचलित हो गए हैं।

पिछले 50-60 वर्षों में हुई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्रांति से मानव जाति के सामाजिक स्वरूप और जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन ने मानवीय और पशु श्रम पर आधारित प्राचीन सामाजिक आर्थिक और प्रौद्योगिक व्यवस्था को अत्यंत तेज और स्वचालित कर दिया है। इस सदी के उत्तरार्ध में कंप्यूटर क्रांति ने विज्ञान और प्रौद्योगिक के सभी विषयों में अपनी उपयोगिता को बढ़ा दिया है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या परिवहन का, सैन्य क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिक ने सभी

626 HA/09—3A

क्षेत्रों में एक क्रांति ला दी है। सूचना क्रांति से विश्व के सभी देश एक दूसरे के समीप आ रहे हैं जिसके कारण पिछले कुछ समय से विश्व के लगभग सभी देश आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं। इस बदलाव के मुख्यत: तीन सोपान हैं : निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण या भू-मंडलीकरण।

निजीकरण, वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के परिवेश में हिंदी की भूमिका

भारत में सन् 1991-92 से नए आर्थिक परिवेश की प्रक्रिया आरम्भ हुई। इस प्रक्रिया से सामाजिक, आर्थिक उत्पादन और वितरण पद्धतियों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन ने भाषाओं को भी प्रभावित किया है। आज हिंदी रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा के माध्यम से देश के कोने-कोने में पहुंच चुकी है। हिंदी अब केवल मध्यम वर्ग की भाषा न रहकर कुलीनों की भाषा बन गई है और बाजार की राह को आसान बना रही है। हिंदी आज बाजार की भाषा है। ओगिल्वी एण्ड माथुर लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और नेशनल क्रिएटिव डायरैक्टर श्री पीयूष पाण्डेय का कहना है कि "बातचीत में हिंदी का प्रयोग करने की ललक नए भारत के आत्मविश्वास को झलकाती है[11]।" हाल में मीडिया क्रांति के बाद करोड़ों भारतीयों से संवाद कायम करने की जरूरत ने हमारी भाषा और संस्कृति के दबे सम्मान को उभार दिया है। आज हिंदी में एस.एम.एस. भेजे जा रहे हैं। हिंदी बाजार की भाषा बन चुकी है इसलिए हिंदी विज्ञापनों की संख्या बढ़ रही है। बाजार की जरूरतों से हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है भले ही हिंदी वह हिंदी नहीं रह गई है जो कुछ वर्ष पहले थी। हिंदी के इस बदले स्वरूप के अनुसार राजभाषा के स्वरूप को भी बदलना न केवल हिंदी के प्रसार के लिए उपयोगी है बल्कि आम आदमी के साथ प्रशासन का संपर्क स्थापित करने में भी इससे सुगमता होगी।

हिंदी भाषी क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए विस्तृत बाजार है। इसलिए हिंदी का प्रयोग आज बाजार की आवश्यकता है। सारे देश में हिंदी का कहीं विरोध नहीं है। आर्थिक उदारीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में आ रही हैं। सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। ये उपक्रम और संस्थान अपनी बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। निःसंदेह इससे जन-सामान्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है परन्तु इसके साथ-साथ हिंदी का स्वरूप भी बदल गया है। हिंदी अब संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं रही है इसमें अंग्रेजी के शब्दों की भरमार है। नए आविष्कारों और विदेशी तकनीक से आने वाले विदेशी शब्दों का काफी प्रयोग हो रहा है। हिंदी के सामने आज यह चुनौती है कि जहाँ वह विदेशी शब्दों को आवश्यकता के अनुसार आत्मसात करे वहीं अपना अस्तित्व और अपने मौलिक चिंतन को भी बनाए रखे। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी को कंप्यूटर की भाषा बनना होगा इसके लिए इसके स्वरूप में भी कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। हिंदी को कंप्यूटर की भाषा बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। आज समाज में साहित्य और संस्कृति के स्थान पर अर्थ का अधिक महत्व है। अत: हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने की बहुत आवश्यकता है। वैश्वीकरण के कारण कई भाषाओं का अस्तित्व दांव पर है। भाषाओं के साथ-साथ इससे जुड़ी संस्कृतियों का अस्तित्व भी दांव पर है। वैश्वीकरण के प्रभाव से हमें अपनी भाषाओं को बचाना होगा और यह तभी संभव है यदि हम आवश्यकतानुसार इनमें बदलाव करते रहें।

बदलते हुए परिवेश में हिंदी को अनुवाद की भाषा न बनाकर मूल प्रयोग की भाषा बनाना होगा। दूसरी भाषाओं के प्रत्येक शब्द के लिए हिंदी के शब्द गढ़ने की अपेक्षा विदेशी भाषा के मूल शब्द को अपनाना या उसका अनुकूलन करना अधिक उपयोगी रहेगा। ■

---

[1] अभिभाषण पं. मदनमोहन मालवीय : साहित्य अमृत, वर्ष 8, अंक 11, जून 2003, नई दिल्ली : साहित्य अमृत, पृष्ठ 7

[2] मिश्र श्री विद्यानिवास : संपादक, साहित्य अमृत, वर्ष 8, अंक 11, जून 2003, नई दिल्ली : पृष्ठ 11

[3] द्विवेदी सुधाकर : हिंदी अस्तित्व की तलाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, 1982, नई दिल्ली : पृष्ठ 22

[4] तिवारी श्री भोलानाथ : राजभाषा हिंदी, प्रभात प्रकाशन, 1993, नई दिल्ली : पृष्ठ 29

[5] द्विवेदी श्री सुधाकर : हिंदी अस्तित्व की तलाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, 1992, नई दिल्ली : पृष्ठ 22

[6] तिवारी श्री भोलानाथ : राजभाषा हिंदी, प्रभात प्रकाशन, 1993, नई दिल्ली : पृष्ठ 40

[7] द्विवेदी श्री सुधाकर : हिंदी अस्तित्व की तलाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, 1982, नई दिल्ली : पृष्ठ 34

[8] द्विवेदी श्री सुधाकर : हिंदी अस्तित्व की तलाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, 1982, नई दिल्ली : पृष्ठ 69

[9] द्विवेदी श्री सुधाकर : हिंदी अस्तित्व की तलाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, 1982, नई दिल्ली : पृष्ठ 76-77

[10] द्विवेदी श्री सुधाकर : हिंदी अस्तित्व की तलाश, राधाकृष्ण प्रकाशन, 1982, नई दिल्ली : पृष्ठ 177

[11] चावला प्रभु : संपादक, इंडिया टुडे, 15 जून, 2004, इंडिया टुडे, हेमिल्टन हाऊस, नई दिल्ली : पृष्ठ 16

626 HA/09—3B

राष्ट्रभाषा और राजभाषा—द्वंद क्यों?

–एम. अनंतपद्मनाभ भट्ट

"राज" धातु से "राष्ट्र" शब्द उत्पन्न हुआ है । राज शब्द का अर्थ है दीप्ति, शोभा । राष्ट्र और राज्य दोनों शब्दों का अर्थ शोभायमान है । वेदों में अनेक बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग इस अर्थ में हुआ है । शतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र है:–

"श्रीवैंराष्ट्रं श्रीवैंराष्ट्रस्य भार: श्रीवैंराष्ट्रस्य मध्यम्"

अर्थात् राष्ट्र माने ऐश्वर्य है । राष्ट्र का भार (संपूर्ण), मध्य सभी ऐश्वर्य ही है । इस प्रकार ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के अपने अस्तित्व या पहचान हेतु कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं-- राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र भाषा, राष्ट्र गान, राष्ट्रीय चिह्न इत्यादि । इन घटकों में राष्ट्रभाषा का महत्व अत्यधिक है । राष्ट्र की आत्मा की वाणी है राष्ट्रभाषा । राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोलनेवाली/समझनेवाली भाषा है राष्ट्रभाषा । राष्ट्रभाषा केवल वार्ता पूर्ति का एक माध्यम ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है ।

राष्ट्रभाषा क्या है

साधारण या आम आदमी की भाषा में यदि राष्ट्रभाषा की व्याख्या देंगे तो एक राष्ट्र में अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जानी वाली भाषा – राष्ट्रभाषा है । केवल इस एक व्याख्या की सीमा में सिकुड़ कर रहने वाली चीज नहीं है राष्ट्रभाषा । राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र की धड़कन है उसमें प्राण है । वह समूचे राष्ट्र की अस्तित्व को सुरक्षित रहने वाला घटक है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अनुसार – **"निजभाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल, बिन जिन भाषा ज्ञान के, मिटै न हिच को सूल ।"** जनता का स्पंदन राष्ट्र भाषा में प्रतिबिंबित होता है । राष्ट्र की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करनेवाला माध्यम है राष्ट्रभाषा । राष्ट्रभाषा के प्रति राष्ट्र के नागरिकों की कुछ संवेदनाएँ भी जुड़ी हैं । इन संवेदनाओं की अपनी कुछ विशेषताएँ निम्नानुसार हम अंकित कर सकते हैं :–

राष्ट्रभाषा केवल एक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा प्रयुक्त चीज नहीं है । पूरे राष्ट्र के और उस राष्ट्र के व्यक्तियों के चरित्र को उजागर करनेवाली है राष्ट्रभाषा । केवल संप्रेषण का माध्यम या विचार अभिव्यक्ति का काम ही नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति को जोड़कर तद् द्वारा राष्ट्र विकास हेतु सुशक्त एवं सुरक्षित भूमिका का निर्माण भी राष्ट्रभाषा द्वारा संपन्न होता है । इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी ने कहा है – **"राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है ।"**

राष्ट्र भाषा को राष्ट्र से पृथक नहीं माना जा सकता क्योंकि वह राष्ट्र के पूरे समाज के जीवन स्तर को अभिव्यक्त करता है । राष्ट्र और समाज अभिन्न है । समाज व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहता है । एक व्यक्ति के जीवन स्तर को आंतरिक रूप से स्पंदित कर समाज और राष्ट्र का बोध जगानेवाली चीज है राष्ट्रभाषा ।

राष्ट्रभाषा बताने पर उसमें एक ममत्व की भावना परिलक्षित होती है । ममत्व अर्थात् "अपने का", ऐसी एक भावना उसमें निहित है । हिंदी को राष्ट्र भाषा कहें तो जनता में एक अपनत्व का बोध आता है और कुछ चीजों में यह अपनत्व की भावना अनिवार्यत: अपेक्षित है । अपना राष्ट्र, अपनी मातृभूमि, अपनी राष्ट्रभाषा इत्यादि । इसलिए राष्ट्रभाषा में ममत्व यह अपनत्व की भावना देश प्रेम का निशान है ।

राष्ट्रभाषा में राष्ट्र को संगठित करने की एक अदृश्य शक्ति निहित है । भारत जैसे एक बहुभाषी और सामासिक संस्कृति वाले राष्ट्र में राष्ट्र को सुसंगठित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को हिंदी द्वारा भलीभाँति निभाने का ज्वलंत चित्र हमने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनुभव किया है ।

राष्ट्रभाषा के प्रयोग का क्षेत्र हमेशा व्यापक रहा है । भारत के अधिकांश लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि भारतीय मुल्क के नागरिक जहाँ भी हो वहाँ संपर्क भाषा का दायित्व हिंदी निभा रही है । हिंदी आज दुनिया के अनगिनत विश्वविद्धालयों में सिखाई जा रही है, वह राजभाषा के नाते नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रभाषा के नाम पर है । यहाँ की बहुभाषी संस्कृति को एकता के सूत्र में पिरोकर राष्ट्र की अखण्डता को अक्षुण्ण रहनेवाली राष्ट्र भाषा हिंदी को किसी क्षेत्र विशेष से जोड़ना जनमानस की अंत:चेतना को चोट पहुँचाने का समान है ।

राष्ट्रभाषा बताने पर वह एक नागरिक की हृदय की भाषा होती है । इस प्रकार राष्ट्रभाषा की विशेषता यह है कि

उसे बोलने वालों को शिक्षित होना आवश्यक नहीं है । बिना किसी शैक्षणिक योग्यता से एक सच्चा नागरिक अपनी राष्ट्र की भाषा को सरलता से प्रयोग कर सकता है क्योंकि अपनी मातृभूमि की चीज को, इस मिट्टी की चीज को मिट्टी से अलग करना असंभव है ।

राष्ट्र का संबंध कोई धर्म, जाति या समाज विशेष से नहीं है । इन सबके परे है राष्ट्र का पहचान और अस्तित्व । इस कारण राष्ट्रभाषा का स्तर सभी भौतिक घटकों से ऊपर है । किसी भी एकी घटक के साथ उसे बाँधना असंभव है क्योंकि राष्ट्र, वह एक अनंत धारा है । कभी उसका अंत नहीं होता क्योंकि वह किसी भौतिक घटक द्वारा निर्मित नहीं है और राष्ट्रभाषा उस अनंत प्रवाह को तेज करनेवाली ताकत है ।

राष्ट्रभाषा की इन संवेदनाओं की विशेषताओं के बाद मैं आपको संविधान द्वारा राजभाषा घोषित हिंदी की संवेदनाओं से परिचित करवाने का प्रयास कर रहा हूँ :-

राजभाषा संविधान द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है जिससे केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था में एकरूपता संभव हो । इससे केवल सरकारी कर्मचारियों का संबंध रहता है न कि राष्ट्र के आम नागरिकों का । शासन से पृथक लोगों की दृष्टि में सरकारी तंत्र में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वियन मूल्यहीन है ।

सरकारी तंत्र में प्रयोग करने के कारण राजभाषा हिंदी में एक विशिष्टता होती है और राजभाषा की इस विशिष्टता को ध्यान में रखकर काम करना एक शिक्षित व्यक्ति से ही संभव है । लेकिन राष्ट्रभाषा में निपुणता जन्मजात आदत है ।

राजभाषा हिंदी का प्रयोग सरकारी कर्मचारी द्वारा शासकीय कार्य के लिए किया जाता है । अतः इस में उक्त कार्यों से संबंधित विशेष शब्दों का प्रयोग अधिक होता है । जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग आम जनता द्वारा सामान्य कामों के लिए होता है और यही आम जनता आबादी के बहुसंख्यक हैं ।

राजभाषा संविधान द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है जिसके तहत एक केंद्र सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि अपना शासकीय काम राजभाषा में करें । लेकिन आबादी के बहुसंख्यकों को संविधान की पूरी जानकारी नहीं है तब संविधान व्यवस्था के बारे में क्या जानें ।

हिंदी को राजभाषा की गद्दी पर 14 सितंबर 1949 को बिठाया गया । लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी कब जनमानस में बैठी यह भाषा विद्वान भी नहीं बता सकते ।

संविधान द्वारा विधि सम्मत भाषा का दर्जा प्रदान करने के बावजूद भी बता रहे हैं कि शासन में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वियन हो रहा है, कब सफलता के मुकाम तक पहुँचेगा यह निरुत्तर सवाल है । लेकिन कोई संवैधानिक प्रावधान के बिना आबादी के 85 प्रतिशत हिंदी का प्रयोग आज कर रहे हैं ।

एक जनतांत्रिक राष्ट्र में सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी राष्ट्र का संविधान है । संविधान द्वारा सरकार की राजभाषा घोषित करने के बाद भी नकद पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिंदी को आगे बढ़ाना संविधान का अपमान है । बिना किसी प्रेरणा या प्रोत्साहन से संविधान लागू होने के पूर्व ही हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन चुकी थी ।

हिंदी को राजभाषा बताने पर जो हृदय स्पर्श होता है, वह राष्ट्रभाषा के हृदय स्पर्श से हल्का है । राष्ट्रभाषा वह स्पर्श है जो व्यक्ति की अंतःचेतना को स्पर्श करता है । वही चेतना जिसका स्पर्श हिंदी ने आजादी पूर्व किया था । उस समय कोई राष्ट्रभाषा अधिकारी नहीं था, कोई राष्ट्रभाषा विभाग या राष्ट्रभाषा प्रबंधन नहीं था । यदि था तो एक राष्ट्र में बँधने की चाह । एक भाव जो हिंदी देता था भारतीय होने का और भारत को अंग्रेजों से अलग करने का । इसलिए हिंदी को स्वाधीनता देने की भाषा कहते हैं । आज राजभाषा बताने पर वह हृदय की भाषा नहीं है । इस में जोश है, लेकिन स्पंदन नहीं है । इस के अधिकारी हैं, विभाग है, प्रबंधकीय व्यवस्था है, नीति है । लेकिन वह भाव नहीं है जो भाषा को हृदय तक अवतरित करता है । इसलिए राजभाषा विभाग को, भारत सरकार को यह सोचना होगा कि भारतेन्दु, प्रेमचन्द, हरिऔध, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, और, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे विद्वानों और गाँधीजी, पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, राजा राम मोहन राय जैसे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित हिंदी को क्यों राजभाषा कहें? कदाचित् राजभाषा कहकर हम हिंदी को लोगों के दिल से दूर ही ले रहे हैं ।

राष्ट्रभाषा हिंदी जो भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की देन है, हमारे राष्ट्र की संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाओं में वह ऐसी भाषा है जो आसेतु हिमालय तक व्याप्त है । हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तो उसका प्रचार एवं प्रभाव दोनों अप्रतिहत है आज हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा होने का जो गौरव एवं महत्व प्राप्त है, वह मात्र उसके प्रचार की बदौलत नहीं वरन् उसकी सांस्कृतिक धरोहर [Cultural Assest] भी उतनी ही बड़ी होने के कारण है । ■

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ

–पी. आर. वासुदेवन*

प्रजातांत्रिक राष्ट्र में राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और राजभाषा सर्वोच्च सम्माननीय होते हैं। देश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए इन तीनों की बोधगम्य जानकारी आवश्यक होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई और राजभाषा के रूप में हिंदी ने विगत उनसठ वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है। लेकिन अभी भी इसे लम्बी दूरी तय करना है। विडंबना यह है कि प्रर्याप्त मानवशक्ति एवं विद्वजनों के होने पर भी हिंदी अभी तक लाचार एवं असहाय अवस्था में क्यों है? शायद इस सबके पीछे कोई न कोई कारण अथवा नैतिक कर्तव्यों के निवर्हण की अक्षमता हो सकती है।

दैनिक जीवन कार्य व्यवहार व बोलचाल की भाषा में हिंदी को हम अपनाते हैं। लेकिन जब हम कार्यालय में आते हैं तो हमारी मानसिकता में यकायक परिवर्तन आ जाता है। यदि हम बौद्धिक दृष्टि से मानसिक व नैतिक स्तर पर मातृभाषा, मातृभूमि के प्रतिबद्ध एवं निष्ठावान हैं तो फिर हिंदी राजभाषा की यह हालत क्यों हैं?

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों एवं इसके उत्थान विकास में कई कारण हैं जिनका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा :-

1. नियमों के अनुपालन का अभाव

अकसर यह देखा जाता है कि हर मंत्रालय अथवा विभाग का राजभाषा अनुभाग समय-समय पर कुछ न कुछ राजभाषा विषयक नियम अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जारी करता है। जैसे कि राजभाषा अधिनियम की 343 धारा 3(3) का अनुपालन आदि। किन्तु देखा यह जाता है कि हिंदी विषयक परिपत्र अथवा आदेश महज आदेश बनकर रह जाते हैं इसके कार्यान्वयन में बहुत ही कम व्यावहारिकता देखी जाती है। अत: विभागाध्यक्ष को चाहिए कि अन्य सरकारी नियमों/विनियमों की तरह ही राजभाषा हिंदी संबंधी नियमों का वास्तव में अनुपालन सुनिश्चित करवाएँ। इस मार्ग में आनेवाली दिक्कतों का आपसी तालमेल से दूर किया जा सकता है।

हिंदी माह/पखवाड़े/दिवस के आयोजन के दौरान प्राय: भारत सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रति क्षणिक उत्साह दिखाई पड़ता है। कई प्रकार की मंचित उद्‌धोषणाएँ राजभाषा हिंदी के विकास एवं उत्थान के लिए की जाती हैं और लगता है कि अब हिंदी का रहा सहा विकास कुछ ही दिनों में सम्पन्न हो जाएगा। लेकिन सितम्बर माह के बीतते ही हिंदी के प्रति क्षणिक प्रेम रेत के घरोंदों की तरह ढह जाता है और स्थिति पुन: कष्टदायक हो जाती है।

इस संबंध में हमें अपनी कथनी और करनी में समानता लानी होगी। साथ ही अपने हिंदी प्रेम को क्षणिक रूप न देते हुए शाश्वत रूप प्रदान करना होगा। तभी हम निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राजभाषा हिंदी को वास्तविकता का जामा पहना पाएंगे।

2. अनुवाद की जटिलताएँ

एक देश की संस्कृति अथवा भाषा से दूसरे देश संस्कृति तथा भाषा तक पहुँचने में अंनुवाद एक सेतु का कार्य करता है किंतु दैनिक कार्य व्यवहार में प्रर्याप्त जटिलताएँ एवं भ्रांतियाँ भी उत्पन्न करता है। वस्तुत: होता यह है कि अनुवादक अपनी ज्ञान सीमा के अनुरूप किन्ही वैज्ञानिक तकनीकी दस्तावेजों का अनुवाद कर अपने कार्य की इतिश्री समझ लेता है। लेकिन अध्ययन करने पर पता चलता है कि स्त्रोत भाषा से किया गया अनुवाद उसके यथार्थ से एकदम विपरीत अथवा अस्पष्ट हो गया है। ऐसे अनुवाद भाषा की मौलिकता को तो समाप्त करते ही हैं। साथ ही हमारे हिंदी प्रेम को आघात पहुँचाने का काम करते हैं।

अनुवाद की इन सब जटिलताओं को मध्य नजर रखते हुए वैज्ञानिकों, अधिकारियों को बहुत कुछ शाब्दिक अनुवाद की चिंता न करते हुए सीधे और सहज भाषा में विचारों को

*हिंदी अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, चैन्नई-600018

व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। भाषा तथा संबंधित विषय को जानने की ललक मन में हो तो भाषा अपने आप दौड़ती चली आएगी। जिससे न केवल अनुवाद की भ्रांतियाँ कम होंगी बल्कि इसके समानांतर मौलिक लेखन को भी प्रेरणा एवं बल मिलेगा ।

कितना अच्छा हो कि यदि भारत का हर वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक अनुवाद के लिए किसी दूसरे की राह न ताकते हुए स्वंय यह प्रयास करे तो निश्चय अनुवाद संबंधी गलतफहमियाँ/भ्रांतियाँ दूर होंगी। भाषा की जानकारी के साथ-साथ ज्ञान में भी वृद्धि होगी।

3. सबका समान दायित्व

अक्सर देखा यह गया है कि राजभाषा हिंदी के उन्नति एवं विकास के लिए किसी भी मंत्रालय, विभाग, संस्थान अथवा प्रतिष्ठान के राजभाषा अनुभाग अथवा एकक को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। जबकि भारत के सर्वांग नागरिक होने के नाते राष्ट्रभाषा का प्रयोग करना सबका नैतिक दायित्व है ।

हिंदी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, कार्यक्रमों, हिंदी पखवाड़े तथा राजभाषा हिंदी की विकास संबंधी गतिविधियों के आयोजन में केवल हिंदी अनुभाग को ही उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन यदि राजभाषा विषयक कार्यों का केवल हिंदी अनुभाग का ही कार्य न मानकर अगर सब लोग एक जुट होकर समानता के साथ अपनी जिम्मेदारी और क्षमता का निर्वहन करें तो सामूहिक आधार पर इसका प्रयोग निश्चिय रूप से कई गुना बढ़ जाएगा। भाषा थोपने की नहीं अपितु हृदय से अपनाए जाने की वस्तु है। इसमें प्रदर्शन का नहीं वरन् स्वतः स्फूर्ति का होना परमावश्यक है।

4. शब्दावली की समस्या

भाषा शाश्वत एवं दीर्घगामी परिणाम छोड़ने में कभी सक्षम नहीं होती। शब्दावली एवं शब्दकोश हमारे सहायक व प्रेरक तो हो सकते हैं किंतु मार्गदर्शक कदापि नहीं।

भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावलियों का कार्य यद्यपि अनूठा एवं बेजोड़ है लेकिन ये शब्दावलियाँ भी मूलभूत कार्य के प्रति शब्दों के उचित अर्थ प्रदान करने में कहीं-कहीं असमर्थ रहती हैं। कहीं-कहीं भाषा के प्रवाह में उचित शब्दों के न मिल पाने से बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। लेकिन अभिव्यक्ति के रूप में हमें पर्यायों की और शब्दों के शाब्दिक अर्थों की तलाश न करते हुए विषय को स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने का दूसरा विकल्प भी अपना चाहिए। न कि उचित शब्दों के अभाव में हम अपनी कार्य की गति को ही विराम दे दें।

जैसा कि कोई भी शब्द प्रारंभ में लोकप्रिय तथा प्रचलित नहीं होता क्योंकि प्रयोग व व्यवहार ही शब्द को जीवंतता व गति प्रदान करते हैं। अतः प्रारंभ में उचित शब्द न मिलने पर इनके अंग्रेजी शब्दों के लिप्यंतरण की प्रवृत्ति बढ़ानी होगी। साथ ही शब्दों के सहज व सरल हिंदी पर्याय भी आपसी विचार विमर्श से ढूंढने होंगे। शब्दों का निर्माण वातानुकूलित कक्षों में नहीं अपितु कार्य व्यवहार के रणक्षेत्र में संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की साझेदारी से होना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ में इन कठिनाईयों से निजात पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देना चाहता हूँ :-

1. कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण-हिंदी शिक्षण योजना तथा विभागीय व्यंवस्था का सुदृढ़ीकरण
2. हिंदी प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन व्यवस्था
3. आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा हिंदी पाठ्यक्रमों का प्रसारण
4. हिंदी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का समय-समय पर आयोजन
5. भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प
6. देश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण
7. राजभाषा हिंदी का कार्यालय में निरीक्षण तथा मानीटरिंग
8. वार्षिक कार्यक्रम का यथासमय संवितरण एवं कड़ाई से अनुपालन करना
9. कोड-मैनुअल और अंन्य कार्य विधि साहित्य का अनुवाद
10. हिंदी के सभी स्वीकृत पदों को भरना इत्यादि ।

इस प्रकार हम पाते हैं कि उपरोक्त कारणों से राजभाषा के कार्यान्वयन में कठिनाईयाँ आती हैं अगर हम अपने आचरण, प्रयोग, निष्ठा व व्यवहार की उर्वरता से इसे आसानी से हल कर सकते हैं ।

साहित्यिकी

तमिलनाडु में प्रेमचंद की व्याप्ति

–र. शौरिराजन*

पूरे दक्षिण में, जो तब मद्रास सूबा था, जिसकी सदर मुकाम-राजधानी मद्रास महानगर था, प्रेमचंद के विचारों, रचनाओं की व्याप्ति हमारी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के गांधीवादी, राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारकों के जरिए ही हुई और होती भी रही है। प्रान्तों के भाषावार विभाजन के बाद भी यह हिंदुस्तानी-प्रसार जारी रहा।

सन् 1927 में हिंदुस्तानी अकादमी ने प्रेमचंद के महाकाव्यात्मक, राष्ट्रीयतावादी उपन्यास रंगभूमि (रचनाकाल 1925 ई.) पर पाँच सौ रुपये का पुरस्कार दिया। प्रेमचंद अब तक हिंदी के नवोन्मेषी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी कथासाहित्य में बड़ी नामवरी के साथ प्रतिष्ठित हो गए थे। साहित्यप्रेमी, सुधी पाठकों ने उनको 'उपन्यास-सम्राट' की उपाधि देकर प्रशस्त किया। उनके उत्तम उपन्यास 'वरदान (1912), सेवासदन (1916), प्रेमाश्रम (1921), रंगभूमि (1925), निर्मला (1926), कायाकल्प (1926) और सोजे वतन, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूँ, मुक्तिमार्ग, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर आदि कहानियाँ पूरे भारत में हिंदी पाठकों के दिलो-दिमाग में अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। साथ ही, प्रेमचंद ने उस जमाने की लोकप्रिय हिंदी पत्रिकाओं में - माधुरी, जागरण, हंस, चाँद आदि में सामाजिक,राजनीतिक, नवजागरण और शोषण-उत्पीड़न-विरोधी लेख भी खूब लिखे थे। प्रेमचंद 1921 से गांधीजी के प्रभावी संपर्क में आए और स्वतंत्रता-संग्राम में पत्रकार-रचनाकार की हैसियत से शरीक हुए। असहयोग-आंदोलन, राष्ट्रीयता-अभियान, राष्ट्रभाषा (हिंदुस्तानी) निर्माण, राष्ट्रीय साहित्यिक सरोकार आदि में पुरजोर भागीदार हुए। (प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई, 1880 को, और निधन 8 अक्तूबर, 1936 को हुआ।)

दिसंबर, 1932 के 'हंस' पत्रिका में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्यकलापों की सराहना करते हुए प्रेमचंद ने लिखा था, "मद्रास और आंध्र प्रांत में हिंदी प्रचार का काम जितने संगठित और सुचारू रूप से हो रहा है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। वहाँ इस समय करीब तीन सौ हिंदी प्रचारक भिन्न-भिन्न केंद्रों में स्थायी रूप से हिंदी प्रचार का काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रचारक-मंडल से 'हिंदी प्रचारक' नाम का एक उपयोगी मासिक पत्र निकलता है। प्रतिवर्ष उनके 'प्रचारक सम्मेलन' (मद्रास में और दक्षिण प्रांतों में) होते हैं।... दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार की प्रगति में प्रांत के प्रभावशाली गण्य-मान्य सज्जन भी शरीक हैं। उनमें सर सी.पी. रामस्वामी ऐयर, दीवान बहादुर वी.एस. सुब्रह्मण्य ऐयर, जस्टिस ए. वेंकट राव आदि हैं।... हम मद्रास के हिंदी प्रेमियों को उनके उत्साह और लगन पर हृदय से बधाई देते हैं। भारत की राष्ट्रीयता एक राष्ट्रभाषा पर निर्भर है और दक्षिण के हिंदी प्रेमी राष्ट्रभाषा का प्रचार करके राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का बोध हो नहीं सकता। जहाँ राष्ट्रभाषा का होना लाजिमी है। अगर संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र बनाना है, तो उसे एक भाषा का आधार लेना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा का व्यवहार आपद्धर्म है; उसे हम राष्ट्रभाषा का पद नहीं दे सकते। भाषा ही राष्ट्र, साहित्य और संस्कृति का निर्माण करती है, आदर्शों की सृष्टि करती है।...."

प्रेमचंद के इस अभिमत को दक्षिण के हिंदी प्रचारकों ने घर-घर पहुँचाया और कांग्रेस के सभा-समारोहों में बराबर घोषित भी किया।

'हंस' पत्रिका के जनवरी 1933 के अंक में प्रेमचंद ने लिखा था- "हिंदी प्रचार सभा के तृतीय वार्षिक सम्मेलन में

*293, 41-स्ट्रीट, सैक्टर-8 के.के. नगर, चैन्नई-600078

-(पदवीदान-समारोह) सभापति के रूप में श्री देवदास गांधी ने जो भाषण दिया, वह बहुत ही विचारणीय, उत्साहवर्धक, सारगर्भित था और सभा के कार्यकलाप का सिंहावलोकन भी था ।"

"देवदास जी का यह प्रस्ताव सर्वथा समर्थनीय है कि दक्षिण भारत के हिंदी प्रेमी स्त्री-पुरुष उत्तर भारत का दौरा किया करें। इस प्रान्त में दो-तीन मास रह जाने से केवल आपस में प्रेम और घनिष्ठता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि हिंदी भाषा का वह अभ्यास हो जाएगा, जो बरसों हिंदी पुस्तकें पढ़ने से नहीं प्राप्त हो सकता।... हम तो चाहते हैं कि दक्षिण की हिंदी प्रचार सभा के इस काम में प्रयोग का साहित्य सम्मेलन या काशी नागरी प्रचारिणी सभा भी हाथ बंटाएँ और हर साल अपने खर्च से दस-बीस हिंदीसेवियों को दक्षिण भेजें ।"

देवदास गांधी का यह प्रस्ताव गांधी जी द्वारा 1918, मार्च 29 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर- अधिवेशन के सभापति की हैसियत से की गई अपील का अनुवाचन है। इससे प्रेरित होकर उसी वर्ष में (1918) पाँच तमिलभाषी हिंदीप्रेमी हिंदी सीखने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में गए। वहीं साल-भर रहकर हिंदी की स्तरीय शिक्षा पाकर लौटे। वे थे-पंडित हरिहर शर्मा, उनकी पत्नी, वन्दे मातरम् सुब्रह्मण्यम् उनकी पत्नी और पंडित शिवराम शर्मा। इनके हिंदी शिक्षक थे वियोगी हरि, पं. गणेशदीन त्रिपाठी, पं. हरिभाऊ उपाध्याय, पं. रामनरेश त्रिपाठी आदि।

गांधी जी की प्रेरणा से दक्षिण में हिंदी प्रचार करने आए उत्तर भारतीय युवकों में उल्लेखनीय हैं-प. प्रताप नारायण बाजपेयी, पं. रामानंद शर्मा, श्री क्षेमचन्द्र राहत, श्री रामभरोसे श्रीवास्तव, पं. हृषीकेश शर्मा, पं. अवधनन्दन, पं. रघुवर दयालु मिश्र, श्री जमुना प्रसाद, पं. देवदूत विद्यार्थी, पं. रामगोपाल शर्मा, श्री प्रेमनाथ शाण्डिल्य, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आदि।

प्रेमचंद जी को मालूम था कि गांधी जी ने अपने बेटे देवदास गांधी को हिंदी प्रचार करने मद्रास भेजा था। ये ही सभा के प्रथम हिंदी प्रचारक थे। 12 मई 1918 में मद्रास महानगर के होम रूल लीग के दफ्तर में जो ब्राडवे कस्बे में था, पहला हिंदी वर्ग देवदास गांधी ने शुरू किया। उस समय वे अठारह साल के थे।

हिंदी वर्ग के उद्घाटन-समारोह की अध्यक्षता डॉ. सी.पी. रामस्वामी ऐयर ने की और वर्गारंभ होम रूल लीग की अध्यक्षा एनी बेसेंट ने किया था। उस हिंदी वर्ग के छात्र थे-श्री सदाशिव ऐयर (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश), श्री वेंकटराम शास्त्री (नामी वकील), श्री भाष्यम् ऐयंगार (विख्यात वकील), श्री एन. सुंदरम् ऐयर, श्रीमती अंबुजम्माल्, श्रीमती दुर्गाबाई, श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति आदि प्रसिद्ध समाजसेवी, सुशिक्षित नामी लोग ।

'हिंदी ज्ञानयात्री मंडल' के नाम से दक्षिण के हिंदी शिक्षार्थी प्रचारकों का दल उत्तर भारत में जाकर हिंदी का गहन अध्ययन करने लगा। यह 1931 से आयोजित किया गया। प्रेमचंद ने उसका स्वागत किया। 'हंस' के संपादकीय में (अप्रैल 1933) आपने लिखा-"हिंदी प्रचारक विद्यालय, मद्रास के प्रिन्सिपल पं. हृषीकेश शर्मा के प्रोत्साहन से प्रतिवर्ष कुछ हिंदी प्रेमी (हिंदी प्रचारक) हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाएँ दे रहे हैं।... हिंदी प्रचार आंदोलन का भविष्य बड़ा उज्जवल है और उसकी सफलता के लिए दिलो-जान से काम करनेवालों की संख्या भी काफी है। परंतु इन सच्चे राष्ट्र-सेवकों को ज्ञानदान देनेवालों की संख्या अभी संतोषजनक नहीं है। अतः शिक्षित हिंदी भाषियों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग दक्षिण में हिंदी भाषा के 'साहित्यिक प्रचार' को आगे बढ़ानेवाले इस आंदोलन की सहायता करें।"

प्रेमचंद जी की अपील के प्रभाव से कई गण्य-मान्य हिंदी विद्वानों ने 'हिंदी ज्ञानयात्री मंडल' की सहायता करने का वचन दिया। उनमें प्रमुख थे-सर्वश्री श्यामसुंदर दास, श्रीनाथ सिंह, प्रो. रामदासजी गौड़, प. प्रताप नारायण बाजपेयी, प. प्रताप नारायण बाजपेयी,, पं. हरिशंकर शर्मा, मोहन लाल महतो वियोगी, पं. माखन लाल चतुर्वेदी, प्रो. इंद्र जी आदि।

प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण साक्षात्कार दक्षिण के हिंदी प्रचारकों, हिंदी प्रेमियों को 29 दिसंबर 1934 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्राप्त हुआ था । प्रेमचंद जी ने उसमें दीक्षांत भाषण दिया जो ऐतिहासिक महत्व का था। उन्हें सभा के कर्मठ प्रचारक आर. शंकरन् मुंबई से मद्रास (चेन्नई) ले आये और उद्योगपति (इंडियन एक्सप्रेस, दिनमणि, जनसत्ता आदि अखबारों के मालिक रामनाथ गोयनका के यहाँ ठहराया। प्रेमचन्द के साथ

उनकी पत्नी शिव-रानी देवी, हिंदी ग्रन्थ रत्नाकर (प्रकाशन संस्थान) के मालिक, साहित्यसेवी श्री नाथू राम प्रेमी भी आए। उन दिनों श्री काका कालेलकर, रामनाथ गोयनका जी के यहाँ ठहरे हुए थे। गोयनका जी तब द.भा. हिंदी प्रचार सभा के कोषाध्यक्ष थे और सभा के विकास में हाथ बँटाते थे।

प्रेमचंद जी मद्रास में पाँच दिन ठहरे। तीन दिन हिंदी प्रचारकों, अध्यापकों, सभा के कार्यकर्ताओं के साथ बिताए। प्रचारकों के द्वारा अभिनीत "चंद्रगुप्त" नाटक देखा और सराहा। मद्रास के मेरीना समुद्र-तट, थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र, अजायबघर आदि स्थानों का सैर किया। पाँचवें दिन (1जनवरी,1935) मैसूर के लिए रवाना हुए। सभा के हिंदी प्रचारक श्री हिरण्यम और श्री जंबुनाथ उनके साथ थे। उक्त दीक्षांत समारोह में 300 हिंदी प्रचारक-प्रचारिकाओं ने भाग लिया, जो दक्षिण के चारों प्रांतों से आये स्नातक थे। साथ ही, मद्रास महानगर के गण-मान्य हिंदी प्रेमी महाशयों की भी भागीदारी रही। उनमें उल्लेखनीय हैं- सर्वश्री राजाजी, के भाष्यम् ऐंगार, नागेश्वर राव पंतुलु, पी. राममूर्ति, हरिहर शर्मा, संजीव कामत मोटूरि सत्यनारायण, ए.आर.वी. आचार्य आदि।

इस दक्षिणी हिंदी यात्रा का विस्तृत विवरण श्री प्रेमचंद ने 'हंस' के फरवरी-मार्च 1935 के अंक में लिखा है। उसका एक अंश यहाँ उल्लेखनीय है और प्रासंगिक भी है-

" हिंदी या हिंदुस्तानी दक्षिण भारत के लिए विदेशी भाषा के समान है। हिंदी अध्यापक भी प्राय: दक्षिण के लोग हैं। छात्रों को पुस्तकें पढ़ने के सिवा हिंदी को व्यवहार में लाने के शायद बहुत कम मौके मिलते होंगे। इसका परिणाम यह हो सकता है कि उनका भाषाज्ञान केवल किताबी ज्ञान होकर रह जाए। इसके कुछ उदाहरण भी मिले। हमें ऐसे कितने ही सज्जन मिले, जो किताबें तो समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी बोल नहीं सकते, और न हिंदी भाषण आसानी से समझ पाते हैं। अगर अध्यापकगण क्लासों में छात्रों से हिंदुस्तानी ही में बोलें और इसका ख्याल रखें कि छात्र भी आपस में कम से कम क्लास में हिंदुस्तानी का व्यवहार करें तो शुद्ध बोलने का अभ्यास हो जाएगा।"

"दूसरा निवेदन जो मैं प्रचारक महोदयों से करूँगा, वह यह है कि वे हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं का अध्याय करते रहें, जिससे उनका भाषाज्ञान बढ़ता जाए। जिन्हें साहित्य-रचना का कुछ शौक है, उन्हें कभी-कभी पत्रों में कुछ लिखते रहना चाहिए। दक्षिण के साहित्य में ऐसी कितनी ही चीजें होंगी, जिन्हें हिंदी में लाकर वे उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करेंगे।"

प्रेमचंद जी ने अपने दीक्षांत भाषण में भाषिक, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीयता की समस्याओं पर प्रकाश डाला। अंग्रेज़ी-मोह पर चोट की और स्वदेशी , स्वराजी चेतना जगायी उसके कुछ प्रेरक-प्रभावी अंश पेश हैं-

"राष्ट्रभाषा से हमारा क्या आशय है, इसके विषय में भी मैं आपसे दो शब्द कहूँगा। इसे हिंदी कहिए, हिन्दुस्तानी कहिए या उर्दू कहिए, चीज़ एक है, नाम से हमारी कोई बहस नहीं। ईश्वर भी वही है, जो खुदा है, और राष्ट्रभाषा में दोनों के लिए समान रूप से सम्मान का स्थान मिलना चाहिए।......"

"अब हमें यह विचार करना है कि राष्ट्रभाषा का प्रचार कैसे बढ़े। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नेताओं ने इस तरफ मुजारिमाना गफलत दिखायी हैं। वे अभी तक इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि यह कोई बहुत छोटा-मोटा विषय हैं, जो छोट-मोटे आदमियों के करने का हैं, और उनके जैसे बड़े-बडे आदमियों को इतनी कहाँ फुर्सत कि वे झँझट में पड़ें। उन्होंने अभी तक इस काम का महत्व नहीं समझा; नहीं तो शायद यह उनके प्रोग्राम की पहली पाँति में होता।...."

सभा के दीक्षांत-समारोह में भाग लेने के दो महीने पहले (27 अक्तूबर, 1934) मुंबई में आयोजित राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में स्वागताध्यक्ष की हैसियत से प्रेमचंदजी ने भरी सभा में प्रभावी भाषण दिया। एक बानगी-

"राष्ट्रभाषा केवल रईसों, अमीरों की भाषा नहीं हो सकती। उसे किसानों और मजदूरों की भी बनना पड़ेगा। जैसा रईसों और अमीरों ही से राष्ट्र नहीं बनता, उसी तरह उनकी गोद में पली हुई भाषा राष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा तो बाजारों में और गलियों में बनती है। लेकिन सभाओं में बैठकर हम उसकी चाल को तेज जरूर कर सकते हैं।...."

626 HA/09—4A

देहावसान के कुछ महीने पहले प्रेमचंद ने (1936 में) लखनऊ में संपन्न भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में साहित्यकारों और साहित्यप्रेमियों को संबोधित किया सभापति की हैसियत से । उसमें आपने कहा था-

"साहित्य की बहुत-सी परिभाषाएँ की गई हैं । पर मेरे विचार से साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा 'जीवन की आलोचना' है।.... साहित्य उसी रचना को कहेंगे, जिसमें कोई सचाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो।... हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाश हो-जो हममें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। क्योंकि अब ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।"

प्रेमचंद जी के ये सब विचार तमिलनाडु में साहित्य प्रेमी, राष्ट्रसेवी हिंदी प्रचारकों के जरिए फैल गए। इन विचारों को संगोष्ठियों, सभा-समारोहों में हिंदी प्रचारक तमिल में समझाते थे। हिंदी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पाठ्य विषय के साथ मूल रूप में सुनाते थे।

सभा की उच्च परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में प्रेमचंद की कुछ रचनाएँ अनिवार्य रूप से नियत होती आ रही हैं। उनकी कई कहानियों, उपन्यासों से लाखों तमिल-भाषी, साहित्य प्रेमी, हिंदी विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, होते आ रहे हैं।

तमिल अनुवाद के माध्यम से प्रेमचंद-साहित्य को तमिल पाठकों से परिचित कराने का प्रशंसित प्रयास सन् 1940 से प्रारंभ हुआ। तमिल के तत्कालीन नवोन्मेषी साहित्यिक पत्रिकाओं में - मणिक्कोडि (1940), कलामोहिनी (1942) आदि में-प्रेमचंद की कहानियाँ तमिल-रूपांतर में प्रकाशित होने लगीं। 1942 में सेवासदन उपन्यास पर आधारित तमिल फिलिम निकली। इसमें मशहूर गायिका श्रीमती एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने प्रधान पात्र में अभिनय किया। यह फिलिमांकन तमिल साहित्य जगत में नवजागरण, नई सोच लाने में सफल साबित हुआ ।

बुजुर्ग हिंदी प्रचारक श्री आक्कूर अनंताचारी ने जो स्वतंत्रता-आंदोलन के सेनानी भी थे, 1956 में प्रेमचंद की पाँच कहानियों का संग्रह 'प्रेमपंचमी' के नाम से तमिल में प्रकाशित किया।

हिंदी प्रचारक और तमिल-हिंदी के नामी लेखक श्री रा. विलिनाथन ने सन् 1952-56 के दौरान लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक 'कल्कि' में गबन, निर्मला प्रेमाश्रम और अनेक कहानियाँ के सुंदर तमिल-अनुवाद प्रकाशित कराये। ये तमिल साहित्य-भंडार को संपन्न करनेवाले उत्तम उपहार माने गये।

का. श्री श्रीनिवासाचार्य, का. अप्पादुरै, एन.वी. राजगोपालन, टी. राजुशर्मा, वी.एस. रंगनाथन, जमदग्नि, स्वामीनाथ आतंयन, बी.एम. कृष्णस्वामी, श्रीमती कामाक्षी विष्णुप्रिया, डा. विजया, रातुलन, र. शौरिराजन, सरस्वती रामनाथ, हेच, बालसुब्रह्मण्यम आदि तमिलभाषी हिंदी सेवियों ने प्रेमचंद की रचनाओं को (प्राय: कहानियों, उपन्यासों को) तमिल-अनुवाद के जरिए प्रशस्त किया।

बहुभाषी विद्वान लेखक का. श्री श्री. ने 1942 में प्रेमचंद के उपन्यास 'दो फूल' और 1945 में 'रूठी रानी' आदि रचनाओं को तमिल में प्रकाशित किया। श्रीमती सरस्वती रामनाथ का-जो नामी हिंदी प्रचारिका भी हैं, 'गोदान' का अनुवाद तमिल पाठकों में बहुचर्चित, बहुप्रशंसित रहा, यह 1998 में प्रकाशित हुआ। र. शौरिराजन द्वारा अनुदित प्रेमचंद की 22 कहानियों का संग्रह नेशनल बुक ट्रस्ट ने 1976 में प्रकाशित किया। प्रेमचंद के लेखों, संस्मरणों और उपन्यास-अंशों का भी आपने तमिल में अनुदित किया। इन सब का विपुल स्वागत हुआ, प्रेमचंद तमिल पाठकों में अधिक जाने-माने आत्मीय साहित्यकार बन गये ।

गत तीन दशकों में अंग्रेजी के माध्यम से भी प्रेमचंद की रचनाएँ तमिलभाषी साहित्य-प्रेमियों में अधिक प्रशंसिक, प्रेरित, हुई हैं, जो प्रेमचंद की कृतित्व-परिव्याप्ति की गवाह हैं । ■

626 HA/09—4B

नई विश्व भाषा - ग्लोबिश

–राकेश कुमार*

यह सर्वविदित है कि इंग्लैड में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है और फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच है। फ्रेंच बोलने वाले 85 प्रतिशत लोग फ्रांस में ही रहते हैं। ये लोग ही फ्रेंच के सही जानकार हैं और फ्रेंच भाषा के सही और गलत प्रयोग के बारे में अधिकारपूर्वक बता सकते हैं। लेकिन यह स्थिति अंग्रेजी के बारे में नहीं है। अंग्रेजी भाषा स्कॉटलैंड में भी बोली जाती है, आयरलैंड में भी और वेल्स में भी। इन तीनों क्षेत्रों के लोगों द्वारा अधिकारपूर्वक इसका प्रयोग किया जाता है, परन्तु इन तीनों ही क्षेत्रों की अंग्रेजी में बहुत अंतर है। यानि इंग्लैंड में बोली जाने वाली अंग्रेजी में भी एकरूपता नहीं है। ऐसी स्थिति में, हम विश्व के अनेक देशों में बोली जाने वाली अंग्रेजी की एकरूपता की कल्पना भी नहीं कर सकते।

विश्व के प्रत्येक देश में बोली जाने वाली अंग्रेजी वहां के स्थानीय प्रभाव से बच नहीं सकी है और ऐसा होना संभव भी नहीं है। वस्तुतः आज अमेरिका में बोली जाने वाली अंग्रेजी, मूल ब्रिटिश अंग्रेजी से बहुत भिन्न है। अमेरिकी अंग्रेजी में अनेक प्रयोगों में शब्दों की स्पैलिंग को भी संक्षिप्त रूप प्रदान किया गया है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में रंग के लिए COLOUR और अमेरिका में COLOR तथा कार्यक्रम के लिए इंग्लैंड में PROGRAMME और अमेरिका में PROGRAM स्पैलिंग का प्रयोग किया जाता है। यानि जिन अक्षरों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में अनेक देशों में अंग्रेजी का प्रभाव अधिक ही है। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के अधिकतर देशों पर रहा है। ऐसे देशों में अंग्रेजी अभी भी बहुतायत से बोली जाती है जिसमें भारत भी एक है।

यह वर्तमान संदर्भ में बहुत हद तक सत्य है कि अंग्रेजी से दुनियाभर में संपर्क साधा जा सकता है। दुनिया में संप्रेषण की भाषा, व्यापार की भाषा, संचार की भाषा अंग्रेजी ही है। अपवादस्वरूप फ्रांस, कोरिया और जापान जैसे देशों को छोड़कर। हालांकि सीमित रूप में अंग्रेजी वहां भी बोली जाती है। चीन, जापान, आदि देशों में बोली जाने वाली अंग्रेजी इंग्लैंड और अमेरिका में बोली जाने वाली अंग्रेजी से भिन्न है और यहां के लोगों की अपनी सीमाएं भी हैं। वे लोग अंग्रेजी बोलते तो हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से नहीं और न ही सहज रूप में। उनके लिए अंग्रेजी पराई भाषा ही रहती है। गैर-अंग्रेजी भाषी लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उन्हें परेशानी होना स्वाभाविक ही है, चाहे वह फ्रांस में हो, चीन में हो या कोरिया अथवा भारत में। ऐसे ही लोगों की अंग्रेजी की सीमाओं और दिक्कतों को देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की जरूरत महसूस की गई। एक ऐसी भाषा जो पूरे विश्व में समझी जा सके और जिसे बोलने में किसी को कोई दिक्कत न हो। साथ ही साथ, वह किसी भी प्रकार के स्थानीय प्रभाव से मुक्त भी हो। ग्लोबिश का उद्देश्य इन्हीं सीमाओं को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करके आपसी संवाद की एक नई शैली का विकास करना है।

फ्रांस के डॉ. ज्यां पॉल नेरियेर ने इस दिशा में सक्रिय कार्य करने का बीड़ा उठाया है। यह नए किस्म की अंतर्राष्ट्रीय कामकाजी अंग्रेजी है जिसे ग्लोबिश नाम दिया गया है। यह भाषा केवल 1500 शब्दों में सिमटी हुई है और डॉ नेरियेर का दावा है कि यह इंग्लैंड में बोली जाने वाली मूल अंग्रेजी, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का दावा करती है, का दबदबा समाप्त कर देगी।

डॉ. नेरियेर ने अस्सी के दशक में आईबीएम के साथ काम करते हुए मार्केटिंग के लिए अपने देश-विदेश के दौरों के दौरान गैर-अंग्रेजी भाषी लोगों की कठिनाइयों को महसूस

*सहायक निदेशक (राजभाषा) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप, नई दिल्ली।

किया और वे गंभीरता से अंग्रेजी के एक विकल्प के रूप में एक सरल, सुबोध और अंतर्राष्ट्रीय कामकाजी भाषा तैयार करने में जुट गए । इसके प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने "Don't Speak English, Parlez Globish" और "Deconverz Le Globish" नामक दो पुस्तकें भी लिखीं । बहुत कम समय में ही यूरोप के अनेक गैर-अंग्रेजी भाषी देशों में यह भाषा लोकप्रिय होने लगी । डॉ. नेरियेर की पुस्तकों का कई भाषाओं (इटैलियन, स्पैनिश और कोरियन) में अनुवाद हो चुका है । जापानी भाषा में इस पर काम चल रहा है । इन भाषाओं में ग्लोबिश के शब्दकोश भी तैयार हो गए हैं । यहां तक कि "वॉयस ऑफ अमेरिका" के कुछ बुलेटिन भी ग्लोबिश में प्रसारित होने लगे हैं ।

अब प्रश्न यह है कि ग्लोबिश है क्या? ग्लोबिश वस्तुत: मूल अंग्रेजी का ही व्यवस्थित और कामकाजी रूप है । कुछ लोग इसे डिकैफिनेटेड या लाइट अंग्रेजी भी कहते हैं । वास्तव में यह अंग्रेजी की ही सटीक और व्यवस्थित फॉर्म है । इसके सभी शब्द और ग्रामर भी अंग्रेजी के ही हैं । यहां तक कि अंग्रेजी-भाषी लोग भी इसे पढ़कर अथवा सुनकर कोई अंतर नहीं निकाल सकते । मूल अंतर यही है कि इसमें से कुछ गैर-जरूरी अथवा कम जरूरी चीजों को निकाल दिया गया है । जैसे अंग्रेजी में कुछ टेंस में (काल) विशेष क्रिया रूपों की आवश्यकता नहीं है । उदाहरणार्थ – "आई हैव बीन राइटिंग ए लैटर" के स्थान पर "आई वर राइटिंग ए लैटर" भी लिखें, तब भी काम चल जाता है । अर्थात् यहां "हैव बीन" की आवश्यकता नहीं है । ग्लोबिश भाषा के वाक्य सदैव छोटे-छोटे ही होते हैं । इसमें "हू" "हूम", "व्हिच" जैसे शब्दों और पंक्चुएटेड शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि उनके स्थान पर "पंक्चुएशन मार्क्स" का प्रयोग किया जाता है ।

कुछ लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि ग्लोबिश संभवत: "यू सिट, आई गो" जैसी भाषा है । परन्तु यह सत्य नहीं है । इसमें तो अंग्रेजी के 1500 ऐसे शब्दों को लिया गया है जिनका प्रयोग पूरे विश्व में सामान्यत: होता है तथा पूरे विश्व में इन्हीं सीमित शब्दों के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपनी बात सहज तथा स्वाभाविक रूप से कह सकता है । उदाहरणार्थ, प्लांट, लीड, एक्शन, इफैक्ट, ट्रस्ट, ड्यूटी, कॉमर्स, टूर, बिजनेस, इत्यादि शब्दों के अनेक अर्थों और विभिन्न संदर्भों में इनके प्रयोगों के माध्यम से ग्लोबिश भाषा तैयार की गई है ।

ग्लोबिश की विशेषता यह है कि यह लोगों के मन से अंग्रेजी नहीं जानने की कुंठा को दूर कर देती है । केवल 1500 शब्दों के माध्यम से आप अपनी बात भली-भांति व्यक्त कर सकते हैं और यह भय खत्म हो जाता है कि आप अंग्रेजी में अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते । इसके बाद कुछ और ट्रिक्स के माध्यम से बिना अंग्रेजी ज्ञान बढ़ाए यह आपको लोगों के साथ संप्रेषण स्थापित करने में मदद करती है । यह आपकी भाषा को मूल अंग्रेजी से अलग और अधिक प्रोडक्टिव बनाती है ।

भारत में अनेक स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं । अनेक भाषाओं वाले यूरोप में ही नहीं, भारत में भी अंग्रेजों के समय से ही संप्रेषण के लिए एक सर्वमान्य और सर्वग्राहन भाषा की जरूरत रही है । अंग्रेजी तो भारत पर वैसी भी थोपी गई भाषा है । दुर्भाग्य कहें अथवा वर्तमान परिस्थितियां कि हमने इसे बड़े उत्साह के साथ माथे पर बिठाया तथा इसके लिए अपनी सर्वसक्षम तथा समृद्ध हिन्दी की भी अवहेलना कर दी । ऐसे में यदि ग्लोबिश अंग्रेजी का स्थान ले लेती है तो भारत मानसिक रूप से भाषा की गुलामी का जुआ उतार फेंकेगा और अंग्रेजी न जानने की कुंठा से भी उबर सकेगा । ग्लोबिश चूंकि अंग्रेजी का ही छोटा रूप है तथा इसमें व्याकरण की जटिलता भी नहीं है, अत: इसे सीखना भी आसान है । वैसे भी भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोग 4-5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हैं । ऐसे में एक नई सरल और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को कौन नहीं अपनाना चाहेगा ?

वह दिन दूर नहीं जब इंग्लैंड के महज 12 प्रतिशत मूल अंग्रेजी-भाषी लोग भी समझेंगे कि भविष्य में ग्लोबल मार्केट केवल अंग्रेजी के भरोसे नहीं चलने वाली । उन्हें इससे सहमत होना ही होगा कि विश्व में व्यवहार और व्यापार की भाषा के लिए उन्हें अपनी अंग्रेजी को आवश्यकतानुसार एड्जस्ट करना ही होगा और यही एड्जस्टमेंट वर्तमान में हमारे समक्ष ग्लोबिश भाषा के रूप में सामने आया है । तब अंग्रेजी केवल पुरानी संस्कृति अथवा क्वालिटी लैंग्वेज के रूप में ही रह जाएगी और अंग्रेजी के बल पर गर्व से अपना सिर ऊपर करके चलने वाले कुछ प्रतिशत अंग्रेजों का भाषा के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त हो जाएगा । ■

सांप्रदायिक सौहार्द और मीडिया

–अरविंद कुमार सिंह*
स्थानीय संपादक, हरिभूमि

भारत में बीते कुछ दशकों में मीडिया का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है और स्तर में आयी तमाम गिरावट के बाद भी उसकी विश्वसनीयता जनमानस में बरकरार है। आज भारतीय मीडिया की पहुंच देश के 60 फीसदी इलाकों तक हो गई है और आंकड़ों का विस्तार जारी है। दुनिया के कई देशों में अखबारों का प्रसार या तो स्थिर है या घट रहा है पर भारत में नए कीर्तिमान बन रहे हैं और अभी और प्रसार की संभावनाएं मौजूद हैं। अमेरिका, ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया समेत कई जगहों के मीडिया घराने भारत में पांव टिकाने की कोशिश में लगे हैं। मीडिया का तकनीकी स्तर बढ़ रहा है तथा तमाम क्षेत्रीय अखबारों ने संचार क्रांति और आधुनिक तकनीक के भरोसे देश के बड़े हिस्से में पैठ बना ली है। कई देशों से बेहतर और लोकतंत्र की छाया में मीडिया काफी फल फूल भी रहा है। अगर चंद घटनाओं को छोड़ दें तो मीडिया की स्वतंत्रता भारत में बरकरार है। हाल के सालों में मीडिया की दुनिया काफी बदल गई है और समाचार तथा मनोरंजन चैनलों की बाढ़ आ गई है। लेकिन इसके बाद भी अखबारों का प्रसार नहीं प्रभावित हुआ। आम तौर पर सभी प्रमुख अखबारों का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

देश के 10 सबसे बड़े अखबारों की सूची में से 6 हिंदी के अखबार शामिल हो गए हैं और इसी प्रकार 10 सबसे बड़ी पत्रिकाओं में पांच हिंदी की हैं। देश में 70 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं, जहां अखबारों का विस्तार तेजी से हो रहा है। पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि भारत में खास तौर पर देहाती इलाकों में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और 10 करोड़ लोग हाशिए पर खड़े हैं। निश्चय ही मीडिया की पहुंच से दूर देश के कुल 40 फीसदी लोगों में ये लोग भी शामिल हैं। लेकिन उनकी बातें और समस्याएं मीडिया में जगह पाती हैं। पत्रकारिता का क्षेत्रीय झुकाव होने से अब अखबारों के इलाकाई संस्करणों में स्थानीय खबरें ही प्रमुखता पा रही हैं। भारत में अंग्रेजी पत्रकारिता की पहुंच विशिष्ट लोगों के बीच है जबकि हिंदी तथा अन्य भाषाओं के अखबार ढाबों से लेकर झोपड़पट्टियों तक पहुंचते हैं। ऐसे में भाषाई पत्रकारिता के सामने गंभीर चुनौतियां और बड़े दायित्व हैं। भारत में भाषाई अखबारों का विस्तार साक्षरता के प्रसार के साथ बेशक तेजी से हो रहा है, पर आजादी के पहले और उसके बाद कई संवेदनशील मौकों और खास कर भाषाई, जातीय या सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन पर ही सबसे ज्यादा कीचड़ उछलते रहे हैं। अयोध्या कांड को लेकर हिंदी के कई अखबारों को कटघरे में खड़ा किया गया। भारतीय प्रेस परिषद् ने जांच पड़ताल करके कई अखबारों की निंदा की, जबकि गुजरात के दंगों में स्थानीय गुजराती अखबारों और कई चैनलों पर खुद एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तक ने उंगली उठाई।

अतीत के अनुभवों और अन्य तथ्यों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 14 राज्यों को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। इसके अलावा सात राज्यों में 24 जिले जातीय तनाव बहुल माने जाते हैं। देश का करीब 40 फीसदी हिस्सा अतिवाद से प्रभावित हो चुका है और बीते दो दशक में आतंकवाद का शिकार करीब 65 हजार से ज्यादा बेगुनाह लोग बने हैं। आतंकवादी हिंसा का नंगा नाच देश के कई हिस्सों में होता दिखता है और मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर

*126 टाइप-4, सैक्टर-8, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022।

समेत कई धर्मस्थल उनके निशाने पर आते रहे हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द्र को ध्वस्त कर सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकें। अगर देश में सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में जाएं तो पता चलता है कि 1954 से 1996 के बीच देश में हुए दंगों में 16,000 लोग मारे गए और एक लाख से ज्यादा घायल हुए। सर्वाधिक दंगे यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुए।

इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में भड़के सिख विरोधी दंगे सेना तैनाती जैसे उपायों के बाद भी एक पखवारे तक जारी रहे। दंगों में कई बड़े नेताओं पर भी उंगलियां उठी और 2733 से अधिक निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश के बीते दो दशक के दंगों में भागलपुर, मेरठ-मलियाना, मुंबई के दंगे, रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद जैसे तमाम मामलों से लेकर गुजरात और उड़ीसा में हिंसा का जो तांडव देखा गया उसकी गूंज दुनिया के तमाम हिस्सों तक पहुंची और भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी उससे धक्का लगा। मेरठ के दंगे तो करीब दो महीने तक चले और इसमें 350 लोग मारे गए। इन दंगों में भी मीडिया और पीएसी जवानों पर उंगलियां उठीं। इसी तरह भागलपुर के दंगों में 1000 लोग मारे गए जबकि मुंबई के दंगों में 1788 लोग मारे गए। यह सब उस देश में हो, जिसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र हो और जहां सांप्रदायिक सौहार्द्र के लिए हजारों उपाय किए गए हों, तो यह चिंताजनक लगता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता संबंधी मामलों की समीक्षा करने और उसके बारे में ठोस दिशा तय करने के लिए 1961 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थापना की। 1981 में प्रदेश सरकारों से भी जिला स्तर पर राष्ट्रीय एकता समितियां स्थापित करने को कहा गया। यूपीए शासन में पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद् में 140 सदस्य हैं, जिसमें से मीडिया से जुड़े 17 लोग हैं।

सहस्त्राब्दी के पहले बड़े दंगे यानि 2002 के दौरान घटे गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात में खतरनाक खेल लोगों के दिलोदिमाग में आज तक छाया हुआ है। गुजरात दंगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के माथे पर कलंक ठहराने के साथ मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को राजधर्म निभाने को कहा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दंगे में 254 हिंदू और 790 मुसलमान मारे गए। घायलों की संख्या 2548 रही जबकि 919 औरतें विधवा और 606 बच्चे अनाथ हो गए। गुजरात दंगों में मानवाधिकार संगठन मौतों की संख्या 2500 तक मानते हैं। लोगों की मौत के साथ सैकड़ों घर और पूजास्थल ध्वस्त हो गए। इसके साथ ही करीब 1.40 लाख लोगों का पलायन हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशन की रिपोर्ट में सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत से दंगों की बात उठी थी और तबसे जाने कितनी बातें उठी या उठती रही हैं। 2007 में गुजरात चुनावों के पहले फिर से दंगों को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने के लिए एक स्टिंग आपरेशन का खूब इस्तेमाल किया गया। गुजरात के दंगों में जिम्मेदार और गैर-जिम्मेदार दोनों भूमिका में मीडिया नजर आया।

खास तौर पर दंगों का लाइव कवरेज भारत में लोगों ने पहली बार देखा और इसे दंगा और भड़काने का अहम् कारक भी माना गया। कुछ टेलीविजन चैनलों ने तो दंगों का लाइव कवरेज कर आग में घी डालने का काम किया, जबकि कुछ अखबार भी काफी असंयत हो गए थे। गुजरात हिंसा के तांडव को पहला टेलीवाइस दंगा करार दिया गया। मीडिया पर समाज की टेढ़ी नजर तो थी, साथ ही सरकारी गुस्सा भी निकला। अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमलों में बीबीसी से लेकर सीएनएन तक ने लाशों की लाइनें या खून से लथपथ चेहरों को स्क्रीन पर नहीं दिखाया था, पर गुजरात में क्या कुछ नहीं दिखाया गया। गुजरात की घटनाओं के अलावा देश के कई हिस्सों में ईसाइयों के खिलाफ भी काफी बड़े हमले हुए और उनको काफी परेशान किया गया। उड़ीसा में पादरी स्टेन तथा उसके दो मासूम बच्चों की हत्या से पूरा देश स्तब्ध रहा।

गुजरात ही क्यों, तमाम दंगों में राजनेताओं और कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ मीडिया पर भी कीचड़ उछलते रहे हैं। पर यह संतोष की बात मानी जा सकती है कि मीडिया में लगातार तमाम सवालों पर आत्ममंथन भी होता रहा है। बहुत से वरिष्ठ पत्रकार विषैली मानसिकता या सोच के खिलाफ खड़े होते रहे हैं। पर आज इस सवाल पर और चिंतन-मंथन इस नाते भी बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि हम संचार के साधनों में बहुत विकसित होते जा रहे हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो हमारे यहां मात्र 80 हजार फोन थे पर आज फोनों की संख्या 27 करोड़ पार कर गयी है। हर माह 70-75 लाख नए फोन लग रहे हैं। चाहे वह देश भर में गणेशजी को दूध पिलाने की घटना

हो या फिर एक कार्टूनिस्ट का देशव्यापी विरोध इन सबमें मीडिया के साथ खास तौर पर सेलफोनों ने विशेष भूमिका निभाई । संचार क्रांति अगर एक वरदान है तो गलत बातों और अफवाहों का विस्तार कर वह अभिशाप भी बन सकती है, इस नाते शायद इन सारे तथ्यों के आलोक में मीडिया को और सजग तथा सचेत रहने की जरूरत है ।

भारत में सांप्रदायिकता पर बहस और अखबारों की भूमिका के संदर्भ में यह ध्यान रखना जरूरी है कि सांप्रदायिक आधार पर इस देश का विभाजन हुआ । फिर भी भारतीयों ने अपने स्वभाव के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता का ही मार्ग चुना, जिसका सबसे अहम पक्ष यह है कि सभी धर्मों के लोग कानून, संविधान और सरकारी नीति के आगे बराबर है । कुछ सिरफिरों और अपवादों को छोड़ दें तो आम आदमी सर्वधर्म समभाव का ही हिमायती है । भाषाई अखबारों में भारत की विविधता में एकता दिखती है । देश के कई हिस्सों में आपसी सौहार्द्र के केंद्रों तथा मेले व त्यौहारों की कवरेज अंग्रेजी अखबारों से कहीं ज्यादा क्षेत्रीय अखबारों में होती है । भारत में कई मज़ारें, दरगाहें और अन्य ऐसे धर्मस्थल हैं जहां सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद पूरी करने के लिए पहुंचते हैं । देश में कौन कैसे रहता है, क्या पहनता है, किसकी पूजा करता है, इस पर आम लोग सवाल नहीं खड़ा करते, ज़बकि बेहद संपन्न और प्रगतिशील पश्चिमी दुनिया में कभी दाढ़ी, कभी पगड़ी तो कभी बुरका पहनने या कृपाण लेकर चलने तक पर विवाद सुर्खियों में आते रहते हैं ।

बहुत दिन नहीं हुए हैं, डेनमार्क में पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक कार्टून छापने वाले अखबार के खिलाफ भारत में जगह-जगह प्रदर्शन हुए और कई जगह हिंसा के साथ दंगों की भी नौबत आती दिखी । किसी धर्म पर अगर हमला होता है तो उससे जुड़े लोंगों के बीच गुस्सा और क्षोभ स्वाभाविक है । पर मीडिया ने इसी दौरान मेरठ में हुए उ.प्र. सरकार के एक मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के ऐलान को सुर्खियों में लाकर माहौल और गरमा दिया था । मंत्री ने कार्टूनिस्ट के सिर पर 51 करोड़ रुपये का ईनाम ऐलान कर दिया था । इतना बवाल होने के बाद भी दिल्ली की एक पत्रिका ने खुद को चर्चा में लाने के लिए उसी कार्टून को दोबारा छाप दिया । हालांकि इस मुद्दे पर संपादक को जेल यात्रा के साथ नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, जबकि मालिक ने लिखित माफी मांग कर खुद को जेल जाने से बचाया । पर यह बेहद गैर-ज़िम्मेदाराना आचरण था । यह बात किसी के गले कैसे पच सकती है कि संपादक ने इतना बड़ा फैसला बिना मालिक के सलाह-मशविरे के किया होगा ।

अयोध्या मुद्दा और हिंदी पत्रकारिता

अयोध्या में राम मंदिर के लिए चले आंदोलन के दिनों में खास तौर पर 1989-92 के बीच में खास तौर पर यू.पी. की हिंदी पत्रकारिता और कई बड़े अखबारों पर उंगलियां उठीं । हिंदी पत्रकारों के बारे में अंग्रेजी अखबारों और पत्रकारों ने जयश्रीराम ब्रांड पत्रकारिता, भगवा पत्रकारिता, श्रीराम पत्रकारिता के साथ कारसेवा पत्रकारिता जैसा संबोधन दिया तो कुछ ने हिंदू पत्रकारिता का । बेशक कुछ अखबार सांप्रदायिक विषवमन करने में कोई संकोच नहीं कर रहे थे, पर दायित्वबोध के साथ काम कर रहे अखबारों को हम भूल क्यों जाते हैं । अगर उनका दंगाई आचरण होता तो शायद पूरा प्रदेश ही जल कर खाक हो गया होता । वह दौर अलग गरमी का था और तब विहिप के छोटे से आयोजन में भी हजारों देशी-विदेशी पत्रकार अयोध्या पहुंच रहे थे । विहिप नेताओं ने भी पत्रकारों को रामभक्त और रामद्रोही दो श्रेणियों में बांट दिया था । लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस के दौरान जब कारसेवकों ने पत्रकारों की जमकर पिटाई हुई तब बहुत से पत्रकारों की भी आंखें खुली ।

अयोध्या आंदोलन के उभार में आज जैसे कई अखबारों का प्रसार इस तेजी से होने लगा था कि अमर उजाला जैसे पश्चिमी-उत्तर प्रदेश के उस समय के जमे जमाए अखबारों के पाए *आज* जैसे अखबार ने हिलाने शुरू कर दिए थे । उन दिनों, मैं अमर उजाला का संवाददाता था और मेरी बीट में ही अयोध्या विवाद तथा विश्व हिंदू परिषद व सन्यासी संगठन थे । 1990-91 में अमर उजाला की गिरती प्रसार संख्या को रोकने संबंधी रणनीति को लेकर आगरा में एक उच्चस्तरीय बैठक (जिसमें, मैं भी शामिल था) बुलाई गई । बैठक में ऐसा लगा कि आगरा के तत्कालीन संपादक श्री अजय अग्रवाल आज के रास्ते पर ही उतरने को तैयार हैं । प्रसार ही उनके लिए मुख्य चिंता का विषय दिख रहा था और हम लोगों से बातचीत में वह कह भी रहे थे कि भाई प्रसार जैसे भी बढ़े हमें बढ़ाना है । पर ऐसी राय सबकी नहीं थी । सबकी राय जानने के बाद अध्यक्ष और प्रधान संपादक ने फैसला लिया कि प्रसार संख्या गिरे या बढ़े जो सच्चाई होगी अमर उजाला में वही छपेगी । सांप्रदायिक सौहार्द्र और संवेदनशाली मामलों में अमर उजाला संयम बरतेगा । इसी बैठक में संवाद संकलन के लिए खुले दिल से पैसा खर्च

करने का फैसला भी किया गया। उस दौरान तक अमर उजाला के पास पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी संवाददाता नहीं था। नए संवाददाताओं की भी तैनाती की गई पर सावधानी के साथ। अयोध्या में बड़े आयोजनों के दौरान मेरे नेतृत्व में अलग-अलग संस्करणों से बड़ी टीम भेजी जाती थी और सारे साधनों से उसे लैस रखा जाता था। यही प्रयास हमारा रहा कि सारे पक्षों को ध्यान में रख कर केवल वास्तविक घटनाओं का ही कवरेज हो। इस नीति में अयोध्या विवाद के दिनों में अखबार की विश्वसनीयता और साख बरकरार रही जबकि कई अखबारों की तीखी आलोचना हुई।

खास तौर पर नवंबर, 1990 की कारसेवा के दौरान *आज* जैसे कुछ अखबारों ने *खून से नहाई अयोध्या* जैसे भड़काऊ हेडलाइन तानी तो *स्वतंत्र भारत* जैसे अखबार ने लिखा *अयोध्या में खून की नदियां बही*। कई अखबारों ने प्रसार की होड़ में ऐसा ही किया और इसकी तीखी आलोचना भी हुई। भारतीय प्रेस परिषद् ने उस दौरान के अखबारों के लेखन की समीक्षा के लिए एक उपसमिति बनाई जिसने व्यापक अध्ययन के बाद आज, स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की निंदा की। इसके साथ ही उसने 12 सूत्री मार्गनिर्देश भी जारी किए। प्रेस परिषद् की रिपोर्ट जाने माने पत्रकार रघुवीर सहाय ने तैयार की थी। प्रेस परिषद् उपसमिति के छह सदस्य थे और सबने एक साथ काम भी किया था पर उनकी रिपोर्ट अलग-अलग दी गई। एन.आर. चंद्रन, डा. नंद किशोर त्रिखा तथा सतीश खुराना ने अलग रिपोर्ट दी थी, जबकि रघुवीर सहाय, पी. रमन तथा विक्रमराव ने अलग। *आज* अखबार के बारे में उपसमिति ने कहा था कि यह सब उस संस्थान में होना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसके साथ बाबू राव विष्णु, पराड़कर जैसे महान संपादक की स्मृति जुड़ी है। उपसमिति के सदस्य पी. रमन तथा के विक्रमराव ने सबसे ज्यादा गौर उन खबरों पर करने को कहा था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव पर असर पड़ा क्योंकि इनके नाते उन्माद भड़का और विभिन्न वर्गों में नफरत फैली। इन अखबारों की पहुंच के इलाकों में दंगे भड़के और हत्याओं को बढ़ावा मिला।

इस दौरान दिलचस्प बात यह थी कि प्रेस परिषद और विश्व हिंदू परिषद के बीच तनातनी सड़क पर आ गई थी और रिपोर्ट आने के बाद विहिप ने इन चार अखबारों की निंदा की आलोचना पर प्रेस परिषद को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और उससे सार्वजनिक रूप में क्षमा मांगने की बात कही। साधु संगठनों ने भी प्रेस परिषद को आड़े हाथों लिया और इनके बयानो को निंदित अखबारों ने बहुत प्रमुखता से प्रकाशित कर अपनी लाज बचाने का असफल प्रयास किया। पर इन आलोचनाओं और बहसों का असर यह पड़ा कि 1990 में जो अखबार एकपक्षीय हो गए थे, वे 1992 में संयमित रहे और प्रेस परिषद की निंदा तथा व्यापक विचारमंथन ने कई अखबारों को 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस के दौरान संयत रहने को विवश किया। इस दौरान अगर पहले की तरह ही इन अखबारों का रवैया रहा होता तो जाने कितनी दूर तक आग फैल जाती। उस दौरान देश के कई हिस्सों में दंगे फैल गए थे पर अखबारों का स्वर संयमित रहा। दंगों की खबरों के मामले में भी अखबारों ने सावधानी बरती और मारे गए लोगों की पहचान देने से परहेज किया गया। हालांकि *आज* फिर भी बाज नहीं आया था।

यह उल्लेखनीय बात है कि 70 के दशक तक दंगों या जातीय झगड़ों में मीडिया बहुत संयम बरतता था और खबरों में गुटों या समुदायों का ही जिक्र किया जाता था। पर अब खुलेआम हिंदू-मुसलमान, हरिजन और यादव लिखने में संकोच नहीं किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भोपा कांड तथा पनवारी और कुम्हेर (राजस्थान) के जाट-जाटव दंगों में मीडिया ने सीधे जातियों का नाम देकर कवरेज किया और यहां दंगे रोकने के लिए सेना तक की मदद लेनी पड़ी। गांवों में दंगें बहुत मामूली बात पर हुए थे और मीडिया के चलते इनको और हवा मिल गई। इसी तरह मीडिया के एक वर्ग ने पंजाब के आंतकवाद को सिख आंतकवाद लिखना शुरू कर दिया था। कश्मीर का आंतकवाद तो काफी समय से मुसलिम आंतकवाद लिखा जा रहा है। और तो और अंग्रेजी अखबार भी दंगों के दौरान दिशानिर्देशों की धज्जी उड़ाते हुए समुदाय का नाम छापने से नहीं हिचकते हैं। इस बारे में निश्चय ही सावधानी बरतने की जरूरत है।

स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता और सांप्रदायिक सौहार्द्र

यह बेहद उल्लेखनीय तथ्य है कि 1857 की महाक्रांति में अनूठी हिंदू-मुसलिम एकता बरकरार थी। 1857 की लड़ाई अंग्रेजी नहीं बल्कि उर्दू अवधी या भोजपुरी में लड़ी गई थी। कारतूसों में इस्तेमाल की जाने वाली गाय और सुअर की चर्बी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। पर अजीब बात

है कि आजादी की पहली लड़ाई के बाद देश में फैले तमाम दंगों की पृष्ठभूमि में गाय और सुअर रहा। 1857 के दौरान भाषाई पत्रकारिता मात्र एक फीसदी साक्षरता और मध्यवर्ग के उदय न होने के बाद भी काफी मजबूत थी। उस दौरान अखबारों का बहुत सीमित प्रचार था पर उनकी पहुंच लंबी थी और एक समाचारपत्र हजारों लोग पढ़ते थे। तब केवल प्रिंट मीडिया ही था और वह भी क्रांति समर्थक और अंग्रेजों का हिमायती दो खेमो में बंटा था। यह महज संयोग नहीं था कि 1857 की महाक्रान्ति की शुरुआत के दौरान ही 13 जून, 1857 को प्रेस को नियंत्रित करने के लिए लार्ड कैनिंग को एक गलाघोंटू कानून लाना पड़ा। उन्होने राजद्रोह पर बहुत कड़ी सज़ा के ऐलान के साथ पूर्व अनुमति के बिना प्रेस खोलना व उसे चलाना गैरकानूनी बना दिया। फिर भी उस दौरान पयामे आजादी, देहली उर्दू अखबार, समाचार सुधावर्षण और हिंदू पैट्रियाट समेत दर्जनों अखबारों ने सच लिखना जारी रखा और सांप्रदायिक सौहार्द्र और एकता पर भी उनका पूरा जोर रहा। उस समय भाषाई अखबारों के तेवरों से अंग्रेज बहुत घबरा गए थे। अखबारों का जगह-जगह सामूहिक वाचन हो रहा था और उसका बहुत असर लोगों पर भी दिख रहा था! इसी नाते लार्ड केनिंग ने 13 जून, 1857 को कहा

......पिछले कुछ हफ्तों में देसी अखबारों ने समाचार प्रकाशित करने की आड़ में भारतीय नागरिकों के दिलों में दिलेराना हद तक बगावत की भावना पैदा कर दी है। यह काम बड़ी चालाकी से किया गया।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खास भूमिका निभाने वाले अखबारों की सूची में देहली उर्दू अखबार, दिल्ली, हबीव उल अखबार, बदायूं, सादिकुल अखबार दिल्ली, सिहरे सामरी लखनऊ, तलिस्मे लखनऊ, सिराजुल अखबार दिल्ली (फारसी), पयामें आजादी दिल्ली, अवध पंच का नाम खास तौर पर लिया जाता है। इनके कई अंक राष्ट्रीय अभिलेखागार नयी दिल्ली में सुरक्षित हैं। 1857 की जंग जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने बगावत को हवा देने वाले अखबारों के संपादकों, प्रकाशकों और मालिकों का भयंकर उत्पीड़न किया। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और कई लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। क्रांति समर्थक पश्चिमोत्तर प्रांत के करीब सारे उर्दू अखबारों को अपना प्रेस समेट लेना पड़ा। अधिकतर प्रेस तब बंद हो गए। भाषाविद गिलक्राइस्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कई अखबारों को आरोपित किया और देहली उर्दू अखबार के संपादक मौलवी बाकर तथा सादिकुल अखबार के संपादक अमालुद्दीन पर राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा कर गिरफ्तार कर उन्हें काफी यातनाएं दी गईं। इतने पर भी चैन नहीं मिला तो अंग्रेजों ने उनको 17 सितम्बर, 1857 को तोपों से उड़ा दिया गया। पत्रकारिता के इन महान शहीदों को आज हमारे पत्रकार बंधु भी याद नहीं करते हैं।

देहली उर्दू अखबार ने 5 जुलाई, 1857 के अंक में जामा मस्जिद पर चिपके एक भड़काऊ इश्तहार की पूरी खबर छापने के साथ अंग्रेजों की दंगा भड़काऊ नीति का बाकायदा भंडाफोड़ किया था। इस इश्तहार में कहा गया था कि मुसलमान हिन्दुओं के खिलाफ जेहाद करें क्योंकि इसाइयत तो किताबिया धर्म है। इस नाते मुसलमान ईसाइयों के निकट हैं......। इश्तहार में यह भी कहा गया था कि कारतूस में सुअर की चर्बी की बात भी बिल्कुल झूठ है।

जाहिर है कि ऐसे इश्तहार से उस समय देहली में काफी तनाव रहा होगा। अखबार चाहता तो चटखारे के साथ इसे और विस्तार दे सकता था और प्रसार बढ़ा कर और चर्चा पा सकता था, पर अंग्रेजों के सारे षड्यंत्रों को उजागर कर देहली उर्दू, अखबार ने उसका बिंदुवार जवाब दिया और मुसलमानों को समझाया कि वे अंग्रेजों के ऐसे प्रचारों के झांसे में न पड़ें। इस पत्रकारिता की दृष्टि से आज युवा पत्रकारों को सबक लेने की जरूरत है।

देहली उर्दू अखबार 1857 की जंग में शामिल सभी सिपाहियों की तारीफ खुल कर करने के साथ तमाम तरह की सलाह भी दे रहा था। सिपाहियों को सिपाह-ए-दिलेर, तिलंगा-ए-नर-शेर लिखने के साथ अखबार हिंदू सिपाहियों को अर्जुन या भीम बनने की सलाह दे रहा था तो मुसलमान सिपाहियों को रूस्तम, चंगेज और हलाकू की तरह अंग्रेजों को समाप्त करने की बात कर रहा था। आगे वह सिपाहियों को सिपाहिए हिंदुस्तान कहने लगा और हिंदू-मुसलिम एकता की बराबर पैरोकारी भी करता रहा।

इस संदर्भ में पयामे आजादी का उल्लेख भी करना जरूरी है। दुर्भाग्य से पयामे आजादी जैसे महान अखबार और आंदोलन के मुखपत्र की एक भी प्रति देश में दर्शन के लिए भी उपलब्ध नहीं है। इसकी कुछ प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम में है। पयामे आजादी में ही सबसे पहले बहादुर

626 HA/09—5A

शाह जफर की ऐतिहासिक घोषणा और अजीमुल्ला खां द्वारा लिखा झंडा गीत भी छपा । इस अखबार से अंग्रेज इतना आतंकित हो गए थे कि जिसके पास इसकी प्रति मिलती थी उसे बिना मुकदमा चलाए फांसी दे दी जाती थी । मालंसन की चर्चित पुस्तक द रेड पैंफलेट में पयामे आजादी की एक संपादकीय टिप्पणी का उल्लेख आता है, जिसमें भी सांप्रदायिक एकता पर खास जोर है–

"अरसे से जिसका इंतजार था, आजादी की वह पाक घड़ी आन पहुंची है । हिंदुस्तान के बासिदें अब तक धोखे में आते रहे और अपनी ही तलवार से अपना गला काटते रहे । अब हमें मुल्कफरोशी के इस गुनाह का प्रायश्चित करना चाहिए । अंग्रेज अब भी अपनी पुरानी दगाबाजी से काम लेंगे । वे हिंदुओं को मुसलमानो के खिलाफ और मुसलमानो को हिंदुओं के खिलाफ उभारने की कोशिश करेंगे । लेकिन भाइयों उनके जाल और फरेब में न फंसना ।"मैदान-ए-जंग में एक झंडे के नीचे खड़े हो जाओ । जो भी शख्स इस कौमी जंग की मुखालफत करेगा, वह अपने सिर पर कुल्हाड़ी मारेगा और खुदकशी का गुनाह करेगा ।

इस तरह अखबार में छपने वाले बागी सैनिकों का झंडा गीत में भी सौहार्द्र का अलग ही संदेश देता है–

हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा,

पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा ।

आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा
तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा

हिन्दू, मुसलिम, सिक्ख हमारा भाई-भाई प्यारा
यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा ।

लेकिन इसी दौरान अंग्रेजी अखबार क्या लिख रहे थे, इसकी एक झलक लाहौर क्रानिकल के अंग्रेज संपादक के 18 नवम्बर, 1857 के इस संपादकीय टिप्पणी से मिल जाती है, जिसमें उन्होंने अग्रेजों को ललकारते हुए लिखा–

हिंदुस्तानियों से रक्तिम बदला ले लो । जिस गांव में हमारे किसी छोटे अंग्रेज का अपमान हुआ हो, उसे जला कर राख कर दिया जाए । उसमें जितने लोग आबाद हैं, उन्हें बरबाद कर दिया जाए ।

लेकिन इस ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अभेद्य मुसलिम-हिंदू एकता अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गई थी । इसी नाते आगे के सालों में अंग्रेजों ने दोनों के बीच गहरी खाई खोदने का लगातार प्रयास किया । देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन अंग्रेजों की ही नीति का एक अहम हिस्सा था । बंग विभाजन के बाद सांप्रदायिकता की जो विषवेलि पसरी कि स्थिति को संभालना कठिन हो गया । हिंदी या उर्दू पत्रकारिता को कोसने वाले इसकी गौरवशाली और बलिदानी परंपरा को भी भूल जाते हैं और सब धान बाईस पसेरी के हिसाब से तौलते हैं । हिंदी की राष्ट्रीय पत्रकारिता के नायक गणेशशंकर विद्यार्थी ने कानपुर में सांप्रदायिक दंगा नियंत्रित करते हुए 25 मार्च, 1931 को जब अपनी शहादत दी थी तो महात्मा गांधी ने टिप्पणी की थी **कि गणेश शंकर की शहादत दोनों मजहबों को जोड़ने में सीमेंट का काम करेगी ।**

भगत सिंह की पत्रकार दृष्टि

उल्लेखनीय है कि अमर सेनानी शहीद भगत सिंह भी गणेश शंकर विद्यार्थी के महान पत्र **प्रताप** से जुड़े थे और 1923 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों को उन्होंने इस अखबार के लिए कवर किया था । 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने दंगों की खूब भूमिका तैयार की । इसके बाद 1924 में कोहाट में बहुत भयानक हिंदू-मुसलिम-सिख दंगे हुए । इन दंगों ने काफी बहस छेड़ी और उसी दौरान भगत सिंह तथा उनके साथियों ने भी इस पर अपना अलग नजरिया जून 1927 में **किरती** पत्रिका में पेश किया । इस आलेख के कुछ अंश बहुत महत्वपूर्ण हैं और बतातें हैं कि दंगों के दौरान मीडिया की भूमिका पर आज ही नहीं बीते अरसे से सवाल उठते रहे हैं–

" जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है । "नेताओं के बाद जो दूसरे सज्जन दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते हैं, वे अखबार वाले हैं । पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है । ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध मोटे-मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिरफुटौवल कराते हैं । एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे

626 HA/09—5B

हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनात्मक लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल और दिमाग दोनों ऐसे दिनों में शांत रहा हो, बहुत कम हैं।

अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों में संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल-मिलाप बढ़ाना, भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है।

जाहिर है भगत सिंह जैसे नायक पत्रकारिता के इस चेहरे से काफी खिन्न दिखते हैं और उन्होंने बदलाव की मुहिम भी चलाई। लेकिन समस्या बरकरार रही। जब भारत को आजादी मिली तो 1947-49 के बीच भयानक दंगे हुए। आजादी का जश्न मनाने महात्मा गांधी दिल्ली नहीं, दंगा नियंत्रित करने की मुहिम में कोलकाता में जुटे थे। तब तमाम हिस्सों में भयानक सांप्रदायिक दंगों को देख कर महात्मा गांधी जी ने कहा था- **अपनों के बीच में शांति व सौहार्द उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की विदेशी शासन से मुक्ति।**

क्या आचार संहिता और प्रशिक्षण जरूरी है?

अब सवाल यह उठता है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में क्या अखबारों को किसी भी संवाददाता को घटनाओं को कवर करने का दायित्व सौंप देना चाहिए या फिर कुछ ठोस तंत्र स्थापित करना चाहिए। पत्रकारिता के स्तर को उठाने के साथ क्या ऐसे उपाय नहीं किए जाने चाहिएं जिससे तस्वीर बदले? क्या आचार संहिता इसका कोई उपाय हो सकता है? क्या संवेदनशील बीट कवर करने वाले पत्रकारों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए? इन सवालों पर गौर करना जरूरी है। अगर वकील बनने के लिए भारत में कम से कम विधि स्नातक बन कर बार काउंसिल में पंजीकरण जरूरी होता है और डाक्टर तथा सीए के लिए भी न्यूनतम मानक बने हैं और रिक्शा चलाने को भी नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है तो क्या बेहद संवेदनशील विषयों पर लेखन के लिए पत्रकार की कोई न्यूनतम योग्यता भी नहीं होनी चाहिए? अगर पत्रकार, राजनेताओं, व्यापारियों, डाक्टरों, वकीलों और उद्योगपतियों के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता और नैतिकता की बार-बार दुहाई देते हैं तो स्वयं आचार संहिता बनाने और लागू करने की पहल क्यों नहीं करते हैं?

हाल के सालों में नैतिक आचार संहिता की दिशा में इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन तथा एडीटर्स गिल्ड ने सराहनीय प्रयास किए हैं, पर इस दिशा में पत्रकार संगठन बहुत ही उदासीन हैं। वास्तविकता यह है कि आज मीडिया संगठन खुद में इतने मजबूत हैं कि वे थोड़ी सी इच्छाशीलता के साथ भी आचार संहिता बना और खुद लागू करा सकते हैं। अगर ऐसा करने में सफलता मिल गई तो पत्रकारिता के भीतर पल रहे गैर जिम्मेदार तत्व खुद समाप्त हो जाएंगे। फरवरी, 2006 में एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अजीत भट्टाचारजी के नेतृत्व में पत्रकारिता में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए गठित एक समिति ने कई अहम सिफारिशें की हैं। अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन ने 1950 में एक आचार संहिता स्वीकारने का फैसला किया था। संपादक सम्मेलन की आचार संहिता में खास तौर पर संवदेनशील मुद्दों के बारे में भी सिफारिशें करते समय कहा गया कि-

1. समाचार देते समय पत्रकार न्यायनिष्ट रहें।
2. जातीय और धार्मिक मामलों पर लिखते समय पत्रकार विशेष सावधानी तथा निष्पक्षता बरतें।
3. समाचारों में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा न जाए न कोई सूचना छिपाई जाए।

भारतीय प्रेस परिषद् ने 1995 में सिद्धांतों का एक संकलन प्रकाशित किया था। परिषद् ने पत्रकारिता के लिए जो प्रमुख सिद्धांत जारी किए हुए हैं, उनमें प्रकाशन से पूर्व खबरों का सत्यापन, सनसनी और भड़काने वाले शीर्षकों से बचने, हिंसा और अपराधियों के महिमामंडन पर रोक तथा समाचारों की भाषा संयमित रखने तथा सांप्रदायिक लेखन से बचने की बात कही गई। यही नहीं कुछ साल पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हस्ताक्षर से एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने एक पत्रकार व्यवहार संहिता भी जारी की थी। इसमें कहा गया कि धार्मिक विवादों पर लिखते समय सभी संप्रदायों और समुदायों को समान आदर दिया जाना चाहिए।

इन सारे तथ्यों के आलोक में पत्रकारों को निश्चय ही संवेदनशील मुद्दों और खास तौर पर सांप्रदायिक समस्या से जुड़े सवालों पर अधिक सजग और संवेदनशील होने की जरूरत है। समय बदल रहा है और मीडिया की पहुंच भी बहुत बढ़ गई है इस नाते हर मोरचे पर सावधानी अपेक्षित है, पर खास तौर पर संवेदनशील मुद्दों पर तो सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ■

नदी और सागर - हमें जीवित चाहिए अथवा मृत ?

- डॉ. अचिन्त्य*
- सुश्री (डॉ.) मनीष प्रभा**

पर्यावरण प्रदूषण आज विश्वव्यापी समस्या है। वर्तमान एवम् आने वाले दशकों में पृथ्वी की सम्पदा पर अधिक दबाव होगा। इस समस्या का मूल कारण है- जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, प्रदूषण एवम् उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग। सहस्त्राब्दियों तक मनुष्य ने प्राकृतिक साधनों के साथ अपनी संगति को कायम रखा है। मानवीय सभ्यता और प्राकृतिक वैभव की युगल-बन्दी चलती रही। मनुष्य तो प्रकृति का आराधक था। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का उसने सुख लिया, उसके छलछलाते स्नेह से अपने को आप्लावित किया और उसके सुर से सुर मिलाकर जीवन के संगीत की रचना की। परंतु, आश्चर्य है कि आज मनुष्य अपनी लालसा, गुणात्मक जीवन और भौतिक सुख-सुविधा के लिए प्राकृतिक संपदाओं का दोहन व्यवस्थित रूप से नहीं करते हुए संरक्षण करने के बदले प्रकृति को निजी स्वार्थ हेतु विध्वंस करने में लग गया है। आज विनाश की जो पटकथा लिखी जा रही है, उसके पीछे लालच, लूट-खसोट और लिप्सा की दृष्टि उत्तरदायी है। आज गुमराह इन्सान प्रकृति के पांचों तत्वों से छेड़खानी कर रहा है। प्रकृति न तो पाषाणी है और न मूकदर्शिनी। उसे बदला लेना आता है। प्रकृति की त्यौरियां और तेवर बता रहे हैं कि वह बदला लेने पर आमदा है। दोनों तरफ मोर्चे खुल चुके हैं-जाने कब क्या हो जाए। वन-विनाश, अंधाधुंध प्रदूषण, संसाधनों का अनर्गल शोषण, नाभकीय अस्त्रों की मुर्खतापूर्ण अंधी दौड़ और औद्योगिक या प्रौद्योगिक उन्नति के नाम पर प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ एवम् हवा, पानी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक साधनों के दुरुपयोग ने मनुष्य जाति को ही नहीं, सम्पूर्ण जीव-जड़ को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है।

मनुष्य-जाति के प्रादुर्भाव से ही जल जीवन का आधार बना हुआ है। ब्रह्मांड एक ऐसी अमर कथा है जो जल को आधार मानकर लिखी हुई है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर जल ही जल था। कालांतर में मनुष्य का पदार्पण हुआ और वे शुद्ध और मीठे जल के बिना जीवन नहीं जी सकते थे। इसी मीठे पानी की खोज में देवता और दानव ताबड़-तोड़ प्रयत्न में लग गए। सम्भवत: समुद्र-मंथन कर दोनों को मीठे पानी को प्राप्त करना ही अमृत पाने की वस्तुस्थिति रही होगी। इस अद्भुत तरल में विलक्षण उपादायता है, जो अन्य किसी भी तरल में नहीं है। पेड़, पौधे, इन्सान, जीव-जन्तु एवम् समुद्री जीवों में जल की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। हमारे शरीर की सारी क्रियायें, प्रतिक्रयाएं और दिनचर्या जल के बिना सम्भव नहीं हैं। पशु-पक्षियों एवम् अन्य जलीय जीवों के लिए वह उतना ही आवश्यक है, जितना आदमी के लिए। पौधों एवम् वृक्षों के जीवन और वृद्धि के लिए मृदा में नमी इसके कारण बनती है। पद्मपुराण के अनुसार जल वैसे निर्मल होता है, लेकिन प्रदूषण के पश्चात् उसके रूप, गुण और गंध में विकार आ सकता है।

जल के भीतर तो एक सृष्टि समाई हुई है। छोटे-छोटे नदी-नाले बड़ी नदियों से जा मिलते हैं। नदियां दिन-रात अनवरत-अथक रूप से सागर से मिलने को आतुर दौड़ती रहती हैं। सागर महासागर से संगम करते है। भूगर्भीय जल भी किसी-न-किसी रूप में नदियों, सागरों एवम् महासागरों के जल के गुण-अवगुण से स्वयं प्रभावित होता है और उन्हें प्रभावित भी करता है। भूगर्भीय जल, छोटी-बड़ी नदियों के जल एवम् अन्य स्त्रोतों के जल के प्रदूषित होने से सागर एवं

*सह-प्राध्यापक, सिविल इंजिनियरिंग विभाग, मुजफ्फरपुर इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलौजी, पोस्ट - एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर-842 003 (बिहार)

**व्याख्याता, गणित विभाग, एम.डी.डी.एम. कालेज, मुजफ्फरपुर- 842 002 (बिहार)

महासागर भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त सागरों एवं महासागरों के प्रदूषण के अपने स्वतंत्र कारक भी हैं। इनमें परमाणु भट्ठियों के अपशिष्ट पदार्थों का विवेकहीन निष्पादन, नाभिकीय आयुधों के परीक्षण, तटीय और उपतटीय क्षेत्रों में तेल उत्पादन, तेल परिवहन, तेल परिशोधन, इत्यादि सम्मिलित हैं। तेल निकालने की सम्भावनाओं में खोदे गए तेल के कुएं आस-पास के जल को प्रदूषित कर देते हैं। तेल परिवहन नदियों एवं सागरों में पाइप बिछाकर किया जाता है, जिनसे रिसाव होने पर जल प्रदूषित हो जाता है। मालवाही समुद्री जहाजों में रिसाव हो जाने के कारण सागरीय जल के प्रदूषण की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। इन सभी कारणों से सागरों एवं महासागरों का प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर यही रफ्तार से जारी रहा तो आने वाली शताब्दियों में वे मृत हो जाएंगे। सागरों एवम् महासागरों का मृत होना मानव-विनाश के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना और जलचर, नभचर एवम् अन्य जीव-जन्तुओं या कहें कि विश्व प्राण-चेतना की समाप्ति का पुख्ता इंतजाम करना है। अतः सृष्टि को बचाए रखने के लिए हमें नदियां, सागर एवं महासागर एवम् जल के अन्य सभी स्रोत जीवित चाहिए, मृत नहीं।

नदी में पाए जाने वाले दो प्रकार के जीवाणुओं, 'ऐरोबीज' और 'एनऐरोबीज', की सहायता से नदी स्वयं की सफाई और शुद्धता को बनाए रखने की क्षमता रखती है। ऐरोबीज नदी की सतह पर और एनऐरोबीज तली में रहता है। इन दो जीवाणुओं के अतिरिक्त नदी में 'कवक' और 'प्रोटोजोवा', नाम के भी जीवाणु होते हैं। नदी के जल में विद्यमान ऐरोबीज और एनऐरोबीज जीवाणु कूड़ा-करकट, गंदगी और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक कचरों को तुरन्त हजम कर अकार्बनिक खनिजों के रूप में परिवर्तित करके नदी की शुद्धता को बनाए रखते हैं। नदी में बहने वाले हानिकारक किटाणुओं को 'कवक' और 'प्रोटोजोवा', अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार ये चार प्रकार के जीवाणु नदी की शुद्धता को बनाए रखते हैं। नदी में पाए जाने वाले इन जीवाणुओं में 'एनऐरोबीज', को छोड़कर सभी को आक्सीजन की आवश्यकता रहती है। नदी में कूड़ा-कचरा और रसायन की मात्रा में अधिक वृद्धि होने की दशा में नदी में पाए जाने वाले जीवाणुओं में एनऐरोबीज को छोड़कर अन्य मरने लगते हैं। अकेले इस जीवाणु के बूते का काम नहीं है कि वह अत्याधिक कूड़ा-कचरा, गंदगी एवम् कार्बनयुक्त रसायनों को हजम कर ले। ऐसी स्थिति में नदी मृतपाय हो जाती है और उसका पानी अनेक रोगाणुओं से परिपूर्ण हो जाता है। अधिक गंदगी के कारण नदियों में बायोलौजिकल आक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) में वृद्धि होने का अर्थ है कि नदी धीरे-धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है।

आधे समुद्र तटों के आसपास का पर्यावरण भी तबाह हो चुका है। यूरोप के 80 प्रतिशत और एशिया के 70 प्रतिशत क्षेत्र प्रदूषण के घेरे में हैं। समुद्री प्रदूषण का 80 प्रतिशत धरातल की देन है। विकासशील देश अपना 90 प्रतिशत मल-जल और 70 प्रतिशत औद्योगिक मलबा नदी-नालों में बहा देते हैं, जो अन्त में समुद्रों में जमा होता जाता है। सागरों की खाद्य-श्रृंखला में मूंगों का बड़ा योगदान है और विश्व के एक-चौथाई प्रवाल-पुंज नष्ट हो चुके हैं। अगले दस वर्षों में 20 से 30 प्रतिशत प्रवाल-पुंज लुंज-पुंज हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लगभग 50 करोड़ लोग इन मूंगा-चट्टानों वाले समुद्र-तटों से 100 किलोमीटर के घेरे में बसे हुए हैं और उनका भोजन एवम् रोजगार इन्हीं मूंगा-शैलों पर निर्भर है। सन् 1992 से 2000 के बीच इनके नष्ट होने का अनुपात 10 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि समुद्री एवं महासागरीय प्रदूषण का 80 प्रतिशत धरातल प्रदूषण की देन है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण विश्व का तापमान बढ़ रहा है। सागरों एवम् महासागरों के चरित्र और जीवन के साथ-साथ मानव जीवन एवम् अन्य प्राणियों पर भी इसका घातक असर पड़ रहा है। नई दिल्ली के आई.टी.आई. के वायुमंडल विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर मुरारी लाल के अनुसार भारत में प्रति एक सौ वर्ष में हवा में 0.5 डिग्री सेल्सियस गर्मी बढ़ रही है। इस तरह की गर्मी इस पूरे महाद्वीप-पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका में बढ़ती देखी गई है। इस सदी के अंत तक अगर वाहनों और चिमनियों से धुआं कम नहीं किया गया तो भारतीय प्रायद्वीप का औसत तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। यह बढ़ती गरमी जहां वीरानी इलाकों और अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएगी, वहीं बढ़ती गर्मी बर्फ पिघला कर और समुद्र के पानी को गर्म करके तटवर्ती क्षेत्रों की मुसीबतों को बढ़ा सकती है। समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने से उसमें

रहने वाले जीव-जन्तुओं और शैवालों-वनस्पतियों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वर्ल्ड वाच इन्स्टिच्यूट के डा. लिस्टर ब्राउन के अनुसार बीसवीं सदी में समुद्र की सतह औसतन 20 से 30 सेंटीमीटर बढ़ी है। इस ईक्कीसवीं सदी के अंत तक समुद्र की सतह एक मीटर तक उँची उठ सकती है।

युनिवर्सिटी आफ मेरीलैण्ड के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के डा. डोनाल्ड बोस्च ने हिसाब लगाया है कि समुद्र की सतह में एक मिलीमीटर की वृद्धि लगभग डेढ़ मीटर समुद्री तल को लील लेगी। यानि इक्कीसवीं सदी के अंत तक अगर समुद्र एक मीटर बढ़ा, तो डेढ़ हजार मीटर समुद्र तट सागर के गर्भ में समा जायेगा। यथा, अमेरिका की 36,000 वर्ग किलोमीटर तटवर्ती जमीन मुख्यतः मध्य अटलांटिक और मिसीसिपी खाड़ी के निकट के सागर लील लेगी।

यह लघु प्रलय न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के मध्य स्थित नौ टापुओं के छोटे से देश 'तवालू' को तो आधा डुबो चुकी है। वहाँ की 11, 000 आबादी आस्ट्रेलिया के इन्कार के बाद न्यूजीलैंड में शरण ले रही है। इसके बाद बारी है अपने पड़ोसी देश मालदीव की जिसके 1196 छोटे-छोटे टापुओं में से अधिकतर समुद्र की सतह से मात्र दो मीटर की ऊँचाई पर बसे हैं। एक मीटर भी समुद्र बढ़ा तो समुद्री तूफान ही सबको डुबो देंगे। फिर मालदीव की तीन लाख ग्यारह हजार जनसंख्या कहाँ जाएगी? गरमाती धरती से उफनती समुद्री लहरें भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में कठिनाइयां बढ़ाएंगी। सन् 2000 में विश्व-बैंक ने एक नक्शा छापा था, जिसके अनुसार समुद्र एक मीटर उठा तो बांग्लादेश के आधे धान के खेत डूब जायेंगे। भारत, थाइलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में धान-उत्पादकों के खेत डूबने और खारा पानी भर आने से काफी नुकसान होगा। चीन में सदी के अन्त तक सात करोड़ जनसंख्या इस जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगी। एक तिहाई से ज्यादा संघाई समुद्र में समा जाएगा।

इन दिनों हिंद महासागर के ऊपरी वायुमंडल में एक जहरीली धुंध फैली हुई है। संयुक्त-राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह धुंध जल और वायु दोनों के लिए एक गंभीर प्रदूषण है। रिपोर्ट में इस धुंध को "एशियन ब्राउन हैज" नाम दिया गया है। यह एक ऐसा प्रदूषण है जो प्रदूषणकारी तत्वों को बेहद बारीक कणों में समाए हुए है। वैज्ञानिक भाषा में उन कणों को एरोसोल्स कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार एशियन ब्राउन हैज में 85 प्रतिशत तक बारीक कण एरोसोल्स हैं जो प्रदूषण की ही देन है। जब इन प्रदूषणकारी तत्वों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि इसमें सल्फेट की मात्रा सबसे अधिक है। यह मात्रा अन्य प्रदूषण तत्वों की कुल मात्रा का 32 प्रतिशत है। इतना ही नहीं, इन महीन कणों में 15 प्रतिशत तक एकदम काला कार्बन भी भरा पड़ा है। साथ ही 26 प्रतिशत अन्य हानिकारक रसायन भी हैं। एशियन ब्राउन हैज की हिंद महासागर में उपस्थिति के कारण विश्व-स्तर पर वैज्ञानिक चिंतित हैं। शोधपरक सर्वेक्षणों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वर्तमान आगामी 30-40 वर्षों तक इस धुंध की कटौती में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि प्रदूषणकारी तत्व और बढ़ेंगे। इस पर किए गए अनुसंधान के अनुसार इस धुंध ने लगभग एक करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेर रखा है, जो भारत के क्षेत्रफल का सात-गुणा है। इसके प्रभारी क्षेत्र मात्र भारत और हिंद-महासागर ही नहीं हैं, बल्कि बंगाल के खाड़ी का एक बड़ा क्षेत्र भी है। संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यह धुंध न केवल क्षेत्र-विशेष, बल्कि दुनिया भर की जलवायु को प्रभावित करने में सक्षम है। धूल के कणों ने वर्ष 2003 की गर्मियों में भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश और पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव दिखलाया भी है। रिपोर्ट के अनुसार धुंध से प्राप्त सल्फेट और नाईट्रेट के कण धरती पर आते सूरज की रोशनी को छितराकर उनका रुख अंतरिक्ष की ओर कर देते हैं, जो एक खतरनाक स्थिति है। इसी प्रकार धुंध में निहित काले कार्बन-कण भी सौर-ऊर्जा को सोख लेते हैं, जिससे धरती पर जलवायु परिवर्तन की स्थिति पैदा हो गयी है, जो आगे और गंभीर स्थिति लेगी।

पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण विचारों का प्रदूषण है। पर्यावरण परिष्कार के लिए सद्विचार क्रान्ति अभियान चलाने की आवश्यकता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के उपरान्त भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रभावी अभियान चलाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के मूल में सादगी से जीवन को प्रतिष्ठित करने और अंधाधुंध विलासिता की जीवन-शैली का विरोध करते हुए परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने का सिद्धान्त है।

यदि हम नदियों, सागरों और महासागरों को जीवन्त और प्राणवान रखना चाहते हैं, तो नदियों में कूड़े-कचरे, अपशिष्ट पदार्थ, अधजले शव और दुनिया भर की गंदगी उड़ेलने की जो आदत हममें पड़ गई है, उसका परिष्कार करना आवश्यक है। जानवरों को जल-स्त्रोतों में अवैध प्रवेश को रोकना, जल-स्त्रोतों के पास गंदगी नहीं फैलाना, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन से पहले दोष-रहित कर देना, मृतकों के शवों को नदी में बहाने की वर्जना करना, आक्सीकरण करते रहना, इत्यादि आवश्यक कदम उठाने हैं। साथ ही 'कार्बन बैंक' में कमी के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जनसंख्या की वृद्धि को रोकना, खेती में रासायनिक खाद एवम् कीटनाशक दवाओं का निम्नतम प्रयोग, इत्यादि आवश्यक हैं। मानव-निर्मित प्रदूषण के जड़ों को उखाड़ फेंकने का एक ही उपाय है कि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले घटकों के प्रति सचेत रहकर उसकी 'सुरक्षा के फर्ज' को निभाने का संकल्प ले। तभी हमें उजली धुप, शुद्ध हवा, पवित्र जल एवम् तेजोन्मयी प्रकाश मिल सकेगा।

श्री रामचरित मानस में वर्णित कथा के अनुसार श्री रामचन्द्र जी को समुद्र से रास्ता मांगने के समय उसे जला देने और सुखा देने का विकल्प खुला था। किन्तु, समुद्र एवम् समुद्रीय जीवों की रक्षा हेतु उन्होंने प्रारम्भ में प्रार्थना का मार्ग ही चुना। विभीषण जी ने श्री राम को सलाह देते हुए कहा "प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहिहि उपाय विचारी" अर्थात्, हे प्रभु! समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे ही विचार कर उपाय बता देंगे। पुनश्च श्रीराम द्वारा समुद्र को डराने के क्रम में अग्निवाण का संधान करने पर समुद्र देव सोने की थाल में मणियों को भरकर अभिमान छोड़ प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि उनके सामने समस्या थी-

"मकर, उरग सब गुन अकुलाने,
जरत जंतु जलनिधि जब जाने।"

अर्थात् समस्त सागरीय जीवों की रक्षा की चिन्ता और दायित्वभाव उनमें था। आज यही चिन्ता और दायित्वभाव हममें भी होना चाहिए। परमेश्वर की इस सृष्टि का आनन्द हम तभी ले सकते हैं जब हम इसे प्रदूषण मुक्त रखकर अपने को इसके योग्य सिद्ध करें। ■

राष्ट्रभाषा की जगह, हिंदी ही ले सकती है।

-महात्मा गाँधी

हिंदी आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन का एक अंग है।

-सेठ गोविंद दास

हिंदी की प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति होगी।

-डॉ. जाकिर हुसैन

विविध

यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन

–डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल*

डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक हैं। यह लेख डॉ. अग्रवाल ने सितंबर, 2008 में यूरोप-यात्रा के उपरांत लिखा जहाँ वे यूरोपीय आयोग के अधिकारीगणों से मिले। –संपादक

यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन एक क्रांति का रूप ले रहा है। भविष्य में यह क्रांति शायद रूस एवं चीन की साम्यवादी क्रांति से भी वृहद स्वरूप ग्रहण कर ले।

इस आंदोलन के प्रणेता तो यूरोप में जर्मनी तथा स्पेन प्रभृति देश थे पर यूरोपीय संघ (ई.यू.) द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण इसको एक विशिष्ट संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है जिस कारण यूरोपीय परिसंघ के अंतर्गत वर्तमान 27 देशों के लिए तो इस आंदोलन को विधिक मान्यता देना तथा प्रोत्साहन देना बाध्यतामूलक है। स्वयं यूरोपीय परिसंघ के अंतर्गत एक आयोग है जिसे महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल-सैन्को) कहते हैं जो यूरोपीय परिसंघ के अंतर्भुक्त राष्ट्रों द्वारा संचालित उपभोक्ता कार्यक्रमों की निगरानी करता है, उन्हें आवश्यकीय मार्ग-दर्शन प्रदान करता है एवं यूरोपीय परिसंघ द्वारा निर्धारित निर्देशों के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध यूरोपीय न्यायालय, लक्समबर्ग में मामला दायर करता है।

इस प्रकार यूरोपीय परिसंघ यूरोप का प्रायः संपूर्ण जनसंख्या के उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रों की ज़वाबदेही से आगे निकल गया है। वस्तुतः उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण तथा उनके कर्तव्यों का पालन यूरोपीय परिसंघ के लिए एक दृढ़निष्ठ तथा पवित्र आचरण संहिता है। यूरोपीय परिसंघ के बाहर के देशों में भी आंदोलन कमोबेश इसी रूप में है। शनैः शनैः अन्य देश भी यूरोपीय परिसंघ में सम्मिलित हो रहे हैं।

यूरोपीय परिसंघ की 2007-2013 की उपभोक्ता संबंधित तीन दफा रणनीति के अनुसार उपभोक्ताओं को शक्तिशाली बनाया जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि की जाएगी तथा उनको प्रभावशाली ढ़ंग से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सुश्री मेगलेना कुनेवा, आयुक्त, उपभोक्ता विषय, के अनुसार यह रणनीति उनके नागरिकों का जीवन बेहतर बना सकती है। 49.3 करोड़ उपभोक्ता ही यूरोपीय अर्थतंत्र के आधार स्तम्भ हैं। उनके द्वारा परिवार में उपभोग यूरोपीय परिसंघ के सकल घरेलू उत्पाद का 58 प्रतिशत अंश है। अतः आत्मविश्वासी, जानकार तथा शक्तिशाली उपभोक्ता ही यूरोप के आर्थिक अर्थतंत्र के नवीनीकरण तथा कुशलता का संचालक हैं। इस रणनीति के मुख्य अंग हैं;

उपभोक्ता को सही-सही सूचना उपलब्ध कराना, बाजार की पारदर्शिता, कामयाब उपभोक्ता संरक्षण, उचित मूल्य पर उत्पाद की उपलब्धि, उपभोक्ता के लिए प्रभावशाली निर्णायक अधिकार, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित उत्पाद एवं उपभोक्ता को खतरे तथा धमकियों से सुरक्षा।

यह रणनीति यूरोप के 27 देशों को एक बाजार में परिणत कर देगी तथा 27 देशों का उपभोक्ता समान रूप से जाकर किसी भी देश से वस्त्र या सेवा की खरीद कर सकता है। भविष्य में यूरोप संसार का सबसे विशाल बाजार होगा। दो विश्व-युद्धों के दुःखद अनुभव के पश्चात् तथा संसार के कई देशों का उपनिवेश के माध्यम से शोषण करने के पश्चात् यह यूरोप के एकीकरण का नवीन प्रयास सन् 1997

*एफ-4, 44 आयरन साइड रोड, बालीगंज, कोलकाता-700019

में अमस्टर्डम की संधि के पश्चात् प्रारम्भ हुआ जो कम से कम इक्कीसवीं सदी में स्थिर रहेगा ।

उपभोक्ता की स्वार्थ रक्षा के कार्यान्वयन हेतु यूरोपीय परिसंघ अपने सदस्य देशों की उपभोक्ता संबंधी नीतियों की निगरानी करता है ताकि अन्तरराष्ट्रीय बाधाएं दूर हों । उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु यूरोपीय संघ ने निम्न व्यवस्थाएं ग्रहण की हैं ।

(क) यूरोप में अधिक से अधिक वस्तुओं के मानक निर्धारण,

(ख) यूरोप के सभी देशों में यूरोपीय परिसंघ द्वारा संचालित यूरोपीय उपभोक्ता केंद्र (ई.सी.सी.) स्थापित करना जो उस देश के नागरिकों द्वारा यूरोपीय संघ के अन्य देशों में ख़रीदी गई वस्तुओं या सेवा से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर सकें,

(ग) अनुचित वाणिज्यिक अभ्यासों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना,

(घ) संपूर्ण यूरोप में उपभोक्ताओं में सचेतना जागृत करने हेतु विभिन्न उपभोक्ता संगठनों की यूरोपीय परिसंघ द्वारा मान्यता तथा आर्थिक सहायता, विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन तथा विद्यालय स्तर पर छात्रों में उपभोक्ता संबंधी अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रचार एवं प्रसार । गत वर्ष यूरोपीय परिसंघ ने स्कूली छात्रों में उपभोक्ता विषय संबंधी 18 लाख डायरियां वितरित कीं,

(ङ) जो देश यूरोपीय संघ के निर्देशों की अवहेलना करते हैं अथवा उनके अनुपालन में ढिलाई दिखाते हैं, उनके विरुद्ध यूरोपीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला दायर करना ।

इस प्रकार यूरोपीय परिसंघ में उपभोक्ता संरक्षण वास्तविकता है न कि भारत जैसे अन्य देशों की भांति अकादमिक अथवा सैद्धांतिक परिचर्चा । यूरोप में कोई भी खरीदारी संबंधी अनुचित संविदा मान्य नहीं है । किसी भी परिस्थिति में क्रेता का शोषण नहीं चल सकता । सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर निर्धारित मूल्य अंकित होना चाहिए। संविदा की शर्तें सरल तथा समझने लायक हों । विक्रेता को वस्तुएं संविदा के अनुसार ही देना चाहिए । यदि देते समय कोई वस्तु में कोई कमी हो तो विक्रेता उसकी या तो मरम्मत करे या उसके स्थान पर दूसरी वस्तु दे अथवा उसका मूल्य कम करे या उस संविदा को निरस्त करे अथवा ख़रीदार को मुआवजा दे । यदि वस्तु ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर संविदा के अनुकूल नहीं रहती, तो विक्रेता इसके लिए जिम्मेदार रहेगा । इस प्रकार की कठोर शर्तें उपभोक्ताओं के पक्ष में यूरोपीय परिसंघ ने अपने विभिन्न निर्देश जारी करके लागू की हैं ।

दूर से बिक्री करने या खरीद करने के मामले में जैसे ई-मेल द्वारा, उसमें वस्तु या माल के विषय में पूर्व पूर्ण सूचना, भुगतान संबंधी शर्तें एवं वस्तु या माल के वापिस करने के विषय में भी शर्तें अंतर्निहित होगी । प्रत्येक व्यक्ति को सात कार्य दिवसों के भीतर संविदा भंग करने का अधिकार तथा तीस दिन के भीतर उपभोक्ता को पूरी कीमत की वापिसी का अधिकार होगा । पर उपभोक्ता को अपने ख़र्चे पर वस्तु को वापिस भेजना होगा । यूरोपीय परिसंघ ने 2005 में 29 क्रमांक निर्देश जारी करके अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को काली सूची में रखने के आदेश दिए । यूरोपीय परिसंघ के निर्देशों के अनुसार खाद्य पदार्थों पर सामान्य सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं । यहाँ तक कि आयातित खाद्य पदार्थों पर भी । भारत में आयातित वस्तुओं पर ये निर्देश कड़ाई से लागू नहीं किए जाते हैं क्योंकि आयात के पश्चात् व्यापारी कैसे उन पर चिप्पी लगाएँ ? दूसरे आयातित वस्तुओं पर माफिया व्यापारियों का आधिपत्य रहता है । यूरोप में खाद्य एवं पशु-विभाग के अधिकारी इन नियंत्रणों को लागू करते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के मांस एवं समुद्री खाना यूरोप के लोगों का अभिन्न अंग है जबकि भारत में अभी तक एजेंसी ही ठीक नहीं है । यूरोप में किसी भी खाद्य पदार्थ पर यह लिखने का निषेध है कि वह किस बीमारी का इलाज करता है जबकि भारत में यह आवश्यक रूप में लिखा रहता है । यह क्रेता के निर्णय पर छोड़ा हुआ रहता है ।

खाद्य पदार्थों पर चिप्पी या सूचना उस भाषा में तथा इस ढंग से लिखी रहती है जो स्थानीय लोग आसानी से समझ सके । प्रत्येक पैकेट पर कैलोरी, वसा, कार्बोहाइड्रेट,

626 HA/09—6A

चीनी, लवण की मात्रा अधिकतम खुदरा मूल्य, उपभोग की अंतिम तारीख आदि लिखना अनिवार्य है ।

सुरक्षा की दृष्टि से भी उत्पादों की गुणवत्ता को जनता तक यूरोपीय परिसंघ में उपलब्ध कराया जाता है । जो खाद्य-पदार्थ नहीं है उनके विषय में भी प्रत्येक सदस्य देश का कर्तव्य है कि वह दूसरे देश को शीघ्रातिशीघ्र सूचित करे जैसे बालकों के खिलौने जो उनके गले के नीचे उतर सकते हैं, छोटे-छोटे लाइटर, चुंबक इत्यादि । इस प्रकार के प्राय: सात सौ उत्पादों की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसमें जर्मनी द्वारा 163 तथा इंग्लैंड द्वारा 100 उत्पाद हैं । इनमें से चीन से आयातित अनेकानेक वस्तुएँ हैं । इसके लिए यूरोपीय परिसंघ द्वारा संचालित रैपेक्स व्यवस्था है जिसके माध्यम से ये आपातकालीन संदेश प्रसारित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त यूरोपीय परिसंघ विभिन्न उपभोक्ता संगठनों/संस्थाओं तथा संघों को प्रयोग करने हेतु सूचना, सलाह, सहायता तथा उपभोक्ताओं में जागरूकता का विस्तार करने के लिए मान्यता, विभिन्न अनुदान तथा प्रोत्साहन देता है । ये गैर सरकारी संगठन उपभोक्ताओं के पक्ष में यूरोपीय परिसंघ के विधान, नियम, नीतियों तथा निर्देशों को उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार किए जाने के लिए समर्थन जुटाते हैं । ब्यूक (BEUC) यूरोपीय संघ का ऐसा ही गैर-सरकारी शीर्षतम संगठन है । एनेक (ANEC) मानक निर्धारित करने के लिए ऐसा ही केंद्रीय गैर-सरकारी संगठन है । ये यूरोपीय परिसंघ द्वारा अनुदान पाते हैं ।

यूरोपीय परिसंघ के सदस्य देशों में इन निर्देशों के परिपालन का हम निम्न प्रकार सर्वेक्षण कर सकते हैं ।

(क) उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान :

प्राय: सभी यूरोपीय देशों में उपभोक्ता की शिकायतों को निबटाने के लिए उपभोक्ता के प्रतिनिधियों, संस्थाओं तथा संगठनों को अधिकार प्राप्त है । अत: उन्हें राज्य द्वारा गठित औपचारिक न्यायालयों के सामने जाने की आवश्यकता नहीं होती है । राज्य द्वारा संचालित न्यायालयों की कार्यविधि भारत की भांति ही औपचारिकताओं से बोझिल है तथा उपभोक्ता मामलों को भी अन्य मामलों के साथ पंक्ति में लगना पड़ेगा । उपभोक्ता संघों अथवा उपभोक्ता परिषद् द्वारा निपटाए जाने वाले मुकदमों के निर्णय वादी तथा परिवादी समान रूप से स्वीकार करते हैं । वस्तुत: उद्योगपति ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के उचित निपटान में अधिक रूचि दिखाते हैं ताकि उनके उत्पादों की अधिक-से-अधिक बिक्री हो सके । स्पेन का माध्यस्थम् अधिकरण उपभोक्ताओं के मामले निबटाने में सबसे अधिक त्वरित तथा सक्षम है । स्पेन के शीर्ष उपभोक्ता संगठन थेकू (सेसू) की शाखाएं स्पेन के प्रत्येक राज्य में हैं तथा उनके पास एलएल.बी. डिग्रीधारी सक्षम एडवोकेट सदस्य हैं जो मध्यस्थ का काम करते हैं । यदि दोनों पक्ष चाहें तो केवल एक मध्यस्थ ही दोनों के मध्य विवाद को हल कर सकता है । भारत की भांति तीन मध्यस्थों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं होती है । स्पेन में तो माध्यस्थम का अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध तो अपील का भी प्रावधान नहीं है तथा उसका निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है।

संपूर्ण यूरोप के विभिन्न देशों में शिकायतों के सुनने तथा उनके समाधान का पूरा जाल बिछा हुआ है । जर्मनी में प्रत्येक नगर तथा राज्य में उपभोक्ता सलाह केंद्र है जहाँ उपभोक्ता को उसकी समस्या के लिए सलाह दी जाती है, वही 'उपभोक्ता आवाज' नाम से संगठन पर कोई भी दूरभाष या ई-मेल द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है तथा उसे दूरभाष या ई-मेल द्वारा ही समाधान प्राप्त हो जाता है । प्रत्येक देश में मुफ्त दूरभाष सहायता लाइन है जिसके मुख्यालय पर स्थित विशेषज्ञों द्वारा शिकायतकर्त्ताओं या पीड़ितों का संबन्धित विधि या निर्देशों के अनुसार मार्गदर्शन किया जाता है । इंग्लैंड में स्वच्छ व्यापार निदेशालय है जिसके अंतर्गत 'सीधी उपभोक्ता लाइन' (कन्ज्यूमर डायरेक्ट) दूरभाष लाइन है जिसे बी.एस.एस. नामक संगठन ठेके पर चलाता है । पर 'उचित व्यापार निदेशालय' इसके कार्य की पास से अनुश्रवण करता है । वह प्रश्नों के उत्तरों के रिकार्डों का अध्ययन करके निगरानी करता है । नागरिक ब्यूरो में भी उपभोक्ता विषयक मामलों में सलाह दी जाती है । यदि वह अधिक तकनीकी हुआ तो उसे सम्बन्धित बी.एस.एस. दूरभाष सहायता केंद्र के पास भेज दिया जाता है ।

(ख) मानकीकरण तथा प्रकाशन :

यूरोप में सभी स्तरों पर मानकों को स्थिर करने की जैसे प्रतियोगिता छिड़ी है ताकि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता

626 HA/09—6B

मानक के अनुसार हो तथा उपभोक्ता को ठीक-ठीक जिनिस या सेवा का लाभ प्राप्त हो ।

यूरोपीय परिसंघ से लेकर प्रत्येक देश के अपने मानक स्थिर करने वाले विभिन्न संगठन हैं । इन देशों के उत्पादक या व्यापारीगण स्वैच्छापूर्वक तथा सहृदयता से मानकों को स्वीकार करते हैं तथा उत्तम से उत्तम उत्पाद बाजार में लाने का प्रयास करते हैं । यूरोप में उद्योगपति अथवा व्यापारी या सेवा संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएँ या सेवा उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं ताकि वे अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अपनी धाक जमा सके । अपने उत्पादों को भारत जैसे विकासशील देशों में उत्पादक या व्यापारी मानकों से बचाकर निकलना चाहते हैं । जर्मनी में 'डिन' नामक संगठन है जो वर्षों से जर्मन उद्योग तथा व्यापार के लिए विभिन्न उत्पादों के मानक स्थिर कर रहा है तथा इसकी शीर्ष परिषद में उपभोक्ताओं का भी प्रतिनिधित्व है । अभी तक यह संगठन वस्तुओं एवं सेवाओं को मिलाकर प्राय: 30,716 मानक स्थिर कर चुका है । इसी प्रकार यूरोपीय परिसंघ तथा उद्योग द्वारा सहायता प्राप्त एनेक, एक गैर-सरकारी संगठन प्राय: छ: सौ मानक विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित कर चुका है । एनेक के ये मानक यूरोपीय परिसंघ के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हैं । अत: वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल स्थान से ही जब ठीक से जंचाई करके वस्तु या सेवा निकलती है, तो उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कम से कम होती है । इंग्लैंड में 'उचित व्यापार कार्यालय' (ओ.एफ.टी) है जो अपने मानकों के अनुसार विभिन्न उत्पादकों तथा सेवा प्रदायी केंद्रों को औपचारिक लाइसेंस देता है तथा उत्पाद अथवा सेवा में कमी होने पर उस लाइसेंस को वापिस ले लेता है । इंग्लैंड में 'उचित व्यापार कार्यालय' द्वारा यह कार्यवाही ही विभिन्न औद्योगिक अथवा व्यापारिक संगठनों को गुणवत्ता के प्रति सचेत रखता है ।

दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पदक्षेप परीक्षण पत्रिकाएं प्रकाशित करना है । विभिन्न देशों में गैर-सरकारी संस्थाओं में उपभोक्ता सदस्यों की विशाल संख्या है तथा वे इन पत्रिकाओं के सदस्य हैं । उदाहरणार्थ जर्मनी से प्रकाशित 'टेस्ट' पत्रिका में बाजार में उपलब्ध विभिन्न उपभोक्ता-संबन्धित उत्पादों का तुलनात्मक गुणवत्ता-विश्लेषण प्रकाशित होता है जो मानकों के आधार पर किया जाता है । इन विश्लेषणों तथा तुलनात्मक तालिकाओं को पढ़कर उपभोक्तागण बाजार में अपनी आवश्यकतानुसार, दाम के अनुसार अथवा रुचि के अनुसार वस्तु या सेवा खरीदते हैं । जर्मनी में इस पत्रिका के 15 लाख सदस्य-पाठक हैं । अत: पत्रिका को किसी अन्य सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । फलत: पत्रिका का प्रकाशन उसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा निरपेक्ष बनाने की कोशिश करता है । इसी प्रकार बेल्जियम की प्राय: एक करोड़ की जनसंख्या में से 3.3 लाख उपभोक्ता संघ के सदस्य हैं तथा नियमित वार्षिक चंदा देते हैं । इस कारण इस संघ को किसी भी सरकारी या उद्योग-संगठन की व्यापारिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती । चार करोड़ की आबादी वाले स्पेन में भी केंद्रीय उपभोक्ता संघ के 1.10 लाख सदस्य हैं तथा यह संगठन सभी दृष्टि से स्वावलंबी है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं का, उपभोक्ताओं द्वारा तथा उपभोक्ताओं के लिए है । इसमें बाहरी हस्तक्षेप की संभावना नगण्य है ।

(ग) उपभोक्ता के मध्य जागरूकता :

उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता के कार्यक्रम साथ-साथ चल रहे हैं । वस्तुत: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात् दोनों एक ही सिक्के के दो फलक हैं । यूरोपीय परिसंघ के नेतृत्व में यूरोपीय देशों में उपभोक्ता जागरूकता का कार्यक्रम स्कूली छात्रों तक पहुँच गया है । स्वयं यूरोपीय परिसंघ ने 15 लाख स्कूली छात्रों में 15 लाख 'दि यूरोपा' नामक डायरियां वितरित की हैं जिसमें प्राय: प्रारम्भिक एक सौ पृष्ठों पर अधिकांशत: उपभोक्ता के अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन है तथा डायरी के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को सरल भाषा एवं सहज शैली में आवश्यक सूचना प्राप्त होती है । यूरोपीय परिसंघ की नकल करते हुए स्पेन सरकार ने भी अपने यहाँ बालक-बालिकाओं को डायरियाँ वितरित की हैं जिसमें प्राय: बीस पृष्ठों में स्पेनिश भाषा में उपभोक्ता संबन्धित सूचना दी गई है । स्पेन में तो उपभोक्ता विषयों में प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विषयक राष्ट्रीय संस्थान है जो सरकार को निरंतर सलाह देती रहती है ।

उपभोक्ता आंदोलन बड़े पैमाने पर यूरोप के देशों में चलाया जा रहा है तथा जो देश उपभोक्ताओं के अधिकारों

को सुरक्षित करने में ढील बर्तते हैं, उनके विरूद्ध यूरोपीय आयोग कानूनी कार्यवाही कर रहा है। इससे बड़ा उपभोक्ता आंदोलन की सफलता का सूचक और कुछ हो ही नहीं सकता है। आयुक्त, उपभोक्ता, यूरोपीय संघ ने चार देशों के विरूद्ध मुकदमे दायर किए हैं। भारत में तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कुछ सलाह देना ही उनकी संप्रभुता को चुनौती देना है। यूरोपीय संसद तथा यूरोपीय परिषद में उपभोक्ता संबन्धी विधि पर विशद तथा विस्तार से चर्चा होती है। स्पेन के संविधान (1978) के 51वें अनुच्छेद में उपभोक्ता तथा लाभार्थियों को सरकारी अधिकारियों द्वारा रक्षा प्रदान की गई है।

उपसंहारः

यूरोप में उभोक्ता संरक्षण आन्दोलन खाद्य-सुरक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण-संरक्षण, बालकों की सुरक्षा, वृद्ध एवं विकलांगों की सहायता तथा उपभोक्ताओं के लिए खतरों की सूचना तक विस्तृत हो गया है। जर्मनी में तो उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे उपयुक्त खाद्य सामग्री ही ग्रहण करें तथा विभिन्न बीमारियों तथा विकृतियों से दूर रहें। इस प्रकार यूरोप में मोटापे की समस्या को दूर करना भी उपभोक्ता आंदोलन का एक अंश है। 2002 सन् में स्थापित बी.एफ.आर. नामक नई संस्था जर्मनी में उपभोक्ताओं के हितों की निरंतर निगरानी करती है। जर्मनी में तो उपभोक्ता विषय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ताकि उपभोक्ता के स्वास्थ्य का भी ठीक-ठीक ध्यान रखा जाए। यूनाइटेड किंगडम में अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर रोक है। इसके लिए यू.के. की सरकार के व्यापार, उद्योग तथा नियामक सुधार विभाग ने वर्ष 2008 में अनुचित व्यापारिक नियमन, 2008 (सी.पी.आर.) जारी किये हैं जोकि ब्रिटेन में अनुचित विपणन प्रथाओं को रोकता है। वास्तव में बिना लाइसेन्स वालों से ब्रिटेन का जागरूक उपभोक्ता न तो माल खरीदता है और न ही सेवा। उस व्यापारी या सेवा-प्रदाता की रोजी-रोटी ही खतरे में पड़ जाती है। यह सर्वाधिक सरल उपाय है क्योंकि इसमें औपचारिक रूप से विधान मंडल द्वारा कानून नहीं बनाना पड़ता है।

यदि कोई विक्रेता अपने उत्पाद का बढ़-चढ़कर विज्ञापन देता है पर वास्तव में वह वैसा नहीं है, तो संबन्धित उपभोक्ता उस विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही तथा मुआवजा की मांग कर सकता है। उपभोक्ता पर अनावश्यक प्रभाव, उसका उत्पीड़न तथा उससे जोर-जबरदस्ती के लिए विक्रेता को प्रतिकार स्वरूप भुगतान करना पड़ेगा। पर इंग्लैंड में जब ये मामले वहाँ के नियमित न्यायालयों में जाते हैं तो उनके निपटान में भारत के उपभोक्ता अदालतों की भांति विलम्ब होता है। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों का उत्तम ढाँचा है। वहाँ सभी प्रकार के मुकदमों के निपटान में समय कम लगता है।

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि उपभोक्ता आंदोलन यूरोप की एक आधुनिक सभ्यता का अविभाज्य अंग है। यदि यूरोप का यही एकत्रित ढांचा स्थिर रहा तो यूरोप निकट भविष्य में संसार की सर्वश्रेष्ठ बाजार महाशक्ति होगा। ■

सरलता और शीघ्र सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है।

-लोकमान्य तिलक

प्रशिक्षण और प्रस्तुति

–श्रीमती कुसुम वीर*
अपर निदेशक

हम सभी अपने आपको अलग-अलग अवसरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, कभी रोकर, कभी हँस कर, कभी मुस्कराकर, कभी गुस्से में, कभी रूठ कर, कभी जोर से चिल्ला कर तो कभी तहज़ीब के साथ पेश आकर । भिन्न-भिन्न अवसरों पर मानव की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियां जहां उसके व्यक्तित्व की परिचायक होती है तो वहीं समाज की भिन्न परिस्थितियाँ, सामाजिक रीति-रिवाज, रिश्तों की परम्पराएं, उनका निर्वाह और आपसी व्यवहार भी मानव मन की वैचारिक अभिव्यक्ति को काफी हद तक प्रभावित करता है ।

जहाँ तक किसी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की अभिव्यक्ति का सवाल है, यह एक ऐसी कला है जो प्रशिक्षक की प्रस्तुति को एक विशेष अभिव्यक्ति प्रदान करती है । इस प्रस्तुति को न तो आमतौर से लोगों के बीच कुछ कहना या बोलना कह सकते हैं और न ही किसी कक्षा का व्याख्यान ।

सामान्य व्यावहारिक अभिव्यक्ति और प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की प्रस्तुति के अन्तर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं :–

- समाज में व्यक्ति की सामान्य व्यावहारिक अभिव्यक्ति प्राय: पूर्व नियोजित प्रक्रिया नहीं होती है जबकि प्रशिक्षण में प्रशिक्षक द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति सदैव पूर्वनियोजित होती है ।
- सामान्यत: आपसी व्यावहारिक अभिव्यक्ति का स्वरूप अनौपचारिक होता है जबकि किसी प्रशिक्षक द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति पूर्णत: औपचारिक होती है ।
- आपसी व्यावहारिक अभिव्यक्ति सीखने-सिखाने के लिए नहीं होती जबकि प्रशिक्षण की प्रस्तुति शिक्षण का एक अभिन्न अंग होती है ।

प्रशिक्षण में प्रशिक्षक द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति न केवल सामाजिक-व्यावहारिक अभिव्यक्ति से भिन्न होती है अपितु यह कक्षा के व्याख्यान से भी फर्क होती है । यह फर्क हम इस प्रकार देख सकते है :–

1. व्याख्यान एक तरफ शैक्षणिक उद्बोधन होता है जिसमें प्रशिक्षार्थियों की भागीदारी नहीं रहती है ।
2. व्याख्यान में व्याख्याता अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को मात्र प्रसारित करता है जबकि किसी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक अपनी प्रस्तुति में तर्क-वितर्कों के द्वारा प्रशिक्षार्थियों को समझने-बूझने में मदद करता है ।
3. व्याख्यान में श्रोताओं की संख्या बहुतायक हो सकती है लेकिन प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों की संख्या सीमित रखी जाती है ।
4. व्याख्यान में प्रशिक्षक किसी विषय विशेष की जानकारी मात्र देता है, वही प्रशिक्षण व्यक्ति में कौशल विकास करता है ।
5. व्याख्याता के व्याख्यान देते समय प्रशिक्षु मात्र मूक श्रोता होते हैं जबकि प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थी अपने मनोभावों से बराबर की भागीदारी करते हैं ।

किसी भी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक द्वारा किसी विषय विशेष पर प्रस्तुति करने से पूर्व तीन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है :–

1. पूर्व नियोजन
2. अभिव्यक्ति की विधा
3. स्व मूल्यांकन

शिक्षण और प्रशिक्षण में आम आदमी अन्तर नहीं कर पाता, जबकि गौर से देखा जाए तो इन दोनों में भी अंतर होता

*डी-II/7, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

है । हालांकि यह बात सच है कि शिक्षण और प्रशिक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन शिक्षण जहां सीखने या अधिगम से जुड़ा होता है वहीं प्रशिक्षण का संबंध सिखाने या पढ़ाने से जुड़ा होता है । या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि शिक्षण का मतलब सीखना है तो प्रशिक्षण का मतलब सिखाना ।

प्रशिक्षण में हम दूसरे को किसी विषय पर जानकारी देते हैं, उसका कौशल विकास करते हैं तथा उसकी मनोवृत्ति को सकारात्मक रूप से बदलते हैं । प्रशिक्षण में प्रशिक्षक विभिन्न विधाएं अपनाकर प्रशिक्षणार्थियों में न केवल सीखने के प्रति रुचि जागृत करता है, अपितु उनका ध्यान केन्द्रित कर उनके अधिगम में भी सहायता पहुँचाता है । यह प्रयास प्रशिक्षक की तरफ से होता है । दूसरी ओर शिक्षण में प्रशिक्षार्थी को नई जानकारी प्राप्त करने के लिए ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर विषय की जानकारी लेनी होती है । उसे विषय के बारे में सोचना होता है और स्मरण करना होता है जो अन्ततः अधिगम से संबंधित होता है ।

किसी भी विषय पर कोई भी प्रस्तुति करने से पूर्व निम्नांकित बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है :-

(क) प्रस्तुति का विषय और उसका उद्देश्य क्या है ?

(ख) प्रस्तुति जिनके लिए तैयार की जानी है, उनका शैक्षिक, सामाजिक स्तर कैसा है ।

(ग) प्रस्तुति जिस उद्देश्य को सामने रखकर की जानी है, क्या वह उसकी पूर्ति में सहायक होगी ।

(घ) प्रस्तुति मौखिक होगी, या फिर उसमें श्रव्य-दृश्य साधनों/उपकरणों की आवश्यकता होगी ।

(च) प्रस्तुति की समय सीमा कितनी होगी ।

अच्छा हो यदि प्रशिक्षक को ~~अपनी~~ प्रस्तुति का एक खाका तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे –

I. सर्वप्रथम प्रशिक्षार्थियों के साथ आपसी परिचय ।

II. प्रस्तुत किए जाने वाले विषय का स्पष्ट रूप से परिचय देना

III. प्रस्तुति के उद्देश्य से प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से अवगत करना

IV. विषयवस्तु की बिंदुवार विस्तृत रूप से जानकारी प्रस्तुत कराना

V. किसी एक बिंदु पर एक साथ लगातार न बोलकर बीच-बीच में रुकना और उस पर प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं लेना

VI. ज़रूरत पड़ने पर दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करना

VII. प्रस्तुति में प्रशिक्षार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना जिससे उनमें विषय के प्रति रुचि एवं ध्यान निरंतर बना रहे ।

सच कहा जाए तो किसी भी विषय पर प्रस्तुति देने के पूर्व नियोजन के पश्चात् वास्तविक रूप से उसे प्रस्तुत करना ही अभिव्यक्ति की कला है, जिसे जाने बगैर सटीक और सौद्देश्य प्रस्तुति नहीं की जा सकती । आप क्या कहते हैं, यह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आप उसे किस प्रकार से कहते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है । आमतौर पर प्रशिक्षक सिर्फ शिक्षण के विषय एवं उसकी विषयवस्तु के प्रति ही ज़्यादा सजग और सचेत होते हैं और इस बात की ओर उतना ध्यान नहीं देते कि उसे प्रस्तुत किस प्रकार से करना चाहिए ताकि श्रोता उसे ध्यान एवं रुचिपूर्वक सुन सकें । सही मायने में कोई भी शिक्षण या प्रशिक्षण तब तक सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी नहीं होता जब तक प्रशिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्यों, उसकी विधाओं और कौशल को प्रशिक्षुओं के समक्ष सही रूप से अभिव्यक्त नहीं करता । अभिव्यक्ति वह कला है जिसे हर प्रशिक्षक को जानना ज़रूरी है ।

भारतीयता का दूसरा नाम हिंदी है ।

–भगवती चरण वर्मा

"राजभाषा सम्बन्धी गतिविधियां"

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

सम्पदा निदेशालय

सम्पदा निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 109वीं बैठक सम्पदा उपनिदेशक (स्था.) श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में 30-06-2008 को सांय 3.00 बजे सम्पदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गयी ।

पिछली बैठक (108वीं) के कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात् 31-03-2008 को समाप्त तिमाही में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की अनुभागवार समीक्षा की गई । तत्पश्चात् विस्तृत चर्चा के आधार पर बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

प्रत्येक अनुभाग हिंदी पत्राचार को और बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि वार्षिक कार्यक्रम 2008-2009 के अनुसार हिंदी पत्राचार का लक्ष्य, जो कि क तथा ख क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा ग क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत है, पूरा किया जा सके ।

सभी अनुभाग प्रभारियों का यह दायित्व है कि रिपोर्ट समय से तैयार करके हिंदी अनुभाग को भेज दी जाए । सभी उप निदेशक इस बात पर ध्यान दें कि प्रत्येक अनुभाग अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तिमाही समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर हिंदी अनुभाग को भेज दें ताकि बार-बार अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता न पड़े । तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले संबन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि विभिन्न मदों के बारे में जो आँकड़े दिए जा रहे हैं, वह ठीक हैं तथा सभी कॉलम ठीक प्रकार से भरे गए हों ।

सभी अनुभाग अपनी-2 सूचना को अद्यतन करें तथा सूचना एन.आई.सी. को भेजने से पूर्ण रूपान्तर हेतु हिंदी अनुभाग को भेजे उसके बाद उसे वेबसाइट पर डलवाएं । हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक नोटिंग हिंदी में करे । हिंदी टाइपिंग में प्रशिक्षित सभी कर्मचारी अपने-अपने अनुभाग में हिंदी टाइपिंग का कार्य करेंगे ।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने पुन: दोहराया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का कर्त्तव्य है इसलिए सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नीति के अनुपालन में सहयोग दें ।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्रीमती नीलम कपूर निदेशक महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून, 2008 को उनके कक्ष में सम्पन्न हुई ।

31 मार्च, 2008 की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदया ने कहा कि पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में यद्यपि "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है परन्तु "क" क्षेत्र में 1% की गिरावट आई है । उन्होंने कहा कि प्रतिशतता में इतनी सी गिरावट भी नहीं आनी चाहिए । यह एक गम्भीर विषय है । इस पर सभी सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वे हिंदी के कार्य की प्रतिशतता को और अधिक बढ़ाने का यथासम्भव प्रयास करेंगे ।

अन्य विषयों पर विचार करते हुए अध्यक्ष महोदया ने कहा कि निदेशालय में काम के अधिक होने के कारण कोई भी अधिकारी अपने निजी सहायक को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु भेजने में असमर्थ हैं तो उन्हें कम से कम हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए निदेशालय में ही व्यवस्था किया जा सकता है । तदुपरान्त यह भार हिंदी अनुवादक को सौंपा गया कि वह यह देखें कि सभी आशुलिपिक हिंदी टंकण सीखें ताकि उनमें हिंदी कार्य के प्रति रुचि और अधिक बढ़े ।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वितीय म.प्र. ग्वालियर की त्रैमासिक बैठक दिनांक 28-7-08 को अपरान्ह 4.30 बजे कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुश्री एनी जी.मैथ्यू महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II म.प्र. द्वारा की गई। दिनांक 28-4-08 को सम्पन्न राजभाषा कार्यान्यन समिति की त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाई से समिति को अवगत कराया। इस तिमाही के दौरान कार्यालय में 17450 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए। सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्रों की कुल संख्या 31878 रही। इस तिमाही में कुल 4178 टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई। फाइलों पर संदर्भ तथा शीर्ष भी हिंदी में लिखे गए। साथ ही इस तिमाही में 07 शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकें आयोजित की गईं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए गए कागजातों की संख्या 10 रही। बैठक में त्रैमासिक प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। प्रतिवेदन की मंद संख्या 5 के संबन्ध में विस्तार से विचार किया गया। सर्व समिति से निर्णय किया गया कि प्रतिवेदन की सभी मदों में विवरण समुचित रूप से अंकित किया जाए। सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि प्रतिवेदन मुख्यालय को समय पर भेजने हेतु जानकारी निर्धारित तारीख पर उपलब्ध कराएं। अध्यक्ष महोदया ने यह भी निर्देशित किया कि नस्तियों में अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की जानकारी भी समुचित रूप से प्रतिवेदन में दर्शायी जावें।

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 17 सितम्बर, 2008 को 3.30 बजे बाद दोपहर मुख्य आयकर आयुक्त श्री सुनील चोपड़ा की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में सहायक निदेशक (राजभाषा) ने मुख्य आयकर आयुक्त महोदय की ओर से सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र में 15-09-2008 से 22-09-2008 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में ग्रुप-ए, बी, सी तथा डी की हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है। वार्षिक नकद पुरस्कार योजना तथा हिंदी डिक्टेशन योजना में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करके पुरस्कार घोषित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर व मुख्य आयकर आयुक्त महोदय की ओर से इस अवसर पर औपचारिक "अपील" भी जारी की जा चुकी है।

समिति की 13 मई, 2008 को आयोजित बैठक में किए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को निदेश दिए कि वे इस कार्यालय को प्रेषित की जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले इन्हें अच्छी तरह जांच लिया करें। उच्च अधिकारियों/अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेषित की जाने वाली सभी रिपोर्टों/अनुदेशों के अग्रेषण पत्र केवल हिंदी में जारी किए जाएं।

प्रशासन संबंधी सभी आदेश (जैसे -छुट्टी की स्वीकृति, जी. पी. एफ. की स्वीकृति, मेडीकल प्रतिपूर्ति, वित्तीय स्वीकृतियाँ) केवल हिंदी में या द्विभाषी जारी किए जाएं।

स्थानांतरण/ तैनाती के सभी आदेश हिंदी में या द्विभाषी जारी किए जाएं। मुख्यालय पर ऐसे आदेश द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित आयकर आयुक्तों को निदेश दिए कि वे भी अपने स्तर पर ऐसे आदेश हिंदी में जारी करवाएँ।

सभी कंप्यूटरों पर हिंदी साफ़्टवेयर (लीप) लोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी छोटी-छोटी टिप्पणियां जैसे 'अनुमोदित', 'स्वीकृत', 'चर्चा करें' आदि हिंदी में लिखा करें। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि आयकर आयुक्त अपने अधीनस्थ रेंज कार्यालयों का सामान्य निरीक्षण करते समय राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति का भी निरीक्षण किया करें। निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन की मद को शामिल किया जाए।

सभी आयकर आयुक्त अपने-अपने स्तर पर तिमाही में एक बार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य आयोजित किया करें, जिसमें राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाए।

सभी आयकर आयुक्त अपने प्रभार में किसी एक अनुभाग, (विशेषकर स्थापना/लेखा) में सारा कार्य हिंदी में

किया जाना विर्निदिष्ट (स्पेसीफाई) करें । इस उपलक्ष्य में जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित की जाए ।

कर निर्धारण क्षेत्र में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । विशेष रूप से द्विभाषी फार्मों का हिंदी भाग भर कर उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए जाएं । मुख्य आयकर आयुक्त ने सुझाव दिया कि धारा 143(3) के अन्तर्गत भी कुछ आदेश हिन्दी में जारी किए जाने चाहिएं ।

अंत में बैठक के दौरान दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने स्तर पर हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करें ताकि राजभाषा विभाग/केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

अंत में सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट करने के साथ बैठक समाप्त हुई ।

मुख्य आयकर आयुक्त हरियाणा क्षेत्र, पंचकुला

मुख्य आयकर आयुक्त हरियाणा क्षेत्र, पंचकुला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनाँक 23-09-08 को सायं 4.00 बजे श्री कैसर शमीम, मुख्य आयकर आयुक्त पंचकुला की अध्यक्षता में उनके कमरे में आयोजित की गई ।

सदस्य सचिव ने बताया कि मुख्य आयकर आयुक्त हरियाणा क्षेत्र, पंचकुला की 30-6-08 को समाप्त हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में हिंदी के पत्राचार में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सदस्य सचिव ने बताया कि 30-3-08. को समाप्त तिमाही में यह पत्राचार 65 प्रतिशत था अब यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है ।

सदस्य सचिव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 07-08 के लिए नगद ईनामों संबन्धी निर्णय ले लिया गया है । 17 सितम्बर को आयोजित हिंदी दिवस समारोह में इस योजना के अर्न्तगत ईनाम दे दिए गए हैं ।

सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी प्रतियोगिताओं का अयोजन अगस्त माह में किया गया तथा 17 सितम्बर को आयोजित हिंदी दिवस समारोह में विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए ।

सदस्य सचिव ने बताया कि लाईब्रेरी के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद अगली तिमाही में की जाएगी तथा पुस्तकों संबन्धी सुझाव पंचकुला स्थित कार्यालयों से भी मांगे जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि सभी कार्यालयों से सुझाव मांगते हुए इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाए ।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से सरल एवं बोलचाल की भाषा हिंदी, हिंदुस्तानी में कार्य करने का अनुरोध किया । उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग कर के भाषा को कठिन न बनाया जाए तथा हिंदी के प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया जाए और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, तेलंगखेडी रोड, सिविल लाईन, पोस्ट बेग न 81: नागपुर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 25-6-08 को सुबह 11.00 बजे केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त श्री एस रमेश की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई है ।

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि आयुक्त कार्यालय में दिनांक 31-3-2008 को समाप्त तिमाही अवधि में कुल 5556 हिंदी के पत्र प्राप्त हुए । उनमें से 2737 पत्रों का जवाब हिंदी में दिया गया । शेष पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था । किसी भी पत्र का जवाब अंग्रेजी में नहीं दिया गया ।

आयुक्त कार्यालय में दिनांक 31-3-2008 को समाप्त तिमाही में प्रभागीय कार्यालय एवं शाखावार हिंदी पत्राचार की जानकारी समिति के समक्ष रखी गई । समिति को बताया गया कि हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य 90% है जब कि प्राप्त लक्ष्य 65% है ।

इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने हिंदी विभाग को निर्देश दिए कि शाखाओं/प्रभागों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले प्रारूपों आदि तथा हिंदी पत्राचार के आंकड़ों की वास्तविकता के लिए निरीक्षण करें । आयुक्त महोदय ने विशेष कर सांख्यिकी शाखा द्वारा दिए गए पत्राचार के आंकड़ों की सत्यता पर संदेह प्रकट करते हुए निर्देश दिए

626 HA/09—7A

कि उनसे आंकड़ों की पुष्टि की जाए । उन्होंने आगे यह भी निर्देश दिए हैं कि हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हिंदी अनुस्मारक, निरंक पत्र, परमिट लेटर तथा अग्रेषण पत्रों का प्रयोग करें ।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि साल भर का निरीक्षण कार्यक्रम बनाएं । तथा प्रत्येक तिमाही अवधि में शाखाओं/प्रभागों का निरीक्षण करें ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चैन्नेई-1

30 जून 2008 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री राज कुमार बड़थ्वाल, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क चैन्नेई-1 आयुक्तालय की अध्यक्षता में दिनांक 19-08-2008 को मुख्यालय के सभा कक्ष में 16.00 बजे सम्पन्न हुई ।

(क) अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से दि. 02-05-2008 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत की प्राप्ति के बारे में पूछा तथा सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की ।

(ख) सहायक निदेशक (रा. भा.) ने समिति को सूचित किया कि सहायक साहित्य पुस्तक का प्रकाशन किया गया तथा इसकी प्रतियां चेन्नई- I, II, III, IV तथा सेवा कर आयुक्तालयों के सभी अनुभागों, मंडल कार्यालयों तथा रेंज कार्यालयों में वितरित की गई हैं ।

(ग) सहायक निदेशक (रा. भा.) ने समिति को सूचित किया कि द्विभाषी प्रपत्र एवं रिपोर्ट की एक सी डी तैयार की जा रही है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह सी डी हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर विमोचित की जाए ।

रबड़ मोहरों की द्विभाषिकता के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर सभी सदस्यों ने उत्तर दिया कि सभी रबड़ मोहरें द्विभाषी में उपलब्ध हैं । अध्यक्ष महोदय ने हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चालू प्रोत्साहन योजना के बारे में पूछा तथा सहायक निदेशक (रा. भा.) ने बताया कि दो कर्मचारी इसका लाभ उठा रहे हैं । अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का आग्रह किया, जो कि सांविधिक दायित्व है ।

पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 24-09-2008 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक, श्री रण विजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में 30-6-08 को समाप्त तिमाही अवधि में हुई प्रगति की समीक्षा की गई ।

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि समय-समय पर आयोजित इन बैठकों द्वारा हम अपने क्रियाकलापों का सही मूल्यांकन कर पाते हैं । उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि अपने निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा के प्रयोग संबंधी पैरा तथा विभागीय बैठकों की कार्यसूची में राजभाषा संबंधी मद अवश्य शामिल करें । विभागों में स्थापित कंप्यूटरों के माध्यम से निष्पादित होने वाले कार्यों में हिंदी प्रयोग की मात्रा बढ़ाई जाए । उन्होंने हिंदी के प्रयोग-प्रसार में अधिकारियों को स्वयं रुचि लेकर अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित करने का अनुरोध किया ।

बैठक में अपने अध्यक्षीय संबोधन में मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री रण विजय सिंह ने सभी सदस्यों से कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के क्षेत्र में रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री सिंह ने कहा कि हमारी त्रैमासिक पत्रिका "रेल रश्मि" के कलेवर में निरंतर सुधार हो रहा है । इस बार की पत्रिका पिछले अंको की तुलना में बेहतर प्रकाशित हुई है । मैं आशा करता हूं कि इसमें निरंतर सुधार होता रहेगा । साथ ही उन्होंने सभी विभाग की वेबसाइट द्विभाषी कर लिए जाने पर सभी को साधुवाद दिया ।

समिति द्वारा 29 जुलाई, 2008 को संपन्न गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने गत बैठक में लिए निर्णयों की अनुपालन की स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की ।

पूर्व रेलवे, कोलकाता

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 17-6-2008 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री एन. के गोयल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी । रेलवे के कार्यक्षेत्र में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को

626 HA/09--/8

मात्रा एवं गुणात्मकता दोनों की दृष्टियों में बढ़ाने के ईमानदार प्रयास हो रहे हैं यह शुभ संकेत है, किन्तु हमें हिंदी कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर जागरूक रहना होगा, रूटीन किस्म के दायरे से निकलकर हिंदी का प्रयोग सभी महत्वपूर्ण कार्यों में बढ़ना चाहिए, इसके लिए हर विभाग में हिंदी में होने वाले काम चिहिंत होने चाहिएं तथा इन दिनों कार्यो की फेरहिस्त लगातार बढ़ती रहनी चाहिए इसके साथ ही, हिंदी में काम करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए समिति की 18-3-2008 को संपन्न पिछली बैठक के कार्यवृत्त की विधिवत् पुष्टि की गई तथा रेलवे बोर्ड की निर्धारित कार्यसूची के अनुरूप हिंदी के प्रयोग की स्थिति प्रस्तुत की गई ।

पूर्व मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री हरीश चन्द्र जोशी ने कहा कि मुराधि के रूप में रेलवे के अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं फिर हिंदी के प्रयोग प्रसार में वास्तविक सहायतार्थ अनेक पहल हुई है, जिनमें हिंदी कंजुनियन प्रशिक्षण हिंदी कार्यशालाएं, अनेक प्रतियोगिताएं नाट्योत्सव, काव्य अनुष्ठान, ई-पत्रिका "पूर्वोदय" का प्रकाशन प्रमुख में उल्लेखनीय है, हिंदी विभाग यदि और अधिक जोश-ओ-खरोश से काम करें, तो पूर्व रेलवे हिंदी की प्रयोग प्रसार की दृष्टि से शीर्ष पर पहुंच सकता है ।

केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

सीमैप राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल-जून 2008 अवधि से संबंधित त्रैमासिक बैठक दिनांक 30-7-2008 को अपराह्न 3.30 बजे डा. परमजीत सिंह आहुजा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में संस्थान के समिति कक्ष में आयोजित की गयी ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कार्यसूची के अनुसार मदवार विषयों पर विचार-विमर्श प्रारम्भ किया गया ।

इस क्रम में सदस्य सचिव ने इस तिमाही में हुई प्रगति से समिति को अवगत कराया । प्रगति की समीक्षा करते हुए निदेशक महोदय ने कहा कि राजभाषा के अनुपालन संबंधी प्रत्येक बिंदुओं का गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए । धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले प्रत्येक पत्र अनिवार्य रूप से द्विभाषी या हिंदी में जारी किए जाएं ।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाई की समीक्षा करते हुए निदेशक महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्णयों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा इसकी रिपोर्ट अगली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की जाए । निदेशक महोदय ने कहा कि चूंकि लखनऊ में अभी हिंदी प्रशिक्षण केंद्र बंद हो चुका है और संस्थान के आठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अभी हिंदी प्रशिक्षण दिलाया जाना शेष है, अत: मुख्यालय से प्राप्त दिशा- निर्देश के अनुसार किसी अंशकालिक हिंदी शिक्षक की नियुक्ति कर हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है ।

बीईएमएल लिमिटेड, सामूहिक कार्यालय बेमल सौधा, बेंगलूर

दिनांक 29-7-2008 के दोपहर 4.00 बजे को संपन्न सामूहिक कार्यालय, बीईएमएल लिमिटेड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं तिमाही बैठक की शुरूआत में, अध्यक्ष श्री वी. एम. चमोला ने समिति के सभी सदस्यों तथा विशेष आमंत्रितों का स्वागत किया तथा कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श के लिए विषयों को लिया । उन्होंने अपने समिति के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें राजभाषा नीति का अक्षरश: एवं सही भावना के साथ पालन करते हुए आदर्श स्थापित करना अनिवार्य है । हमें अपने दायित्वों को संपूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और वचनबद्धता के साथ निभाना होगा । उन्होंने कहा कि सामूहिक कार्यालय तथा सभी कॉम्प्लेक्स कार्यालयों में हिंदी प्रशिक्षण पर प्रशंसनीय प्रगति प्राप्त की जा रही है । साथ की गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया । उन्होंने संयोजक को निदेश दिया प्रत्येक तिमाही में निरपवाद रूप में राभाकास की बैठक बुलाई जाए तथा लिए गए निर्णयों पर समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाए । उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 04 जुलाई, 2008 को सामूहिक कार्यालय में माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों को निर्धारित अवधि के अंदर कार्रवाई पूरी की जाए तथा समिति सचिवालयों को समय-समय पर स्थिति से अवगत कराया जाए ।

भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 88वीं बैठक प्रबंध निदेशक श्री रा. रामराजू की अध्यक्षता में प्रबंध निदेशक सभागार में जून, 2008 को सम्पन्न हुई ।

सदन को संबोधित करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री रा. रामराजू ने कहा कि सहज व सरल हिंदी में कार्यालयीन काम को संपादित करें । कामकाज में हिंदी के प्रयोग के शत-प्रतिशत के लक्ष्य को पाना होगा । विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त पुरस्कारों एवं उपलब्धियों के लिए उन्होंने बधाइयां भी दी तथा राजभाषा विभाग के कार्य की सराहना की ।

प्रारम्भ में सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री अशोक सिंघई ने सभापटल पर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें संयंत्र में विगत तिमाही की तुलना में हिंदी में 4 प्रतिशत कामकाज बढ़ने की सूचना उल्लेखनीय रही । विगत तिमाही में संपादित कार्यों की समीक्षा की गई । उन्होंने 'हिंदी अनुवाद प्रोत्साहन योजना', अभिनव राजभाषा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, अक्षर पैकेज पर सम्पन्न कंप्यूटर प्रशिक्षण, नराकास पत्रिका 'महानदी' को प्राप्त राजश्री सम्मान-2008 डलहौजी में अखिल भारतीय संगोष्ठी में भिलाई को प्राप्त पुरस्कार की जानकारी सभापटल पर रखी । सदन ने प्राप्त उपलब्धियों की सराहना करते हुए विगत बैठक में किए गये कार्य बिंदुओं के शत-प्रतिशत अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया ।

इस बैठक में श्री रा. रामराजू द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 में संयंत्र की राजभाषा गृह पत्रिका 'भिलाई भाषा भारती' के द्वितीय अंक का विमोचन करते हुए कहा कि ऐसी पत्रिकाओं से कार्मिकों की सर्जनात्मकता को मंच मिलता है और दूर-दूर तक संयंत्र में हिंदी के अनुप्रयोग संबंधी गतिविधियों का प्रचार व प्रसार होता है । बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हिन्दी में कार्यालयीन कामकाज बढ़े इसके लिये समयबद्ध तथा चरणबद्ध योजना बना कर कार्यक्रम किए जाए तथा राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन हर विभाग द्वारा अपने स्तर पर भी किया जाए ।

एन एच पी सी लिमिटेड, मुख्यालय, फरीदाबाद

एनएचपीसी में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हो रही प्रगति की समीक्षा करने के लिए श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2008-09 की प्रथम तिमाही बैठक का दिनांक 30-6-2008 को प्रातः 9.30 बजे सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, फरीदाबाद में आयोजन किया गया ।

डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से समिति के सदस्यों को अवगत कराया तथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त तिमाही की निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/संपर्क कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत की ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है । उन्होंने अपने संबोधन में यह भी निर्देश दिया कि निगम मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी जब भी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/कार्यालयों के निरीक्षण दौरे पर जाएं तो वे राजभाषा नीति के अनुपालन की स्थिति की जानकारी भी अवश्य लें । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी में टिप्पणी लिखने एवं हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य यद्यपि हमने पूरे कर लिए हैं तथापि "क" क्षेत्र में स्थित होने के कारण हमें प्रतिवर्ष उसमें वृद्धि करनी चाहिए, ताकि हमारी प्रगति जारी रहे ।

निदेशक (कार्मिक) महोदय ने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष हमें हिंदी में 100% तक पत्राचार का लक्ष्य अवश्य पूरा कर लेना चाहिए । उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे पत्र, अनुस्मारक पत्र आदि हिंदी में ही भेजे जाने चाहिए ।

निदेशक (परियोजनाएं) श्री एस. के. डोडेजा ने बैठक में कहा कि परियोजनाओं/कार्यालयों के प्रमुखों/पदस्थ राजभाषा अधिकारियों को भी निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में बुलाया जाना चाहिए । इसके अलावा उन्होंने को-आर्डिनेशन कमेटी/परियोजना रिव्यू बैठकों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी मदों को भी शामिल करने पर जोर दिया ।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 10-6-08 को पूर्वाह्न 11.30

बजे निदेशक सुश्री दीपा चन्द्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रेषित वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान हिंदी अधिकारी ने कहा कि सभी अनुभाग वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कार्य करें तथा लक्ष्य को पूरा करने में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु राजभाषा एकांश का सहयोग लें । उन्होंने यह सलाह भी दी कि संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों की पूर्ति आवश्यक रूप से कर दी जाए, जिससे भविष्य में होने वाले निरीक्षण में असुविधा का सामना न करना पड़े ।

हिंदी अधिकारी ने बताया कि हिंदी टंकण हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो कर्मचारी शेष हैं उन्हें नामित करने की प्रक्रिया चल रही है । आगामी सत्र में उन्हें प्रशिक्षण दिलाने हेतु नामित कर दिया जाएगा ताकि इस वर्ष के अंत तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई कर्मचारी शेष न रह जाए ।

निदेशक महोदया ने सभा में उपस्थित सदस्यों को सुझाव दिया कि केंद्र में एक मासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जाए जिसमें केंद्र में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों के साथ-साथ छोटी-छोटी रचनाएं भी प्रकाशित की जाएं। चार पृष्ठ वाले मासिक न्यूज लेटर से केंद्र के अधिकारियों/कर्मचारियों की रचनात्मकता को निखारने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रयोग को भी बढ़ावा मिलेगा ।

आकाशवाणी : विशाखापट्टणम

आकाशवाणी केंद्र, विशाखापट्टणम में कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक अधीक्षण अभियंता महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12-8-2008 को सायं 4.00 बजे संपन्न हुई । सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया । तदुपरांत पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई । इसके पश्चात् कार्यसूची के सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई ।

हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण की स्थिति पर चर्चा उठने पर समिति को सूचित किया गया है कि केंद्र में कार्यरत 11 अवर श्रेणी लिपिकों में से 2 अवर श्रेणी लिपिक ही हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए शेष बचे हैं, इस पर यह निर्णय लिया गया है कि शेष बचे दो कर्मचारियों को भी कार्यालय की सुविधानुसार अगले सत्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा और एक अवर श्रेणी लिपिक जो पहले इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, उन्हें भी फिर से यह परीक्षा देने हेतु निर्देश दिए जाएं ।

तदुपरांत समिति को सूचित किया गया है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में ही जारी किए जा रहे हैं, इस पर समिति के सभी सदस्यों ने हर्ष प्रकट किया ।

मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के बारे में चर्चा उठने पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि 'क' और 'ग' क्षेत्रों को जानेवाले पत्रों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उक्त पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाए । और इस संबंध में हिंदी अनुवादक की मद्द ली जाए ।

समिति को यह सूचित किया गया है कि सभी अनुभाग अधिकारियों को एक नोट जारी करके यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके-उनके अनुभागों में द्विभाषी रबड़ की मोहरों का ही प्रयोग हो रहा है यह भी निर्णय लिया गया है कि कार्यालय में प्रयुक्त अधिकारियों के कालक्रमिक बोर्डों में एक बोर्ड जो अंग्रेजी में है, उसे बदलकर द्विभाषी बोर्ड रखा जाए । और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि सभी स्टाफ कारों की प्लेटों पर कार्यालय का नाम द्विभाषी रूप में है ।

आकाशवाणी - कडपा (आं. प्र.)

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 14-8-2008 को आकाशवाणी, कडपा केंद्र में श्री ए. मल्लेश्वर राव, कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने यह सूचित किया कि अब कार्यालय में प्राज्ञा परीक्षा में पात्रता पाये सभी कर्मचारी उत्तीर्ण हो चुके हैं । जब कडपा केंद्र में परीक्षाओं का अयोजन किया जाता है तब इन दो उम्मीदवारों का नामांकन प्रवीण में किया जाय । धारा 3(3) के अंतर्गत कागजात जैसे परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषा में जारी किया जाए । इस विषय पर हिंदी अनुवादक ने यह बताया कि जब भी पत्र

अंग्रेजी में तैयार करते हैं तब उस पत्र को हिंदी एकक की माध्यम से भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष जी ने यह सुझाव दिया कि आकाशवाणी के मुख-द्वार पोर्टिगो पर त्रिभाषा सूत्र में तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में लिखने का प्रबंध किया जाए । इस विषय पर उपाध्यक्ष श्री एन. मुरली ने यह बताया कि कुछ कारण-वश आकाशवाणी के मुख-द्वार पोर्टिगो पर त्रिभाषा सूत्र में नहीं लिखवा पाए । अब यह काम एक महीने के अंदर पूरा किया जायेगा ।

आकाशवाणी : अहमदाबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संयुक्त रूप से दिनांक 14-8-2008 को अपराह्न 3.00 बजे श्री भागीरथ पंडया, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, अहमदाबाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई । पहले पिछली बैठक के मुद्दों पर समीक्षा की गई। धारा 3 (3) के अंतर्गत सामान्य आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, संकल्प, नियम, अधिसूचाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट द्विभाषी रूप से जारी किए जाए । इसमें किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा । 'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र में एवं 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र में 90 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए । एवं 'ग' क्षेत्र में 55 प्रतिशत हिंदी पत्राचार किया जाए । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केवल हिंदी में दिए जाएं । अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने-अपने अनुभागों द्वारा हिंदी पत्राचार बढ़ाने के प्रयास करें ताकि हम लोग लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें । श्री मौलिन मुनशी कार्यक्रम निष्पादक ने कहा कि उनके अनुभाग में एक भी कंप्यूटर नहीं है । उन्हें तुरन्त एक कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जाए ताकि हिंदी के कार्य में बढ़ावा हो सके । अध्यक्ष महोदय ने कहा सभी अनुभागों में कम से कम एक कम्प्यूटर तो अवश्य उपलब्ध करवाया जाए । एक कार्यक्रम अनुभाग का कंप्यूटर नियंत्रण कक्ष में चला गया है । जिसे वहां से लेकर श्री मोलिन मुनशी कार्यक्रम निष्पादक के कक्ष में लगवाया जा सकता है । श्रीमती मनीषा जैन कार्यक्रम निष्पादक ने बताया कि उनके सहायक के एवजी के रूप में श्रीमालीभाई हैं जिनके कंप्यूटर पर हिंदी की बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है उसे दुरुस्त करवाया जाए ।

पीएबीएक्स पर ओपरेटर 'नमस्कार आकाशवाणी में आपका स्वागत है' ऐसा बोलते हैं । लेकिन यदि बजट उपलब्ध है तो मैट्रिक्स सिस्टम करवाया जा सकता है । इससे जब तक फोन उठाए तब तक स्वचालित रिकार्डिंग बजता रहे जिसमें संस्था से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंच सके ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, मध्यप्रदेश, 7, रेसकोर्स रोड इन्दौर - 452003

क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 118 वी बैठक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ग्रेड-1 श्री के. एल. तनेजा की अध्यक्षता में दिनांक- 15-7-2008 को अपरान्ह 4.30 बजे उनके कक्ष में सम्पन्न हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि कार्यालय में किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड लगाकर उस पर प्रतिदिन 'आज का सुविचार' लिखा जाए जिसकी एक प्रति प्रतिदिन क्षेत्रीय आयुक्त ग्रेड-1 महोदय के पास भी भेजी जाए जिसमें सुविचार देने वाले का नाम भी लिखा जाए । श्रीमती मृदुला देशपाण्डे ने सुझाव दिया कि छठी मंजिल पर एक और बोर्ड पर सुविचार लिखा जाना चाहिए ताकि प्रत्येक आगन्तुक एवं कार्यालय का कर्मचारी उसे पढ़कर आत्मसात कर सकें । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वर्ग-1 एवं अध्यक्ष महोदय ने समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे कहीं भी आते-जाते अच्छी, ज्ञानवर्द्धक एवं जीवनोपयोगी, स्तरीय एवं तथ्यपूर्ण पुस्तकें देखते हैं तो तत्काल खरीदकर हिंदी पुस्तकालय को दे सकते हैं । उनके द्वारा खरीदी गईं पुस्तकों की राशि की प्रतिपूर्ति कार्यालय करेगा । इस पर समिति के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की ।

भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय 'जीवन प्रकाश', 19 महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर -452001

मण्डलीय राजभाषा समिति की वर्ष की प्रथम त्रैमासिक बैठक का आयोजन 26-6-08 को 2.30 बजे सभागृह क. एक में हुआ ।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जानकारी दी गई । जानकारी दी गई कि कुछ अच्छी हिंदी की पुस्तकें क्रय कर ली गई हैं । तिमाही प्रतिवेदनों के अनुसार जिला शाखा कार्यालय द्वारा लगातार अंग्रेजी में चैक बनाऐ जाने की जानकारी मिलने पर उन्हें सख्त पत्र लिखा गया है तथा भविष्य में पुन: इसकी समीक्षा की जाएगी । नीमच शाखा द्वारा हिंदी में काम करने में कम्प्यूटर की अतिरिक्त व्यवस्था को लेकर हो रही समस्या के संबंध में प्रबंधक (सू. प्रौ.) ने तत्संबंधी समस्या के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया । राजभाषा संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन न हों इस हेतु विक्रय एवं यूलिप विभाग को लिखे गए पत्रों की जानकारी दी गई । क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रेषित अपने इन्दौर मण्डल कार्यालय के दौरे की भेजी गई समीक्षा से सदस्यों को अवगत करवाया गया तथा महत्वपूर्ण बिन्दु जिन पर मण्डल कार्यालय को कार्यवाही करनी है जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को मण्डल की वेबसाइट का अविलम्ब हिंदीकरण, विभाग प्रमुखों द्वारा शाखाओं में हिंदी कार्य का समुचित निरीक्षण एवं रिपोर्ट से हिंदी प्रकोष्ठ को अविलम्ब अवगत कराना आदि बिन्दुओं की जानकारी दी गई तथा इन पर अविलम्ब कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए । जानकारी दी गई कि राजभाषा पत्रिका "मालविका" प्रकाशित हो चुकी है । इसकी निरन्तरता बनी रहेगी ऐसा विश्वास दिलाया गया ।

भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय, मसूदाबाद, जी. टी. रोड, अलीगढ़

दिनांक 30-6-2008 को दोपहर 3.30 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

दिनांक 30-6-2008 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2008-09 की प्रथम त्रैमासिक बैठक का आयोजन मण्डल कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया । कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु समिति के अध्यक्ष श्री पी. के. गुप्ता, वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक से अनुमति प्राप्त करके सचिव श्री एम. ए. अहसन (रा. का.) ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन की घोषणा की एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों व समिति में शामिल हुए नए सदस्यों का स्वागत किया । बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए सचिव ने पिछली तिमाही बैठक दिनांक 31-3-2008 में लिए गए निर्णयों पर बिन्दुवार चर्चा की । पिछली बैठक में एक हिंदी कार्यशाला का प्रस्ताव था जो अभी पूरा नहीं हुआ । इस पर प्रबन्धक कार्मिक ने बतलाया कि यह कार्य आगामी कुछ दिनों में ही करा दिया जाएगा । राजभाषा अधिकारी ने बतलाया कि इस वित्त वर्ष में हमने 4 शाखाओं एवं मण्डल कार्यालय के विभागों का गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण कर लिया गया है । इस पर वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक महोदय ने कहा इस वित्त वर्ष में गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण जल्दी ही पूर्ण कर लिया जाए ।

भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय, 'जीवन प्रकाश' पो. बा. नं. - 1155, बी. 12/120, गौरीगंज, भेलूपुर, वाराणसी -221001

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2008-09 के जून 2008 को समाप्त होने वाली प्रथम तिमाही की बैठक वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक की अध्यक्षता में दिनांक 30-6-2008 को अपराहन 4.30 बजे आयोजित की गई ।

पिछली बैठक दिनांक 25-3-2008 की कार्यवाही पढ़ी । कार्यवृत्त पढ़ने के दौरान एक बिन्दु पर वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक महोदय द्वारा समिति के सदस्यों से उन्होंने कहा कि समिति में उपस्थित सभी सदस्यों को हिन्दी राजभाषा चार सूत्रीय प्रश्नावली के फार्म को शाखाओं के गुणवत्ता निरीक्षण दौरे के दौरान भरने होंगे तथा इसकी प्रति राजभाषा विभाग के साथ ही एक प्रति "सचिवालय" को भी दें । तत्पश्चात सहायक (राजभाषा) द्वारा कार्यवृत्त पढ़े जाने पर श्री के. के. श्रीवास्तव, प्रबन्धक (विधि एवं बन्धक) द्वारा पुन: एक बिंदु पर सुझाव दिया गया कि सभी शाखाओं में हिंदी फान्ट लोड करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जो सी. डी. दी गयी है उसका सत्यापन हिंदी विभाग द्वारा किया जाये । इस पर समिति के सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राजभाषा अधिकारी द्वारा शाखाओं के दौरे पर इसकी जांच कर ली जाए और जहां लोड नहीं किया गया है वहां उसे लोड करवा दिया जाए । तत्पश्चात पूरी कार्यवृत्त के समीक्षा के उपरान्त समिति के समस्त सदस्यों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया । ■

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

गान्तोक (सिक्किम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गान्तोक की वर्ष 2008 की द्वितीय बैठक दिनांक 8-7-2008 को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्मेलन कक्ष में श्री दिनेश भगता, महालेखाकार, सिक्किम की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू हुई।

सदस्य-सचिव, नराकास ने स्वागत भाषण में उपस्थित प्रतिभागियों की उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद दिया। सचिव महोदय ने हिंदी तिमाही रिपोर्ट हेतु सभी कार्यालयों को अगाह किया कि वे तिमाही प्रतिवेदन समय पर भेजे और हिंदी के उन्नयन हेतु सतत प्रयासरत रहें।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सर्वकार्यभारी अधिकारी, राजभाषा विभाग एवं निर्देशक, डाक सेवाएं, सिक्किम राज्य श्रीमती शशि शालिनी कुजूर ने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रशिक्षण की जरूरत और महत्व पर ध्यान दिलाते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्रशिक्षण कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया।

श्रीमती कुजूर ने हिंदी भाषा परीक्षाओं में सफल परिक्षार्थियों को धन्यवाद दिया और सभी कार्यालय प्रमुखों से अपने कार्यालयों में हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष रहे कर्मचारियों को शीघ्र प्रशिक्षण दिलाने का अनुरोध किया।

नराकास कार्यालय की ओर से मुख्य लिपिक श्री प्रनव कुमार दास ने संसदीय उप समिति के जून माह में निरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय संस्थाओं एवं निगमों द्वारा डाटा प्रोसेसिंग तथा हिंदी कामकाज के बारे में जानकारी दी।

अध्यक्ष महोदय राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की और कहा कि तिमाही प्रतिवेदन के आधार पर हिंदी पत्राचार में पांच शीर्ष कार्यालयों की घोषणा की।

अध्यक्ष महोदय ने सिक्किम की अनुपम सुन्दर वादियों में हिंदी का एक नया अध्याय शुरू करने का आह्वान किया। अध्यक्ष महोदय ने नराकास को और सक्षम करने के साथ-साथ इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार करने पर बल दिया।

गुवाहाटी

वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही बैठक का आयोजन दिनांक 24-7-2008 को सायं 4 बजे मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, सैकिया कामर्शियल काम्पलेक्स, गुवाहाटी में किया गया। बैठक की अध्यक्षता नराकास (केंद्रीय कार्यालय), गुवाहाटी के अध्यक्ष तथा मुख्य आयकर आयुक्त (सं. नि. प्रा.) पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी श्री विनीत सहाय, भ. रा. से. ने की। बैठक की कार्यवाही का संचालन श्री शेष मणि शुक्ल, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सचिव, नराकास (केंद्रीय कार्यालय), गुवाहाटी ने किया।

सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निर्धारित कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही शुरू की। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, गुवाहाटी के श्री रूस्तम राय, सहायक निदेशक (भाषा) ने हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी टाइपलेखन तथा आशुलिपि प्रशिक्षण से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को रोस्टरबद्ध करके समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बारी-बारी से नामित करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी के श्री अशोक कुमार मिश्र, सहायक निदेशक ने राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, धारा 3(3) का अनुपालन तथा वार्षिक कार्यक्रम 2008-09 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की चर्चा करते हुए समिति के सभी सदस्यों से राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में नराकास (केंद्रीय कार्यालय), गुवाहाटी के अध्यक्ष श्री विनीत सहाय ने कहा कि नराकास एक उच्च स्तरीय समिति है। नियमानुसार राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार के सभी प्रशासनिक प्रधानों का दायित्व है। अतः सभी सदस्य कार्यालयों के प्रधान को स्वयं इन बैठकों में भाग लेना चाहिए ताकि बैठकों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों

के अनुपालन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जा सके और पाई गई कमियों को दूर किया जा सके ।

अगरतला, त्रिपुरा

अर्ध-वार्षिक बैठक दिनांक 20-6-2008 को सर्किट हाउस-सभाकक्ष (त्रिपुरा सरकार) में श्री यदुनाथ टुडू केंद्र निदेशक, आकाशवाणी की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

बैठक की शुरूआत श्री भगवान सहाय मीना, हिंदी प्राध्यापक, राजभाषा विभाग एवं सचिव, नराकास अगरतला ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और राजभाषा संबंधित जानकारी दी तथा पिछली बैठक 25-6-2007 का कार्यवृत्त उपस्थित सदस्यों को सुनाया । सभी उपस्थित सदस्यों को राजभाषा प्रशिक्षण भाषा के प्रसार-प्रचार के लिए एक मिशन के रूप में काम-काज करने का अनुरोध किया । तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने सभी को संबोधित किया ।

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बैठक में वार्षिक कार्यक्रम की मदों पर चर्चा की गई । अध्यक्षीय भाषण में श्री यदुनाथ टुडू, केंद्र निदेशक ने सभी का आभार व्यक्त किया और सभी से एक मिशन के रूप में काम-काज करने का अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि भाषा प्रशिक्षण कार्य का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए और राजभाषा कार्यान्वयन में अपना विशेष योगदान दें ।

अध्यक्ष महोदय ने नराकास स्तर पर वर्ष 2007-08 के दौरान उल्लेखनीय कार्यो के लिए कुछ कार्यालयों को प्रशंसा पत्र प्रदान किये ।

सहायक केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अगरतला के श्री मृणाल कांति देवबर्मन ने अध्यक्ष महोदय को बैठक के आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया । उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया और अनुरोध किया कि सभी उपस्थित सदस्यों का सहयोग नराकास को होना चाहिए ताकि नराकास स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा सकें । राजभाषा का प्रचार-प्रसार करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी एवं हमारा उत्तरदायित्व है ।

दीमापुर

अर्धवार्षिक बैठक 29 अगस्त, 2008 को 11.00 बजे ब्रिगेडियर प्रमोद बहल, कमांडेट (उप-महानिरीक्षक) असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की अध्यक्षता में असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के दिमापुर स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई ।

बैठक का संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल एन.एस. सिद्धु सदस्य-सचिव, नराकास ने किया । सर्वप्रथम सदस्य-सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया । उन्होंने अपने कार्यालय में हो रहे हिंदी कार्यों की प्रगति रिपोर्टअध्यक्ष महोदय को दी तथा आगन्तुक सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपना परिचय अध्यक्ष महोदय को दें तथा अपने कार्यालय की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें ।

समिति के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारे संविधान ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा बनाने का गौरव प्रदान किया है अत: यह हमारा संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व बनता है कि हम हिंदी के प्रचार-प्रसार व सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अपना पूर्ण योगदान दें । उन्होंने बताया कि पुरातन काल से ही हमारी सांस्कृतिक व क्षेत्रीय एकता को बरकरार रखने में हिंदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और भारतीय स्वंतत्रता संग्राम के समय हिंदी ने जो भूमिका अदा की थी उसे तो झुठलाया ही नहीं जा सकता है । हमें हिंदी का प्रयोग कार्यालय में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए । उन्होंने बताया कि कार्यालय में हिंदी बोलते या लिखते समय हमें बोल-चाल की आसान भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए । यदि कोई शब्द कठिन लग रहा हो तो हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी अथवा अन्य प्रान्तीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है । उन्होंने प्रोत्साहन योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर देते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि अपने कार्यालय में प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करें ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित हों । उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि अधिकारियों को स्वयं हिंदी में कार्य करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये ताकि उनके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित हों और अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो सके । अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों से आए अधिकारियों से कहा कि नियमत: इस बैठक में कार्यालय प्रधानों को भाग लेना चाहिए, अत: अपने कार्यालय प्रधानों को इसकी जानकारी दें और बताएं कि वे खुद बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करें । उन्होंने उपस्थित सदस्यों को बताया कि वे कार्यालय

626 HA/09—8A

के पुस्तकालय के लिए अवश्य 50 प्रतिशत हिंदी की पुस्तकें खरीदें । अन्त में अध्यक्ष महोदय ने पुन: सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन किया ।

अमृतसर

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर श्री सुनील चोपड़ा, आई. आर. एस. की अध्यक्षता में 24 जून, 2008 को होटल कुमार इंटरनेशनल, अमृतसर में आयोजित की गई ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा. सरोज कुमार त्रिपाठी ने बैठक के भव्य आयोजन के बारे में अध्यक्ष महोदय को बधाई देते हुए कहा कि समिति द्वारा एक मंच पर राजभाषा संबंधी सभी रिपोर्टों, नियमों की सूचना तथा अन्य जानकारियां प्रस्तुत की जाती हैं । सदस्य कार्यालयों को इनका समुचित उपयोग करना चाहिए तथा समिति की गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए सहयोग देना चाहिए । उन्होंने प्रगति रिपोर्टों में बताई गई कमियों को दूर करने तथा रिपोर्टें यथा-समय भिजवाए जाने का आग्रह किया ।

श्री सुनील चोपड़ा, मुख्य आयकर आयुक्त व अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी को चेताया कि स्वाधीनता संग्राम में हमारे नेताओं ने हिंदी माध्यम को अपनाया परन्तु 61 साल बीत जाने पर भी हम इसे अपना नहीं पाए । हमें राजभाषा कार्यान्वयन को एक आग्रह, एक कमिटमेंट (Commitment) के रूप में लेना चाहिए, महज़ औपचारिकता के रूप में नहीं । हिंदी हमारे राजकीय जीवन का एक अंग बन जानी चाहिए। उन्होंने इंडोनेशिया, इजराइल, श्रीलंका, इत्यादि देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें इनके स्व-भाषा प्रेम से प्रेरणा लेकर हिंदी को राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठा देनी चाहिए ।

जयपुर

55वीं अर्ध-वार्षिक बैठक दिनांक 29-8-2008 को अपराहन् 3-00 बजे महालेखाकार भवन, जयपुर के मनोरंजन कक्ष में आयोजित की गई ।

बैठक में यह बताया गया कि पिछली बैठक दिनांक 28-2-2008 को आयोजित की गई थी जिसका कार्यवृत सभी केंद्रीय कार्यालयों को 26-3-2008 को भेज दिया गया था । कार्यवृत की किसी भी मद पर कहीं से भी कोई टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त न होने पर पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि सदन में अभिमत से की गई ।

श्री एस. डी. पाण्डेय, राजभाषा प्रतिनिधि ने छमाही प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा कर बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय कार्यालय), जयपुर का कार्य सराहनीय है फिर भी इसके क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार की दौड़ में पीछे रह जाने का कारण यह है कि शत-प्रतिशत सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्ष वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली बैठकों में स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं । सदस्य कार्यालयों एवं प्रमुख का यह संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वे इन बैठकों में उपस्थित रहें । इन बैठकों में हिंदी अधिकारियों, पदाधिकारियों की उपस्थिति उतनी अनिवार्य नहीं है जितनी कि कार्यालय प्रमुखों की होनी चाहिए ।

कहा कि विभागाध्यक्ष रिपोर्ट में अंकित आंकड़ों की सत्यता की जाँच करके ही अपने हस्ताक्षर रिपोर्ट पर करें । सदस्य कार्यालयों के पदाधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि अपने कार्य का मूल्यांकन वर्ष में एक बार कराने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सदस्य कार्यालयों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर के संयोजक कार्यालय [महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, स्टेच्यू सर्किल, जनपथ, जयपुर] में समय पर भेज देना चाहिए ।

श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर एवं पदेन अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कुछ दूरी पर ही बोली बदल जाती है । ''कोस-कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर बानी ।'' हमारे देश में 1600 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं, जो कि सम्भवत: किसी एक देश में बोली जाने वाली बोलियों में सर्वाधिक संख्या है । परन्तु हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी क्षेत्रों एवं प्रान्तों में प्रचलित है । अब संचार तथा यातायात के साधनों में प्रगति के कारण, सभी क्षेत्रों में भी हिंदी को अपनाया जा रहा है । भारत सरकार के सभी कार्यालयाध्यक्षों को हिंदी भाषा के प्रयोग एवं इसके प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई है । अत: हिंदी जैसी सरल भाषा सभी को प्रयोग करनी चाहिए । उन्होंने अपनी बात रामधारी सिंह दिनकर की इस पंक्ति का उल्लेख करते हुए समाप्त की । ''हिंदी हमारे देश की धड़कन है, जिसे देश के हित में गतिशील बनाए रखना, हम सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है ।''

626 HA/09—8B

इलाहाबाद

वर्ष 2008-09 की प्रथम बैठक दिनांक 27-8-2008 को अपराह्न् 3.30 बजे माननीय मुख्य आयकर आयुक्त श्री अखिलेश प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 59 कार्यालयों के 107 अधिकारियों सहित केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।

डॉ. सरोज कुमार त्रिपाठी, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ने सदस्य कार्यालयों की रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए उन कार्यालयों को बधाई एवं साधुवाद दिया जिनके यहां 90% से अधिक हिंदी में पत्राचार हो रहा है।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में माननीय मुख्य आयकर आयुक्त, श्री अखिलेश प्रसाद ने बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार गठित एक उच्च स्तरीय समिति है। राजभाषा विभाग के आदेशानुसार इस बैठक में सभी विभागाध्यक्षों की उपस्थिति अनिवार्य है। आपने कहा कि डॉ. त्रिपाठी द्वारा रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान नराकास, इलाहाबाद की जो प्रशंसा की गई है उसके लिए वास्तव में आप सभी बधाई के पात्र हैं साथ ही जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई हैं उन्हें निश्चय ही आप सभी शीघ्र दूर कर लेंगे तथा आगामी बैठक में हमारी स्थिति और बेहतर होगी। हम चाहते हैं कि आप सभी के समन्वय एवं सहयोग से समिति अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। आपने राजभाषा के कार्य की प्रगति के लिए समिति की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया साथ ही संपर्क दल के लिए वाहन उपलब्ध कराने पर बल दिया। आपने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उप निदेशक (कार्यान्वयन), डॉ सरोज कुमार त्रिपाठी की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उदयपुर

दिनांक 26 जून, 2008 को निदेशक, खान सुरक्षा, श्री के. के. शर्मा ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उदयपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदस्य कार्यालयों द्वारा भेजे जाने वाले आँकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया कि सदस्य कार्यालयों द्वारा निरन्तर कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है यद्यपि अब भी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयासरत रहने की दृढ़ आवश्यकता है। श्री शर्मा ने उपस्थित सदस्य कार्यालय प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि उनके कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही विवरण समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही भेजे जाएं तथा कार्यालय प्रमुखों को रिपोर्ट एवं प्रपत्र आदि हस्ताक्षर करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि उनके कार्यालय से भेजे जाने वाले आँकड़े तथ्यात्मक हैं अथवा नहीं।

श्री एस. डी. पाण्डेय ने बैठक में सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों की उपस्थिति पर असंतोष जताते हुए कहा कि यदि कार्यालय प्रमुख इस बैठक में उपस्थित नहीं होंगे तो बैठक का प्रायोजन ही सिद्ध नहीं होगा क्योंकि बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में कार्यालय प्रमुखों की सहमति होना आवश्यक है, तभी बैठक के दौरान लिए गए निर्णय एवं नीतियाँ संबंधित कार्यालय में क्रियान्वित हो सकेंगी। आज की बैठक में केवल 21 सदस्य कार्यालयों ने ही भाग लिया जिनमें से केवल 10 कार्यालयों के प्रमुख ही उपस्थित थे।

श्री पाण्डेय ने यह भी कहा कि **"सरकार की नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना की है"** ऐसे में हिंदी के प्रति यह उदासीनता अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक विषय है। हिंदी के कार्य की समीक्षा कार्यालय प्रधान स्वयं द्वारा की जानी चाहिए तथा कार्यालय द्वारा भेजे गए आँकड़ों पर कार्यालय प्रधान द्वारा मोनिटरिंग की जानी चाहिए तथा कार्यालय द्वारा धारा 3(3) के तहत जारी 14 प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी होने चाहिएं जिनमें सामान्य आदेश एवं कार्यालय ज्ञापन मुख्य हैं।

बीकानेर

अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री देवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में 20 जून, 2008 को बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजभाषा संबंधी सभी मदों पर चर्चा की गई। बीकानेर "क" क्षेत्र में स्थित है। अत: यहां के सभी सदस्य कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी अपना लगभग सभी सरकारी कार्य हिंदी में करते हैं।

समिति की ओर से नगर स्तर पर सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगर राजभाषा शील्ड भी दी जाती है। इसी कड़ी में 20 जून, 2008 को आयोजित न.रा.का.स. की बैठक के पश्चात् न. रा. का. स. स्तर पर हिंदी का सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को नगर राजभाषा शील्ड दी गई। चार अन्य कार्यालयों, राष्ट्रीय

उष्ट अनुसंधान केंद्र, आकाशवाणी, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान को हिंदी में सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र दिए गए ।

कर्नूल

पाँचवी बैठक दि. 29-08-2008 को अपराह्न 4.00 बजे एस वी रीजेन्सी के सभा कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता आन्ध्रा बैंक के उप महा प्रबंधक श्री बी. नरेंद्रनाथ रेड्डी ने की ।

समिति की दि. 03-03-2008 को संपन्न चौथी बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई । सदस्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति में 7 नए सदस्यों को सम्मिलित किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन में नराकास का बहुत महत्व है । इस समिति के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालय और उपक्रम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और राजभाषा कार्यान्वयन के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं । उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे समिति के सभी क्रिया-कलापों में बढ़-चढ़ कर भाग लें और प्रत्येक कार्यक्रम को सफल बनाएं ।

दिल्ली (बैंक)

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28वीं छमाही बैठक श्री आर. के. दुबे, अध्यक्ष दिल्ली बैंक नराकास एवं मंडल प्रमुख, पंजाब नैशनल बैंक, दिल्ली मंडल की अध्यक्षता में दिनांक 13-8-2008 को होटल हंस प्लाजा, के सभाकक्ष में आयोजित की गई । श्री बी. आर. शर्मा, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार बैठक के मुख्य अतिथि थें ।

श्री आर. के. दुबे ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि दिल्ली बैंक नराकास द्वारा राजभाषा क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन की विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर काफी सराहना की गई है । इसका संपूर्ण श्रेय सभी सदस्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को जाता है । उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा समिति को लगातार चार वर्षों से प्रथम पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं जिनसे समिति के सदस्य कार्यालयों का गौरव बढ़ा है । श्री दुबे ने कहा कि इन उपलब्धियों को बरकरार रखना हम सभी के लिए कड़ी चुनौती है । इस चुनौती को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय में निदेशक, डॉ. दंगल झाल्टे ने 'राजभाषा कार्यान्वयन में प्रबंधन की भूमिका' विषय पर अपने विचार समिति के समक्ष प्रस्तुत किए । उन्होंने भारत के संविधान में राजभाषा के प्रयोग संबंधी विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए राजभाषा के प्रयोग के संबंध में सामने आ रही समस्याओं के बारे में बताया । अपने संबोधन में उन्होंने संविधान में राजभाषा के प्रयोग के बारे में तत्कालीन राजनेताओं, संविधान निर्माताओं एवं हिंदी मनीषियों के विचारों के बारे में अवगत कराया डॉ. झाल्टे ने कहा कि हमें इन समस्याओं से घबराना नहीं है अपितु इनका निराकरण करने के लिए सभी स्तरों पर सघन प्रयास करने की आवश्यकता है ।

बैठक के मुख्य अतिथि, श्री बी.आर. शर्मा, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने अपने संबोधन में दिल्ली बैंक नराकास द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की । उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग में नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में नए-नए सॉफ्टवेयरों की मदद से हिंदी में काफी कार्य किया जा रहा है । श्री शर्मा ने बैंकों में ग्राहक सेवा, व्यवसाय की वृद्धि एवं लाभप्रदता को साथ रखते हुए हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया । उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित हिंदी के प्रयोग संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक शाखा स्तर पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी चाहिए ।

देवास (बैंक)

41वीं बैठक दिनांक 20-06-2008 को अपराह्न 3.00 बजे बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में बैंक नोट मुद्रणालय के महाप्रबंधक श्री दिलीप वि. गोंडनाले की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री गोंडनाले जी ने कहा - विगत दिनों आपकी समिति ने दोहरा सम्मान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है । गोवा में सम्पन्न संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में इसे "क" क्षेत्र में बेहतर कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग का दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ वहीं मुंबई स्थित राजभाषा किरण संस्थान ने शिर्डी में आयोजित सम्मेलन में समिति की वार्षिक पत्रिका "गांधर्व" को सर्वश्रेष्ठ गृहपत्रिका के सम्मान से सम्मानित किया है । वास्तव में ये

सम्मान आपका ही सम्मान है । आशा करता हूँ कि आपका यह सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलता रहेगा और हम सभी मिलकर नराकास देवास को एक बार पुन: इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार दिलवाएंगे ।

समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल से पधारे श्री सत्यदेव पाण्डेय ने कहा कि "आपको यह जानकर खुशी होगी कि मध्यक्षेत्र की समितियों में देवास नराकास ने अपनी सक्रियता तथा निष्पादन से एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है । जहां तक विभागीय समीक्षा का प्रश्न है, मेरा मानना है कि प्रगति की आप स्वयं सबसे अच्छी तरह समीक्षा कर सकते हैं क्योंकि आपको उसके सभी पक्षों की पूरी जानकारी होती है । चूंकि पुरस्कार के लिए मूल्यांकनों में उपस्थिति के भी अंक होते हैं अतएव मेरा आग्रह है कि इस प्रगति को जारी रखते हुए बैठकों में शतप्रतिशत उपस्थित सुनिश्चित करें ताकि एक बार फिर समिति मध्य क्षेत्र की सिरमौर बनकर अखिल भारतीय इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार जीतने का इतिहास दोहरा सके।" इसके साथ ही श्री पाण्डेय ने आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग को देखते हुए राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए हिंदी डिक्टेशन साफ्ट्वेयर श्रुतलेखन की जानकारी देते हुए इसके उपयोग/अपनाने की सलाह भी दी ।

अनगुल

अनगुल की इक्कीसवीं छमाही बैठक दिनांक 27-06-2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नालको नगर के प्रशिक्षण संस्थान स्थित एकलव्य हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नालको के महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) श्री श्याम सुन्दर पट्टनायक ने की । बैठक के प्रारंभ में नालको के प्रबंधक (राजभाषा) तथा सदस्य सचिव (नराकास) श्री सुदर्शन तराई ने अध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं उपस्थित सदस्य कार्यालय के प्रमुखों का स्वागत किया । अपने स्वागत संभाषण में श्री तराई ने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक ऐसा मंच है जहाँ नगर के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी कठिनाईयों को दूर करने की कोशिश की जा सकती है तथा एक कार्यालय के कार्यान्वयन प्रणाली देखकर दूसरे कार्यालय भी प्रभावित हो सकते हैं । भारत सरकार की यह पहल राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए वास्तविक प्रशंसनीय है ।

अध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर पट्टनायक ने बैठक का उद्घाटन करते हुए अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा कि देश में हिंदी के विकास के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए । भारत सरकार की राजभाषा नीति का जिक्र करते हुए समस्त कार्यालय को राजभाषा नीति का अनुपालन करना चाहिए । सारे देश को एकता की डोरी में बाँधने के लिए एवं संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी ही सबसे श्रेष्ठ माध्यम है । राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की कार्यसूची का सबको पालन करना चाहिए तभी राजभाषा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति हो पाएगी । केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नालको नगर के वरिष्ठ कमान्डेंट श्री एस. के. सिन्हा, मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि राजभाषा हिंदी का हर कार्यालयों में सही ढंग से अनुपालना होना अनिवार्य है । संविधान ने हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी है अत: सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज होना जरूरी है । उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन में कठिनाई हो तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इसे सुलझा लिया जा सकता है, इसलिए सबको हिंदी में काम करना चाहिए ।

बालाघाट

वर्ष 2008-09 की प्रथम बैठक श्री देबाशीष दास, वैज्ञानिक-डी, केंद्रीय रेशम बोर्ड की अध्यक्षता में केंद्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय, बालाघाट के सभाकक्ष में दि. 21-08-2008 को आयोजित की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम विभिन्न प्रदेशों से संबद्ध हैं तथा हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, किन्तु हमें भारत सरकार के राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुरूप अपने-अपने कार्यालय के शासकीय कार्यों में हिंदी भाषा का शत-प्रतिशत प्रयोग करना है तथा हम "क" एक क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में कार्यरत भी हैं । तत्पश्चात् सदस्य सचिव श्री जी. बोरकर, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, बालाघाट द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गई । सचिव महोदय द्वारा सर्वप्रथम पिछली बैठक के कार्यवृत्त को विस्तार से पढ़ा गया जिसमें मुख्यत: धारा 3(3), हिंदी में प्राप्त पत्रों के जवाब भी हिंदी में ही देने, हिंदी प्रशिक्षण योजना, राजभाषा विभाग के दिशा निर्देशों का अनुपालन, सितम्बर माह में हिंदी दिवस एवं पखवाड़ा का आयोजन करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में रचनाएं आदि के प्रेषण

पर विस्तार से सदस्यों का ध्यान केन्द्रित किया गया। समिति को सूचित किया गया कि हमारा कार्यालय राजभाषा नियमों के अंतर्गत अनुच्छेद 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित होना चाहिए । इस पर सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि तत्संबंध में उचित कार्रवाई हेतु प्रपत्र उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें अवगत करवाया गया कि तत्संबंधी प्रपत्र उपलब्ध करवाने हेतु कार्रवाई की जाएगी तथा समिति के सदस्य कार्यालयों के लिए संयुक्त रूप से हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा ।

बोकारो स्टील

वर्ष 2008-09 की प्रथम बैठक 27 जून, 2008 को इस्पात भवन स्थित प्रबंध निदेशक सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई । कार्यकारी प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. बजाज ने बैठक की अध्यक्षता की ।

आरम्भ में विगत बैठक (29 मार्च, 2008) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया । बैठक में 31 मार्च, 2008 को समाप्त तिमाही में हुई हिंदी की प्रगति की सघन समीक्षा की गई । तद्नुसार 'क' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का वर्तमान प्रतिशत, 90.28 प्रतिशत है जबकि 'ख' क्षेत्र में 89.64 प्रतिशत तथा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 69.52 है ।

श्री सुरेन्द्र मिश्र, उप महाप्रबंधक प्रभारी (सं. एवं प्रशा.) ने अप्रैल-जून, 2008 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें बी एस एल के कोलकाता एवं दिल्ली कार्यालय सहित 17 विभागों का निरीक्षण, 22 विभागों में हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन, 40 विभागों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, 16 जून को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के दो सदस्यीय निरीक्षण दल के समक्ष हिंदी कार्यान्वयन संबंधी सिलसिलेवार ब्यौरे की प्रस्तुति तथा 17 जून को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, पूर्वी क्षेत्र के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) एवं इस्पात मंत्रालय के सहायक निदेशक की उपस्थिति में बोकारो नराकास की एक संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन आदि का उल्लेख शामिल था ।

विचार विमर्श के उपरान्त हिंदी कार्यान्वयन को गति देने के लिए बैठक में कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें 80 प्रतिशत से कम हिंदी पत्राचार करने वाले विभागों के प्रधान को हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु पत्र देने, सभी विभागीय प्रधान को वार्षिक कार्यक्रम (2008-09) की प्रतियां उपलब्ध कराने, हिंदी दिवस समारोह 14 सितम्बर, 2008 (रविवार) को ही आयोजित करने तथा बोकारो स्टील राजभाषा विभाग की गृह पत्रिका "इस्पात वाणी" के पाँचवें अंक का प्रकाशन एवं लोकार्पण हिंदी दिवस समारोह में करने के फैसले उल्लेखनीय हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं विभागीय प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने विभागों में हिंदी कार्यान्वयन में तेजी लाएं तथा हिंदी के प्रति समर्पित होकर इसके प्रगामी प्रयोग को तीव्रता प्रदान करें ताकि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित कार्यान्वयन के लक्ष्य को सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके ।

भिलाई-दुर्ग

श्री तपन कुमार गुप्ता, कार्यकारी प्रबंध निदेशक, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग की अध्यक्षता में नराकास की 27वीं बैठक 31 जुलाई, 2008 को अपराह्न 4.00 बजे इस्पात भवन सभागार में सम्पन्न हुई । इस महत्वपूर्ण बैठक में विशेष रूप से श्री सत्यदेव पाण्डेय, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं कार्यालयाध्यक्ष (कार्यान्वयन) मध्य क्षेत्र भोपाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्रीय सरकार के संस्थान, बैंक व बीमा आदि 52 संस्थानों के प्रमुख व प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत सभी सदस्य संस्थानों में राजभाषा हिंदी में हो रहे कामकाज की समीक्षा की गई । अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री तपन कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारी संस्था नराकास, भिलाई-दुर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष कई पुरस्कार जीते हैं । इन सारी उपलब्धियों के पीछे आप सब सदस्य-संस्थानों की पुरजोर मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और पक्के इरादों की अहम् भूमिका है । मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि इसी तरह हिंदी के प्रयोग और प्रसार में भी हम एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे । हिंदी गृह पत्रिका महानदी का प्रकाशन नियमित तौर पर जारी रहेगा तथा इसे एक नया कलेवर दिया जायेगा । उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में न केवल ऑफिशियल बल्कि टेक्निकल क्षेत्रों में भी हिंदी

प्रयोग के सफल प्रयास किये जा रहे हैं । मेरी अपेक्षा है कि आप सोचें कि अपने-अपने विभाग में कहां-कहां हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है । स्वयं प्रयास करें और यदि आवश्यक हो तो हमारे हिंदी विभाग की निःसंकोच मदद लेवें ।

श्री सत्यदेव पाण्डेय ने अपने सम्बोधन में कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य आपसी विचार-विमर्श के जरिए राजभाषा को आगे बढ़ाना है । हिंदी में जो प्रगति हम दर्ज कर चुके हैं, उसे कायम रखना हमारा पहला दायित्व है । उन्होंने कहा कि धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी सारे कागजात न केवल हिंदी में, न केवल अंग्रेजी में वरन् द्विभाषी ही जारी करना अनिवार्य है ।

नाशिक

नाशिक की वर्ष 2008-09 की पहली छमाही बैठक दिनांक 10-07-2008 को अपराह्न 3.00 बजे भारत संचार निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक दूर संचार कार्यालय, संचार भवन, सर विश्वेश्वरैया मार्ग, नाशिक के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री एन. वी. राधाकृष्णन्, महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक ने की । बैठक की कार्रवाई का संचालन श्री पी. कु. बावा, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नाशिक ने किया ।

श्री एन. वी. राधाकृष्णन्, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एवं महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमारे नाशिक स्थित सभी कार्यालय अपने अपने विभागीय काम को बखूबी अंजाम तो देते ही रहे हैं, पर इसी के साथ-साथ सभी कार्यालयों ने राजभाषा कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी समूचे तौर पर निभा रहे हैं । पिछले अर्से में सभी कार्यालयों ने राजभाषा के क्षेत्र में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और यह अपने आप में एक हर्ष की बात है कि इस बैठक में भी कार्यालय अध्यक्षों की उपस्थिति काबिले तारीफ है । सभी कार्यालय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु खुले दिल से प्रयासरत हैं और दिनोंदिन उनके प्रयास रंग ला रहे हैं ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नाशिक के सचिव श्री पी. कु. बावा ने सभी कार्यालयों की छमाही रिपोर्टों का समेकन किया तथा बारी-बारी से सभी का मदवार ब्यौरा समिति के सदस्यों के सम्मुख रखा । इस दौरान राजभाषा कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई । कई सदस्यों ने अपने प्रमुख राजभाषा से संबंधित समस्याओं को उपस्थित किया और खुली चर्चा से उसका समाधान खोजा गया । कई समस्याएँ ऐसी थी जिनका समाधान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मंच द्वारा किया जाना आवश्यक समझा गया, उनके लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मंच से अर्धसरकारी पत्र लिख कर उचित कार्रवाई किए जाने का विश्वास दिया गया ।

दिल्ली (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली की 27वीं बैठक व गृह पत्रिका पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 17-06-2008 को पूर्वाह्न 11.30 बजे स्कोप ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया । इस समारोह में श्रीमती पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी, संयुक्त सचिव (राजभाषा), भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में पधारीं । बैठक की अध्यक्षता नराकास (उपक्रम), दिल्ली के अध्यक्ष श्री रामशरण शर्मा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड ने की । बैठक में एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक (मानव संसाधन) श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री एस जयशंकर, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री अमर नाथ वर्मा, राजभाषा विभाग के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) डॉ. सरोज कुमार त्रिपाठी तथा सदस्य उपक्रमों के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।

नराकास (उपक्रम), दिल्ली की सदस्य सचिव श्रीमती मधु नौटियाल, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने आमंत्रित अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रिका के लिए पुरस्कृत उपक्रमों तथा सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है । इसमें सभी सदस्य उपक्रमों का पूरा सहयोग मिल रहा है ।

एनटीपीसी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री अमर नाथ वर्मा जी ने सबका स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में राजभाषा के प्रचार-प्रसार को मौलिक कार्यों से

बढ़ावा देने का अवसर मिला है । नराकास मंच से हमारे सदस्य उपक्रम हर वर्ष अंतर निगम हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। इन आयोजनों से भी राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अनुकूल माहौल बना है । हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन से भी सदस्य उपक्रम हिंदी को रचनात्मकता से बढ़ावा दे रहे हैं। राजभाषा के लिए निष्ठा से किए गए कार्य देशभक्ति का ही एक रूप है । भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है । यह हमें एकजुट होकर कार्य करने को प्रेरित करती है। इससे आपसी सौहार्द से हम बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सफल होते हैं ।

महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री एस जयशंकर जी ने राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित भावना से काम करने की आवश्यकता है । आप सभी सदस्यों के सहयोग से राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में हम सब राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। हिंदी को स्वाभिमान से जोड़कर ही हम हिंदी को सही मायने में प्रतिष्ठित कर सकते हैं । अपने दायित्व के निर्वाह के लिए हमें राजभाषा कार्यान्वयन को समुचित महत्व देना होगा । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करना भी हमारा कर्त्तव्य है । इसके लिए निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है :

- वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिंदी में काम करके सभी को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा दें ।
- शीर्ष स्तर की सभी बैठकों के कार्यवृत्त द्विभाषी होने चाहिएं। इन बैठकों से संबंधित समस्त पत्राचार हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में करें ।
- हिंदी में मूल नोटिंग-ड्राफ्टिंग को बढ़ावा दें तथा "क" व "ख" क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी या द्विभाषी रूप में दें। सूचनार्थ पत्रों की पावती भिजवाएं ।
- हिंदी पुस्तकों की खरीद पर पुस्ताकलय के पुस्तकों के बजट की 50% से अधिक राशि व्यय करें । पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था हो। हिंदी पुस्तकों का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड, कैटलॉग उपलब्ध हो ।
- कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाएं तथा हिंदी सॉफ्टवेयर प्रचालन के प्रशिक्षण को विशेष महत्व दें ।
- कार्यालय के सभी कर्मचारियों को वर्ष में एक बार हिंदी कार्यशाला में भाग लेने का अवसर अवश्य दें । हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी सॉफ्टवेयर प्रचालन के प्रशिक्षण को भी शामिल किया जा सकता है ।
- हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी प्रतियोगिताओं में देवनागरी कंप्यूटर प्रचालन तथा कंप्यूटर पर हिंदी में प्रस्तुतीकरण जैसी प्रतियोगिताओं को भी शामिल करें ।
- हिंदी में प्रकाशित गृह पत्रिकाओं में तकनीकी लेखों को विशेष महत्व दें इससे तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा मिलेगा ।

राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्यान्वयन) डॉ. सरोज कुमार त्रिपाठी जी ने सदस्य उपक्रमों से प्राप्त छमाही रिपोर्टों के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित मदों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने गृह पत्रिकाओं की प्रतियोगिता के नियमों में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया । उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस बार 49 उपक्रमों ने समीक्षा हेतु रिपोर्ट भेजी है । शेष 21 उपक्रमों को भी भविष्य में समय पर रिपोर्ट भेजनी चाहिए । उन्होंने राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली सभी रिपोर्टों में आंकड़ों की पारदर्शिता रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया ।

1. बैठक में कार्यालय के शीर्षस्थ अधिकारी अवश्य भाग लें । राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुसार इस आवश्यकता का अनुपालन करना अनिवार्य है ।
2. सभी सदस्य उपक्रमों द्वारा राजभाषा प्रगति रिपोर्ट समीक्षा हेतु समय पर भेजी जाए । इस कार्य को प्राथमिकता दी जाए ।
3. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) व राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।
4. मूल हिंदी पत्राचार और हिंदी में नोटिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। "क" तथा "ख" क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दें। किसी भी भाषा में प्राप्त पत्र की पावती हिंदी में ही दें । वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिंदी में कार्य करके सभी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा दें ।

चित्र समाचार

1. पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल में दिनांक 25-8-08 से 8-9-08 तक आयोजित हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देते डॉ. राजीव मिश्रा व मंचिधि ।

2. नराकास गुवाहाटी की बैठक में समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यालयों के अधिकारीगण ।

3. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड मुख्यालय फरीदाबाद में हिंदी कार्यशाला ।

626 HA/09—9A

4. "राजभाषा उत्साह दिवस-2008" पर श्री शील कुमार शर्मा, महाप्रबन्धक, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, प्रादेशिक कार्यालय, चंडीगढ़, श्रीमती हरिन्द्र वालिया, सहायक प्रादेशिक प्रबंधक को ससम्मान पुरस्कार वितरण करते हुए ।

5. खान मंत्रालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों के लिए आयोजित प्रथम अखिल भारतीय हिंदी कार्यशाला सह सम्मेलन में उद्घाटन के अवसर पर श्री जे. पी. सिंह, सचिव (खान), श्री रंजीत ईस्सर, सचिव (राजभाषा) श्री नवल किशोर, निदेशक, श्रीमती सुदेश रैना, निदेशक (रा.भा.) और स्वागत करती हुई श्रीमती अजिता वाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव (खान मंत्रालय) ।

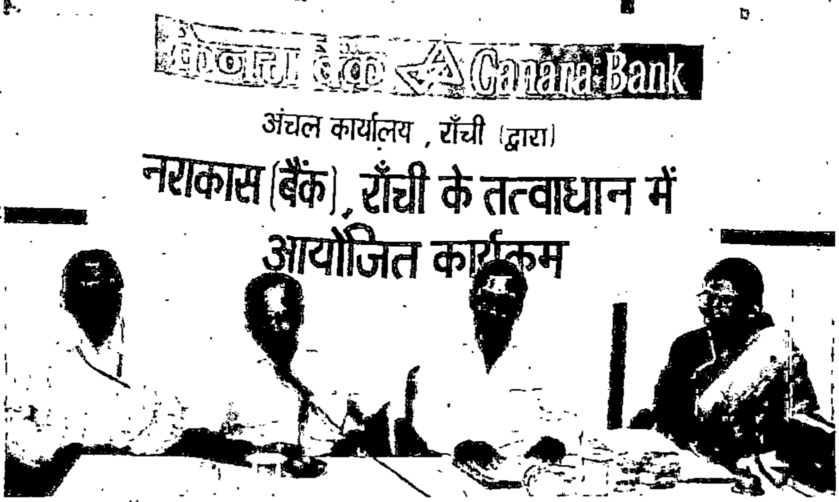

6. नराकास (बैंक) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मंच पर (बाएं से दाएं) श्री टी. के. हालदार, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, श्री आर. आर. शर्मा, उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक, श्री मथुरा प्र. पाण्डेय, वरिष्ठ प्रबंधक, सी. सी. एल राँची तथा श्रीमती ममता शर्मा, प्रबन्धक, निफ्ट ।

7. बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली अंचल द्वारा आयोजित अंचल प्रबंधकों हेतु राजभाषा संगोष्ठी में भाग ले रहे अधिकारीगण ।

8. जयपुर विमानपत्तन में हिंदी कार्यशाला में श्री अनुज अग्रवाल निदेशक प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र पुरस्कार प्रदान करते हुए ।

9. केनरा बैंक द्वारा नराकास दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित अन्तर बैंक वाक्य निर्माण प्रतियोगिता में बैंक के अधिकारियों के साथ नराकास की सदस्य सचिव श्रीमती कविता चौधरी ।

10. एन.एच.पी.सी.लि., फरीदाबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में (बांए से दांए) श्री विजय राघव पंत, मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री सुधीर चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक) श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री एस. के. डोडेजा, निदेशक (परियोजनाएं), श्री ए. बी. एन. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) एवं श्री दयाल माथुर, का. नि. (मान्सं)।

11. बैंक नराकास लखनऊ के अध्यक्ष श्री अरुण सुरील, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक से शील्ड प्राप्त करते केनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री पी. कृष्ण राव।

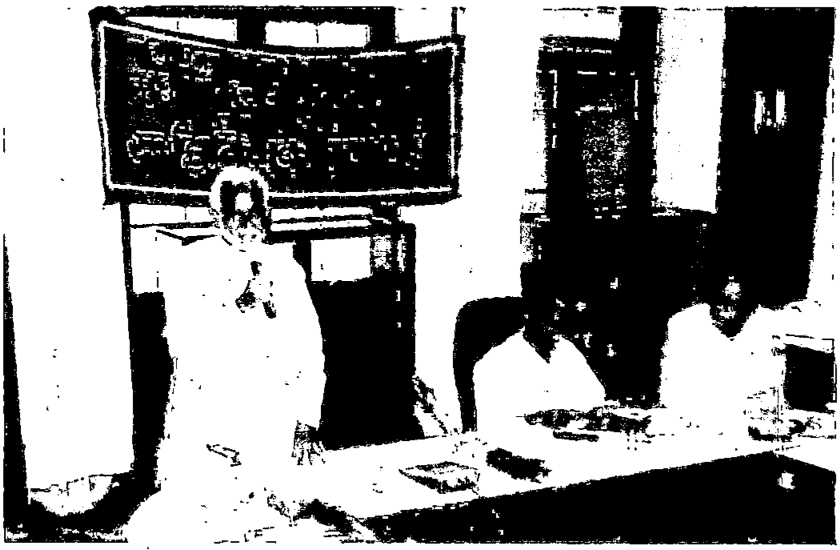

12. प्रोफेसर एस. पी. शर्मा, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय संगोष्ठी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए। उनके बाई ओर बैठे हैं श्री एम. के. गुप्ता अमरेप्र एवं श्री पी. बी. सिंह, राजभाषा अधिकारी।

13. एन.एच.पी.सी.लि., चंडीगढ़ में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी ।

14. भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशालय में हिंदी पखवाड़ा के "पुरस्कार वितरण समारोह" में श्री दलजीत सिंह उप महानिरीक्षक (संभरण) को चल शील्ड प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि श्री विक्रम श्रीवास्तव महानिदेशक ।

15. आकाशवाणी चैन्नई में हिंदी दिवस समारोह ।

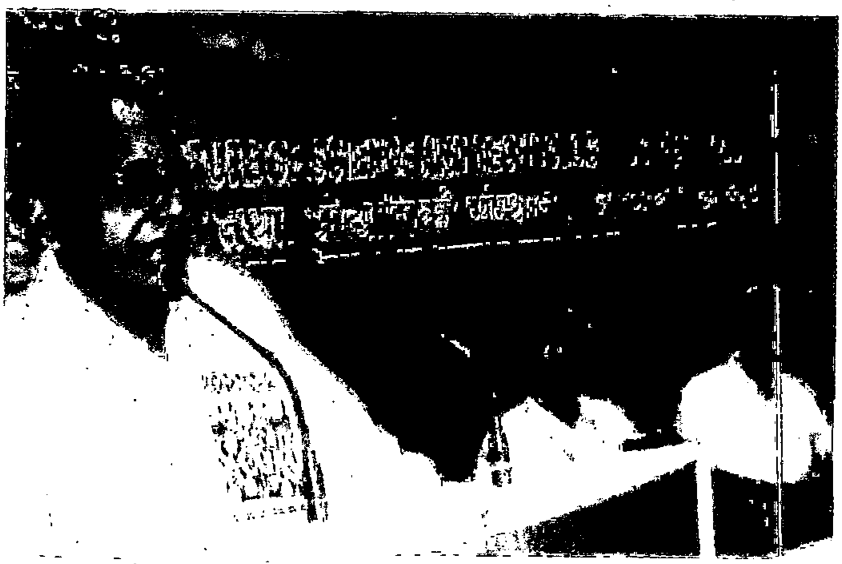

16. हिंदी दिवस के अवसर पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए डॉ. दिनेश कुमार चौबे, रीडर, हिंदी विभाग, नार्थ-इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग ।

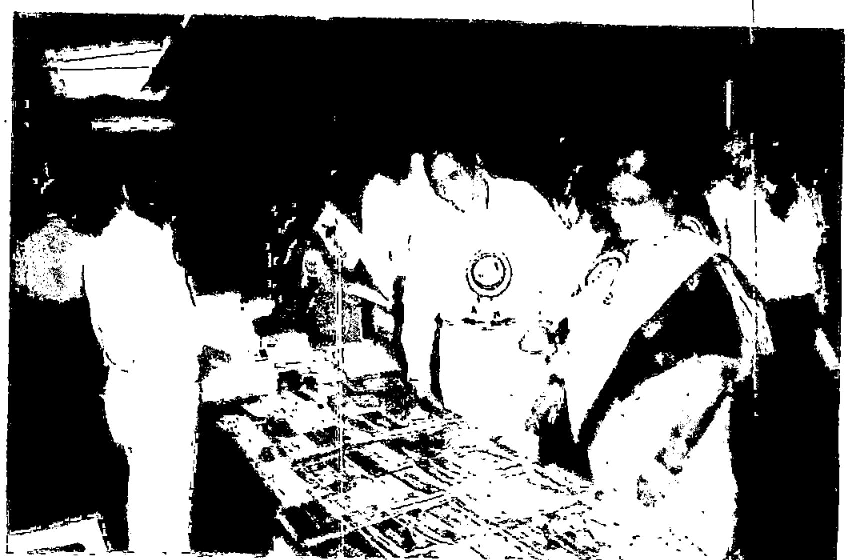

17. दक्षिण-दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन अरवनकाडू (ऊटी) में राजभाषा विभाग द्वारा लगाई गई पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी ।

18. केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर में हिंदी दिवस समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए उप महाप्रबंधक श्री एम. आर. अड्यंताया ।

19. राजभाषा भारती के स्तंभ प्रेरणा-पुंज हेतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक श्री बी. एस. गिल के साथ भेंटवार्ता करते हुए राजभाषा भारती के सहायक संपादक श्री शान्ति कुमार स्याल ।

20. भारत मौसम विभाग नई दिल्ली में महानिदेशक हिंदी दिवस कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए ।

21. दि. ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय कोच्चिन में हिंदी कार्यशाला का दृश्य ।

22. नराकास कर्णूल द्वारा राजभाषा पुरस्कार, केनरा बैंक अंचल कार्यालय को प्रदान करते हुए ।

23. आकाशवाणी शिमला में हिंदी कार्यशाला में डॉ. एस. के. शर्मा हिंदी अधिकारी कार्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए ।

24. लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, एस. एस. वाहिनी, भा. ति. सी. पुलिस, सबोली, हरियाणा में 21-7-08 से 24-7-08 तक आयोजित हिंदी कार्यशाला के प्रमाणपत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि श्री एच. के. मल्होत्रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिंदी कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थी को प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए ।

5. पुस्तकालय के बजट की 50% राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए। संदर्भ ग्रंथों व जर्नल आदि पर खर्च की गई राशि को इसमें शामिल न किया जाए।
6. हिंदी पत्रिकाओं में तकनीकी लेखों को विशेष महत्व दिया जाए।
7. कंप्यूटर में हिंदी में कार्य को विशेष महत्व दिया जाए साथ ही हिंदी कंप्यूटर प्रचालन के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
8. जिन उपक्रमों में 80% कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है वे यथाशीघ्र अपने कार्यालय को अधिसूचित करवा लें।
9. प्रशिक्षण समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर यथाशीघ्र पूरा कर लें।
10. वरिष्ठ अधिकारी अधिक से अधिक हिंदी में टिप्पणी करें। इससे सभी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

निदेशक (मानव संसाधन) श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने पुरस्कार विजेता उपक्रमों को बधाई देते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी को सही अर्थों में प्रतिष्ठित करने में सभी सदस्य उपक्रम पूरे मन से काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमें राजभाषा विभाग का समुचित मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज समय की मांग है कि हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें जिससे कि हमारी भाषा और भी सशक्त बन सके।

हमारे सदस्य उपक्रम राजभाषा हिंदी को सांस्कृतिक और साहित्य मंच से भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह मौलिक कार्यों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भी अनुकूल वातावरण बना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नराकास के सभी सदस्य उपक्रम राजभाषा के लक्ष्यों से कहीं आगे बढ़ने के स्वप्न को भी साकार कर सकेंगे।

समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी, संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रिका प्रकाशन के लिए पुरस्कृत उपक्रमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हम सभी क्षेत्रों में आगे हैं तो भाषा के क्षेत्र में भी हमें विशेष पहचान बनानी है। इसके लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। देश की एकता के लिए एक भाषा जरूरी है। हमें देश की सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए राजभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करना है। आज विदेश में भी हिंदी को महत्व दिया जा रहा है। यह हिंदी की अपनी शक्ति है। अनेक विद्वानों ने इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट माना है।

बैठक में माननीय अतिथियों ने पत्रिका प्रकाशन प्रतियोगिताओं के विजेता उपक्रमों के उच्चाधिकारियों को नराकास शील्ड से निम्नानुसार सम्मानित किया :

1. प्रथम पुरस्कार	इस्पात भाषा भारती	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
2. द्वितीय पुरस्कार	भंडारण भारती	केंद्रीय भंडारण निगम
3. तृतीय पुरस्कार	ऊर्जा दीप्ति	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि.

अपने अध्यक्षीय भाषण में नराकास (उपक्रम) दिल्ली के अध्यक्ष तथा एन टी पी सी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री राम शरण शर्मा जी ने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए सबसे पहले पत्रिका के विजेता उपक्रमों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने नराकास के सदस्य उपक्रमों द्वारा राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे मौलिक प्रयासों को सराहा। विशेषकर साहित्यिक और सांस्कृतिक माध्यमों से हिंदी का प्रचार करने वाले उपक्रमों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने संयुक्त सचिव (राजभाषा) महोदया से इन कार्यों के लिए पुरस्कार देने पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी को देश में सही मायने में प्रतिष्ठित करना है आशा है हम सब मिलकर इस अभियान में सफल होंगे। उन्होंने भारतेन्दु हरिशचंद्र के दोहे को उद्धृत करते हुए सबको हिंदी में काम करने की प्रेरणा दी।

निज भाषा उन्नति अहै सव उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल॥

उन्होंने कहा हमें हिंदी में अधिक से अधिक काम करके अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। भाषा के साथ हमारी पूरी संस्कृति जुड़ी होती है। जो व्यक्ति अपने देश की भाषा पर गर्व नहीं करते वे सच्चे आत्मसम्मान के सुख को महसूस नहीं कर सकते। हम सबको इस दिशा में मिलकर और उत्साह से काम करना है। इस दिशा में नराकास सदस्य उपक्रमों द्वारा किए जा रहे कार्य वास्तव में सराहनीय हैं। ■

626 HA/09—10A

(ग) हिंदी कार्यशाला

महालेखाकार (लेखाकार एवं हकदारी), ओड़िशा, भुवनेश्वर कार्यालय

दिनांक 09-06-2008 से 13-06-2008 तक पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था । उक्त कार्यशाला में कार्यालय के कुल 20 अधिकारी तथा कर्मचारियों ने भाग लिया । दिनांक 9-06-2008 को अपराह्न 2.00 बजे कार्यशाला का उद्घाटन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओड़िशा, भुवनेश्वर द्वारा कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में किया गया । कर्मचारियों तथा अधिकारियों को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में महालेखाकार महोदया ने कहा कि हिंदी में काम करना बहुत आसान है एवं इस प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, बनाने के लिए इस तरह के कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए ।

इस कार्यशाला में मुख्य रूप से, राजभाषा नीति संविधानिक प्रावधानों, पर प्रकाश डाला गया । इसके साथ-साथ कार्यालय से सम्बन्धित काम काज जैसे टिप्पण व प्रारूप लेखन, पत्राचार के प्रकार, पेंशन निधि तथा लेखा अनुभागों से संबन्धित कार्य का अभ्यास कराया गया ।

इस अवसर पर वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) महोदय ने अपने संक्षिप्त अभिभाषण में सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि कार्यशाला में जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए है उसे अपने कार्यालय के दैनंदिन कार्य में प्रयोग करें, क्योंकि हिंदी में टिप्पणी लिखना एवं छोटे पत्र लिखना आसान है । अंत में वरिष्ठ उप महालेखाकार के कर-कमलों द्वारा सभी प्रतिभागियों का प्रशस्तिपत्र प्रदान किए गए ।

सेक्टर हैडक्वाटर सीमा सुरक्षा बल गुवाहाटी (असम)

बल मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली के आदेश पर महानिरीक्षक फ्रंटियर हैडक्वाटर सीमा सुरक्षा बल, असम, मेघालय एवं नागालैण्ड फ्रंटियर की देखरेख में सेक्टर हैडक्वाटर सीमा सुरक्षा बल गुवाहाटी (असम) में दिनांक 19 मई, 2008 से 23 मई, 2008 तक पाँच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 24 कार्मिकों ने भाग लिया । इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्मिकों की हिंदी के कार्य को करने संबन्धी झिझक को दूर करना था । इनके अतिरिक्त कार्मिकों को हिंदी में दिन प्रतिदिन आने वाले बदलावों और सरकार द्वारा हिंदी के कार्य को करने हेतु क्या-क्या दिशानिदेश जारी किए जा रहे हैं और कार्मिकों के हित के लिए किस प्रकार प्रोत्साहन योजनाओं को चलाया जा रहा है और नकद पुरस्कारों में बढ़ोत्तरी की जा रही है, से संबन्धित ज्ञान भी प्रदान करना था । संक्षिप्त रूप से इस कार्यशाला में राजभाषा नीति अधिनियम/नियम, राजभाषा प्रबंधन, 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्रों की जानकारी, प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रेस टिप्पणी, कार्यालय टिप्पणी, कार्यालय आदेश, हिंदी के प्रयोग के बारे में नीति संबन्धी आदेश, हिंदी पुरस्कार योजनाएं, मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता परिवर्तित देवनागरी/परिव्रर्तित देवनागरी वर्णमाला, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण संबन्धी जानकारी एवं निरीक्षण प्रश्नावली को भरना, अधिकारियों को प्रतिदिन काम आने वाली टिप्पणी/कार्यालय टिप्पणी की जानकारी इत्यादि जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए गए ।

कार्यशाला का समापन श्री रतन लाल शर्मा, उप महानिरीक्षक, गुवाहाटी सेक्टर द्वारा किया गया । इस अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में आश्वासन दिया कि उनके द्वारा आगे भी इसी प्रकार हिंदी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाता रहेगा ताकि अधिक से अधिक कार्मिक इससे लाभान्वित हो सकें । उन्होंने अपने अधीन बटालियनों को भी प्रेरित करते हुए कहा कि वह भी इसी प्रकार नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करते रहें ।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

दिनांक 17 व 18 सितम्बर को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन भारी पानी संयंत्र के अतिथि गृह में स्थित सभागृह में किया गया । कार्यशाला का उद्घाटन

626 HA/09—10B

राभाकास के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री आई सेनगुप्ता, प्रबंधक तकनीकी सेवाएँ ने किया । इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि राजभाषा को सीखना उतना ही आवश्यक है जितना हमें मातृभाषा सीखना चूंकि मातृभाषा सीखने का मौका हमें घर में, परिवार में मिल जाता है एवं इसे बचपन में ही सीख लेते हैं चूंकि अब हम सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं एवं सरकार ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया हुआ है । अत: हमें सरकारी कामकाज करने हेतु हिंदी सीखना जरूरी हो जाता है क्योंकि अधिकांशत राज्यों में हिंदी बोली, पढ़ी, समझी व क्रियान्वित की जाती है ।

भारी पानी संयंत्र के कार्मिकों के साथ-साथ जिरकोनियम काम्पेक्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डाक विभाग, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के कार्मिक भी उपस्थित थे । इस बार कार्यशाला में व्याख्यान देने हेतु राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के कोचिन स्थित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से पधारे उप निदेशक डॉ. वी. बालाकृष्णन ने आम बोलचाल की हिंदी भाषा एवं व्यावहारिक एवं प्रेरणात्मक हिंदी विषयों पर व्याख्यान दिए । जिन्हें प्रतिभागियों ने बहुत सराहा । उन्होंने छोटे-छोटे उदाहरण देकर प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया एवं आव्हान् किया कि राजभाषा को हम इसी तरह व्यवहार में ला सकते हैं । कार्यशाला में श्री मनोज शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा) एवं सचिव नराकास, श्रीमती श्यामलता, हिंदी अनुवादक श्रीमती भाग्यवती, प्रवर श्रेणी लिपिक व श्री अरुणाचलम के क्रमश संविधान में राजभाषा, राजभाषा अधिनियम, नियम, अनुवाद, हिंदी व्याकरण व विकिरण जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए । इस दो दिवसीय कार्यशाला में कुल 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया । कार्यशाला का संचालन श्री मनोज शर्मा ने किया एवं धन्यवाद प्रस्ताव श्रीमती श्यामलता ने प्रस्तुत किया ।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में दिनांक 05-08-2008 को वित्त-वर्ष 2008-09 की दूसरी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । यह कार्यशाला संयंत्र के वैज्ञानिक सहायक तथा अन्य वर्ग के लिए आयोजित की गई थी । कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए, संयंत्र के उप महाप्रबन्धक श्री प्रकाश चंद्र जैन ने कहा कि राजभाषा में काम करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं । इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम है कि जिस अधिकारी ने अंग्रेजी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, उसी अधिकारी का दायित्व है कि वह उसके हिंदी पाठ को जारी करना सुनिश्चित करे । नियमानुसार हिंदी में टिप्पण-लेखन तथा पत्राचार हिंदी में किया जाना चाहिए । राजभाषा हिंदी सरकारी काम-काज में आवश्यक होने के साथ-साथ उपयोगी भी है क्योंकि इसे सभी सरलतापूर्वक समझ लेते हैं । नराकास की बैठक की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे संयंत्र को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिंदी में काम करने के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करना है । इसमें कंप्यूटर काफी मददगार सिद्ध होता है । हमारे यहाँ ISM-2000 का प्रयोग अधिकृत है । अत: पूरे विभाग में इसका प्रयोग करके पत्राचार किया जा सकता है । इसके अलावा यूनीकोड की सहायता से भी हिंदी में टंकण किया जा सकता है । उन्होंने कार्यशाला में वितरण हेतु कुछ वाक्यांशों की सूची भी उपलब्ध कराई ।

पश्चिम रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, राजकोट

दिनांक 25-08-08 से 08-09-08 तक एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मंडल रेल प्रबंधक समेत अन्य अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए ।

स्व. राजीव गांधी के सम्मान में सद्‌भावना पखवाड़े के तहत दि. 04-09-08 को सद्‌भावना गोष्ठी का आयोजन किया गया । दि. 05-09-08 को सद्‌भावना गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । विजेताओं को श्री आर. पी. निबारिया-मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए ।

गृह मंत्रालय

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड 4 में संस्तुति संख्या 2 (क) के तहत यह अपेक्षा की गई है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीति का व्यापक ज्ञान देने हेतु समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं । तदनुसार गृह-मंत्रालय में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान-प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को अपना सरकारी काम-काज हिंदी में करने में हो रही कठिनाइयों का निराकरण करने और राजभाषा में लिखने के प्रति उनकी झिझक को समाप्त कर, उन्हें अपना अधिकाधिक सरकारी काम-काज हिंदी में ही करने

के प्रति प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से दिनांक 28-04-08 और 29-04-08 को एक दो दिवसीय हिंदी-कार्यशाला आयोजित की गई ।

इस कार्यशाला में 12 कर्मचारियों ने भाग लिया जिन्हें गृह मंत्रालय के श्री राधाकृष्ण, सहायक निदेशक तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी मल्होत्रा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बहुत अनौपचारिक और व्यावहारिक रूप से सरकार की राजभाषा नीति से जुड़ी विभिन्न अपेक्षाओं से अवगत कराया । उन्हें अपना रूटीन किस्म का काम-काज हिंदी में करने के लिए सहायक-सामग्री के रूप में मानक टिप्पणियों, लेटिन ग्रीक, फ्रैंच आदि अभिव्यक्तियों के हिंदी रूपान्तर तथा हिंदी के संख्या वाचक शब्दों को मानक रूप एवं वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियाँ वितरित की गईं । कार्यशाला में उपस्थित हुए कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में तिमाही-प्रगति-रिपोर्ट के विभिन्न स्तम्भों (कॉलमों) में अपेक्षित जानकारी ठीक तरह से प्रस्तुत करना और मूल रूप से हिंदी में टिप्पणी तथा प्रारूप तैयार करना भी सिखाया गया । उन्हें रोजमर्रा के काम-काज से संबन्धित टिप्पणियाँ और प्रारूप तैयार करने का अभ्यास भी करवाया गया ।

उपर्युक्त कार्यशाला में उपस्थित हुए सभी कर्मचारियों ने उसमें बहुत उत्साह और रुचि से हिस्सा लिया । श्री अवधेश कुमार मिश्र, निदेशक (राजभाषा) ने कर्मचारियों को समुचित दिशा-निर्देश प्रदान किए । श्री अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और दीपक कुमार माथुर, सहायक ने कार्यशाला के आयोजन में उल्लेखनीय सहयोग किया ।

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल

महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, एस.एस. वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस, सबोली, हरियाणा में बल की विभिन्न इकाइयों से आए 33 है. कां./सी.एम. के लिए 21-07-2008 से 24-07-2008 तक "चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला" आयोजित की गई ।

श्री श्याम लाल, सूबेदार मेजर (रा.भा.) ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन से कार्मिकों की हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयां एवं झिझक दूर होगी । उन्होंने अवगत कराया कि इस कार्यशाला में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्याख्यान के साथ-साथ संबन्धित विषयों का अभ्यास भी करवाया गया । सभी प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें उत्साह और रुचि से भाग लेकर कार्यशाला को सफल बनाया । उन्होंने कार्यशाला की परीक्षा के परिणाम की घोषणा करते हुए समस्त प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी ।

मुख्य अतिथि डॉ. एच. के. मल्होत्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रवरण कोटि) ने सर्वप्रथम सभी प्रशिक्षणार्थियों को कार्यशाला में रूचिपूर्वक भाग लेने और इसके सफल आयोजन के लिए बधाई दी । उन्होंने कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि महानिदेशालय स्तर पर बल के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ।

मुख्य अतिथि ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध किया कि अपने दैनिक सरकारी कार्य में हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग करें । जहां पर हिंदी में कठिन शब्द का प्रयोग जरूरी हो वहां पर उसका प्रयोग करें और साथ ही कोष्ठक में अंग्रेजी का शब्द भी लिख दें ताकि उसे समझने में कोई कठिनाई न हो । उन्होंने कहा कि आपने कार्यशाला में जो सीखा है उसे अपने सहकर्मियों को भी सिखाएं । उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें, तभी हिंदी कार्यशाला के आयोजन की सार्थकता सिद्ध होगी ।

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय

सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम-काज को करने में कर्मचारियों की झिझक और संकोच को दूर करने के लिए इस मुख्यालय के बावा कक्ष में दिनांक 28-07-2008 से 30-07-2008 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

श्रीमती वीणा भटनागर, सहायक निदेशक(राजभाषा) ने अपने संबोधन में आशा प्रकट की कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से हर स्तर पर सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा और कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी के कामकाज में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी इस प्रकार उन्होंने कार्यशाला के चलाने के उद्देश्य को सरल एवं सारगर्भित भाषा में कार्यशाला में उपस्थित सभी

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट किया । इसके साथ ही उन्होंने राजभाषा की नीति, नियम, अधिनियमों, धाराओं एवं उपबंधों की भी विस्तार से चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कार्य में अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदी का कार्य किया जाए ।

तीन दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर वक्ताओं द्वारा व्याख्यान दिए गए जिसमें प्रमुख है छोटी-छोटी टिप्पणियां, पत्राचार के स्वरूप, वर्तनी/पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, राजभाषा नियम-अधिनियम, हिंदी भाषा का शुद्ध प्रयोग, टिप्पण एवं आलेखन, वार्षिक कार्यक्रम, भाषा ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी का ज्ञान, प्रोत्साहन योजनाएं और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राष्ट्रपति महोदय को सौंपे गये प्रतिवेदनों पर सिफारिशें इत्यादि जैसे विषयों को शामिल किया गया । इस कार्यशाला में हिंदी आशुलिपिकों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की गई जिनमें उनका हिंदी आशुलिपि को लिखने की गति का अभ्यास करवाया गया और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया ।

श्रीमती वीणा भटनागर, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने विस्तार से राजभाषा नियमों/अधिनियमों की व्याख्या की एवं हिंदी भाषा के विकास की स्थिति पर व्याख्यान दिए । सूबेदार मेजर(अनुवादक) कमलजीत शर्मा ने "सीमा सुरक्षा बल में हिंदी की स्थिति, इसके कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलें और इनका निवारण" व "सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर के दौर में हिंदी" विषयों में प्रभावशाली व्याख्यान दिए । अन्य अनुवादकों ने भी अपने-अपने विषयों पर व्याख्यान दिए । निरीक्षक (अनुवादक) पवन कुमार शर्मा एवं सूबेदार मेजर (अनुवादक) कमलजीत शर्मा द्वारा को हिंदी डिक्टेशन दी और निरन्तर अभ्यास करवाया परिणाम-स्वरूप हिंदी आशुलिपिकों की गति में अपेक्षित सुधार हुआ ।

इस कार्यशाला में 06 अधिकारियों और 34 कर्मचारियों ने भाग लिया । दिनांक 30-07-08 को कार्यशाला की समाप्ति पर श्रीमती वीणा भटनागर, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि उन्होंने हिंदी कार्यशाला में जो कुछ सीखा है उसे अपने-अपने कार्यालयों में जाकर प्रयोग में लाएं और हिंदी के कार्य को बढ़ाए तभी कार्यशाला की सार्थकता होगी । इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साकारात्मक सोच और सार्थक प्रयास ही हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ा सकते हैं । राजभाषा कार्यशाला की समाप्ति से पूर्व ग्रुप फोटो लिया गया और सभी प्रशिक्षणार्थियों ने कार्यशाला के आयोजन पर खुशी व्यक्त की और इसे लाभदायक बताया । हर्षोल्लास के साथ कार्यशाला का समापन हो गया ।

एन. एच. पी. सी. लिमिटेड, कोलकाता

क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-III, कोलकाता में राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं उसके प्रयोग के प्रति जागरूकता लाए जाने के उद्देश्य से नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं आयोजन की योजना चलाई जा रही है । इसी श्रृंखला में दिनांक 20-09-2008 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में क्षेत्रीय कार्यालय एवं उसके अधीन की पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/कार्यालयों से 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

इस कार्यशाला में वाह्य व्याख्याता के रूप में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी से श्री अरूण होता, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग को आमंत्रित किया गया था । उन्होंने अपने व्याख्यान में राजभाषा की वर्तमान स्थिति, उसके प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों व उसके निराकरण तथा आगे आने वाले समयों में हिंदी के सुखद स्थिति पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला । इस संदर्भ में उन्होंने हिंदी संपर्क भाषा के रूप में कैसी अहमियत रखती है उस पर भी रोशनी डाली । स्वतंत्रता के पहले हिंदी के जो पैरोकार थे, स्वतंत्रता के बाद अचानक पलटी खा जाते हैं और भाषा की राजनीति करके अपना स्वार्थ साधित करने लगते हैं । उन्होंने कहा कि राजनीति की भाषा हिंदी होनी चाहिए परन्तु भाषा की राजनीति क्यों ? हिंदी केवल इसलिए महान भाषा नहीं है कि इसमें कुछ लोग कविता लिख लेते हैं या अनुवाद कर लेते हैं । हिंदी इसलिए महान भाषा है कि यह हृदय से हृदय को जोड़ती है, मिलाती है अलगाती नहीं है । इसलिए हिंदी में कामकाज करना एवं हिंदी का विकास के लिए अपना सहयोग देना हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी बनती है । आगे उन्होंने हिंदी में पत्राचार के विविध रूपों की जानकारी देते हुए हिंदी में टिप्पण लेखन के गुर बतलाए । उन्होंने प्रत्येक प्रतिभागियों से हिंदी में काम करने में आ रही कठिनाईयों के बारे में पूछा और उसका निराकरण किया ।

गुवाहाटी रिफाइनरी

हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा कार्यालयीन कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने हेतु गुवाहाटी रिफाइनरी प्रशिक्षण केन्द्र

में 21 अगस्त, 08 को गुवाहाटी रिफाइनरी के हिंदी संयोजकों तथा सचिवों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला के प्रारम्भ में गुवाहाटी रिफाइनरी के वरिष्ठ प्रबंधक (निगम संचार व राजभाषा कार्यान्वयन) श्रीमती अंजना बरुवा शर्मा ने उपस्थित सभी का स्वागत किया तथा औपचारिक उद्घाटन वरिष्ठ वित्त प्रबंधक(प्रभारी) श्री अशीत एन मेहताजी ने किया । अपने उद्घाटन भाषण में श्री मेहताजी ने कहा कि कार्यालयीन काम-काज में हिंदी के प्रयोग में बढ़ावा लाने हेतु इस प्रकार की नियमित कार्यशालाओं का महत्ता अधिक है । इसके द्वारा लिखावट एवं पत्राचार में सार्थक सुधार हो सकते हैं । उन्होंने आशा व्यक्त की, कि सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला का भरपूर लाभ उठाएंगे और कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा का प्रयोग करके राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य तक पहुँच पाने में सक्षम होंगे ।

हिंदी कार्यशाला के प्रथम सत्र में हिंदी शिक्षण योजना से संकाय सदस्य के रूप में पधारे प्राध्यापक, श्री कुल प्रसाद उपाध्याय ने "साधारण व्याकरणिक अशुद्धियाँ व समाधान" के बारे में विस्तृत जानकारी दी । द्वितीय सत्र में सिडवी से संकाय सदस्य के रूप में पधारे प्रबंधक(हिंदी), श्री लोचन माखिजा ने "कार्यालयीन टिप्पणियों का अभ्यास" पर व्याख्यान किया तथा प्रतिभागियों द्वारा इसका अभ्यास भी कराया । इसी अवसर पर प्रतिभगियों के बीच डॉयलाग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया ।

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, कोचिन

30-7-2007 को बडकरा (कालकट) में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । जो इस वित्तीय वर्ष की पहली कार्यशाला है जिसमें कम्पनी के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री गंगाधर तिवारी सचिव नराकास कन्नूर ने हिंदी भाषा की सरलता पर जोर डालते हुए कहा कि हिंदी एक सरल भाषा है। इसे आसानी से सीखा जा सकता है तथा संकाय के रूप में अनुवाद की महत्वपूर्ण नियमों और दैनिक कार्यान्वयन में पत्राचार कैसे बढ़ाएं इस की जानकारी दी ।

ओरिएण्टल इंश्योरेंस के राजभाषा अधिकारी श्री गौतम कुमार मीणा ने प्रशिक्षणर्थियों को राजभाषा के उपयोग को दैनिक कार्यान्वयन में अधिक उपयोग करने के लिए जानकारी दी तथा वार्षिक कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने पर भी बल दिया जिसमें हिंदी पत्राचार को अमल में लाने एवं प्रशिक्षणार्थियों ने भी दैनिक कार्यन्वयन में राजभाषा का अधिक से अधिक उपयोग लेने का संकल्प भी किया ।

ओरिएण्टल इंश्योरेंस की बडकरा शाखा कार्यालय के शाखा प्रबन्धक श्री एम.पी. कृष्ण कुमार ने भी हिंदी को दैनिक कार्यान्वयन के उपयोग हेतु प्रशिक्षणार्थियों को इसकी उपयोगिता बताई तथा कहा कि "ग" क्षेत्र में राजभाषा की उपयोगिता बढ़ती जा रही है हमें व्यवसाय बढ़ाने के लिए तथा जनसाधारण की भाषा क्षेत्रीय भाषा (मलयालम) के साथ-साथ हिंदी का महत्व भी बढ़ता जा रहा हैं आज हिंदी पढ़ने लिखने और बोलने वाले हर क्षेत्र में मिल जाते हैं विशेष रूप से हमारे केरल में अधिकांश लोग हिंदी समझतें हैं क्योंकि हमे बाजार का पूरा ज्ञान होना आवश्यक हैं अधिकतम समय ग्राहकों से संपर्क बनाये रखते हैं इसलिए निसंदेह हिंदी की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही इस एक दिवसीय कार्यशाला में सारे दिन संकायों ने प्रशिक्षणार्थियों को लाभांवित किया । कार्यशाला के अंत में प्रस्तावित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बडकरा के भावी अध्यक्ष श्री पी. के. नारायण ने भी राजभाषा की महत्वपूर्ण जानकारी दी दिनांक 13-7-2008 से बडकरा में नराकास का गठन होने जा रहा है इसकी जानकारी से अवगत करवाया साथ ही नराकास के बारे में बताते हुए राजभाषा का दैनिक कार्यान्वयन में उपयोग पर भी बल दिया । कार्यशाला के अन्तिम सत्र में प्रतिभागियों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया ।

बी.ई. एम.एल. लिमिटेड, बेंगलूर कॉम्प्लेक्स

बेंगलूर कॉम्प्लेक्स के मानव संसाधन प्रशिक्षण कक्ष द्वारा दिनांक 6-9-2008 को बेंगलूर कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला की अध्यक्षता श्री अनिरूद्धकुमार, मुख्य महाप्रबंधक (स्थानापन्न) ने की ।

उन्होंने अपने सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी तीव्र विकास से यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह जन-अभिव्यक्ति के लिए सबसे माकूल तथा सर्वाधिक सहज और सरल भाषा है । कामकाज

में छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करते हुए उन्होंने सहजता से हिंदी को अपनाए जाने का आह्वान किया। श्री पी. मुरूगेसन, उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) ने इस अवसर पर जानकारी दी कि बेंगलूर कॉम्प्लेक्स में हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षणोपरांत कर्मचारियों द्वारा दैनंदिन कार्य हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में करने का सिद्धांत पहले से ही कार्यन्वित किया गया है। उन्होंने प्रतिभागियों से यह अनुरोध कि हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के बाद फाइलों/रजिस्टरों में हिंदी के प्रयोग में बढ़ोत्तरी लाएं। उन्होंने सामूहिक कार्यालय से पधारे राजभाषा अधिकारी श्री गोपालकृष्णन से अनुरोध किया हिंदी के सॉफ्टवेयर हर कम्प्यूटर पर डालकर कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने हेतु एक कार्यशाला के आयोजन में विचार करें।

संकाय सदस्य श्री कुल्कर्णी ने सभी प्रतिभागियों को सर्वप्रथम हिंदी लिपि और वर्तनी का अभ्यास कराया। उसके बाद 'हिंदीतर भाषियों को हिंदी लिखने में होनेवाली कठिनाईयाँ' के विषय पर चर्चा करके व्याकरणिक तौर पर शुद्ध एवं सरल हिंदी प्रयोग करने के तरीकों से अवगत कराया। हिंदी शब्दों में लिंग का पहचान कैसे करना है शब्दों में हृस्व एवं दीर्घ मात्रा का उपयोग कैसा किया जाता है इस बाबत बोर्ड पर वाक्य बनाकर विस्तार से सभी प्रतिभागियों को जानकारी दी गई।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में श्री कुल्कर्णी ने राजभाषा नियम और अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले कागजातों, तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी प्रारूप, क, ख, ग क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले प्रांतों, विभिन्न हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधी नियम-निर्देशों आदि के बारे में जानकारी दी।

कछाड़ पेपर मिल

हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के प्रशासनिक भवन में 12 एवं 13 मई, 2008 को "राजभाषा कार्यशाला" का आयोजन किया गया, जिसमें 17 कार्मिकों ने भाग लिया। कार्यशाला के प्रथम दिन क्रमश: श्री संजीव सिंह, संपादक, बराक वार्ता, शिलचर एवं सुश्री मौसुनी मालाकर, व्याख्याता, महिला महाविद्यालय, शिलचर ने "हिंदी के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका" तथा "जन-संचार माध्यमों का हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान" विषय पर प्रकाश डाला। श्री मदन सिंघल, सचिव एवं प्राचार्य, अग्रसेन हिंदी संस्थान, शिलचार ने "हिंदी के लेखन-वाचन की कठिनाई तथा समाधान" विषय पर प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। कार्यशाला के दूसरे दिन अर्थात् 13 मई को जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय, उधारबंद (शिलचर) के हिंदी व्याख्याता श्री संतोष चतुर्वेदी तथा दिलीप ठाकुर ने क्रमश: "हिंदी की व्याकरणिक समस्यांए और समाधान" एवं "प्रयोजन मूलक हिंदी" पर प्रकाश डाला। श्री सुरेश चंद्र द्विवेदी, हिंदी शिक्षक, डीएनएनकेजी हायर सेकेंडरी स्कूल, शिलचर ने "हिंदी की व्याकरणिक समस्याए एंव समाधान" विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर प्रतिभागियों को हिंदी व्याकरण की बारीकियों से अवगत कराया। कार्यशाला की व्यवस्था में उप प्रबंधक (मा सं एवं का से) व प्रभारी (राजभाषा) श्री जगदीश देवनाथ की विशेष सराहनीय भूमिका रही। जबकि मिल के वरिष्ठ सहायक एसजी (राजभाषा) श्री चितरंजन लाल ने उपस्थितों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गोवा हवाई अड्डा

श्री डी.पॉल माणिक्कम्, विमानपत्तन निदेशक, गोवा द्वारा गोवा हवाई अड्डे के सम्मेलन कक्ष में 27 अगस्त, 2008 को प्रात: 10.00 बजे दो दिवसीय (27-28 अगस्त, 2008) हिंदी कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान नामित कर्मियों (गोवा एवं बेलगाम के कर्मी) के अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विमानपत्तन निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए इस दो दिवसीय कार्यशाला में अधिक से अधिक अभ्यास करें। उन्होंने सभी नामित कर्मियों को सलाह दी कि वे दोनों दिन सभी सत्रों के व्याख्यान/अभ्यास को गंभीरता से लें।

इसके पहले हिंदी कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों एवं अन्य कर्मियों का स्वागत करते हुए श्री इन्ताज अली, हिंदी अनुवादक द्वारा हिंदी कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया एवं इन दो दिनों के दौरान आनेवाले वाहरी व्याख्यताओं एवं उनसे संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई।

इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान कुल 07 व्याख्याताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर कुल 08 व्याख्यान

दिए गए। अधिकांश व्याख्याताओं द्वारा नामित प्रतिभागियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अभ्यास कराया गया। कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग बढ़ाने के लिए गहन चर्चा की गई। इन दो दिनों के दौरान 02 छोटी-छोटी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला के दौरान कुल 22 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें 06 कर्मी बेलगाम हवाई अड्डे के थे।

कार्यशाला का समापान समारोह 28 अगस्त को शाम 16.00 बजे से आरंभ हुआ। अंतिम व्याख्याता के रूप में प्रो. बी.के. शर्मा उर्फ डॉ. रोहितास्व, विभागाध्यक्ष (हिंदी), गोवा विश्वविद्यालय उपस्थित थे, जिन्होंने अपने व्याख्यान में भारत की संस्कृति एवं दर्शन में हिंदी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उस समय समापन समारोह में नामित कर्मियों के अलावा विमानपत्तन निदेशक, गोवा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। विमानपत्तन निदेशक गोवा द्वारा उक्त दो दिनों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बेलगाम के सभी कर्मियों को भी विशेष रूप से पुरस्कृत किए गए। कार्यशाला का संचालन श्री इन्ताज अली, हिंदी अनुवादक द्वारा किया गया।

एन एच पी सी चण्डीगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में 20 अगस्त, 2008 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री ई तिर्की, प्रमुख (मानव संसाधन) ने किया। श्री तिर्की ने अपने संबोधन में राजभाषा हिंदी की सरलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे आसानी से समझा जाता है। देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलती है, समझती है। हमारे सारे व्यवहार हिंदी का सहारा लेकर ही पूरे होते हैं। देश में खूब हिंदी बोली जाती है। लेकिन जब कार्यालय में कार्य करने की बारी आती है तो हम अंग्रेजी को अपनाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जब इस कार्यशाला से बाहर जाएंगे तो अपने कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी (हिंदी), श्री महतवर सिंह "मीत" ने कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना विषय पर व्याख्यान दिया। दूसरे सत्र में सहायक राजभाषा अधिकारी, श्री देश राज ने कार्यालय में प्रयोग में लाए जा रहे हिंदी साफ्टवेयर आईएसएम वी5 पर व्याख्यान दिया। तीसरे सत्र में हिंदी शिक्षण योजना की प्राध्यापक, श्रीमती प्रीति सिंह ने वर्तनी पर व्याख्यान दिया। अंतिम और चौथा सत्र प्रमुख (मानाव संसाधन), श्री ई तिर्की ने स्वयं लिया। श्री तिर्की ने अपने व्याख्यान के माध्यम से हिंदी को कार्मिकों की शैक्षणिक समस्याओं से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण एवं रोचक बना दिया।

कार्यशाला में 15 कार्मिकों ने भाग लिया। हिंदी कार्यशाला को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने की दृष्टि से कार्मिकों के सुझाव भी सुने गए। सभी कार्मिकों ने कार्यशाला को सफल कार्यशाला बताया।

महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, संचार भवन, सर विश्वेश्वरैया मार्ग, नाशिक-422002

भारत संचार निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, नाशिक के अधीनस्थ मंडल अभियंता, सिविल कार्यालय में दिनांक 11-07-2008 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कार्यशाला के व्याख्यता राजभाषा अधिकारी श्री बी.एस. नकवाल और मंडल अभियंता, सिविल श्री अनिल कुमार नेगी ने किया। कार्यशाला सुबह 10-00 बजे से शाम 5-30 बजे तक हुई थी। इस कार्यशाला में 15 अधिकारी और 14 कर्मचारी शामिल हुए।

हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। अंग्रेजी नामों की वर्तनी का हिंदी लेखन। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अंकों की शुद्ध शैली और उनका शब्दों में लेखन। अंग्रेजी उच्चारण एवं उसके अनुसार हिंदी में लिप्यंतरण। टिप्पणी लेखन में प्रयोग की जानेवाली भाषा शैली। पत्रलेखन में इस्तेमाल की जानेवाली भाषा का सटीक प्रयोग। शब्दों के पर्याय से निबटने के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया। शुद्ध लेखन की प्रक्रिया। शंका-समाधान।

कार्यशाला बहुत ही सफल रही। सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला भरपूर उत्साहपूर्वक आनंद लिया तथा सभी ने अपनी समस्याओं संबंधी शंकाएँ उपस्थित की, जिनका व्याख्याता राजभाषा अधिकारी ने पूरा समाधान किया।

जयपुर हवाईअड्डे

जयपुर विमानपत्तन पर दिनांक 06-08-2008 से 07-08-2008 तक दो अर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमान् अनुज अग्रवाल, निदेशक विमानपत्तन जयपुर द्वारा कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने उद्घाटन भाषण से किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर कार्यालय राजभाषा नियमों के अधीन (क) क्षेत्र में स्थित है। हिंदी में काम करना सरल है और भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में सभी को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करके लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए निरन्तर प्रयासरत रहना है।

इस अवसर पर निदेशक विमानपत्तन, जयपुर ने सभी का स्वागत करते हुए अनुरोध किया कि कार्यालय के सभी कार्मिक इस हिंदी कार्यशाला का लाभ उठाते हुए अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढायें। उन्होंने सूचित किया कि जयपुर विमानपत्तन कार्यालय में हिंदी कार्य का प्रतिशत 98.75% तक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं नियमों के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय का समस्त कार्य हिंदी में किया जाना अनिवार्य है।

इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रख्यात शिक्षाविद् देवर्षि कलानाथ शास्त्री, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली तथा पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर (राज.) को भी व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया। श्री शास्त्री ने प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाई विषय पर अपना सारगर्भित भाषण दिया। अन्य वक्ताओं में श्री वीरेन्द्र सोनी, राजभाषा अधिकारी, दि न्यू इंडिया इंश्योरेंश कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, ने राजभाषा-नीति विषय पर भाषण दिया। श्री छोटू सिंह भाटी, प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) ने वित्तीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये। कार्यशाला में कुल 16 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

बोकारो स्टील प्लांट

बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य संगठन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के लिए एक एक-दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन बोकारो निवास के ब्यंकट हॉल में 17 जून को सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि बोकारो नराकास के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बोकारो स्टील प्लांट, श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने मंगलदीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया।

श्री सुनील कुमार राय, उप महानिरीक्षक, केंद्रीय आद्यद्योगिक सुरक्षा बल की अध्यक्षता में कार्यशाला सत्र के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन, हिंदी पत्राचार एवं टिप्पण आलेखन के प्रारूप तथा तिमाही रिपोर्ट भरने की पद्धति और हिंदी अधिकारी के दायित्व-विषयों पर क्रमशः श्री अजय मलिक, उपनिदेशक (कार्यान्वयन), पूर्वी क्षेत्र, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, कोलकाता, श्री सभाजीत सिंह, प्रबंधक (राजभाषा एवं प्रशासन), बी आर एल तथा श्री बी बी राय, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, बी एस एल द्वारा प्रभावकारी प्रस्तुतियां की गईं जिन्हें कार्यशाला में उपस्थित लगभग 70 प्रतिभागियों की व्यापक सराहना मिली। कार्यशाला को इस्पात मंत्रालय के सहायक निदेशक श्री भीम सिंह ने संबोधित करते हुए राजभाषा से जुड़ी विभिन्न तरह की समितियों और हिंदी कार्यान्वयन में उनकी भूमिकाओं की जानकारी दी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में सत्राध्यक्ष श्री सुनील कुमार राय ने प्रस्तुतियों के विषय प्रतिपादन से लाभान्वित होने एवं राष्ट्रीयत एकता सुदृढ़ करने के लिए हिंदी में उत्तरोत्तर कार्य करने की प्रेरणा दी। धन्यवाद ज्ञापन श्री उदय कान्त सिंह, प्रबंधक (राजभाषा) बी एस एल ने तथा कार्यक्रम समन्वयन श्री के एन पाठक, कनीय प्रबंधक (राजभाषा) बी एस एल ने किया।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर

दिनांक 31-07-2008 को संस्थान के तकनीकी संवर्ग के पदधारियों के लिए पूर्ण-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 24 पदधारी प्रशिक्षित किए गए। कार्यशाला में कुल 6 कक्षाएं संचालित की गईं।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. बाजपेयी महोदय द्वारा की गई। इस अवसर पर उनके द्वारा यह उदगार व्यक्त किया गया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पदधारियों को राजभाषा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अपना अधिकाधिक सरकारी काम-काज हिंदी में प्रेरित एव प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त

626 HA/09—11A

हिंदी में काम करने के प्रति व्याप्त झिझक को दूर करना है। इसके आलावा, उनके द्वारा पदधारियों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का मिशन बनाएं और इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहें। इस दौरान श्री एच.सी.हाईबुरु (प्रशा. व लेखा), ने कार्यशाला की उपयोगिता पर बोलते हुए हिंदी में कार्य करने हेतु ध्यान देने योग्य कुछ विशेष तथ्य समझाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वे अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी पर्याय सहजता से उपलब्ध् न होने अथवा जानकारी के अभाव में लिखना न छोड़े बल्कि उसे यथावत देवनागरी लिपि में लिखकर अपने विचार को प्रकाट करें। इस दौरान व्याख्याता के रूप में आंमत्रित डॉ. अनिता बंसल, बहरमपुर ने सहभागियों को संबोधित करते हुए यह कहा कि हम सर्वदा अनुवाद का सहारा न लेकर अपने विचारों को मूल रूप से हिंदी में व्यक्त करने व लिखने का प्रयास करें तभी हम कृत्रिमता व बोझिलता से बच सकते हैं और अपने विचारों को सरल व सहज ढंग से प्रकट करने में समर्थ हो सकते हैं।

तत्पश्चात, आमंत्रित व्याख्याता द्वारा कार्यशाला में राजभाषा नियम एवं अधिनियम तथा "टिप्पण-लेखन व आवतियों" के निष्पादन की प्रक्रिया, "पत्राचार के विविध स्वरूप एवं तत्संबंधी कार्रवाई", "तकनीकी शब्दावली एवं उनके पर्याय तथा राजभाषा नीति एवं इसके अनुपालन" जैसे विविध विषयों पर व्याख्यान के साथ-साथ उन विषयों का सहजतापूर्वक हिंदी में प्रस्तुत करने की सरल पद्धति पर प्रकाश डाला गया। सर्वशेष में उनके द्वारा उक्त विषयों से जुड़े विविध पहलुओं पर जांच परीक्षा भी आयोजित की गई जिसमें सभी प्रतिभागीगण उत्सुकता के साथ सम्मिलित हुए।

एम एस एम ई-विकास संस्थान, तृश्शूर

4-7-2008 के 11.00 बजे प्रात: हिंदी कार्यशाला का प्रारंभ संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती राजश्री वर्मा द्वारा आलापित प्रार्थना के साथ हुआ, जिसके उपरांत उपस्थित सदस्यों द्वारा स्व-परिचय दिया गया।

इस संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती राजश्री वर्मा ने अपने स्वागत भाषण में इस कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे तिमाही रिपोर्टों को निर्धारित प्रपत्र में यथाविधि प्रस्तुत करें। इन दो शब्दों के साथ उन्होंने सदस्यों की उपस्थिति पर हर्ष प्रकट करते हुए उनका हार्दिक स्वागत किया।

आशीष भाषण संस्थान के सहायक निदेशक व नामित राजभाषा अधिकारी श्री पी सी जोस (सचिव, तृश्शूर नराकास) द्वारा आशीष भाषण में उन्होंने तिमाही रिपोर्ट भरने के लिए अपने विचार दिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में यह कार्यशाला सहायक सिद्ध होगी।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के महत्व पर सहायक निदेशक श्री वी एम मोहनन नंबीशन द्वारा विस्तृत चर्चा कर सदस्यों को इस संबंध में बोध कराया गया।

तकनीकी सत्र में तिमाही रिपोर्ट के प्रत्येक कॉलम को लेकर उसके भरे जाने के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस सत्र का संचालन इस संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती राजश्री वर्मा द्वारा किया गया।

केंद्रीय रेशम बोर्ड भंडारा

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा के तत्वधान में क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, भंडारा में दिनांक 12-09-2008 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड के भंडारा स्थित सभी कार्यालयों के 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

डॉ. हेमन्त चन्दवासकर, संचालक अंकुर विद्या मंदिर, भंडारा एवं सचिव सर्व. नलिनी चन्दवासकर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था भंडारा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एस. के. माथुर, वैज्ञानिक-डी, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा ने की। डॉ. चन्दवासकर ने पारम्पारिक दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का विधिवत् शुभारंभ किया।

डॉ. एस.के. माथुर ने डॉ. हेमन्त चन्दवासकर को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। स्वागत भाषण में डॉ. एस.के. माथुर ने डॉ. हेमन्त चन्दवासकर का परिचय करवाया एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड की तकनीकी गतिविधियों एवं राजभाषा से संबंधित किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान की।

डॉ. हेमन्त चन्दवासकर ने डॉ. एस. के. माथुर के नेतृत्व में केंद्रीय रेशम बोर्ड के भंडारा स्थित कार्यालयों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन संबंधी किए जा रहे कार्यों के लिए उनकी एवं उनके टीम की प्रशंसा की। उनके कार्यालयों को विभिन्न स्तरों पर राजभाषा के उत्तम कार्यान्वयन हेतु प्रदान किए गए पुरस्कारों के लिए बधाई दी। डॉ. हेमन्त चन्दवासकर ने राजभाषा की उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किए।

बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बालाघाट (म प्र)

दिनांक 27-06-2008 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बालाघाट इकाई द्वारा केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए श्री देबाशीष दास, वैज्ञानिक-डी एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बालाघाट की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने उद्बोधन में केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की गई कि वे इस प्रकार की कार्यशाला में प्राप्त नवीनतम जानकारी से लाभ उठाते हुए अपने दैनंदिनों के शासकीय कार्यों में प्रयोग करें जिससे उनके लेखन कार्यों में पारदर्शिता आएगी। इस अवसर पर उनके द्वारा कर्मचारियों को सर्वप्रथम शासकीय कार्यों में उपयोग होने वाले विभिन्न पत्रों के रूपों तथा उनके उपयोग हेतु विस्तृत जानकारी दी गई तथा हिंदी भाषा की व्याकरण के अंतर्गत वाक्यों के निर्माण/लेखन में होने वाली छोटी-छोटी त्रुटियों का विस्तार से प्रशिक्षण देते हुए वाक्यों में समय-समय पर आने वाले संधि शब्दों के निर्माण संबंधी जानकारी भी दी गई। अंत में सदस्य संयोजक द्वारा कार्यशाला के समापन की घोषणा की गई।

सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली-110075

सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली द्वारा उदयपुर स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्र में 20-21 अगस्त, 2008 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री नरेन्द्र शर्मा, परामर्शक सीसीआरटी, क्षेत्रीय केंद्र, उदयपुर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया।

कार्यशाला में सीसीआरटी स्टॉफ सहित आस-पास के केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों, विभागों एवं संगठनों जैसे- भारत संचार निगम लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, आयकर कार्यालय, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, आकाशवाणी, दूरदर्शन, भारतीय खान ब्यूरो आदि के 26 अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से आये विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को 'संघ की राजभाषा नीति' 'हिंदी का महत्व' एंव राजभाषा विषयक अन्य संवैधानिक दायित्वों की जानकारी दी गई और प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं को शांत किया।

समापन समारोह आयकर आयुक्त श्री एम. एस. मीणा के मुख्य अतिथ्य में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र एवं अंग्रेजी-हिंदी शब्द कोष भेंट किये गये। उन्होंने अपने उद्बोधन में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने पर बल दिया।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली

संस्थान के संकाय और स्टाफ सदस्यों के लिए 09, सितम्बर 2008 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला संस्थान में 01 से 15 सितम्बर, 2008 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े की एक गतिविधि के रूप में आयोजित की गई।

इस कार्यशाला का उद्देश्य संस्थान के संकाय और स्टाफ सदस्यों को राजभाषा नियमों की जानकारी देना और सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली व्यावहारिक हिंदी का अभ्यास कराना था।

इस कार्यशाला में संस्थान के कुल 27 स्टाफ/संकाय सदस्यों ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. रणजीत कुमार साहा, इस कार्यशाला के अतिथि वक्ता थे। कार्यशाला के विषय को भाषण एवं अभ्यास पद्धति द्वारा प्रतिपादित किया गया। सहभागियों को राजभाषा संबंधी मुख्य नियमों और निर्देशों से संबंधित सामग्री दी गई। अतिथिवक्ता ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों, वाक्यों और टिप्पणियों पर चर्चा करते हुए सहभगियों को हिंदी में लिखने का अभ्यास कराया। उन्होंने सहभागियों

को सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक (जन सहयोग) ने किया । अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने अतिथि वक्ता डॉ. रणजीत साहा और उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आशा प्रकट की कि कार्यशाला सहभागियों के लिए उपयोगी रहेगी तथा इससे संस्थान में हिंदी के कार्य को बढ़ावा मिलेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

निगम के कर्मचारियों को हिंदी का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उनमें हिंदी भाषा के प्रति रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय आधार पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 7-7-2008 से 11-7-2008 तक क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में किया गया । इस कार्यशाला में क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के विभिन्न शाखा कार्यालयों तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा के कर्मचारियों ने भाग लिया । उद्घाटन के अवसर पर प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए श्री यू. एच राव, क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि निगम राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों में हिंदी के प्रति उत्साह पैदा करना है ताकि प्रशिक्षण के पश्चात् वे जब भी अपने काम पर लौटें हिंदी में काम कर सकें । विभिन्न कार्यालयों से उपस्थित कर्मचारियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से हिंदी सीखने का अभूतपूर्व अवसर आपको मिला है अत: इसका भरपूर लाभ उठाएं । सभी कर्मचारियों को सलाह दी गई की आने वाले समय में राजभाषा शील्ड प्राप्त करने का प्रयत्न करें ।

पांच दिवसीय कार्यशाला में विभागीय वक्ताओं के रूप में सर्वश्री डॉ. एन. नारायण रेड्डी, श्री डी. वेणु गोपाल, श्री दिनेश सिंह, श्री कमलेश शर्मा एवं कु. जे. विशाखा मोहिनी के अतिरिक्त अतिथि वक्ताओं के रूप में डॉ. वाई. एन. राव, दूरसंचार (से. नि) विजय कुमार-एन. एम. डी. सी, श्री रवि कुमार, स. नि. (रा. भा.) आयकर विभाग, श्री देवीदास-हि. शि. यो.(से. नि.), श्री अवधनाथ राय-महालेखाकार का कार्यालय तथा श्रीमती मणि रविन्दर बी. एस. एन. एल. आदि ने अपनी सेवाएं प्रदान की । कार्यशाला में उपस्थित सभी कर्मचारियों को इस तकनीक से प्रशिक्षित किया गया कि वे नई तकनीक का उपयोग करते हुए फ़ाइलों पर भी अपना काम हिंदी में आरंभ कर सकें । कार्यशाला के समापन पर एक आंतरिक मूल्यांक परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे । समापन समारोह के अवसर पर श्री डी. वेणुगोपाल, संयुक्त निदेशक ने सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए यह आशा जताई कि वे इस कार्यशाला के उपरांत अपना काम हिंदी में आरंभ कर सकेंगे ।

डॉ. एन. नारायण रेड्डी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी कर्मचारियों से प्रशिक्षण की उपयोगिता का भरपूर लाभ अपने दैनिक कामकाज में प्रदर्शित करने का अनुरोध किया । तथा सभी से हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहयोग देने की अपील की । श्री कमलेश शर्मा के धन्यवाद प्रस्ताव से कार्यक्रम का समापन हुआ । ■

क्या आप ?

- स्वयं हिंदी में कार्य करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं ?
- अपने कार्यस्थल पर हिंदी के प्रति अनुकूल वातावरण बनाए रखते हैं ?
- अपने नाम पट्ट, विजिटिंग कार्ड, नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं हिंदी में भी तैयार करते हैं ?
- विभागीय हिंदी समिति की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होते हैं ?
- तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर राजभाषा विभाग में भिजवाते हैं ?
- कम्प्यूटर पर हिंदी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं ?

तो हम हैं न...राजभाषा विभाग के साथी!

(घ) हिंदी दिवस

राजभाषा विभाग द्‌वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्‌वारा इस वर्ष रविवार 14 सितम्बर, 2008 को विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया । इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्‌वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल मुख्य अतिथि और माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की । माननीय गृह राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने भाषण में कहा कि भारत सरकार की नीति है सद्‌भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन से राजभाषा विकास और प्रचार-प्रसार करना । इस कार्य में हिंदी के विद्‌वानों का योगदान बहुत आवश्यक है । उन्होंने आगे कहा कि भाषा एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक हैं उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए ।

महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में दिनांक 13-9-2008 को दिल्ली में हुए बम धमाकों का जिक्र करते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की । उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कायरतापूर्ण कार्रवाइयां हमें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकतीं । हमें डटकर इसका मुकाबला करना चाहिए । महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि भाषा मानव जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है जिसके माध्यम से भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है । हर भाषा की अपनी विशेषता होती है । प्रत्येक भाषा को दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए । देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी हिंदी के महत्व को समझ लिया है । उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्‌यालयों में हिंदी विभागों की बढ़ती संख्या और हिंदी सीखने वालों की बढ़ती तादाद हिंदी की लोकप्रियता को सिद्‌ध करती है ।

गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो जीवन को नया आयाम प्रदान करती है । भाषा के माध्यम से जीवन के छुपे हुए रहस्य प्रकट हो जाते हैं । मानव मस्तिष्क मशीन से अधिक शक्तिशाली है और हृदय से ही भाषा का विकास संभव है और उसे शक्तिशाली माध्यम बनाया जा सकता है और भाषा के सदुपयोग में ही उसकी गरिमा है। उन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख किया और कहा कि फिल्म उद्‌योग से जुड़े लोगों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई है । शब्द का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं । यह शब्द की गरिमा व महत्व है । उन्होंने सूचना-प्रौद्‌योगिकी का उपयोग करके हिंदी के प्रचार-प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सी-डेक, पुणे के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयास में सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी । उन्होंने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्‌वारा हाल में की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अपनी ओर से इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है ।

इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी ने राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका **"राजभाषा भारती"** के **"प्रशिक्षण विशेषांक"** का विमोचन किया । उन्होंने 15 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए **"लीला"** राजभाषा सॉफ्टवेयर, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए **"मंत्र"** राजभाषा सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर पर हिंदी श्रुतलेखन/स्पीच के स्वतः टंकन के लिए **"श्रुतलेखन राजभाषा"** सॉफ्टवेयर, **"वाचांतर"** नामक सॉफ्टवेयर तथा द्‌विभाषी-द्‌विदिशीय **"ई-महाशब्दकोश"** का भी विमोचन किया तथा इन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी को समर्पित किया । इस समारोह के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी ने वर्ष 2006-07 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी

में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा-गांधी राजभाषा पुरस्कार एवं वर्ष 2007-08. के लिए हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर शील्ड/नकद राशि के रूप में कुल 45 पुरस्कार प्रदान किए गए।

कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (पूर्वा) भुवनेश्वर (उडीसा)-751012

केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (पूर्वा), भुवनेश्वर की वित्त वर्ष-2008-09 के लिए हिंदी सप्ताह का आयोजन दिनांक 15-9-2008 से दिनांक 20-9-2008 तक किया गया इस सप्ताह को सफल, चित्ताकर्षक एवं रोचक बनाने के लिए कार्यालय की तरफ से कुल 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं इस सप्ताह की समापन समारोह में हिंदी भाषा के बड़े विद्वान तथा हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, भुवनेश्वर के प्राक्तन प्राचार्य डा. शंकर लाल पुरोहित जी ने मुख्य वक्ता एवं श्री सि.एम. प्रसाद, उप निदेशक, आई. पि. एम. सि., भुवनेश्वर उपस्थित रह कर सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं मानपत्र वितरण किए। इस समापन समारोह पर इस प्रक्षेत की निदेशक डॉ. प्रसन्न कुमार पंडा जी ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर सभी मंचासिन अतिथियों ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को अपने राजभाषा की उन्नति के लिए कार्यालय का सभी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरणा दी। इस सप्ताह व्यापि कार्यक्रम को कार्यालय के हिंदी अनुवादक श्री अभिमन्यु साहाणी जी ने सुचारू रूप से परिचालित किया।

मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय, वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, हैदराबाद-42

मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय, वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय, एच.ए.एल. हैदराबाद-42. में 15 सितम्बर, 2008 से 27 सितम्बर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

अपने उद्घाटन भाषण में बोलते हुए विंग कमांडर एच.एन. कुमार, मुख्य निवासी निरीक्षक ने सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी तथा कहा कि हमें हिंदी को सहजता से अपनाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारा कार्यालय दक्षिण क्षेत्र में स्थित है किन्तु हमारे यहाँ यह खास बात है कि सभी कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारीगण हिंदी के प्रति विशेष रूचि एवं श्रद्धा रखते हैं तथा राजभाषा से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि में अपना सराहनीय योगदान देते रहते हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि कार्यालय में जो राजभाषा की प्रगति हो रही है उसका पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। किन्तु अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी में कार्य संभव है। आगे उन्होंने कहा कि हमें कार्यालय में हिंदी राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। मैं, यह आशा करता हूँ कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इसे सफल बनाएंगे। मैं इसी आशा के साथ हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ।

इस सम्पूर्ण हिंदी पखवाड़े के दौरान आशु भाषण, निबंध, अनुवाद, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, वाक्, कविता वाचन प्रतियोगिताओं एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस प्रतियोगिताओं में कार्यालय के सभी कार्मिकों ने काफी बढ़चढ़ कर भाग लिया।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तालचेर

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए भारी पानी संयंत्र, तालचेर, में दिनांक 01-09-2008 से 15-09-2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

दिनांक 01-09-2008 को अपराह्न 11.00 बजे हिंदी पखवाड़े का औपचारिक उद्घाटन श्री पी.के मिश्रा, कार्यकारी महाप्रबंधक महोदय द्वारा किया गया।

पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध लेखन, आशुभाषण, स्मृति परीक्षण, अनुवाद, सामान्य ज्ञान, जीवंत प्रश्नोत्तरी, नारा (स्लोगन) तथा सुलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सामान्य ज्ञान तथा जीवंत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को विभागीय, राजभाषा तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। जीवंत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वालों को प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) श्री रमेशचंद्र नंद के हाथों स्थल पर ही पुरस्कार प्रदान किए गए। इन प्रतियोगिताओं में संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों, क्रय एवं भंडार निदेशालय तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

(भापासं, तालचेर इकाई) के कर्मचारियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लिया ।

आकाशवाणी, कडपा (आ.प्र.)

आकाशवाणी, कडपा केंद्र में उन्नीसवाँ हिंदी माह 08 सितंबर, से 30 सितंबर तक आकाशवाणी के प्रांगण में बड़ी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया । इस समारोह के उपलक्ष्य में 08 सितंबर, 2007 को उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया । इस माह के दौरान निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में रखने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया ।

1. उपस्थित रजिस्टर में हिंदी में हस्ताक्षर करें ।
2. अपने फाइलों में ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी हिंदी में लिखें ।
3. पत्राचार भी ज्यादा भेजें ।
4. हिंदी भाषा की विकास और वातावरण बनाने के लिए हिंदी में बात-चीत करें ।
5. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/ कर्मचारी मूल कार्य हिंदी में ही करें ।

समारोह की अध्यक्षता श्री ए. मल्लेश्वर राव ने की । उन्होंने अपने भाषण में कहा हिंदी एक सरल भाषा है, ज्यादातर भारतवासी इस भाषा को आसानी से समझ सकते हैं । इसीलिए हमारे संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से यह निवेदन किया कि कार्यालय के काम को हर दिन कुछ न कुछ हिंदी राजभाषा में करें और केंद्र सरकार की नीति का पालन सुचारू रूप से कार्यान्वित करें ।

बाद में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री वै.सी.पी. वेंकट रेड्डी, हिंदी भाषा प्रेमी और अनुवाद कर्ता ने अपने संदेश में यह बताया कि हिंदी भाषा की महत्ता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । हिंदी भाषा सीखने से हम हर प्रांत और हर क्षेत्र में आसानी से घूम सकते हैं । भारतीय सभी भाषाओं के लिये संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा बहुत उपयोगी है । इसीलिए हिंदी में काम करने से देश का विकास और उन्नति होगी ।

सभा के उपाध्यक्ष, श्री एन. मुरली ने अपने भाषण में यह बताया कि केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा के विकास के लिए अनेक प्रकार के पुरस्कारों का आयोजन कर रहे हैं आप सब इसमें भाग लेकर भाषा की उन्नति के लिए अपना सहयोग दें । मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त सभी कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण किया गया ।

कार्यक्रम की समाप्ति में श्री एम.सुब्बशेखर ने हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद अर्पित किया । राष्ट्र गान से सभा संपन्न हुई ।

आकाशवाणी, चेन्नई-4

आकाशवाणी, चैन्नई में दिनांक 1 सितंबर 2008 से 15 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । केंद्र निदेशक श्री के. श्रीनिवासराधवन की अध्यक्षता में, केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया ।

अधीक्षण अभियंता श्री आर. वेणुगोपाल ने अपने विशेष वक्तव्य में सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सभी प्रतियोगिताओं में रुचिपूर्वक भाग लें और दैनंदिन के अपने कामकाज में राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें । केंद्र निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए अन्य कर्मचारियों को भी इस दिशा में प्रेरित किया । पखवाड़े के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लिया ।

अध्यक्षीय भाषण में केंद्र निदेशक श्री के. श्रीनिवासराधवन ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी और आगे भी इसी रुचि के साथ कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति लाने के लिए कोशिश जारी रखने का आग्रह किया ।

अधीक्षण अभियंता श्री आर. वेणुगोपाल ने अपने विशेष वक्तव्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि राजभाषा का कार्यान्वयन हिंदी अनुभाग तक सीमित नहीं रहना चाहिए और उस महान कार्य में कार्यालय के समूचे अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए ।

मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में मनोरंजन, शिक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा देने वाली आकाशवाणी के उल्लेखनीय कदमों की प्रशंसा करते हुए केंद्र की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य करते चैन्नई केंद्र को बधाई दी ।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि ने नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए । इस शुभ अवसर पर हिंदी में अपना मूल कार्य करने वाले तीन कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किये गये ।

श्री उदयकुमार मेधाणी उदघोषक ने समारोह में उपस्थित होकर उसे सफल बनाने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद अर्पित किया ।

हिंदी अनुवादक श्रीमती ललिता नायर निर्दोष ने समारोह का संचालन किया।

आकाशवाणी, कटक

आकाशवाणी, कटक में 1 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया । 1 सितम्बर को सम्मेलन कक्ष में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्र अभियंता तथा कार्यालयाध्यक्ष श्री बसंत कुमार बेहेरा ने अध्यक्षता की । श्री बासुदेव सिंह, हिंदी अधिकारी ने अपने स्वागत भाषण में कहा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी ही हमारी राजभाषा है । उन्होंने पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं का विस्तृत विवरण दिया ।

मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार मिश्र, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, कटक ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत के 80 प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं । विश्व के 133 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है । हिंदी की प्रतिद्वंद्विता किसी अन्य भाषा से नहीं हैं हिंदी हमारी अस्मिता की पहचान है । उन्होंने आगे कहा, हिंदी की प्रचार-प्रसार में आकाशवाणी, दूरदर्शन ओर केंद्रीय विद्यालय अच्छी भूमिका निभा रहे हैं । तत्पश्चात् केंद्र अभियंता श्री बसंत कुमार बेहेरा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत के सभी राज्यों में अलग-अलग भाषा बोली जाती है और सबका साहित्य अति उच्च कोटि का है । हम भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, अगर हमें हिंदी आती है तो हमें आसानी होती है । हिंदी एक ऐसी कड़ी है जो जोड़ने का कार्य करती है । हिंदी को केवल अनुवाद की भाषा न बनाकर मौलिक लेखन की भाषा बनाया जाना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि भाषा के बल पर नए विचार आ सकते हैं । अत: हमारी चिंतन मनन की भाषा हिंदी होनी चाहिए ।

अंत में हिंदी अधिकारी श्री सुरेन्द्रनाथ सामल ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे राजभाषा हिंदी में कार्यालयीन कार्य करके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रयत्न करें । उन्होंने अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय वक्ता एवं उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद किया ।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन आकाशवाणी, कटक के अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच में किया गया ।

पखवाड़े का समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 15 सितंबर को अपराह्न 3.00 बजे आकाशवाणी के सम्मेलन कक्ष में किया गया । सभा की अध्यक्षता श्री बसन्त कुमार बेहेरा, केंद्र अभियंता ने किया प्रारंभ में अतिथि, अध्यक्ष महोदय, एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत हिंदी अधिकारी श्री सुरेन्द्रनाथ सामल ने किया । उन्होंने कहा हमारे देश में इतनी विविधताओं के बाद भी राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता की आधार बनी हुई है । राजभाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से राजकीय काम होते हैं । अत: राजभाषा का अर्थ-कार्यालयीन या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा । फिर उन्होंने डॉ. मिश्रजी की उपलब्धियों के बारे में सभा को अवगत कराया । तदुपरांत हिंदी अनुवादक श्रीमती सस्मिता दास ने हिंदी पखवाड़े के बारे में विवरण प्रदान किया । उपस्थित सदस्यों के विचार के क्रम में श्री एन. के. पात्र, वरिष्ठ अंवेषक, डॉ. किशोर महान्ति, कार्यक्रम निष्पादक और श्री सुशान्त कुमार महान्ति, सहायक केंद्र अभियंता ने हिंदी पखवाड़ा के बारे में अपने विचार व्यक्त किये ।

सम्माननीय वक्ता डॉ. दीपक सामन्तराय ने अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा पर जोर देते हुए कहा कि हिंदी भाषा देश की संस्कृति एवं परंपरा का मूल आधार है । इसलिए स्वतंत्रता से पहले ही हिंदी भाषा भारत की जनमानस की भाषा रही है । विशेष वक्ता श्री प्रसेनजित महान्ति सहायक केंद्र निदेशक ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समूचे भारत में अधिक से अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है । राजभाषा हिंदी जनसाधारण की भाषा होने के नाते केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना एवं उसका प्रयोग अपने कार्यालयीन कार्य में करना बहुत ही

आसान है ।

आकाशवाणी : बेंगलूर

दिनांक 15-9-2008 से 29-9-2008 तक आकाशवाणी, बेंगलूर केंद्र में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस अवसर पर कार्यालय के स्टाफ के सदस्यों के लिए आठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं :-

1. हिंदी निबंध लेखन
2. अंताक्षरी
3. हिंदी अनुवाद
4. टिप्पण आलेखन
5. हिंदी-अंग्रेजी शब्दावली
6. हिंदी टंकण
7. आशु-भाषण
8. हिंदी अक्षर ज्ञान (चतुर्थ श्रेणी के लिए)

सभी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

दिनांक 29-9-2008 को पूर्वाह्न 11.30 बजे हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर प्रसिद्ध लेखक, अनुवादक और आकाशवाणी के पूर्व केंद्र निदेशक श्री एच.वी. रामचंद्र राव जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे । समारोह की अध्यक्षता केंद्र निदेशक श्री एस.एस. हिरेमठ जी ने की । इस अवसर पर आकाशवाणी बेंगलूर केंद्र, विज्ञापन प्रसारण सेवा और विपणन प्रभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे ।

मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए श्री एच.वी. रामचंद्रराव जी ने आकाशवाणी के ऐसे एक कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किए जाने पर खुशी जाहिर की । अपने कार्यकाल में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में उनके द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के संबंध में उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से बताया । दूरदर्शन उपग्रह केंद्र, नई दिल्ली में अपने कार्यकाल के दौरान किस प्रकार उन्होंने कार्यालय का काम-काज हिंदी में शुरू करवाया और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ उन्हें झेलनी पड़ी इसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इसका सकारात्मक फल उन्हें मिला । हिंदी में काम करने की परंपरा शुरू हुई और सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया । मुंबई में उनके कार्यकाल के दौरान विविध भारती का प्रसिद्ध कार्यक्रम 'जयमाला' जिसमें फिल्मी हस्तियों से साक्षात्कार पेश किया जाता है कि शुरूआत इन्होंने की और पहला साक्षात्कार सुप्रसिद्ध फिल्मी कलाकार नरगिस दत्त जी का लिया । अपने भाषण में इन्होंने कहा कि भाषा का संबंध हमारी संस्कृति और पहचान से है । इसलिए जहां तक संभव हो अपनी भाषा में काम करने का प्रयास करें ।

अध्यक्ष की ओर से बोलते हुए केंद्र निदेशक जी ने सभी से अनुरोध किया कि राजभाषा के प्रति यही मनोभावना हमेशा बनाएं रखें । उन्होंने हिंदी अनुभाग को ऐसे सफल आयोजन के लिए बधाई दी । साथ की हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को भी उनकी उपलब्धि पर बधाई दी ।

मुख्य अतिथि के कर-कमलों से सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र नगद पुरस्कार प्रदान किए गए । सरकारी काम-काज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए वार्षिक पुरस्कार योजना के तहत केंद्र के छः कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

आकाशवाणी : हैदराबाद

आकाशवाणी, हैदराबाद में हिंदी पखवाड़ा दिनांक 04-09-2008 से 18-09-2008 तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ।

अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति अभिरुचि जागृत करने तथा उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान दिनांक 05-09-2008 को "श्रुतलेखन", दिनांक 09-09-2008 को "अनुवाद", दिनांक 10-09-2008 को "आकाशवाणी पर एक मिनिट के लिए हिंदी में बात करें" एवं "वाक्", दिनांक 11-09-2008 को "अंताक्षरी", दिनांक 12-09-2008 को "प्रश्नमंच", और दिनांक 16-09-2008 को "सामान्य जानकारी" प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । केंद्र पर कार्यरत ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए दिनांक 16-09-2009 को अलग से दो प्रतियोगिताएं-"श्रुतलेखन" और "वाचन" आयोजित की गयी । इन प्रतियोगिताओं में कुल मिला कर 88 अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

दिनांक 18-09-2008 को हिंदी पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ । श्री पी. राजा राव, उपनिदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम, आकाशवाणी

626 HA/09—12A

एवं कार्यालयाध्यक्ष ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री डी. आनन्द स्वामी, उद्घोषक के प्रार्थना गीत से हुआ। सर्वप्रथम श्रीमती यू.गायत्री देवी, हिंदी अधिकारी ने समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत करते हुए पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। तदुपरांत वाचन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त श्रीमती एम चन्दकला, दफ्तरी ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी श्री बी.एस. लाली द्वारा जारी अपील को अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मुख पढ़ कर सुनाया। श्री पी. राजा राव उपनिदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा-"केवल हिंदी पखवाड़ा मनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि हिंदी में काम करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और इसका पालन करना चाहिए। हमें अपने-दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।

उच्च शक्ति प्रेषित : आकाशवाणी: आलप्पुषा केंद्र

इस साल की हिंदी पखवाड़ा, सितम्बर 2008 महीने की अंतिम भाग में, यानी 16-09-2008 से 30-09-2008 तक मनायां गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान तारीख 18-09-2008 अपराह्न 02.00 बजे से पाँच प्रतियोगितायें जैसे-सामान्य रूप से सभी कर्मचारियों के लिए टिप्पण एवं मसौदा लेखन, वाचन, अनुवाद एवं गीत प्रतियोगिताएं और घ-श्रेणी के कर्मचारियों के लिए केवल वाचन प्रतियोगिता आयोजित की गई। तारीख 19-09-2008 को अपराह्न 02.00 बजे से छः प्रतियोगिताएं जैसे-हस्तलेख, कविता-पाठ, श्रुतलेख, स्मरण-शक्ति प्रतियोगिता सामान्य रूप से सभी कर्मचारियों के लिए और हस्तलेख और स्मरण-शक्ति प्रतियोगिता केवल घ-श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई थी। सभी कर्मचारियों ने अत्यंत रुचि के साथ इसमें भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किया।

मुख्य अभियंता (उ.पू.क्षेत्र) का कार्यालय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, गुवाहाटी

मुख्य अभियंता का कार्यालय (उ.पू.क्षेत्र) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, गुवाहाटी के सभाकक्ष में दिनांक 14-09-2008 को अपराह्न 15.00 बजे भारतीय भाषाओं के सौहार्द दिवस के रूप में हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न हुआ।

श्री अनिमेष चक्रवर्ती, निदेशक अभियांत्रिकी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी हमारी संविधान सम्मत भाषा है। जिसे हम लोगों को उसका आदर करते हुए कार्यालयीन कार्य हिंदी में ही अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्होंने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को इसी प्रकार का उत्साह वर्ष भर बनाए रखने को कहा जिससे हम राजभाषा हिंदी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आमंत्रित विशिष्ट अतिथि श्री टी.पी. शुक्ल, केंद्रीय विद्यालय, मालीगांव ने अपने संबोधन में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पंक्तियों को उधृत करते हुए कहा कि अपनी भाषा सभी उन्नति का मूल है तथा अपनी भाषा के बिना हृदय की पीड़ा नहीं मिट सकती है। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सहचरी है। भारतीय भाषाओं के विकास में हिंदी बाधक नहीं साधक है। हमारी देश की सामाजिक संस्कृति के हर एक पहलू को अभिव्यक्ति देने की क्षमता हिंदी में आ गई है। आज की हिंदी तकनीकी दृष्टि से भी पूरी तरह सक्षम है। इसके पश्चात् दिनांक 01-09-2008 से 14-09-2008 तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

इंडियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में श्री डी के नंदा वरिष्ठ क्षेत्रीय महाप्रबंधक की अध्यक्षता में दिनांक 15-09-08 को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि बैंक में हिंदी का प्रयोग करना न केवल संवैधानिक बल्कि सामाजिक आवश्यकता है। हिंदी ने अपने आपको सम्पर्क भाषा के रूप में भी विकसित किया है। अपने स्टाफ सदस्यों से उन्होंने आग्रह किया कि हिंदी में काम करने में हिचक न करें। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण के देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री एस. के. मिश्रा, मुख्य प्रबंधक, ने बताया कि गुवाहाटी जैसे हिंदीतर भाषी क्षेत्र में भी हिंदी का अच्छा प्रचार-प्रसार हुआ है। बैंक

626 HA/09—12B

के बाहर भी उन्हें अपने को व्यक्त करने के लिए हिंदी ही माध्यम है ।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय 882, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालय, ईस्ट पार्क रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 23-09-2008 को किया गया । समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं साप्ताहिक पत्रिका 'इंडिया न्यूज' के सम्पादक डा. सुधीर सक्सेना तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में इसी पत्रिका के सहायक सम्पादक एवं प्रख्यात लघुकथा लेखक श्री अशोक मिश्र को आमंत्रित किया गया था। अपने अतिथीय सम्बोधन में डा. सक्सेना ने कहा कि राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग एवं विकास में स्टेट बैंक तथा सहयोगी बैंकों ने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय कार्य किया है । समरोह में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से उन्होंने अपील की कि वे अपने कामकाज में हिंदी के प्रयोग में तनिक में भी न हिचकिचाए चूंकि हिंदी अब व्यापार की भाषा के रूप में आत्मनिर्भर होकर स्थापित हो चुकी है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केवल सांवैधानिक दायित्व के रूप में ही नहीं स्वत: स्फूर्त प्रेरणा के रूप में हिंदी को कामकाज की भाषा के रूप में उतारा जाए ।

विशिष्ट अतिथि श्री मिश्र जी ने अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि हैदराबाद में हिंदी अखबार "दैनिक मिलाप" के लिए कार्य करने के दौरान उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में हिंदी के प्रति समर्पण एवं हिंदी मेंकार्य करने के उत्साह को रेखांकित किया है । उप महाप्रबंधक श्री वी.के अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न समारोह में हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से पुरस्कार भी प्रदान किया गया ।

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर

क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर के सभागृह में 15 सितंबर 2008 को हिंदी दिवस मनाया गया । समारोह का शुभारंभ श्री जगन्नाथ शेट्टी के ईश्वर वंदना से हुआ । उप महाप्रबंधक श्री एम आर अड्यंताया ने परंपरागत रूप से दीप प्रज्जवलित कर समारोह का उद्घाटन किया । अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मात्र हिंदी भाषा के लिए नहीं भारतीय भाषाओं के बीच मैत्री लाने तथा एकता का दिन है । भाषा संस्कृति का आइना है । किसी भी विदेशी भाषा में हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे जो हम अपनी भाषा में कर सकते हैं ।

समारोह पर हिंदी दिवस के सिलसिले में आयोजित 6 विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उप महा प्रबंधक श्री एम आर अड्यंताया और मुख्य प्रबंधक श्री डी एस अजिला ने पुरस्कार वितरित किये ।

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, एपीएमसी गेस्ट हाऊस के सामने सागर रोड, शिमोगा (कर्नाटक)

दिनांक 15-09-2008 को क्षेत्रीय कार्यालय, शिमोगा में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया ।

समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. के वी वेंकोबा, प्राचार्य, सह्याद्री कला व वाणिज्य महा विद्यालय, शिमोगा आमंत्रित थे । श्री के.आर. हेग्डे, उप महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजया बैंक ने समारोह की अध्यक्षता की ।

अतिथि महोदय ने अपने भाषण में कहा की हिंदी बहुत ही सरल भाषा है और आसानी से सीख सकते हैं तथा भाषा पर अधिकार उसका प्रयोग करते करते होता है । राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी को बनाए रखना सबका दायित्व है। अंत में उन्होंने विजया बैंक में हो रहे हिंदी कार्यान्वयन को सराहा ।

उप महा प्रबंधक, श्री के आर हेग्डे जी ने क्षेत्र का द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हर एक शाखा को करना चाहिए और बैंक में हिंदी के प्रयोग को और भी बढावा देना चाहिए ।

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए । मनोरंजन कार्यक्रम के बाद एस आर रस्ते शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुल्की जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पुष्पलता, राजभाषा अधिकारी ने किया ।

नालको नगर

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, नालको नगर में कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लक्ष्य में दिनांक 08-09-2008 से 15-09-2008 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया । इस अवधि में हिंदी भाषी कर्मचारी, हिंदीतर भाषी कर्मचारी एवं नालको नगर स्थित पब्लिक स्कूल और सरस्वती विद्या मन्दिर के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं की गई ।.इसके अन्तर्गत हिंदी निबंध, हिंदी वाद-विवाद, हिंदी कविता-पाठ, हिंदी पत्र-लेखन, हिंदी टिप्पण-लेखन एवं हिंदी प्रश्न-मंच प्रतियोगिता थी । इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर हिंदी के प्रति अपनी आन्तरिकता को उजागर किया ।

दिनांक 15-09-2008 को नालको नगर स्थित प्रशिक्षण संस्थान के सम्मेलन कक्ष में हिंदी दिवस एवं हिंदी सप्ताह का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के कार्यपालक निदेशक श्री अरूण कुमार शर्मा, मुख्य अतिथि, ने कहा कि भारत की अस्मिता को विश्व के सामने उपस्थित करने के लिए कोई सरकारी प्रयासों की आवश्यकता नहीं है । यदि गैर सरकारी स्तर पर हिंदी को कार्यालय में लागू करने का काम किया गया होता तो हिंदी का अनुपालन सही ढंग से बहुत पहले से हो चुका होता, उन्होंने यह बताया कि वैश्वीकरण के प्रभाव में सारे विश्व में हिंदी शिक्षण संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते है ताकि बाजारवाद के प्रभाव में हिंदी बहुत जल्द ही व्यवहार में आ जायेगी ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

निगमित मुख्यालय के निर्देशानुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेन्नई स्थित कार्यालयों में दिनांक 01-09-2008 से 14-09-2008 तक हिंदी पखवाड़े का भव्य आयोजन किया गया । हिंदी पखवाड़े के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा हिंदी का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों से अपने दैनिक कार्यों में सभी टिप्पणियाँ एवं मसौदे मूल रूप से हिंदी में लिखने का निर्देश दिए गए थे ।

हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन चेन्नई एयरपोर्ट एवं क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया ।

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । हिंदी श्रुत लेखन, टंकन, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण, हिंदी निबंध (हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले या हिंदी प्राज्ञ उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी अन्य अधिकारी/कर्मचारी), हिंदी अनुवाद (हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले या हिंदी प्राज्ञ उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी अन्य अधिकारी/कर्मचारी), हिंदी कविता पाठ, सामूहिक गीत, हिंदी आशुभाषण एवं हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन करके अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया गया ।

दिनांक 15-09-2008 को पूर्वाह्न 11.30 बजे नए प्रचालन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हिंदी समापन समारोह श्री डी. अनबलगन,कार्यकारी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र की अध्यक्षता में हुई ।

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक महोदय ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र देकर बधाई दी । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यालयीन कार्यों में हिंदी को महत्व देने का आहवान किया और हिंदी प्रयोग को रोजाना कार्यालय प्रयोग में लाने का संदेश दिया ।

उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व नाम आर आर एल), जोरहाट

उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व नाम आर आर एल), जोरहाट में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया ।

समारोह की अध्यक्षता संस्थान के प्रभारी निदेशक डा. डी सी गोस्वामी ने किया एवं संचालन राजभाषा प्रभारी श्री अजय कुमार ने किया ।

नार्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग के हिंदी विभाग के रीडर डॉ. दिनेश कुमार चौबे समारोह के मुख्य अतिथि थे । डॉ. चौबे असमियां रामायण एवं हिंदी रामायण के तुलनात्मक अध्ययन पर महत्वपूर्ण शोध कार्य कर चुके हैं । इन्होंने अपने व्याख्यान में देश के सभी प्रदेशों में त्रिभाषा का अनुकरण करने पर बल दिया । हिंदीत्तर क्षेत्रों में व्यक्ति स्वत: त्रिभाषा का अनुकरण कर रहे हैं अर्थात एक उनकी मातृभाषा है दूसरी हिंदी जानने का प्रयास करते हैं और अंग्रेजी सीखते हैं क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है । इसी

प्रकार हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को भी हिंदी के साथ देश के किसी एक क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने वैज्ञानिकों से अपील की कि वे भी अपना अनुसंधान जन भाषा हिंदी एवं स्थानीय भाषा में करें ताकि विकास कार्य का उपयोग जन मानस तक पहुंच सके। केवल अंग्रेजी तो मुट्ठी भर लोगों की भाषा है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. पी बी कांजीलाल ने उपस्थित सदस्यों को अपने भाषण से स्वागत किया। समारोह के सभापति के रूप में प्रभारी निदेशक डॉ. गोस्वामी ने संस्थान में राजभाषा विकास के लिए चल रहे गतिविधियों का ब्यौरा दिया एवं संविधान का उल्लेख करते हुए राजभाषा हिंदी के विकास के लिए अंपील की। समारोह का समापन हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को पुरुस्कृत करके हुआ। रुचिकर एवं प्रोत्साहन-वर्द्धक कई प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी क्विज, हिंदी श्रुतलेखन, लेखलेखन आदि 8 से 12 सितंबर तक आयोजित किया गया। इनमें भाग लेने वाले अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान संस्थान में सबसे अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारी को भी पुरुस्कृत किया गया। भारत सरकार द्वारा यहां संचालित निर्धारित हिंदी परीक्षा पास करने वालों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया। संस्थान के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों के राजभाषा प्रतिनिधियों को सुविधा के लिए अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोष भी प्रदान किया गया। अतं में श्री संतोष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

बोंगाइगॉव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, धालीगांव

दिनांक 15 सितम्बर, 2008 को राजभाषा पखवाड़े का मुख्य समारोह बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में श्री बी. के. दास, प्रभारी महाप्रबंधक-मानव संसाधन, बीआरपीएल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक-सीए एण्ड टी, श्री एच. सी. विश्वकर्मा ने अपने भाषण में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 14 सितंबर, 1949 के दिन बोलचाल की हिंदी को 'राजभाषा' के रूप में स्वीकार किया गया। विविधताओं से भरे बहुभाषी भारत को एक सूत्र में बांधने का मूल मंत्र हमारे संविधान में रखा गया, ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के सुख-दुख की भागीदारी में सहजता से शामिल हो सके। हमारे देश की 'राजभाषा' अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना रही है। विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। भारत में रहकर हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने देश की भाषा में अपने कार्यालय के कार्यों को पूरा करने के लिंए पूरी तरह से तैयार होना आवश्यक है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बीआरपीएल द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन औपचारिकताओं को छोड़कर की जा रही वास्तविक प्रगति के धरातल पर किया जाता है। अत: चली आ रही वर्षों की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी समारोह में बीआरपीएल के प्रभागों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं अपने-अपने प्रभागों में वर्ष 2007-08 के दौरान हुई राजभाषा प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया। उन द्वारा दिया गया विवरण वस्तुतः राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से उत्साहवर्धक रहा।

इस अवसर पर बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 2000-01 से आरम्भ की गई बोंगाइगॉव स्तर पर सीबीएसई की दसवीं परीक्षा के हिंदी विषय में सर्वाधिक एवं द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने की योजना के अधीन बीआरपीएल के मुख्य अतिथि श्री एच सी विश्वकर्मा ने इस वर्ष दिल्ली पब्लिक स्कूल, धालीगॉव तथा केंद्रीय विद्यालय, न्यू-बोंगाइगॉव के दो उदीयमान विद्यार्थियों अभिषेक बेजबरूआ को अठानवे प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रथम तथा सोविक अचर्जी को सतानवे प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर द्वितीय नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, धालीगॉव के प्राचार्य श्री ए के मिश्र के साथ विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। समारोह में भारत सरकार, गृह मंत्रालय की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बीआरपीएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि तथा राजभाषा पखवाड़े पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया।

समापन भाषण में समारोह के अध्यक्ष श्री बी. के. दास, प्रभारी महाप्रबन्धक-मानव संसाधन ने सभी विजेता प्रतियोगियों को बधाई दी, जिन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग

लिया और प्रतियोगी भावना का अच्छा प्रदर्शन किया । वर्ष के दौरान हिंदी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले और नकद पुरस्कार पाने वाले कंपनी के कर्मचारियों को तथा बोंगाइगाँव स्तर पर सीबीएसई की दसवीं परीक्षा के हिंदी विषय में उच्चतम तथा द्वितीय उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उदीयमान विद्यार्थियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे।

एम एस एम ई-विकास संस्थान, कोलकाता

संस्थान में दिनांक 01 से 15 सितंबर, 2008 की अवधि में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया और सोमवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2008 को हिंदी दिवस का पालन किया गया । हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा की अवधि में ही दिनांक 09 और 10 सितंबर, 2008 को दो अर्ध-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

दिनांक 01 सितंबर, 2008 को अपराह्न 3.00 बजे संस्थान के संगोष्ठी सभागार में हिंदी पखवाड़ा का विधिवत् उद्घाटन संस्थान के निदेशक श्री एस. पणिक्काशेरी द्वारा किया गया । अपने उद्घाटन भाषण में श्री पणिक्काशेरी जी ने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और यह देश की सम्पर्क भाषा है अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके और उनमें हिंदी के प्रति लगाव बढ़े। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग करते समय सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी समझ सकें। इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए संस्थान के सहायक निदेशक (यांत्रिक) और नामित राजभाषा अधिकारी श्री एस. विजय कुमार ने कहा कि हिंदी में सरकारी कामकाज करना आसान है। यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो हम आसानी से हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

तत्पश्चात संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री कन्हैयालाल वर्मा ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार से बताया और अधिक से अधिक संख्या में इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अनुरोध किया । हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल घोषित किए गए प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं दिनांक 09 और 10 सितंबर, 2008 को आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले कुल 14 (चौदह) पदधारियों को मुख्य अतिथि श्री सतीश कुमार पाण्डेय और संस्थान के निदेशक श्री एस. पणिक्काशेरी जी के कर-कमलों द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

दिनांक 01-09-2008 से 14-09-2008 तक राजभाषा पखवाड़ा एवं दिनांक 15-09-2008 को अपराह्न 3.00 बजे से हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया ।

इस दौरान निगम कार्यालयों में हिंदी के प्रति कर्मचारियों एवं अधिकारियों में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए मुख्यालय द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया जिनमें प्रतियोगियों की बढ़ती हुई संख्या इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि इस कार्यालय के कार्मिकों में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा है ।

पखवाड़े के अंतिम दिन दिनांक 15-09-2008 को क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में सादगीपूर्ण परन्तु उत्साहपूर्वक हिंदी दिवस समारोह का आयोजन अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक श्री डी. एन. पेग की अध्यक्षता में किया गया ।

मुख्य अतिथि श्री त्रिवेदी ने कार्यालय की गृह पत्रिका पूर्वेरूण के चतुर्थ अंक का विमोचन किया । इसके बाद पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं निगम में लागू विभिन्न हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को अतिथि एवं अपर आयुक्त सह-क्षेत्रीय निदेशक महोदय व अन्य अधिकारियों के कर कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया ।

तत्पश्पात् कार्याल्याध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित 55% के पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने पर कर्मचारियों को बधाई दी । उन्होंने इस हेतु उनकी प्रशंसा भी की एवं उनका हौसला बढ़ाया । उन्होंने कहा कि कर्मचारी जिस उत्साह से हिंदी में काम करते है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम शत प्रतिशत काम हिंदी में कर सकते है । उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली एवं समझी जाती है । विविधता से भरे हमारे देश को यह एकसूत्र में बांधने का काम करती है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम , चेन्नै

क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, चेन्नै में हर साल की तरह इस साल भी दिनांक 01 सितंबर से 15 सितंबर, 2008

तक मुख्यालय के निर्देश को अनुकरण करते हुए राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया । इस अवधि के दौरान राजभाषा पखवाड़े की सूचना देते हुए सभी शाखाओं एवं शाखा कार्यालयों को कार्यालयीन कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने तथा आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं में अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध करते हुए परिपत्र जारी किया गया ।

हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी वाक् प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता एवं अंताक्षरी प्रतियोगिताएं, हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषियों के लिए अलग-अलग आयोजित की गई । इन प्रतियोगिताओं में कुल 35 कर्मचारियों ने भाग लिया । 15 सितंबर (मंगलवार) को इस पखवाड़े के समापन समारोह के रूप में मनाया गया ।

सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री त्रिरत्न ने महानिदेशक का संदेश का वाचन किया । सभी उपस्थित कर्मचारियों से राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए सहायता करने की अपील की । उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चिह्नों की महत्ता को समझना जरूरी है । संविधान के अनुसार राजभाषा को स्वीकार करना हम सबका अधिकार है ।

उप क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम 14-20-27, पदमनाभा बिल्डिंग, गांधीनगर, विजयवाडा

1 सितंबर से 14 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस प्रयोजनार्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी-अपनी शाखाओं में अधिक से अधिक काम हिंदी में करने और हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए परिपत्र जारी किया गया ।

हिंदी पखवाड़े के दौरान 1 सितम्बर से 14 सितंबर तक हिंदी निबंध/हिंदी वाक/हिंदी टिप्पण आलेखन/हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिताए आयोजित की गयी । हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए हिंदी और अहिंदी दो समूह बनाए गए ।

दिनांक 16-09-2008 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया ।

अध्यक्ष, श्री आर.एस. राव. संयुक्त निदेशक महोदय ने अपने भाषण में हिंदी की उपयोगिता और आवश्यकता की विस्तृत रूप से व्याख्या की और सभी से ज्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में करने के लिए अनुरोध किया । श्री एन. केशवाचार्युलु, सहायक ने महानिदेशक, मुख्यालय , कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के संदेश को पढ़कर सुनाया ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चण्डीगढ़

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चण्डीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय निदेशक श्री जी.सी.जेना ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है । उन्होंने कहा कि अहिंदी भाषी होते हुये भी उनका यह मानना है कि इस विशाल तथा बहु भाषी देश में मात्र हिंदी ही ऐसी भाषा है जो इस देश को एक सूत्र में पिरो सकती है । राजकाज में सरल हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए श्री जेना ने कहा कि समाज के जिस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा के कार्य से हम जुड़े हुए हैं वह निर्धन और साधनहीन तो है ही, समाज के दूसरे वर्ग की अपेक्षा कम पढ़ा-लिखा भी हैं । इसलिए यह जरूरी है कि हम हिंदी का ही प्रयोग करें । ऐसा करके ही हम उसकी बात अच्छी तरह समझ सकेंगे और अपनी बात उसे भली-भांति समझा सकेंगे ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार प्रकट करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रीडर डा. बैजनाथ प्रसाद ने कहा कि अंग्रेज़ी का प्रयोग मानसिक दासता का प्रतीक है । शब्द सम्पदा की दृष्टि से हिंदी विश्व की सम्पन्न भाषाओं में से एक है । तकनीकी शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी का आधार संस्कृत है इसलिये हमारी भाषाओं में ज्ञान-विज्ञान के किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ही स्टीक, सुन्दर तथा सार्थक तकनीकी शब्द बनाये जा सकते हैं ।

इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए निगम के सेवानिवृत्त अपर आयुक्त (हितलाभ) श्री एस.एस. अबरोल ने कहा एक लम्बे संघर्ष और बलिदानों की अनूठी परम्परा के बाद जब हमने अंग्रेजों की दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली है तो आजादी के छह दशक बाद भी अंग्रेजी की मानसिक दासता से ग्रसित रहना न तो उचित है न ही श्रेयस्कर । निगम के कामकाज में हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए श्री अबरोल ने कहा कि हिंदी का प्रयोग करते समय इस बात की झिझक नहीं होनी चाहिए कि हमारी हिंदी कहीं गलत न हो । हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारी

अंग्रेजी भी पूरी तरह सही नहीं होती । गलत अंग्रेजी लिखने से तो अच्छा यही है कि हम हिंदी का प्रयोग करें । इससे अर्थ का अनर्थ होने की संभावना तो नहीं रहेगी ।

उप क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम , 'पंचदीप भवन' गणेशपेठ, नागपुर

निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर तथा इसके अधीनस्थ शाखा कार्यालयों में 01 सितंबर से 15 सितम्बर, 2008 तक राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया । पखवाड़े के सन्दर्भ में निगम के महानिदेशक महोदय की ओर से प्राप्त अपील सभी निगम कार्मिकों में परिचालित की गई । मुख्यालय के दिशानिर्देशानुसार कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर बैनर प्रदर्शित किया गया । निगम कार्मिकों के मन में हिंदी के प्रयोग, प्रचार व प्रसार के प्रति अभिरूचि पैदा करने के लिए इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इस बार जहां निबंध प्रतियोगिता का विषय था : '*जीवन में खेलकूद का महत्व*' वहीं वाक् प्रतियोगिता का विषय था : '*प्रजातंत्र में साँझा सरकार की भूमिका*' । टिप्पण एवम् आलेखन प्रतियोगिता तथा अन्ताक्षरी प्रतियोगिता का भी सफल आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में पर्याप्त संख्या में कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

पखवाड़े की समाप्ति के अवसर पर 15 सितम्बर की अपराह्न में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । समारोह की अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख श्री एल. के. गुप्ता प्रभारी संयुक्त निदेशक ने की ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री एल.के.गुप्ता, प्रभारी संयुक्त निदेशक ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग सभी संरकारी कार्मिकों का नैतिक दायित्व है । हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है सरकार की राजभाषा नीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज सरल, सहज तथा आम बोल-चाल की भाषा में निपटाया जाना चाहिए । उन्होंने निगम कार्मिकों से अपना अधिकाधिक काम हिंदी में ही निपटाने की अपील की ।

एनएचपीसी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

1 सितंबर, 2008 से 15 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन क्रिया गया । हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन 1 सितंबर, 2008 को श्री स्वतंत्र कुमार, महाप्रबंधक ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया ।

अपने उद्घाटन संबोधन में श्री स्वतंत्र कुमार, महाप्रबंधक ने राजभाषा के कार्य कलापों में और अधिक तेजी लाने तथा अपना सारा कार्य हिंदी में करने की व्यवस्थाओं आदि पर बल दिया । उन्होंने कई ऐसे देशों का उदाहरण भी दिया जहां सारा कार्य उनकी अपनी राष्ट्रभाषा में होता है । हमारे ही देश में ऐसी विडंवना है कि हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है लेकिन कार्य अंग्रेजी में होता है ।

पखवाड़े के दौरान 1 सितम्बर, 2008 से 5 सितम्बर, 2008 तक पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । यह कार्यक्रम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया । ब्यूरो की ओर से डा. कुसुम अग्रवाल, सहायक निदेशक (राजभाषा) और श्री राजेश सिंह, प्रशिक्षण अधिकारी ने व्याख्यान दिए और अभ्यास भी कराया । इस दौरान *भारत सरकार की राजभाषा नीति और अनुवाद की व्यवस्था, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद के सिद्धांत, पारिभाषिक शब्दावली : परिप्रेक्ष्य और प्रयोग, अनेकार्थी शब्दों के अनुवाद की समस्या, देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, कार्यालयी हिंदी एवं पत्राचार के अनुवाद* विषयों पर गहन अध्ययन किया गया ।

पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें अधिकारियों व कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

पखवाड़े का समापन समारोह 15 सितम्बर, 2008 को आयोजित किया गया । जिसकी अध्यक्षता श्री रमेश नारायण मिश्र, कार्यपालक निदेशक ने की । उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करना चाहिए । उन्होंने कहा कि हिन्दोस्तान की फौज और हिंदी टीवी चैनलों के माध्यम से हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ । उन्होंने विजेता अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी ।

सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी एस ए एस नगर

सेमी -कंडक्टर लेबोरेटरी में इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा मनाने का सिलसिला 14 सितंबर, 2008 से आरम्भ हुआ । इस दौरान हिंदी सुलेख प्रतियोगिता–विशेषत: अन्य भाषा–भाषी

लोगों के लिए, निबंध प्रतियोगिता एवं हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 22-09-2008 को किया गया । तत्पश्चात् आशु-भाषण प्रतियोगिता एवं हिंदी प्रश्नोत्तरी (Quir) प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 23-09-2008 को किया गया । इन सभी प्रतियोगिताओं में सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर सोत्साह भाग लिया । इसके अतिरिक्त पूरे वित्तीय वर्ष में हिंदी में मूल रूप से कार्य करने पर लागू की गई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 02 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया और सेवा परिचर/समूह घ के लिए लागू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 01 कर्मचारी को पुरस्कृत भी किया गया ।

दिनांक 25 सितंबर, 2008 को हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर प्रमुख, कार्मिकों एवं सामान्य प्रशासन, श्री अशवनी कुमार ने माननीय गृह मंत्री जी का संदेश पढ़ कर समारोह का शुभारम्भ किया । तत्पश्चात् निदेशक, एससीएल ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपना संदेश देते हुए सभी कर्मचारियों से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का अनुरोध किया । इसके उपरांत नियंत्रक महोदया श्रीमती मीता राजीव लोचन ने हिंदी दिवस समारोह पर अपने विचार व्यक्त किए और अंत में वैज्ञानिक/अभियंता श्री आशुतोष यादव ने 'काश आजादी मिलते ही अंग्रेजी हटा दी गई होती' विषय पर अपना व्याख्यान दिया ।

तदुपरान्त, विभिन्न प्रतियोगिताओं के 24 विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के प्रमुख,कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन, श्री अशवनी कुमार द्वारा आभार प्रदर्शन करते हुए हिंदी दिवस समारोह का सुखद समापन किया गया ।

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे

इस संस्थान में दिनांक 15 से 19 सितंबर, 2008 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया ।

दि. 15 सितंबर, 2008 को 'हिंदी सप्ताह समारोह' का उद्घाटन डॉ. (श्रीमती) के एस लोले, वैज्ञानिक-सी की अध्यक्षता तथा श्रीमती सीमा देशपांडे, उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, पुणे के प्रमुख उपस्थिती में हुआ । उनके कर-कमलों द्वारा दीप-प्रज्वलन किया गया । उद्घाटन के बाद श्रीमती देशपांडे ने राजभाषा हिंदी का कार्यालयीन कामकाज में महत्व इस विषय पर व्याख्यान दिया । अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के कोने-कोने में बोली जाती है । विज्ञान का महत्व बताते हुए कहा कि अंग्रेजी के बिना विज्ञान नहीं, यह सच नहीं है । वास्तव में विज्ञान एक विचार प्रक्रिया है । हिंदी की उपलब्धि अपनी विचार प्रक्रिया है, चिन्तन है, मनन है । कार्यालय के हर कर्मचारी का हिंदी को बढ़ावा देने के लिए योगदान चाहिए । पिछले साल भर में हमने क्या काम हिंदी में किया है, इसके लिए क्या प्रयास किए हैं यह सोचने का आज का महत्वपूर्ण दिन है । हिंदी को व्यापक रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए । राजभाषा की इस बढ़ती प्रगति को बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए । हमारी राष्ट्रीयता की पहचान और संघ की राजभाषा हिंदी को व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि विश्व पटल पर इसे वह सम्मान मिल सके जिसकी यह वास्तव में अधिकारिणी है । अपने भाषण में उन्होंने प्रसन्नता से आगे कहा कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे में हिंदी अनुभाग और हिंदी के कर्मचारी न होते हुए भी हिंदी को बढ़ावा देने का काफी अच्छा काम हो रहा है । आगे यह भी कहा की यह संस्थान विशेषज्ञों के व्याख्यानों और ठोस परिचर्चाओं के द्वारा सरकारी संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करने के लिए बहुत की अच्छा कार्य कर रहा है ।

हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

श्री जोशी एवं श्री शहा के कर-कमलों द्वारा हिंदी सप्ताह के दौरान लिए गए प्रतियोगिताओं के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार की राशि तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए ।

महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, संचार भवन, नाशिक-422002

भारत संचार निगम लिमिटेड, नाशिक में वर्ष 2008 का हिंदी पखवाड़ा बडे ही आकर्षक और सुरुचिपूर्ण ढंग से मनमाड में दिनांक -09-2008 को नांदगांव, मनमाड, चांदवड और येवला एसडीसीए के लिए और उसी प्रकार मालेगांव में दिनांक 22-09-2008 को मालेगांव, सटाणा, कलवण और उपराणे एसडीसीए के लिए और पिंपलगांव में दिनांक 29-09-2008 को पिंपलगांव, निफाड, दिंडोरी, पेठ, सुरगाना एसडीसीए के लिए और नाशिक में दिनांक 15 सितम्बर,

626 HA/09—13A

2008 से दिनांक 29 सितंबर 2008 तक नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सिन्नर, दिंडोरी, पेठ, निफाड और सुरगाना एसडीसीए के लिए मनाया गया । इस प्रकार सम्पूर्ण नाशिक दूरसंचार जिले के कार्यालयों को पखवाड़े की प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा प्रोत्साहन पाने का अवसर मिला ।

इस दौरान विविध प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

प्रतियोगिताओं के विजेता अधिकारियों और कर्मचारियों को महाप्रबंधक दूरसंचार बीएसएनएल नाशिक श्री अशोक वीर, महाप्रबंधक दूरसंचार (विकास)बीएसएनएल नाशिक श्री एन.एस.गुप्ते और उप महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री विश्वमोहन ने नकद राशि के पुरस्कार देकर सम्मानित किया ।

आकाशवाणी पणजी

14 सितंबर हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में सितंबर महीने के पहले पखवाड़े को आकाशवाणी पणजी द्वारा हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया गया । केंद्र निदेशक श्री बी.डी. मजुमदार ने हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार की राजभाषा हिंदी का क्रियान्वयन और विकास इस तरह से करें कि यह भारत की सामासिक संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) को प्रकट करे । इस अवसर पर त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला में ''हिंदी और भारतीय भाषाओं का विकास'' विषय पर डॉ. सोनिया सिरसाट व्याख्याता हिंदी विभाग गवर्मेंट कालेज पेडणे ने व्याख्यान दिए । भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति और विकास, भाषा वैज्ञानिक गुण तथा इन भाषाओं में उपलब्ध समृद्ध साहित्य पर उन्होंने प्रकाश डाला । श्री वी.एन. पागे केंद्र अभियंता, श्री प्रदीप लोटलीकर कार्यक्रम निष्पादक, श्री कुबेर पी बीडीकर प्रशासनिक अधिकारी तथा श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने हिंदी कार्यशाला को संबोधित किया । श्रीमती वैशाली फर्नांडीस ने समारोह का सुंदर संचालन किया ।

आकाशवाणी नागपुर

दिनांक 15 सितंबर, 2008 से 29 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । दिनांक 15 सितंबर, 2008 को सुबह 11.00 बजे हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया ।

हिंदी दिवस/पखवाड़े के मुख्य अतिथि डॉ. रामप्रकाश सक्सेना, पूर्व अधिष्ठाता, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपुर विद्यापीठ, नागपुर ने किया । उन्होने हिंदी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि सरकार नागरिकों पर हिंदी लाद नहीं रही है वैसे ही, जैसे माता-पिता अपने बच्चों पर भाषा लादते नहीं हैं मानसिकता जब तक नहीं बदलती तब तक हिंदी को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता हैं ।

विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान दिनांक 22-09-2008 को पूर्वान्ह 11.30 बजे एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया । जिसमें प्रमुख्य वक्ता डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी ने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी पदबंधों का प्रयोग विषय पर मार्गदर्शन किया जिसमें 31 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

मुख्य अतिथि के रूप में एस. के. पोखाल कालेज, कामठी की अधिष्ठाता डॉ. विजयालक्ष्मी रामटेके ने कहा कि आज भारत में वैश्वीकरण के युग में हिंदी एक सशक्त माध्यम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का वह दिन दूर नहीं जब सभी कार्यालयों में शतप्रतिशत काम हिंदी में किया जायेगा । मुझे यह जानकर खुशी हुई कि, आकाशवाणी नागपुर को राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु नराकास द्वारा द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया । इस कार्यालय में अधिकाधिक कार्य हिंदी में हो रहा है जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है । हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह का संचालन कार्यक्रम अधिकारी श्री अमर रामटेके ने किया तथा आभार प्रदर्शन श्रीमती श्रद्धा भारद्वाज ने किया ।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे

15-9-2008 को हिंदी दिवस के पूर्व 1 सितंबर 2008 से हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस अवधि में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। 15 सितंबर, 2008 को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया । अपने भाषण में उन्होंने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील की और आगे कहा कि सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा लोकप्रिय हो गई है इसलिए उसे राजभाषा के रूप में हमें आगे ले जाना है । हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी निबंध, वाद-विवाद, वार्तालाप, प्रश्नमंच, प्ररूतुतीकरण, टंकण, तकनीकी लेख और हिंदी में मूल रूप से टिप्पण आलेखन

626 HA/09—13B

योजना में पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र देकर प्रोत्साहित किया गया ।

रेलवे स्टॉफ कालेज, वडोदरा

रेलवे स्टॉफ कालेज, वडोदरा में दिनांक 01-09-2008 से 15-09-2008 तक राजभाषा पखवाड़ा आयोजित किया गया ।

राजभाषा पखवाड़ा-2008 के दौरान संकाय सदस्यों/मेहमान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कंम्यूटर पर हिंदी कुंजीयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । साहित्यिक एवं राजभाषा विषयक सामान्य जानकारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजभाषा प्रश्न-मंच तथा प्रशासनिक कार्यो में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं का पारस्परिक ज्ञान के उद्देश्य से प्रशासनिक शब्द ज्ञान प्रतियोगिता के साथ-साथ हिंदी में प्रभावशाली अभिव्यति करने के उद्देश्य से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चित्र देखकर भावाभिव्यक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इसके अलावा कालेज के अंग्रेजी तथा हिंदी आशुलिपिकों में हिंदी डिक्टेशन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से हिंदी डिक्टेशन प्रतियोगिता तथा संकाय सदस्यों मेहमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तक़नीकी विषयों पर हिंदी में अपने विचार व्यक्त करने हेतु सूचना का अधिकार, कंप्यूटरों पर भारतीय भाषाओं का प्रचलन तथा भूमंडलीकरण और भारतीय रेल विषयों पर हिंदी में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें संकाय सदस्यों, मेहमान अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा सार्थक प्रस्तुतियां की गईं ।

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

बड़ौदा स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई-भारी पानी संयंत्र-में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 15-09-2008 को किया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन संयंत्र के महाप्रबंधक आदित्य भौमिक ने भाषा माता हिंदी के चित्र के समक्ष दीप-प्रज्वलित कर के किया । इसके बाद सुश्री नीला बेन ने भाषा माता हिंदी की आराधना करते हुए स्तोत्र तथा स्तुति गान किया ।

संयंत्र में राजभाषा हिंदी संबंधी गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए सहायक निदेशक (रा.भा.) डॉ. रश्मि वार्ष्णेय ने कहा कि इस वर्ष हिंदी दिवस अनंत चतुर्दशी के पावन-पुनीत अवसर पर आया है, जो इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि अब हिंदी के मार्ग के सारे विघ्न विघ्नहर्ता गणेश हर लेंगे और हिंदी राजभाषा के रूप में अपने सही मायने में प्रतिष्ठित हो कर रहेगी ।

संयंत्र के महाप्रबंधक आदित्य भौमिक ने उपस्थित कर्मचारियों को अपना शासकीय कार्य जैसे टिप्पण-लेखन, प्रारूपण, पत्राचार, रिपोर्ट बनाना, आदि राजभाषा हिंदी में करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि हिंदी नहीं जानने वालों को भी हिंदी सीखनी चाहिए । इससे प्रांतीयता दूर होती जाएगी और सभी एक भाषा-सूत्र से आबद्ध हो कर राष्ट्रीय हो जाएँगे ।

पश्चिम रेलवे भावनगर मंडल

दिनांक 12-9-2008 से 19-9-2008 तक राजभाषा सप्ताह आयोजित किया गया । इस दौरान 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर, दिनांक 12-09-2008 को अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री कुंदन कुमार द्वारा अपील का विमोचन किया गया तथा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया हिंदी सप्ताह के दौरान अधिकारियों के लिए हिंदी समाचार शीर्ष लेखन तथा सूक्ति लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें मंडल के अनेक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, मेरी पसंद मेरी प्रस्तुति तथा प्रश्न मंच आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं जिनमें अनेक कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी हिंदी गद्यांश लेखन एवं वाचन तथा मेरी कलम से बहे हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थीं । इसमें अनेक कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया ।

दिनांक 19-09-2008 को समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राजभाषा सप्ताह के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक छाबड़ा के कर-कमलों से पुरस्कार प्रदान किए गए । इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने अपने संबोधन में अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने दैनिक कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी में करने का आहवान किया ।

पश्चिम सैक्टर मुख्यालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सी बी डी बेलापुर नवी मुंबई

दिनांक 1-9-08 से 15-9-08 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया एवं इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप आलेखन, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी कार्यशाला, हिंदी राजभाषा प्रश्नमंच आदि आयोजित की गई । इसके अलावा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए एवं कार्यालयीन कामकाज में हिंदी को बढ़ाने के लिए प्रत्येक महीने हिंदी प्रश्नोत्तरी, कवि सम्मेलन, संवाद गोष्ठियाँ आदि आयोजित की जाती है । हिंदी दिवस समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मियों को श्री इ. राधाकृष्णा, भा.पु.से. प्रतिस महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर केरिपुबल के द्वारा नकद पुरस्कार दिए गए । इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा इसके शब्द लगभग हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में मौजूद हैं । कार्यालय में सरल व सहज हिंदी लिखे तथा कार्यालयों में इसे और लोकप्रिय बनाएं । आज का युग बहुभाषी युग है इसलिए आप सभी एक से अधिक भाषाएं सीखकर और उन्नति कर सकते हैं । सुरक्षा की दृष्टि से भी आप जहां रहें वहां की स्थानीय भाषा को भी समझने व सीखने का प्रयास करे ।

भिलाई इस्पात संयंत्र

भिलाई इस्पात संयंत्र, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 16 से 30 सितंबर, 2008 तक घोषित राजभाषा पखवाड़े के तहत् संयंत्र कार्मिकों हेतु आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के क्रम में प्लेट मिल के सभागार में 22 सितम्बर, 2008 को तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सम्पन्न हुआ जिसमें संयंत्र के विभिन्न विभागों से बड़ी संख्या में कार्मिकों ने भाग लिया ।

प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए श्री एस.एस. मोहन्ती, महाप्रबंधक, प्लेट मिल ने कहा कि भिलाई ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग दुष्कर है । प्लेट मिल में ही 96 प्रतिशत कार्य हिंदी में हो रहा है । मुझे इस बात का गर्व कम, चिन्ता अधिक है कि शेष 4 प्रतिशत काम कब हिंदी में हो पावेगा । हमारा काम टीम-वर्क है और टीम के बीच सम्प्रेषण सबसे सहज माध्यम है हिंदी ।

प्रारम्भ में राजभाषा प्रमुख श्री अशोक सिंघई ने समस्त अतिथियों, निर्णायकगणों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुये कहा कि व्यक्तित्व को निखारने तथा उच्चतम सफलताओं के लिये प्रतिस्पर्धा उतनी ही अनिवार्य है जितना कि हीरों को तराशना । हिंदी भी अंग्रेजी के साथ जूझकर और अधिक मजबूज तथा सार्थक हुई है । उप महाप्रबंधक एवं विभागीय हिंदी समन्वय अधिकारी श्री जगमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्लेट मिल में हिंदी के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे ताकि हम शत-प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें । इस अवसर पर उप महाप्रबंधकद्वय श्री व्ही.एन. हँसिया, श्री उमारमन तथा श्री आर.के. सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये ।

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, राँची

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 01-09-2008 से 15-09-08 तक किया गया । दिनांक 01-09-2008 को हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई । इस बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा हिंदी टिप्पण आलेखन, शब्दावली प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

श्री एस.आर. विश्वकर्मा, वैज्ञानिक-डी द्वारा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया ।

अधिकारियों एवं प्रशिक्षणर्थियों को संबोधित करते हुए संस्थान के श्री एस.आर. विश्वकर्मा, वैज्ञानिक-डी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना समस्त वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक कामकाज हिंदी में करें । इसके साथ ही समस्त भारतीय भाषाओं के विकास पर भी ध्यान दें । श्री बी.एम.के. सिंह वैज्ञानिक-डी तथा श्रीमती शोभा बेक, वैज्ञानिक-सी ने क्रमश: अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड का संदेश वाचन किया । डॉ. एन. जी. ओझा, वैज्ञानिक-डी ने हिंदी अपने घर में विषय पर पर प्रकाश डाला । कार्यक्रम के अंत में श्री एस.एन. सिन्हादेव, वैज्ञानिक-डी ने धन्यवाद ज्ञापन किया । तदुपरान्त राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया ।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में 1 से 15 सितम्बर 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । इस अवसर पर संस्थान में हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता और हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इनमें संस्थान के अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया । इस पखवाड़े का मुख्य समारोह 15 सितम्बर 2008 को आयोजित किया गया । डॉ. देवेन्द्र कुमार चौबे इस समारोह के मुख्य अतिथि थे । डॉ. देवेन्द्र कुमार चौबे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र, भाषा साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान में सहयोगी प्रोफेसर हैं और संपादन कार्य से भी जुड़े हुए हैं । मुख्य अतिथि के औपचारिक स्वागत के बाद संयुक्त निदेशक (सा.से.) ने राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से प्राप्त माननीय गृह मंत्री जी का राजभाषा संबंधी संदेश पढ़ कर सुनाया ।

मुख्य अतिथि डॉ. चौबे ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि भाषा का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, भाषा व्यक्ति की, समाज की पहचान है । अत: भाषा को अनुवाद से न जोड़ें इसे अपनी जातीय संस्कृति से जोड़ें । उन्होंने यह भी कहा कि कामकाज में आसान से आसान शब्दों का इस्तेमाल करें और अपनी भाषा से नाता कभी न तोड़ें क्योंकि अपनी भाषा में काम करना गर्व की बात है । उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा हिंदी से संबंधित कार्यों में रूचि लेते हैं । मुख्य अतिथि ने पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता और हिंदी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहन योजना और हिंदी में मूल कार्य की नकद पुरस्कार योजना के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका, नई दिल्ली-67

दिनांक 1-15 सितम्बर, 2008 के दौरान संस्थान में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिंदी भाषा संवर्धन संबंधी गतिविधियां तथा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

11 सितम्बर, 2008 को ही संस्थान में हिंदी दिवस मनाया गया । इस अवसर पर जवाहर लाल नेहरू विश्व-विद्यालय, नई दिल्ली में समाज विज्ञान संकाय के प्रो. आनन्द कुमार द्वारा 'वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की स्थिति' विषयक एक व्याख्यान दिया गया, जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा पर पड़ रही वैश्विक अवधारणाओं (भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण) तथा वैश्विक बाजार की स्थितियों के प्रभाव पर प्रकाश डाला तथा हिंदी के प्रयोग के संवर्धन हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए । संस्थान के उप-संपादक (हिंदी) श्री गणेश शंकर श्रीवास्तव द्वारा 'हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में वैचारिक जागृति' विषयक एक आलेख भी पढ़ा गया । इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में संस्थान के निदेशक प्रो. देवकी नन्दन ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग करने का आग्रह किया तथा उन्होंने सभागार में उपस्थित संस्थान के सभी कर्मचारियों से हिंदी ज्ञान होने की पुष्टि भी करवाई । साथ ही, निदेशक महोदय द्वारा हिंदी से संबंधित संपन्न प्रतियोगिताओं के लिए 'सांत्वना पुरस्कारों' के स्थान पर 'प्रोत्साहन पुरस्कार' उल्लिखित किए जाने का सुझाव भी स्वीकृत किया गया । हिंदी अधिकारी श्री बी.एस. नेगी द्वारा सभा के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया गया ।

नराकास भिलाई-दुर्ग

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग के तत्वावधान में 14 सितंबर, 2008 को भिलाई निवास के बहुउद्देशीय सभागार में हिंदी दिवस के गरिमामय आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री बैकुण्ठ पाणिग्रही, निदेशक, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र रायपुर उपस्थित थे जब कि श्री एस.एन.पी. सिंह, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), भिलाई इस्पात संयंत्र ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की ।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री बैकुण्ठ पाणिग्रही ने अपने उद्बोधन में कहा कि समूचे देश और विदेशों की यात्रा से मुझे यह अनुभव हुआ कि लोग हिंदी जानते हैं पर बोलते और लिखते नहीं हैं । इसका कारण हीनता की ग्रन्थि नहीं बल्कि उनकी अपनी उच्चता की कुण्ठा (सुपीरियरिटि कॉम्पलेक्स) है जो यह जताना चाहती है कि चाहे टूटी-फूटी ही सही, वे अंग्रेजी जानते हैं । विदेशों में तक हिंदी को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई । मलेशिया, जर्मनी, जापान,

एशिया के छोटे-बड़े देशों में हिंदी समझी जा रही है । हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुकी है ।

अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री एस.एन.पी. सिंह ने कहा कि हमारे दिल में तो हिंदी है, इसे दिमाग तक लाना है ताकि दिलो-दिमाग में हिंदी घर कर जाए । भिलाई इस्पात संयंत्र में जटिल कार्यों में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष संयंत्र के ट्रैफिक विभाग ने 'ट्रॉम्स्' साफ्टवेयर हिंदी में विकसित करके शानदार कारनामा कर दिखाया है । हमें भाषा और तकनालॉजी के बीच संगत बिठानी होगा तभी हम आधुनिक तकनीकों का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे ।

आकाशवाणी इलाहाबाद

कार्यालय में 1 से 15 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । 1 सितंबर, 2008 को कार्यालयाध्यक्ष श्री शरद चंद्र मिश्र की अपील जारी की गई । इसी दिन हिंदी टंकण प्रतियोगिता आयोजित की गई ।

15 सितंबर, 2008 को हिंदी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया । इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी. एस. लाली महोदय की अपील को केंद्र अभियंता महोदय ने पढ़कर सुनाया । पूरे पखवाड़े भर चली प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती रश्मि चौधरी तथा केंद्र अभियंता श्री शरद चंद्र मिश्र महोदय ने अपने कर कमलों से प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया । इस अवसर पर केंद्र अभियंता महोदय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ एक दिन हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े मनाकर हम अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकते । हिंदी का कामकाज पूरे वर्ष भर मनोयोग से करने का संकल्प लेना चाहिए इस प्रकार हिंदी पखबारे का आयोजन संपन्न हुआ ।

आकाशवाणी राजकोट

दिनांक 15-09-2008 से 30-09-2008 तक हिंदी पखवाड़ा बड़े हर्षोउल्लास से मनाया गया ।

पखवाड़ा के उद्घाटन अवसर पर बोलते हूए अधीक्षण अभियंता श्री राजेश जैन ने कहा कि हमें हिंदी में अपना सरकारी काम-काज करके देश के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए । उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य करना हम सभी की नैतिक एवम् संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, जिसे हमें पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना चाहिए । उन्होंने कहा कि एक हिंदीतर भाषी प्रदेश में इसका प्रचार-प्रसार देखकर मुझे प्रसन्नता है फिर भी हमें पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और प्रयत्न करने होंगे । उन्होंने हिंदी पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के लिए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी तथा अपील की कि हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम सभी वर्ष भर अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में ही करेंगे ।

आकाशवाणी : शिमला

आकाशवाणी शिमला में दिनांक 1 से 15 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । हिंदी पखवाड़े के दौरान चार हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया । पखवाड़े के दौरान केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को केंद्र निदेशक द्वारा एक अपील जारी की गई जिसमें इस अवधि के दौरान अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए कहा गया था । हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण और प्रारूप, राजभाषा ज्ञान और हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महानिदेशालय के आदेशानुसार दिनांक 15-09-2008 को केंद्र निदेशक तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा वरीयता प्रमाण-पत्रों तथा नकद पुरस्कार राशि से मुख्य समारोह के अवसर पर सम्मानित किया गया । हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह के अवसर पर केंद्र निदेशक श्री तेज कृष्ण रावल ने केंद्र के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि आज सभी संकल्प लें कि ये पूरा वर्ष अपना अधिक से अधिक सरकारी कार्य केवल हिंदी में करेंगे । इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता श्री वी. के. उपाध्याय ने अपने संबोधन में केंद्र के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया । केंद्र के हिंदी अधिकारी ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला । हिंदी पखवाड़े का संचालन केंद्र के हिंदी अधिकारी **डॉ. एस. के. शर्मा** द्वारा किया गया ।

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय में दिनांक 16 सितम्बर, 2008 को हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया । इस अवसर पर हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थानों पर आए कार्मिकों को बल के महानिदेशक श्री आशीष कुमार मित्रा ने नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया । महानिदेशक महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज से 59 वर्ष पहले हमारे देश की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था । तभी से 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है । सीमा सुरक्षा बल में देश के कोने-कोने से देश के विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति शामिल हैं और इनकी मातृ-भाषा भी अलग-अलग है लेकिन बल में इन सभी कार्मिकों को, आपसी बात-चीत या कामकाज करने में कोई परेशानी नहीं आती है क्योंकि सभी हिंदी भाषा व्यवहार में लाते हैं । जापान, रूस, चीन जैसे देशों ने अपनी राष्ट्रभाषा में कार्य करके काफी उन्नति की है और वे अपनी भाषा में कार्य करते हुए गर्व महसूस करते हैं । अन्य भाषाओं को सीखना गलत नहीं, अन्य भाषाएं सीखनी चाहिएं, लेकिन इन भाषाओं के मोह में हमें अपनी राष्ट्र-भाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए । उन्होंने अधिकारी वर्ग से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं हिंदी में करके अपने अधीनस्थ कार्मिकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें, तथा उन्हें भी अपना दैनिक सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें । इस प्रकार हिंदी में कार्य करने की मानसिकता विकसित होगी । हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले अधिकारी एवं कार्मिकों को उन्होंने बधाई दी । साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा "हिंदी दिवस" पर हमें अपने पूरे वर्ष में किए गए हिंदी के कार्य की पूरी समीक्षा करनी चाहिए और जो भी कार्य हम पिछले वर्ष नहीं कर पाये उन्हें इस वर्ष पूरे मनोयोग से करने का संकल्प लेना चाहिए । इस अवसर पर वर्ष 2007-08 के दौरान हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने पर सीमान्त मुख्यालय शिलांग, टी सी एण्ड एस हजारीबाग और संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय को तीन राजभाषा शील्डें दी गईं । इन शील्डों को क्रमशः श्री पी. के. मिश्रा, महानिरीक्षक, श्री के. के. शर्मा, उप महानिरीक्षक एवं श्री विरेंन्द्र, महानिरीक्षक ने प्राप्त किया । इस अवसर पर महानिदेशक द्वारा सभी मुख्यालयों एवं बटालियनों को हिंदी में कार्य काने के लिए "महानिदेशक की अपील" जारी की गई । "हिंदी में जानने योग्य बातें" पुस्तिका एवं हिंदी में कार्य करने के लिए प्रयोग में आने वाले मानक फ़ार्मों और मसौदों की सी डी भी जारी की गई ।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल महानिदेशालय

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल महानिदेशालय द्वारा 1 से 15 सितम्बर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया ।

हिंदी पखवाड़े के अवसर पर, भा.ति.सी. पुलिस बल के महानिदेशक श्री विक्रम श्रीवास्तव, भा.पु.से. की ओर से दिनांक 1 सितम्बर, 2008 को एक अपील जारी की गई । अपील में राजभाषा की संविधान में स्थिति, सूचना क्रांति के दौर में हिंदी का प्रयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ हिंदी की प्रगति तथा बल द्वारा हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया । उन्होंने बल के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अपील की कि वे स्वेच्छा एवं समर्पित भावना से राजभाषा नीति का पालन करें । उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे स्वयं शासकीय कार्य में सरल हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर अधीनस्थों के लिए प्रेरणा स्रोत बनें । उन्होंने सभी से अपने शासकीय कार्यों में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने का आह्वान किया ।

राजभाषा हिंदी में सरकारी काम-काज को प्रोत्साहित करने एवं इसके प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रुचि पैदा करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान राजभाषा हिंदी संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया

कार्यालय–महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, भोपाल

भोपाल दूरसंचार जिले में 1 से 15 सितंबर, 2008 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया ।

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण समारोह में महाप्रबंधक द्वारा 15 सितंबर, 2008 को पुरस्कार प्रदान किए गए । इसके अलावा सरकारी काम-काज अधिकाधिक हिंदी में करने के लिए चलाई जा रही त्रैमासिक नगद पुरस्कार प्रोत्साहन योज़ना के पुरस्कार भी उन्होंने वितरित किए । इस बार सभी प्रतिभागियों को गारंटेड उपहार भी दिए गए । समारोह का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण,

दीप प्रज्जवलन तथा माँ सरस्वती की वंदना से हुआ ।

पुरस्कार वितरण समारोह के प्रारंभ में सहायक निदेशक (राजभाषा) डॉ. सुमन कुमार ने राजभाषा के क्षेत्र में वर्ष भर किए गए कार्यों की संक्षिप्त रपट प्रस्तुत की तथा हिंदी पखवाड़े के दौरान किए गए कार्यकलाप की जानकारी भी दी ।

पुरस्कार वितरण के उपरांत महाप्रबंधक महोदय ने अपने उदबोधन में रेखांकित किया कि इस बार हिंदी पखवाड़े में प्रतिभागी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति पहले की अपेक्षा काफी अधिक रही । प्रतिभागियों ने आयोजित प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में भाग लेकर हिंदी के प्रति जिस उत्साह और लगाव का प्रदर्शन किया है उसे अपने दैनंदिन काम-काज में भी वर्ष भर बनाए रखें, यही मेरी कामना है ।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, तिरूपति हाऊस, 60, बोहरा गणेश रोड, उदयपुर 313001 (राजस्थान)

खान सुरक्षा महानिदेशालय के उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक **1-9-2008 से 15-9-2008** तक हिंदी पखवाड़ा पूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया । पखवाड़े के दौरान सभी कार्य हिंदी में करने की अपील जारी की गई तथा हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाईयों पर विचार किया गया । वैसे तो उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकांश कार्य हिंदी में किए जाते हैं फिर भी इस पखवाड़े के दौरान सभी टिप्पणी, प्रारूपण, फाईलों पर नाम, विषय, प्राप्त पत्रों का उत्तर तथा अन्य लेखन कार्य हिंदी में किए गए । ऐसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी पत्र जिनका हिंदी रूपांतरण तत्क्षण सम्भव नहीं है उसका अग्रसण पत्र हिंदी में भेजा गया तथा भविष्य में भी सभी कार्य हिंदी में करने का संकल्प लिया गया ।

हिंदी पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया । प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

हिंदी पखवाड़े का समापन एवं मुख्य समारोह खान सुरक्षा महानिदेशालय के उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में खान सुरक्षा निदेशक श्री कुलदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में दिनांक 15-9-2008 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजन किया गया ।

प. रे. राजकोट मंडल

पश्चिम रेलवे, राजकोट मंडल के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़ा वर्ष 2008 के उपलक्ष्य में दिनांक 15 सितंबर, 2008 को सभाकक्ष, मंडल कार्यालय में माननीय रेल मंत्री जी तथा महाप्रबंधक–पश्चिम रेलवे के संदेश का श्री आर. पी. निबारिया, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पठन किया गया । साथ ही मरेप्र–राजकोट की हिंदी दिवस 2008 की अपील का पठन श्री मुकेश कुमार गुप्ता, अमरेप्र द्वारा किया गया । उसी दिन अधिकारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई । तदुपरांत हिंदी सप्ताह 2008 के क्रम में कर्मचारियों के लिए दि. 15-09-2008 से 29-09-2008 तक हिंदी वाक, कहानी विस्तार, अनुवाद, गीत गायन, पारिभाषिक शब्दावली, टिप्पण आलेखन, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण और पश्चिम रेलवे महिला समाज सेवा समिति की सदस्याओं के लिए सामान्य प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । उक्त सभी प्रतियोगिताओं में अधिकारियों / कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया ।

हिंदी पखवाड़े का "मुख्य समारोह" 15 सितम्बर को आयोजित किया गया । समारोह के मुख्य अतिथि श्री विक्रम श्रीवास्तव, भा. पु. से., महानिदेशक थे । समारोह का शुभारंभ श्री प्रमोद अस्थाना, महानिरीक्षक (मुख्यालय) के स्वागत भाषण से हुआ । उन्होंने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए सभी को "हिंदी दिवस" की बधाई दी । उन्होंने बल में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति और इसमें हुई प्रगति के संबंध में जानकारी दी । उन्होंने राजभाषा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखने का आश्वासन दिया । इसके बाद, "स्वरचित हास्य काव्य-पाठ प्रतियोगिता" के पुरस्कृत प्रतियोगियों द्वारा कविता पाठ प्रस्तुत किया गया ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में हिंदीतर भाषी कार्मिकों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया । उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति हमारी टीम भावना से कार्य करने एवं सकारात्मक सोच का परिणाम है। इसके

परिणामस्वरूप ही, हम गृह मंत्रालय की राजभाषा शील्ड में पुन: **"प्रथम"** स्थान प्राप्त कर सके हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अन्य विभाग भी प्रयासरत हैं और हमें उनसे चुनौती मिल रही है। अत: हमें अपने कार्यों में पहले की अपेक्षा गहन प्रयास करने होंगे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अधिकारी स्वयं समस्त काम हिंदी में करें ताकि स्टाफ भी अपना समस्त काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित हो। उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि राजभाषा के क्षेत्र में सभी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए भा.ति.सी. पुलिस बल का यश बढ़ाएंगे।

उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल कार्यालय, बीकानेर

बीकानेर मंडल पर इस वर्ष 15 सितंबर से 22 सितंबर तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया।

राजभाषा दिवस पर राजभाषा से संबंधित विविध सामग्री यथा-वार्षिक कार्यक्रम, शब्दकोश, नगर राजभाषा शील्ड व बैठक, राजभाषा नियम 1976 व अधिनियम 1963, प्रोत्साहन योजनाएं, राजभाषा संबंधी प्रश्नोत्तर, मंडल पर की जाने वाली गतिविधियां, सप्ताह शुभारंभ सप्ताह के वीडियो व चित्रावली, मित्रों से संपर्क व हमसे संपर्क करें आदि की वैबसाईट www. Rajbhasha. net जो मंडल के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई है का लोकार्पण मंडल रेल प्रबंधक, श्री आलोक रंजन द्वारा किया गया। राजभाषा सप्ताह के दौरान मंडल तथा नगर राजभाषा समिति स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समस्त कार्यक्रम मंडल कार्यालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुए तथा स्थानीय समाचार पत्रों में इनसे संबंधित समाचार भी प्रकाशित हुए। 15 सितंबर को "भारतीय संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति का परिचायक है" विषयक अधिकारियों की वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक के कार्यालय, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़ा/हिंदी दिवस 2008 समारोहपूर्वक मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस समारोह 29 सितम्बर, 2008 को मुख्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मौसम विज्ञान के महानिदेशक ए. वी. एम. डॉ. अजित त्यागी ने की। समारोह में सर्वप्रथम ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी श्री ए. बी. लाल ने अध्यक्ष महोदय तथा सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभागार में उपस्थित सभी कार्मिकों का स्वागत किया। इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय ने दीप प्रज्जवलित किया। स्वागत भाषण के उपरांत ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई स्वरचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों ने अपनी स्वरचित हिंदी कविता प्रस्तुत की।

ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी ने श्रीमती शालिनी मखीजा, प्रशासनिक अधिकारी एवं संयोजक सांस्कृतिक कार्यक्रम, से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। श्रीमती सरिता जोशी, वरिष्ठ अनुवादक एवं श्रीमती एम. अनुराधा, वरिष्ठ अनुवादक ने मंच संचालन किया। इसमें विभाग के कार्मिकों ने शिक्षाप्रद झलकियां, हास्य झलकियां, गीत, एवं संगीत का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

तदुपरांत ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी ने सूचित किया कि इस वर्ष 2007-2008 में विभाग में हिंदी में सबसे अधिक पत्राचार करने वाले कार्यालय मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (प्रशासन) को राजभाषा चलशील्ड देने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक (प्रशासन) को राजभाषा चलशील्ड प्रदान की गई तथा हिंदी पखवाड़ा 2008 के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग की त्रैमासिक शोध पत्रिका 'मौसम' में हिंदी में प्रकाशित शोध-पत्र "भारतीय उपमंडलों में 1987 के दौरान मध्यम एवं भीषण सूखा के क्षेत्रीय विस्तार का वर्गीकरण" के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद (सेवा निवृत निदेशक) तथा डॉ. हरि सिंह निदेशक को पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र एवं दस-दस हजार के नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अपर महानिदेशक श्री ए. के. भटनागर ने सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सरकारी कामकाज में राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। ■

626 HA/09—14A

प्रेरणा पुंज

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, उपक्रम, बैंक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां तथा राजभाषा हिंदी से जुड़ी गैर-सरकारी संस्थाएं आदि राजभाषा हिंदी के विकास हेतु उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इसके पीछे उनकी क्या कार्यनीति रही है, इसका जायजा लेकर कुछ कतिपय कार्यालयों के प्रमुखों से भेंटवार्ता कर प्रकाशित किया जा रहा है। इसी क्रम में इस बार "ख" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, ग्रुप सेन्टर, जालंधर के उप महानिरीक्षक श्री बी. एस. गिल से भेंटवार्ता की गई। उनकी व्यस्तता को देखते हुए संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वस्तुस्थिति जानना यद्यपि कोई सरल कार्य नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें अमूल्य समय दिया। यह उनके राजभाषा हिंदी प्रेम का परिचायक है। भेंटवार्ता में कई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां उभरकर आई हैं। आशा है राजभाषा भारती के पाठकों को इस जानकारी से राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इस अंक में राजभाषा भारती के सहायक संपादक श्री शान्ति कुमार स्याल द्वारा की गई भेंटवार्ता के अंश यहां प्रस्तुत हैं।

—संपादक

श्री बी. एस. गिल, उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, ग्रुप सेन्टर, जालंधर के साथ भेंटवार्ता

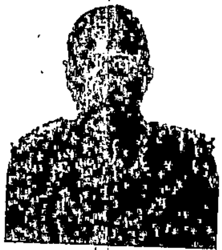

राजभाषा भारती : *सर, सबसे पहले आपके व्यस्तम कार्यक्रम में से कुछ समय देने पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से "राजभाषा भारती परिवार" आपका आभारी है। आपके नेतृत्व में आपके कार्यालय को सरकार व अन्य संस्थानों से बहुत से पुरस्कार मिले हैं, इसके पीछे आपने कौन सी कार्यनीति अपनाई है ?*

श्री बी. एस. गिल : यह सही है कि ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, जालंधर पिछले कई वर्षों से लगातार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग तथा नराकास जालंधर से राजभाषा हिंदी के कार्यालय के काम-काज में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए शील्ड/पुरस्कार प्राप्त की हैं। इस सब का श्रेय मेरे साथ काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जाता है जिन्होंने भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राजभाषा हिंदी को अपने काम-काज की भाषा बनाया। हमने राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदी को राज-काज की भाषा बनाया है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में बोल-चाल की सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित किया है। कार्यालय के काम-काज में आम प्रचलित क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने

626 HA/09—14B

की पूरी छूट दी है ताकि कोई कार्मिक हिंदी में काम करते समय किसी शब्द का हिंदी पर्याय न मालूम होने से हिंदी में काम करना बंद न कर दें । अनुभाग वार एक-एक कर वर्ष दर वर्ष 48 ऐसे विषय चुने हैं जिन पर शत-प्रतिशत हिंदी में ही कार्य किया जा रहा है । राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1987 के धारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले सभी 14 दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी किया जाना सुनिश्चित किया है और यह जिम्मेदारी अनुभाग प्रभारी एवं अधिकारियों को दी गई है कि धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले किसी दस्तावेज को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ लगाया जाए तभी सक्षम अधिकारी को हस्ताक्षर हेतु भेजा जाए । इसका शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जा रहा है । अपना सरकारी काम-काज पूर्ण रूप से हिंदी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र तथा नकद पुरस्कार दे कर अन्य कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है । विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देने के लिए मिली-जुली भाषा का प्रयोग करने की व्यवस्था की है तथा प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी में प्रेसी सुलभ कराई जाती है । नये रंगरूटों के लिए उनके बेसिक प्रशिक्षण में हिंदी भाषा का ज्ञान प्रशिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया है । सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक राजभाषा हिंदी के पत्राचार को बढ़ाने के लिए तथा राजभाषा नीति के दक्षता से अनुपालन के लिए एक मॉनीटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें ग्रुप केंद्र के प्रशासन अधिकारी, निरीक्षक (अनुवादक) तथा अन्य पर्यवेक्षीय स्टाफ को शामिल किया गया है। यह कमेटी राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाली समस्याओं को सुनती है, राजभाषा नीति से संबंधित आदेशों/अनुदेशों की अवहेलना के मामलों की जांच करती है । यह समिति राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में अपने सुझाव भी देती है कि ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे कि हिंदी के कार्यालय के काम-काज में, प्रयोग को और अधिक बढ़ाया जा सके । इसके अलावा हम बल कार्मिकों के लिए मानवाधिकार, सदभावना दिवस, कौमीय एकता सप्ताह एवं अन्य विशेष अवसरों पर विभिन्न विषयों पर हिंदी में वाद-विवाद/ निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ताकि उनको हिंदी में बोलने/लिखने की झिझक दूर हो सके । कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिंदी में काम करने में आने वाली झिझक को दूर करने के लिए समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं । इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप ही हम अपने कार्यालय के हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं ।

राजभाषा भारती : *आपको हिंदी में काम-काज करने व करवाने के लिए कौन-कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ?*

श्री गिल : शुरू शुरू में जैसे कि सभी को दूसरी भाषा में काम करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं । वैसे मुझे भी हिंदी में काम करने में कुछ कठिनाई महसूस हुई थी । कुछ साहित्यिक एवं गूढ़ शब्दों को समझने में कठिनाई जरूर हुई, परन्तु बार-बार कार्यालय के काम-काज में इन शब्दों के प्रयोग में आने से यह कठिनाई भी दूर हो गई । चूंकि मैं पंजाबी हूं और पंजाबी के अधिकांश शब्द हिंदी से मिलते-जुलते हैं इसलिए हिंदी लिखने पढ़ने में कोई समस्या नहीं है । मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी जो हिंदीतर राज्यों से हैं उन्हें भी सलाह दी है कि वे अपना काम हिंदी में करें । जिन शब्दों की हिंदी नहीं आती है उन्हें देवनागरी लिपि में लिखकर प्रयोग करें । आम बोल-चाल में प्रयोग किए जाने वाले अन्य भाषाओं के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करने की भी छूट दी है । कुछ हिंदीतर राज्यों के कर्मचारी वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, उन्हें हिंदी जानने वाले कर्मचारियों की सहायता से सही रूप में लिखना सिखाया गया और अब वे बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी लिखते हैं । हालांकि कुछ कर्मचारियों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं हैं फिर भी अंग्रेजी में कार्य करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को मैंने सुझाव दिया है कि गलत अंग्रेजी लिखने के बजाए सही हिंदी में काम करें । हिंदी हमारी राजभाषा है

और अपनी राजभाषा में कार्य करने में हमें शर्म नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। मैंने स्वयं हिंदी में कार्य करने की पहल कर सभी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी अंग्रेजी जानने वाला अधिक बुद्धिमान समझने वाली मानसिकता को बदलने के प्रयास किए हैं। इसके आशाजनक परिणाम भी मिल रहे हैं तथा लगातार कई वर्षों से पुरस्कार/शील्ड जीतते आ रहे हैं। चूंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल केन्द्र सरकार का सबसे पुराना बल है, सरकार ने शासकीय कार्यों का निष्पादन राजभाषा हिंदी में करने के लिए निर्देश जारी किए हैं तो यह हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करें। अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें।

राजभाषा भारती : *फोर्स में हिंदी के काम-काज को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए ?*

श्री गिल : कार्यालय के काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ऐसे कर्मचारियों की पहचान की जाए जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान/हिंदी में प्रवीणता प्राप्त नहीं है उन्हें हिंदी में प्रशिक्षित किया जाए और प्रशिक्षण के उपरान्त यह ध्यान रखा जाए कि जिन कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण पर सरकार का धन व समय खर्च हुआ है क्या वे कर्मचारी वास्तव में हिंदी में अपना कार्य करते हैं। इसकी निगरानी का दायित्व हिंदी अनुभाग को दिया जाए। कार्यालय अध्यक्ष की ओर से यह अपील जारी की जानी चाहिए कि कार्यालय के सभी कर्मचारी कम से कम 5 पत्र, टिप्पणी आदि हिंदी में जरूर लिखें। सोमवार हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए तथा सभी अधिकारियों से अपील की जाए कि वे सोमवार को अपना काम-काज हिंदी में निबटाएं। हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की सेवाएं हिंदी के काम-काज में पूर्णरूप से उपयोग करने की जिम्मेदारी अनुभाग प्रभारी को दी जाए। हिंदी में कार्य करने के लिए निर्धारित विषयों पर केवल हिंदी में कार्य किया जाए और इस पर निगरानी रखने के लिए एक समिति बनायी जाए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से की जाए तथा उसमें सभी अनुभाग प्रभारी भाग लें और सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की जाए। अपना सरकारी कार्य पूर्ण रूप से हिंदी में करने वाले कार्मिक को हतोत्साहित की बजाए प्रोत्साहित किया जाए। ब्रांच प्रभारी स्वयं हिंदी में अपनी अभियुक्ति अंकित कर अपने अधीनस्थों के लिए प्रेरक बनें। धारा 3(3) का पूर्णरूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी के दस्तावेज पर तभी हस्ताक्षर किए जाएं जब तक उसका हिंदी अनुवाद साथ लगाया हो। हिंदी के पत्रों तथा हिंदी में हस्ताक्षर वाले पत्रों का अनिवार्य रूप से जवाब हिंदी में दिया जाए। सम्मेलनों तथा बैठकों में अनिवार्य रूप से आपसी चर्चा केवल हिंदी में की जाए। नये कर्मचारियों की हिंदी में कार्य करने की झिझक दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं चलाई जानी चाहिए। सभी संबंधित सहायकों को हिंदी/अंग्रेजी शब्दकोश तथा अन्य साहित्य मुहैया कराए जाएं। सभी रजिस्टरों एवं फाइलों पर हिंदी/अंग्रेजी द्विभाषी में विषय तथा संख्या लिखी जाएं। सेवा पुस्तिकाओं, रजिस्टरों, एवं सभी प्रकार की रोकड़ बहियां केवल हिंदी में लिखी जाएं। नाम पट्ट, रबड़ तथा ब्रास की मोहरें द्विभाषी में बनाई जाएं। सभी प्रकार के बोर्ड अनिवार्य रूप से द्विभाषी बनाए जाएं। हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएं तथा वर्तमान में पुरस्कार के लिए निर्धारित राशि में बढ़ोतरी की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं हिंदी में कार्य कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में जारी आदेशों/अनुदेशों का प्रेरणा एवं प्रोत्साहन परन्तु दृढ़तापूर्वक पालन कराया जाना चाहिए और जान-बूझ कर अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

राजभाषा भारती : *हिंदी के व्यापक प्रचार और प्रसार व कार्यान्वयन में आपकी भावी योजनाएं क्या हैं ?*

श्री गिल : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का बहुआयामी बल है । अतः इसमें देश के सभी प्रान्तों, सभी भाषा-भाषी एवं विभिन्न धर्म के मानने वाले कार्मिक एक लघु भारत के रूप में कार्य करते हैं । अतः स्वाभाविक है कि जो कार्मिक हिंदीतर राज्यों के हैं उन्हें शुरू-शुरू में हिंदी बोलने व लिखने में कठिनाई आती है । लेकिन हमने हिंदी का ज्ञान होना अपने प्रशिक्षण का एक हिस्सा बनाया है । अतः हम अपने हिंदीतर भाषी कार्मिकों को बेसिक प्रशिक्षण के दौरान ही हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान का प्रशिक्षण देते हैं । आपको यह बताते हुए मुझे फ़क्र हो रहा है हमने अपने हिंदीतर भाषी कार्मिकों को हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए ग्रुप केन्द्र में ही हिंदी शिक्षण योजना के तहत अंशकालिक केन्द्र स्थापित कराया है । इस ग्रुप केन्द्र में वर्ष 1993 से केरिपुबल के नवारक्षियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । हमने वर्ष 2002 में 116 कार्मिकों को, वर्ष 2003 में 276 कार्मिकों को, वर्ष 2004 में 118 कार्मिकों को, वर्ष 2005 में 246 कार्मिकों को, वर्ष 2006 में 352 कार्मिकों को, वर्ष 2007 में 248 कार्मिकों को तथा इस वर्ष 72 कार्मिकों को हिंदी भाषा में प्रशिक्षित किया है ताक़ि प्रशिक्षण के बाद वे देश के विभिन्न भागों में कार्य निर्वहन के लिए जाएं तो स्थानीय जनता से सम्पर्क करने में कठिनाई नहीं हो । चूंकि हम भारत सरकार के एक सशस्त्र बल के कार्मिक हैं अतः सरकार द्वारा लागू की गई अन्य नीतियों के साथ-साथ राजभाषा नीति को भी मूर्तरूप में कार्यान्वित करना हमारा परम कर्तव्य है । भविष्य में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए हमने गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों को शत-प्रतिशत लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं । सभी हिंदीतर भाषी कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद बेसिक प्रशिक्षण के समय ही हिंदी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है । अवर श्रेणी लिपिक/आशुलिपिकों को अनिवार्य हिंदी टंकण /आशुलिपि का प्रशिक्षण निर्धारित अवधि में दिलाना सुनिश्चित किया है । कैम्प एरिया में नये लगाए जाने वाले बोर्ड/नामपट्ट आदि राजभाषा नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार द्विभाषी बनाने की व्यवस्था की है। फोर्स स्तर पर सभी कार्यालयों द्वारा बल आदेश केवल हिंदी में प्रकाशित किए जाएंगे । बल स्तर पर रोकड़ बहियां केवल हिंदी में लिखी जाती हैं। सामान्य भविष्य निधि तथा अवकाश संबंधी कार्य पूर्ण रूप से हिंदी में करने का प्रस्ताव है । बल द्वारा निर्धारित किए गए सभी प्रपत्रों/फार्मों को निश्चित रूप से द्विभाषी में तैयार किए जाने की बल स्तर पर योजना है। हमने अपने ग्रुप केन्द्र के हिंदी पत्राचार को 95 प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की है । समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रावधान रखा है । विशेष अवसरों पर हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का प्रावधान किया है । प्रारम्भिक, अदालतीय तथा विभागीय जांच भी हिंदी में करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित किया है । सैनिक सम्मेलन, कल्याण निधि बैठक तथा अन्य समारोह के दौरान केवल हिंदी में ही परिचर्चा करने की छूट दी है ताकि हम जवान से लेकर बड़े अधिकारी स्तर तक बात समझ सकें और उसका समाधान निकाल सकें । यदि हम उपरोक्त अपने प्रयासों में सफल हो गए तो निश्चित तौर पर ग्रुप केन्द्र के काम-काज में हिंदी का प्रयोग 95 प्रतिशत से भी अधिक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य साकार हो सकेगा ।

राजभाषा भारती : *भाषा को जनमत के स्तर तक प्रसारित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?*

श्री गिल : आजकल हर वस्तु का वाणिज्यीकरण हो रहा है और भाषा भी इससे अछूती नहीं रही है । अतः यदि हम सही मायने में हिंदी को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमे उसी प्रकार की हिंदी का प्रयोग करना होगा जिसे हर कोई समझे । जैसा कि हम टीवी /रेडियो चैनलों पर अक्सर वस्तुओं के प्रचार को देखते हैं, उनमें ऐसी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसके कुछ शब्द हिंदी के तो कुछ अंग्रेजी के होते है :- जैसे ठन्डा ठन्डा कूल कूल, पीओ प्यौर जियो मौर इत्यादि और इसे प्राय: कम पढ़े लिखे देहाती लोग भी समझते हैं । अतः हिंदी को वास्तव में राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करना

है तो सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर काम-काज की हिंदी बनानी होगी जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आसान हो। हम अपने काम-काज एवं वार्तालाप में साहित्यिक एवं गूढ़ हिंदी शब्दों का प्रयोग करने के बजाए सरल और सुबोध शब्दों का प्रयोग करें। जहां आवश्यक हो अन्य प्रान्तीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बिना झिझक के किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा। जब हम कोई पत्र या लेख हिंदी में लिखें तो हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि इसे पढ़ने वाला कम पढ़ा लिखा या हिंदीतर भाषी व्यक्ति भी हो सकता है इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो वस्तुतः प्रचलन में हों जैसे रडार, टेबिल, पेन, कम्प्यूटर, इंजीनियर, डॉक्टर, इत्यादि। अतः जनमानस तक हिंदी को पहुंचाने के लिए प्रचलित शब्दों का प्रयोग करें, साहित्यक एवं गूढ़ शब्दों के प्रयोग से बचें, अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग/समावेश से हिचकिचाए नहीं, जहां तक सम्भव हो सरल सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जाए, अटपटे द्विअर्थ वाले शब्दों के प्रयोग से बचें।

राजभाषा भारती : *वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में आपके विचार क्या हैं ?*

श्री गिल : मेरे विचार से वर्तमान शिक्षा पद्धति में कई कमीं हैं। पहली कमी आज शिक्षा मातृभाषा के बजाए किसी दूसरी भाषा अर्थात् विदेशी भाषा में दी जा रही है जो बच्चों के लिए ही नहीं हमारी सभ्यता व संस्कृति के लिए भी घातक है। शिक्षा सदैव मातृभाषा में ही होनी चाहिए। लार्ड मेकाले ने भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा की वकालत की थी। हमारे देश में भी प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि बच्चे की शिक्षा यदि मातृ भाषा में होगी तो वह जल्दी समझेगा और उसका पूर्ण विकास होगा। जो बात हम अपनी मातृभाषा में आसानी से समझ/बोल एवं लिख सकते हैं उतनी अन्य भाषा में नहीं। अन्य भाषा हमारी सभ्यता एवं संस्कृति से मेल नहीं खाती है और हम अपने नैतिक मूल्यों को खो देते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति रोजगार परक नहीं है जबकि शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। जिस विषय का अध्ययन किया गया है उसी से संबंधित क्षेत्र में नौकरी या काम मिलना चाहिए, परन्तु आज यह बिल्कुल उल्टा है। इंजीनियर/डाक्टर सिविल/ पुलिस सेवा में आ रहे हैं। विज्ञान का छात्र रिसर्च के बजाए क्लर्क की नौकरी कर रहा है। आज की शिक्षा का ध्येय केवल पैसा कमाना बन कर रह गया है। आज की शिक्षा पद्धति में नैतिकता की कमी है। हम अंग्रेजी पढ़कर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और इसके दुष्परिणाम यह हो रहे हैं कि हम स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी बन गए हैं। चीन, जापान,फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी भाषा / संस्कृति के बल पर तरक्की की है। अतः यह कहना आधारहीन होगा कि अंग्रेजी भाषा के बिना हम अपना विकास नहीं कर सकते।

राजभाषा भारती : *राजभाषा हिंदी की मौजूदा स्थिति और उसके भविष्य के संबंध में आपका अभिमत ?*

श्री गिल : राजभाषा हिंदी की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी अच्छी है परन्तु इसके विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का प्रश्न है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार के जितने कार्यालय हैं उनमें से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालयों में सबसे अधिक कार्य हिंदी में हो रहा हैं। और हमारे जवान हिंदी के प्रचार-प्रसार में एक दूत की भूमिका निभा रहे हैं। तैनाती के दौरान वे स्थानीय लोगों से केवल हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं और स्थानीय लोग भी उन्हें अपनी परेशानियां टूटी-फूटी हिंदी में ही बताने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से हिंदी को जन-जन तक पुंहुचाने में बल कार्मिक एक दूत की तरह कार्य कर रहे हैं अभी भी हिंदी में अभियांत्रिकी, चिकित्सा, अनुसंधान कृषि विज्ञान तथा अन्य विषयों की हिंदी में लिखित पुस्तकों की कमी है। इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के प्रयोग

से भी हिंदी के विकास में कमी आई है । हम इन्टरनेट पर अंग्रेजी माध्यम से काम करते हैं । जहां तक सरकारी कार्यालयों की बात है तो अभी उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों द्वारा निर्णय अंग्रेजी में दिए जा रहे है । देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है । प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों को नर्सरी से ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया हुआ है । बैंकिंग क्षेत्र में अधिकांश कार्य अंग्रेजी में ही हो रहा है । ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहां हिंदी की स्थिति अच्छी नहीं है । इन क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ करने की और आवश्यकता है । मेरा राजभाषा हिंदी के भविष्य के बारे में यही अभिमत है कि जिस प्रकार पिछले एक दशक से हिंदी के प्रचार प्रसार में गति आई और यह इसी प्रकार से चलती रही है तो निःसंदेह हिंदी विश्व में 8वें स्थान के बजाए पहले या दूसरे स्थान पर होगी । अभी जरूरत है अपनी राष्ट्र भाषा के प्रति मानसिकता बदलने की, उसके प्रति समर्पित होकर कार्य करने की । विश्व स्तर पर वाणिज्य एवं व्यापार की दृष्टि से भारत एक बड़ा क्षेत्र है इसलिए विश्व अनेक विकसित देशों की कम्पनियों की निगाहें भारत के उपभोक्ताओं पर हैं । और कोई कम्पनी अपना उत्पाद जब ही बेच सकती है जब वह उपभोक्ता को अपने प्रोडक्ट के बारे में संतुष्ट कर दे, इसलिए उसे उपभोक्ता की ही भाषा में समझना होगा । यही कारण है विदेशी विद्यार्थियों की हिंदी पढ़ने में अभिरुचि बड़ी है और विश्व के लगभग 80 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है । इससे स्पष्ट है कि हिंदी का भविष्य उज्वल है ।

राजभाषा भारती : *आपकी साहित्यिक पसंद नापसंद और भावी योजनाएं ?*

श्री गिल : मैं हिंदी के संस्कृत निष्ठ साहित्य के साथ-साथ भारतीय अन्य भाषाओं के साहित्य को भी पसंद करता हूं । भारतीय सभी भाषाओं का स्रोत संस्कृत है जिसका साहित्य अत्यन्त रिच (धनी) है । वेद, पुराण उपनिषिद, रामायण, गीता, गुरू ग्रन्थ साहिब आदि ऐसे अनेक ग्रन्थ है जिनकी भाषा शैली एवं शब्द चयन इतना प्रभावी है जो किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलता है। इन साहित्यों में निहित तत्व ज्ञान मानव कल्याण के लिए अलौकिक देन है । आज विदेशी छात्र इन ग्रन्थों पर शोध कर रहे हैं कि ऐसे क्या रहस्य छिपे हैं जिसे जानकर मानव परम ब्रहम में समा जाता है, परम ज्ञानी हो जाता है । मेरी भावी योजना है कि जब भी मौका मिले इन साहित्यों को पढ़ूं और आने वाले पीढ़ी को इनके महत्व से अवगत कराऊं ।

राजभाषा भारती : *आप हिंदीतर भाषी हैं, हिंदी बहुत ही धाराप्रवाह बोलते हैं तथा हिंदी के प्रति रूझान भी काफी है इसका राज क्या है ?*

श्री गिल : मेरा राष्ट्र और राष्ट्र भाषा के प्रति बचपन से बहुत रूझान रहा है इसलिए मैंने सिविल सेवा के बजाए फोर्स की नौकरी को चुना है । मुझे लगता था कि मैं फोर्स में रह कर अपने देश के सभी प्रान्तों भूभागों को देख सकूंगा । वहां के लोगों की सभ्यता व संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकूंगा । यह मौका मुझे फोर्स की नौकरी में मिला है, मैंने देश के तकरीबन सभी भूभागों में सेवा की है । वहां के लोगों की बोली, भाषा, परम्पराओं और आस्थाओं को जाना है । और सब जानने के लिए जरूरी थी, एक ऐसी सम्पर्क भाषा की, जिसे देश के अधिकांश लोग समझते हों जानते हों । हालांकि मैंने मैट्रिक स्तर तक हिंदी पढ़ी थी परन्तु फोर्स में आने के बाद मेरी हिंदी और सुदृढ़ हो गई क्योंकि यहां अधिकांश वार्तालाप मुझे अपने कम पढ़े लिखे हर प्रान्त से आए जवानों के साथ हिंदी में ही करना पड़ता था । जवानों के साथ चर्चा-परिचर्चा करने के लिए हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिसे सब समझते थे । अतः नियमित चर्चाएं हिंदी में होती थीं । मैं पंजाबी हूं और पंजाबी हिंदी दोनों भाषाओं में काफी समानता है । अतः मुझे हिंदी बोलने पढ़ने तथा लिखने में कोई परेशानी नहीं हुई ।

राजभाषा भारती : *हिंदीतर भाषी होते हुए भी आपको सरकारी कार्य में हिंदी के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न हुई ?*

श्री गिल : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केन्द्र सरकार का बल है और इसमें हर प्रान्त, भाषा एवं धर्म के जवान कार्यरत हैं। इसी लिए बल का स्वरूप अखिल भारतीय है। केरिपुबल अनेकता में एकता का साक्षात उदारहण है। अनेकता इस लिए कि इस बल में सभी भाषा भाषाई एवं क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व है और एकता यह है कि सभी का एक ही धर्म एवं भाषा एवं प्रान्त, वह है केरिपुबल, राष्ट्रभाषा हिंदी और भारत देश। अत: बल में जवानों के साथ सभी चर्चाएं परिचर्चाएं हिंदी में होती हैं। बल में अपने वरिष्ठ एवं कनिष्ठों के साथ संवाद करने के लिए हिंदी ही एक ऐसी उपयुक्त सम्पर्क भाषा है जिसे हर जवान/अधिकारी समझता है। इसलिए एक हिंदीतर भाषी जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता कुछ दिन में हिंदी में स्वत: ट्रेन्ड हो जाता है। मैं तो पंजाबी भाषी हूं और पंजाबी हिंदी मिलती जुलती है। और मैंने मैट्रिक स्तर तक हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी भी है। अत: मुझे हिंदी में कार्य करने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। कभी कभी कुछ कर्मचारी हिंदी के कुछ अप्रचलित साहित्यक एवं गूढ़ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तब कुछ अर्थ समझने में कठिनाई होती है। इस लिए मैंने कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों से यह बोल रखा है कि हिंदी लिखते समय साहित्यक हिंदी न लिख कर काम-काज की मिली-जुली हिंदी का प्रयोग करें। दूसरी भाषाओं के प्रचलित सरल शब्दों का प्रयोग बिना झिझक के करें। इससे और भाषा समृद्ध/रिच होगी। अभी मुझे कार्य करते-करते हिंदी बहुत ही सरल एवं सुबोध लगने लगी है। जहां तक कार्यालय में कार्यान्वयन का प्रश्न है तो केरिपुबल में सभी हिंदी जानते हैं, कोई भी ऐसी समस्या मेरे सामने नहीं जिससे यह कहा जाए कि हिंदी के कार्यालय के काम-काज में कार्यान्वयन में कठिनाई आई है। आज इस ग्रुप केन्द्र में 90 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है, कोई भी ऐसा मामला मेरे सामने नहीं आया जहां राजभाषा संबंधी नियमों/ अनुदेशों का उल्लंघन हुआ हो।

राजभाषा भारती : *राजभाषा भारती के माध्यम से आप हमारे पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं ?*

श्री गिल : मैं राजभाषा भारती के माध्यम से पाठकों को यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी राजभाषा है अत: हमें अपना अधिकांश कार्य हिंदी में कर अपने देश एवं राजभाषा का गौरव बढ़ाना चाहिए। भाषा कोई कठिन या सरल नहीं होती है भाषा तो भाषा है, जरूरत है उसमें काम करने की इच्छा शक्ति की, लगन की और अपनी मानसिकता बदलने की। कठिन से कठिन शब्द भी धीरे-धीरे प्रयोग करने से सरल लगने लगते हैं और हमारे लिए नए या अटपटे नहीं रह जाते हैं। अत: प्रत्येक भारतीय का अब यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि संविधान में प्रतिष्ठित राजभाषा का सम्मान करें और हिंदी पढ़ने लिखने, बोलने और कार्यालय के कामकाज में अधिक से प्रयोग कर गौरव महसूस करें। इससे भारत माता तो गौरवान्वित होगी ही दूसरे देशों में हर भारतीय का स्वाभिमान बढ़ेगा। अन्त में यही कहना चाहूँगा कि :-

दो वर्तमान को सत्य, सरल सुन्दर भविष्य के सपने दो,
हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो।
बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमानश की गंगा है,
यह माध्यम उस स्वाधीन देश का, जिसकी ध्वजा तिरंगा है।
हो कान पवित्र इसी सुर में, इसमें हर हृदय तड़पने दो,
हिंदी है, भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। ■

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मदुरै

संक्षिप्त परिचय

स्थापनाः

मदुरै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन वर्ष 1980 में आयकर-आयुक्त कार्यालय के संयोजन में किया गया था।

वर्ष 2004 से समिति के संयोजन का कार्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के. सीताराम समिति के अध्यक्ष एवं राजभाषा अधिकारी श्री हितेन्द्र धूमाल समिति के सदस्य-सचिव हैं।

सदस्य-कार्यालयः

केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थाएं तथा अन्य संगठनों और संस्थानों को मिलाकर वर्तमान में समिति के कुल 62 सदस्य हैं। इसके सदस्यों में आयकर विभाग, दक्षिण रेलवे, एयरपोर्ट अथारिटी, पोस्ट-ऑफ़िस, भारत संचार निगम लि., सेंट्रल एक्साईज जैसे कार्यालय सम्मिलित हैं। समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख द्वारा भाग लिया जाना अनिवार्य है।

उद्देश्यः

सदस्य कार्यालयों में केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार एवं इसके उत्तरोत्तर कार्यान्वयन में वृद्धि करना समिति का प्रमुख उद्देश्य है। समिति भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा हिंदी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदस्य-कार्यालयों को सहयोग एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस मंच के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने और इसके कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु सदस्य कार्यालयों के द्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिए जाते हैं, जिनका अनुपालन सभी सदस्य करते हैं।

गतिविधियांः

अभी तक समिति की कुल 38 अर्धवार्षिक बैठकों का सफ़लतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। सदस्य कार्यालयों के स्टाफ़-सदस्यों के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए समिति के द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के संबंध में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। समिति प्रति वर्ष समसामयिक विषयों पर राजभाषा संगोष्ठियों का भी आयोजन कर रही है। भारत सरकार के तकनीकी शब्दावली आयोग की प्रशासनिक शब्दावली कार्यशाला एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की अनुवाद प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन समिति की उपलब्धि रही है। समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अक्तूबर माह संयुक्त हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत सदस्य कार्यालयों में उद्देश्यपरक और कार्योन्मुखी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने वाले सदस्य कार्यालयों को समिति द्वारा प्रतिवर्ष राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। समिति की गृहपत्रिका मधुलिका है, जिसका वार्षिक प्रकाशन किया जाता है। अभी तक इस पत्रिका के चार अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं।

नराकास द्वारा विगत वर्ष में आयोजित गतिविधियां एवं इसकी उपलब्धियां

हिंदी कंप्यूटर कार्यशालाओं का आयोजन

प्रथम कार्यशाला- इंडियन ओवरसीज बैंक की कंप्यूटर प्रयोगशाला में दिनांक 07-06-2007 को आयोजित की गई। इसमें कुल 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

द्वितीय कार्यशाला- इंडियन ओवरसीज बैंक में दिनांक 11-04-2008 एवं 12-04-2008 को आयोजित की गई।

626 HA/09—15A

सामान्य हिंदी कार्यशाला का आयोजन -

दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2008 को सामान्य हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में विभिन्न सदस्य कार्यालयों से कुल 40 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया । यह कार्यशाला हमारे बैंक के सभागार में आयोजित की गई ।

राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन -

समय-समय पर समिति के तत्वावधान में समसामयिक विषयों पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है । अभी हाल ही में 11जून, 2008 को संगोष्ठी का आयोजन किया गया है ।

अर्धवार्षिक बैठकें -

हमारे बैंक के संयोजन पर अभी तक छमाही अंतराल पर कुल 9 बैठकें आयोजित की जा चुकी है । इन बैठकों को हमारे केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से महाप्रबंधक (राभा), मुख्य प्रबंधक (राभा) तथा अंचल कार्यालय, चेन्नै से महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधक द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहा है ।

37वीं बैठक - दिनांक 6-9-2007 को आयोजित की गई । इस बैठक में कुल सदस्यों ने भाग लिया। हमारे बैंक के अंचल कार्यालय से श्री एल.के.शर्मा, सहायक महाप्रबंधक बैठक में विशिष्ठ अतिथि थे ।

38वीं बैठक - दिनांक 5-3-2008 को आयोजित की गई । इस बैठक में कुल सदस्यों ने भाग लिया। हमारे बैंक के अंचल कार्यालय से श्री के.सोमयाजुलु, महाप्रबंधक बैठक में विशिष्ठ अतिथि थे ।

39वीं बैठक - दिनांक 30-4-2008 को आयोजित की गई । बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती वत्सला कूट्टी मुख्य अतिथि थी । इस बैठक में नराकास की पता पुस्तिका एवं हिंदी का महत्व दर्शाती पंक्तियों का एक द्विभाषी स्टीकर का विमोचन मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया ।

संयुक्त हिंदी माह समारोह का आयोजन -

अक्तूबर-नवम्बर 2007 को समिति ने संयुक्त हिंदी माह के रूप में मनाया । इस दौरान 9 सदस्य कार्यालयों में संयुक्त हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । दिनांक 11-12-2008 को आयोजित समापन समारोह के दौरान सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया । समारोह के मुख्य अतिथि मदुरै रेल मंडल प्रबंधक श्री हेमंत कुमार थे ।

वार्षिक गृह पत्रिका -

समिति की वार्षिक गृह पत्रिका मधुलिका है । अभी तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं । इसके चौथे अंक का विमोचन दिनांक 11-12-2008 को किया गया ।

राजभाषा शील्ड का वितरण -

समिति प्रतिवर्ष उन सदस्य कार्यालयों को राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान करती है जिनके द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान किया जाता है । वर्ष 2008-09 में किए गए कार्यों हेतु सदस्य कार्यालयों को राजभाषा शील्ड दिनांक 30-4-2008 को आयोजित बैठक के दौरान प्रदान की गई ।

प्रचार-प्रसार -

समिति द्वारा चलाई जा रही सभी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है । समय-समय पर स्थानीय टीवी चैनल इसका प्रसारण करते है । तमिल हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार-पत्रों में समिति की गतिविधियों की रिपोर्टें निरंतर प्रकाशित होती हैं ।

हिंदी अब सारे भारत की भाषा है, हमें इस पर गर्व है ।

626 HA/09—15B

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा ऊटी में आयोजित दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

दिनांक 15-16 अक्तूबर, 2008 को राजभाषा विभाग के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयुध निर्माणी, अरुवनकाडु (ऊटी) में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं शील्ड वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्यमंत्री डॉ. शकील अहमद ने कहा कि 'भाषा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, बल्कि एक दूसरे की पूरक होती है । प्रेम, प्रोत्साहन एवं सदभावना से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को कार्यान्वित करना हमारा कर्तव्य है । धीरे-धीरे देश भर में हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ रही है । राजभाषा विभाग ने तमिलनाडु में सम्मेलन का आयोजन कर हमारे देश की एकता की कड़ी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

पहाड़ों की रानी ऊटी में हरी-भरी वादियों के बीच स्थित अरुवनकाडु के आयुध निर्माणी के सांस्कृतिक भवन में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, तमिलताडु, केरल, पांडिचेरी व लक्ष्यद्वीप में स्थित सरकारी विभागों, बैंकों व सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजभाषा अधिकारियों ने इस सम्मेलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई ।

राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु दिए जाने वाले पुरस्कारों में दक्षिण क्षेत्र के अन्तर्गत मुर्गीपालन परियोजना, हैदराबाद, प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद, राष्ट्रीय कैडेट कोर, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद, भारतीय कपास निगम लिमिटेड, आदिलाबाद, भारत संचार निगम लिमिटेड, विजयवाड़ा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम, बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद, सिड्बी, हैदराबाद बैंक नराकास, मंगलूर, बेंगलूर व हैदराबाद को शील्ड प्रदान किए गए ।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव पी.वी. वल्सला जी. कुट्टी ने कहा कि जो कार्यालय एवं संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन में अभिरूचि दिखाते हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए राजभाषा विभाग शील्ड प्रदान करता है । साथ ही ऐसे सम्मेलन के आयोजन के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े पूरे परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से मिलने का अवसर भी मिलता है । हिंदी प्रदेश के लोग अक्सर यह कहते हैं कि हिंदीतर (अहिंदी) प्रदेशों में हिंदी में कार्य करने में बहुत कठिनाई है, लेकिन मैं इसे हिंदी प्रदेश के लोगों द्वारा हिंदी में काम न करने का बहाना मानती हूं । मैंने दो साल में यह देखा है कि अहिंदी प्रदेश में ही राजभाषा कार्यान्वयन का काम सुचारू रूप से हो रहा है । जिस प्रकार पानी में उतरे बिना तैरना सीख नहीं सकते उसी प्रकार भाषा प्रयोग किए बगैर नहीं सीख सकते हैं । उन्होंने स्पष्ट किया कि एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी) के जरिए हमारी सभ्यता, संस्कृति व विरासत को बचाना, उसे विकसित करना हम पर भारी पड़ सकता है । श्रीमती वल्सला ने यह भी कहा कि पिछले आठ सम्मेलन में से छ: सम्मेलनों में गृह राज्य मंत्री ने अपनी उपस्थिति देकर राजभाषा की गरिमा बढ़ाई है । उन्होंने कहा कि डॉ. शकील अहमद भी इसी प्रकार राजभाषा कार्यान्वयन में अपनी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं ।

इस अवसर पर आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक वाई. आर. जयसिम्हा, अपर महाप्रबंधक लियो ए.जेराल्ड, राजभाषा विभाग के निदेशक (कार्यान्वयन) बी. आर.शर्मा, निदेशक (तकनीकी) केवल कृष्ण भी उपस्थित थे । उद्घाटन सत्र के दौरान राजभाषा विभाग के तकनीकी प्रकोष्ठ, सी-डैक, अक्षर नवीन, एच. सी.एल.मांटेग कम्युनिकेशन्स द्वारा हिंदी में कार्य करने हेतु विकसित विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी दी गई । धन्यवाद ज्ञापन विश्वनाथ झा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा दिया गया ।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली

दिनांक 27 जून, 2008 को राजभाषा संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए श्री वी. एन कैला, महालेखा नियंत्रक

महोदय ने कार्यालय के स्वस्ति कक्ष में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और दीप प्रज्जवलित करके 'राजभाषा संगोष्ठी' का शुभारंभ किया । तत्पश्चात मां सरस्वती की वंदना का गायन किया गया । अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि आज की संगोष्ठी ने हमें एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा, संस्कृति और अस्मिता को पहचान सकें । आगे उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कार्यालय में हिंदी के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अत्यधिक रूचि है । उन्होंने यह अपेक्षा व्यक्त की कि आज की संगोष्ठी आप सबके लिए प्रेरणादायक होगी ।

इस संगोष्ठी में 'हिंदी के प्रयोग को अधिक सशक्त बनाने की नीतियों' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए संयुक्त महालेखा नियंत्रक, श्रीमती अर्चना निगम ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अत्यधिक रुझान तो रखती है, परंतु वह हमारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक साहित्य को अंग्रेजी में पढ़ रही है । अत: इनमें आपस में तारतम्य बनाने के लिए पुस्तकालयों में अधिकाधिक हिंदी साहित्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । हमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए और अपनी लेखा शब्दावली बनाने का प्रयास करना होगा । उन्होंने यह भी कहा कि आज हिंदीतर भाषी वर्ग हिंदी का ज्यादा अच्छी तरह से प्रयोग करते है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें हिंदी भाषी लोगों के लिए कुछ विशेष नीति बनानी होगी ताकि उन्हें भी हिंदी में काम करने में प्रोत्साहन मिले और यह भी कहा कि हमारे देश में जो प्रशासनिक नौकरियां है उनमें बहुत से युवा हिंदी माध्यम से परीक्षा देकर आ रहे है । श्रीमती निगम ने यह भी कहा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और दूसरे देशों के लोग यहां व्यापार करने आते है तो वे लोग भी हिंदी को जानने और सीखने की कोशिश करते हैं ।

'वैश्वीकृत व्यवस्था में हिंदी का भविष्य' इस विषय पर संयुक्त महालेखा नियंत्रक श्री उदय शंकर पंत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट किया कि हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, मातृलिपि भी है । अप्रवासी भारतीयों ने भी हिंदी का विस्तार किया है । आज के युग में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने से शुरू में तो ऐसा लगा कि हिंदी अपना वर्चस्व खो देगी परंतु यह धारणा निर्मूल सावित हुई । जो कंपनियां आज से तीस वर्ष पहले अपने विज्ञापनों में अंग्रेजी का प्रयोग करती थीं वहां भी हिंदी और केवल हिंदी दिखाई देती है । सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा है । भूमंडलीकरण ने आज प्रत्येक मनुष्य को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया है । सूचना क्रांति के युग में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है । सी-डेक ने हिंदी और देश की अनेक विभिन्न भाषाओं में साफ्टवेयर तैयार किए है जिससे हिंदी टाइपिंग की असुविधा दूर की जा सकेगी । 'वेबदुनिया', 'रफ्तार', 'खोज' जैसी अनेक हिंदी की वेबसाइट तैयार की गई हैं । आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री मून ने भी हिंदी भाषा से ही अपना भाषण आरंभ किया । इस प्रकार आज हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण ने हिंदी का प्रसार बढ़ाया ही है ।

श्रम मंत्रालय के उप लेखा नियंत्रक श्री आलोक वर्मा ने 'राजभाषा के बढ़ते आयाम' के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज वास्तव में राजभाषा हिंदी अपना विस्तार स्वयं कर रही है । वैश्वीकरण के संदर्भ में इसका प्रसार बढ़ा है । इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है ।

वित्त मंत्रालय के अवर सचिव, श्री निर्मल कुमार भगत ने देश में हिंदी की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी हमें हिंदी के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है । इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना आवश्यक होगा । हिंदी को रोजगार से जोड़ना होगा । अंग्रेजी सिखाने के जगह-जगह संस्थान खुले हैं। उसी प्रकार हिंदी सिखाने के लिए केंदीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अलावा अन्य संस्थाओं, संगठनों को आगे आना होगा । हिंदी में काम करने वालों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाना बंद हो ।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में उप निदेशक (रा.भा.), श्री डी.डी. तिवारी ने हिंदी के ऐतिहासिक महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी से पहले भी मुगलकाल में हिंदी का प्रयोग होता रहा है । स्वाधीनता आंदोलन की तो यह भाषा ही रही है । संविधान निर्माताओं ने भी इसे राजभाषा का दर्जा दिया ।

इस संदर्भ में संयुक्त महालेखा नियंत्रक, श्री एम. श्रीधरन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भाषा का

भावनात्मक महत्व होता है । आज की संगोष्ठी से स्पष्ट है कि भाषा का कितनी गहराई तक प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार के विचार-विमर्श, चर्चाएं हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान करते हैं ।

अंत में राजभाषा संगोष्ठी की संयोजक श्रीमती विनीत कुलश्रेष्ठ, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने सभी विद्वान वक्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज की संगोष्ठी में आपके महत्वपूर्ण विचार कार्यालय में हिंदी को व्यवहारिक रूप देने में सफल होंगे । इस संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन से सभी उपस्थित सदस्यों को सरकारी काजकाज में हिंदी का प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी ।

मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प.रे. राजकोट मंडल पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन

मुंशी प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम रेलवे महिला समाज सेवा समिति एवं राजभाषा विभाग के संयुक्त प्रयास से रेल परिवार के बच्चों के लिए दिनांक 30-07-2008 को कविता पठन एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें रेल परिवार के बच्चों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया ।

साहित्यिक संगोष्ठी :

इसी उपलक्ष्य में दिनांक 31-07-2008 को श्री आर. पी. निबारिया, मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में एवं श्री एस. पी. शर्मा, साहित्य मर्मज्ञ की विशेष उपस्थिति में सभाकक्ष, मरेप्र कार्यालय राजकोट में श्री एम. के. गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन के तहत एक साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

जिसमें श्रीमती सविता निबारिया, अध्यक्षा-प.रे.म.स. सेवा समिति राजकोट ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डाला । इसी विषय पर श्री गोवर्धन शर्मा-जूइंजी ने भी विस्तार से बताया । इस अवसर पर अन्य साहित्यकारों जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' पर श्री आलोक त्रिपाठी-वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक और श्री कैलाश लखेडा-सस्टेमा ने 'निराला' के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पक्ष को भलीभांति प्रतिबिंबित किया ।

मैथिलीशरण गुप्त पर डॉ. राजीव मिश्रा ने काव्य पंक्तियों के उदाहरण सहित कई बारीकियों को समझाया ।

इलाहाबाद के कवि हरिवंशराय बच्चन के जीवन एवं कृतित्व पर दृश्य-श्रव्य के माध्यम से श्री विवेक त्रिपाठी-वरि. मंडल वित्त प्रबंधक ने रोशनी डाली तो भारतीय साहित्य में गज़लों के शहंशाह मिर्जा गालिब पर श्री जेड. एच. सिद्दीकी-वरि. मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर ने अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से अपने विचार व्यक्त किए ।

छायावादी कवियित्री महादेवी वर्मा के जीवन एवं उनकी कृतियों पर श्रीमती अपर्णा मिश्रा, सदस्या-प.रे.म.स. सेवा समिति ने भावपूर्ण शैली में वक्तव्य दिया ।

श्रीमती अवनि व्यास-स्टाफ नर्स ने दुष्यंत कुमार को आम आदमी के कवि के रूप में प्रस्तुत किया ।

लगभग ढाई घंटे चले इस कार्यक्रम में श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो कर साहित्य का रसपान करते रहे । संगोष्ठी के आखिर में श्री एस. पी. शर्मा ने रेलवे संस्थान में ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम को देख कर अत्यंत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री पी. बी. सिंह - राजभाषा अधिकारी एवं राजभाषा परिवार को ढेरों शुभकामनाएं दी ।

श्री पी. बी. सिंह-राजभाषा अधिकारी ने कार्यक्रम के आरंभ में संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की एवं कार्यक्रम का संचालन किया ।

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग गुणता आश्वासन महानिदेशालय, जी ब्लॉक, निर्माण भवन डाकघर, नई दिल्ली -110011

वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर हिंदी में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन

गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय की अधीनस्थ स्थापना वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना, बडमाल, उड़ीसा द्वारा 13 अगस्त, 2008 को वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर हिंदी में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

विशेष महानिदेशक श्री वी. उमा महेश्वर राव ने दीप प्रज्ज्वलित करके इस तकनीकी संगोष्ठी का विधिवत् उद्घाटन किया ।

इस तकनीकी संगोष्ठी के लिए गुणता आश्वासन महानिदेशालय की विभिन्न स्थापनाओं से विविध तकनीकी एवं वैज्ञानिक विषयों पर 24 लेख प्राप्त हुए थे । इनमें से 13 उत्कृष्ट लेखों को इस संगोष्ठी में पढ़ा गया एवं उन पर चर्चा की गई । संगोष्ठी में प्रस्तुत विषयों के अनुरूप रक्षा उत्पादन में गुणता के स्तर एवं महत्व को परखा गया एवं इस दिशा में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया ।

इस तकनीकी संगोष्ठी के समापन भाषण में महानिदेशक गुणता आश्वासन लेफ्टि. जनरल जी श्रीधरन ने गुणता आश्वासन से संबंधित अपने सारगर्भित विचारों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ बल देकर कहा कि हिंदी में इस प्रकार की तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन से राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ावा तो मिलता ही है और साथ ही हमें विविध तकनीकी एवं वैज्ञानिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक जानकारी एक ही मंच से प्राप्त हो जाती है । महानिदेशक महोदय ने इस तकनीकी संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए अपर महानिदेशक (आयुध) मेजर जनरल जे. एस. ढिल्लो, वीएसएम एवं वरि. गुणता आश्वासन अधिकारी (आयुध) बडमाल, कर्नल एम. एन. मुरलीधर को बधाई देते हुए कहा कि अन्य स्थापनाओं द्वारा भी इसका अनुसरण किया जाएगा ।

कार्यक्रम के अंत में महानिदेशक महोदय के कर कमलों से सभी लखकों को प्रशस्तिपत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किए गए ।

भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) में हिंदी विज्ञान संगोष्ठी

भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) में हिंदी विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 30-8-2008 को किया गया । इसका उद्देश्य यह प्रतिपादित करना था कि अभी तक अंग्रेजी में उपलब्ध विज्ञान के गूढ़ तकनीकी तथ्य हिंदी में भी पूरी दक्षता के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

कार्यक्रम का उद्घाटन संयंत्र के महाप्रबंधक आदित्य भौमिक ने भाषा माता हिंदी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर के किया । तत्पश्चात सुश्री नीला बेन ने भाषा माता हिंदी की आराधना में श्लोक तथा स्तुति-गान प्रस्तुत किया ।

श्री भौमिक ने उद्घाटन के समय सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी विज्ञान संगोष्ठी हिंदी के साथ-साथ विज्ञान की भी साधना है । परमाणु ऊर्जा विभाग तथा इसकी विभिन्न इकाइयों में अनेक कार्य किए जा रहे हैं । इसी प्रकार से भारी पानी संयंत्रो में भी परमाणु ऊर्जा से संबद्ध अनेक महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है । उदाहरण के लिए टी.बी.पी. नामक विलायक को लिया जा सकता है, जिसकी आपूर्ति आवश्यकतानुसार की जा रही है । यह फॉस्फोरिक अम्ल से यूरेनियम लवण को अलग कर देता है तथा शुद्ध यूरेनियम की प्राप्ति होती है । टी. बी.पी. की तरह डेफा, ट्रोपो, टापो आदि भी ऐसे ही विलायक हैं तथा ये सभी विलायक फॉस्फोरिक अम्ल पर आधारित हैं । फॉस्फोरिक अम्ल जोर्डन जैसे देशों से आयात किया जाता है, जिसमें से केवल 80-100 अंश-प्रति-मिलियन (पीपीएम) यूरेनियम प्राप्त होता है । खेतो में फॉस्फोरिक खाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ बहुमूल्य यूरेनियम भी खेतों में बिखर जाता है । यदि इससे यूरेनियम निकाल लिया जाए, तो यूरेनियम की कमी को दूर किया जा सकता है । इन विलायकों के उत्पादन में लग जाने का अर्थ यह नहीं है कि भारी पानी संयंत्रों को बंद कर दिया जाए । वस्तुतः जब परमाणु-भट्टियों के लिए यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, तब उससे बिजली बनाने के लिए भारी पानी की आवश्यकता भी उसी अनुपात में पड़ेगी । इस प्रकार के सभी तथ्यों की जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को होनी चाहिए । अतः इस संगोष्ठी में इन विविध गतिविधियों को मुख्य विषय बनाया गया है ।

भारी पानी संयंत्रों में भारी पानी के उत्पादन के अलावा की जाने वाली अन्य तकनीकी गतिविधियों पर इस संगोष्ठी में प्रकाश डाला गया । विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कर्षण हेतु विलायक के रूप में प्रयुक्त त्रि-ब्यूटाइल फॉस्फेट के विभिन्न पक्षों को बताते हुए श्री विनोद कुमार शर्मा ने बड़ौदा के टी.बी.पी. संयंत्र के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की, जो भारी पानी संयत्र, तालचेर (ओड़ीशा) के बाद देश में स्थापित होने वाला दूसरा संयंत्र है ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर

अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति व मुख्य अमृतसर आयुक्त, के मार्गदर्शन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर द्वारा 17-7-2008 को आयकर विभाग, अमृतसर के कान्फ्रेंस हाल में वार्षिक "राजभाषा सेमिनार" का आयोजन किया गया । इस सेमिनार में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों-निगमों-उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से काफी अधिक संख्या में राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों/सहायकों ने भाग लिया । सेमिनार का उद्घाटन श्री परनीत सिंह, अपर आयकर आयुक्त (मुख्य प्रशा.) अमृतसर ने किया । राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में राजभाषा/हिंदी अधिकारी की भूमिका पर उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला तथा इस विषय में उपस्थित सदस्यों के विचार आमंत्रित किए । अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि हमें निरन्तर सकारात्मक सोच अपनाते हुए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन की भावना से राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना चाहिए ।

सेमिनार के दौरान निम्नलिखित कार्रवाई की गई

कुछ सदस्यों के पास राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां उपलब्ध नहीं थी । सदस्यों को पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय, अमृतसर की विभागीय पत्रिका "अमृत-सार" वितरित की गई जिसमें वर्ष 2008-2009 के लिए वार्षिक कार्यक्रम प्रकाशित किया गया है । सेमिनार के दौरान वार्षिक कार्यक्रम की प्रत्येक मद पर विस्तृत चर्चा की गई तथा इसमें दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सदस्यों ने अपने-अपने कार्यालय/संस्थान के कार्य की प्रकृति अनुसार सुझाव दिए ।

अधिकतर सदस्य कार्यालयों के कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने हेतु सुविधा उपलब्ध है । सदस्यों को सुझाव दिया गया कि इस सन्दर्भ में अद्यतन जानकारी हेतु "कंप्यूटर सुविधाएं" मद के अन्तर्गत राजभाषा की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त वार्षिक कार्यक्रम-राजभाषा संबंधी नियम/अधिनियम-विभिन्न रिपोर्टों के प्रोफार्म, पुस्तक सूची आदि के बारे में अद्यतन सूचनाएं राजभाषा विभाग की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है । सदस्यों से अनुरोध किया गया कि इस वेबसाइट का खुलकर प्रयोग करें ।

हिंदी पत्राचार :—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर को प्राप्त रिपोर्टों अनुसार कुछ सदस्य कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हो रहा है । परन्तु कुछ कार्यालयों में हिंदी पत्राचार अभी भी 30 प्रतिशत या इससे कम है । अपने-अपने अनुभवों के आधार पर सदस्यों ने हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए :-

(क) केवल अंग्रेजी में मुद्रित प्रोफार्मो/रिपोर्टों को द्विभाषी रूप में तैयार करके उपयोग किया जाए ।

(ख) सभी प्रकार के अग्रेषण पत्र (forwarding letter) हिंदी में ही जारी किए जाएं ।

(ग) सभी प्रकार के आफिस नोट-कार्यालय टिप्पणियां हिंदी में दी जाएं ।

सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही/छमाही प्रगति रिपोर्ट यथासमय समिति कार्यालय को प्रेषित की जाएं ।

सदस्यों को सूचित किया गया कि समिति द्वारा नियमित रूप से वार्षिक पत्रिका के प्रकाशन तथा समिति की गतिविधियां सुचारू ढ़ंग से चलाए जाने के उद्देश्य से समिति की 24 जून, 2008 को आयोजित बैठक में किए गए निर्णय अनुसार सभी सदस्य कार्यालयों द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए 2000 का वार्षिक अंशदान समिति को प्रदान किया जाना है । सेमिनार के दौरान इस आशय का एक अनुरोध पत्र भी जारी किया गया ।

सदस्यों को सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर की आगामी छमाही बैठक का आयोजन सितम्बर, 2008 के दौरान किया जाना अपेक्षित है । इसी बैठक के दौरान नगर स्तर पर राजभाषा समारोह के आयोजन पर भी विचार किया गया ।

सदस्यों को सूचित किया गया कि समिति की वार्षिक पत्रिका "अमृता" के आठवें अंक का विमोचन अध्यक्ष महोदय द्वारा, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि उप निदेशक (कार्यान्वयन), आयकर आयुक्त, अमृतसर -1 तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में 24 जून, 2008 को

किया जा चुका है । सभी उपस्थित सदस्यों को पत्रिका की कुछ प्रतियां प्रदान की गई ।

सेमिनार के अंत में सदस्य सचिव-नगर राजभाषा कार्यान्वयन द्वारा सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किए जा रहे सभी आयोजनों में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि समिति का स्थान क्षेत्र की अग्रणी समितियों में बना रहे ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय : कोलकाता

दिनांक 9-7-2008 को बैंक के प्रधान कार्यालय, कोलकाता के सम्मेलन कक्ष 'सुचिंतन' में अपराह्न 3.00 बजे 'राजभाषा नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवाद' विषय पर एक राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई । उक्त संगोष्ठी की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पी.के. गुप्ता ने की ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने वक्तव्य में बैंक के इतिहास के बारे में संक्षेप में बताते हुए कहा कि इस बैंक का गौरवशाली इतिहास है, जहां चार बैंकों के समेलन से 'युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया' की सुदृढ़ नींव तैयार हुई थी । उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि देश के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक की 76% शाखाएं अवस्थित हैं । बैंक की अधिकतर शाखाएं ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं । सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बैंक ने काफी प्रगति की है तथा बैंक के कार्य निष्पादन में विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष वृद्धि परिलक्षित हुई है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवाद पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि सरल भाषा में हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग अनुवाद की भाषा को समझ सकें एवं पढ़ने वाले को ऐसा न महसूस हो कि यह अनुवाद है ।

संगोष्ठी में पधारे मुख्य अतिथि वक्ता तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. दंगल झाल्टे ने अपने वक्तव्य में भारत सरकार की राजभाषा नीति का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि हिंदी का जितना अधिक प्रचार-प्रसार होगा उतना ही हम आम जनता से जुड़ पाएंगे । उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुब्रमण्यम भारती आदि महान विभूतियों का नाम लेते हुए कहा कि उनकी राष्ट्रीय प्रेरणा से प्रेरित होकर हिंदी का व्यापक प्रसार हुआ था । आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद की अहं भूमिका है । व्यवसाय का संबंध आम आदमियों से है इसलिए बैंक का अनुवाद कार्य सीधे उसके ग्राहकों से जुड़ा हुआ है । उन्होंने अपने सहज एवं सरल शब्दों में विभिन्न तथ्यपरक सूचना देते हुए अपना रोचक वक्तव्य प्रस्तुत किया ।

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली अंचल, राजभाषा विभाग, जीवन भारती, लेवल-5, टॉवर-1, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली -110001

अंचल के शाखा प्रबंधकों हेतु 'राजभाषा संगोष्ठी'

दिनांक **21-8-2008** को आंचलिक कार्यालय के सभाकक्ष में अंचल के शाखा प्रबंधकों हेतु 'राजभाषा संगोष्ठी' का आयोजन किया था । संगोष्ठी का विषय था: 'बैंकिंग व तृतीय पक्षीय उत्पादों की बिक्री एवं राजभाषा हिंदी' इस संगोष्ठी में श्री बी.आर. शर्मा, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री रमेशबाबू अणियेरी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) बैकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार उपस्थित रहे । श्री शर्मा ने शाखा प्रबंधकों को भारत सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी अपेक्षाओं नीति एवं सांविधिक अपेक्षाओं, के अनुपालन को सुनिश्चित करने बाबत् सूचित किया । श्री रामेशबाबू अणियेरी ने शाखा प्रबंधकों को राजभाषा प्रयोग की जिम्मेदारी से अवगत कराया, उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शाखा प्रबंधकों हेतु आयोजित ऐसी राजभाषा संगोष्ठी की सराहना करते हुए कहा कि इससे उच्च स्तर से ही राजभाषा में कार्य करने का सकारात्मक संदेश जाएगा । संगोष्ठी के उपरांत अंचल के शाखा प्रबंधकों के बीच **'राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता'** का आयोजन भी किया गया था ।

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में दिनांक 29-9-2008 को राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। संयंत्र के कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वित्त-वर्ष के दौरान इन प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 15 से 29 सितंबर, 2008 तक किया जाता था। विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगभग 75 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। अन्य प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

कार्यक्रम का उद्घाटन तथा अध्यक्षता संयंत्र के महाप्रबंधक श्री आदित्य भौमिक ने की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयंत्र की सहायक निदेशक (रा.भा.) **डॉ. रश्मि वार्ष्णेय** ने कहा कि हिंदी दिवस तथा हिंदी प्रतियोगिताएं उत्सव मनाने का आधार न हो कर, कार्यालय के राजकाज में राजभाषा हिंदी को उसका यथोचित स्थान दिलाने का सशक्त मंच है। हिंदी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य कर्मचारियों की निर्भरता हिंदी पदाधिकारियों पर समाप्त करते हुए, उन्हें राजभाषा हिंदी में अपने सभी शासकीय कार्यों का निष्पादन स्वयं करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे कार्यालय का राज-काज राजभाषा हिंदी में नियमानुसार तथा वार्षिक लक्ष्य के अनुसार अपने-अपने स्तर पर स्वयं करने के लिए अग्रसर हों। अतः इसमें कर्मचारियों की ही सक्रिय तथा प्रत्यक्ष प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई है।

एन एच पी सी लिमिटेड, कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-4) 74-75, दक्षिण मार्ग, सैक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में 2 अगस्त, 2008 को पुरस्कार वितरण एवं काव्य संगोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वर्ष 2007-2008 (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008) तक जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने कार्य में हिंदी का अधिकतर प्रयोग किया है उन्हें प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। समारोह का उद्घाटन श्री स्वतंत्र कुमार, महाप्रबंधक ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। तत्पश्चात् श्री ई तिर्की प्रमुख (मानव संसाधन) और अन्य अधिकारियों ने भी दीप प्रज्ज्वलित किया। श्री स्वतंत्र कुमार ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही साथ ही दैनिक व्यवहार की भाषा भी है इसके बिना हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।

इस अवसर पर श्री ई तिर्की प्रमुख (मानव संसाधन) ने अधिकारियों व कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन की जानकारी दी और अपने सरकारी कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे देश के सभी लोग आसानी से समझ लेते हैं। यह एक व्यापक भाषा है इसका प्रयोग सरकारी कार्य में आसानी से किया जा सकता है और इस कार्यालय में राजभाषा के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। निकट भविष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रमुख (मानव संसाधन) ने दी।

श्री देश राज, सहायक राजभाषा अधिकारी ने इस अवसर पर कार्यालय में हो रही राजभाषा कार्यान्वयन प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने की अपील भी की। श्री राज ने कहा कि इस समारोह में जो पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। यह आपके सहयोग और हिंदी के प्रति आपकी रुचि के कारण ही संभव हो पाया है। इस कार्यालय को नराकास द्वारा भी सम्मानित किया गया है और शील्डें भी मिली हैं। यह सब आपके सहयोग का परिणाम है। आपके हिंदी प्रेम की एक सकारात्मक झलक है। आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका सहयोग और राजभाषा प्रेम मिलता रहेगा।

626 HA/09-16

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स प्रादेशिक कार्यालय : होटल शिवालिक व्यू (प्रथम तल) सैक्टर 17-ई, चण्डीगढ़-160017

बैंक द्वारा 2007-08 में जुलाई 2008 को हिंदी प्रेरणा दिवस बहुत ही उत्साहवर्धक रूप में मनाया गया, जिसमें कि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया तथा राजभाषा-हिंदी को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्यक्रम किए गए। प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कारों से अलंकृत भी किया गया।

राजभाषा उत्सव में आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी के रूप में प्रथम विजेता श्रीमति हरिन्द्र वालिया, सं.प्रा. प्रबंधक को बैंक के महाप्रबंधक, श्री शील कुमार शर्मा द्वारा प्रथम पुरस्कार से सुशोभित किया गया।

श्रीमति वालिया हिंदी के कार्यों में अधिकाधिक रुचि रखते हुए अपने विभाग का शत-प्रतिशत कार्य राजभाषा हिंदी में ही करते हैं, जो कि इनका स्वभावगत संस्कार है।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ द्वारा केनरा बैंक अंचल कार्यालय, लखनऊ को प्रथम पुरस्कार

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में वर्ष 2007 के लिए कार्यनिष्पादन के लिए केनरा बैंक अंचल कार्यालय, लखनऊ को प्रथम पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2008-09 के लिए प्रथम अर्द्ध वार्षिक बैठक में प्रदान की गई। बैंक नराकार के अध्यक्ष श्री अरुण सुरील, महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री पी कृष्ण राव राजभाषा अधिकारी श्री अजय कुमार प्रसाद को प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशक डॉ सरोज कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित थे। राजभाषा के क्षेत्र में केनरा बैंक द्वारा की जाने वाली प्रयास तथा इस भारत सरकार के राजभाषा के नियमानुकूल राजभाषा के क्षेत्र में किए जाने वाली क्रिया-कपालों की प्रशंसा की, इसके अतिरिक्त बैठक के राजभाषा कार्यान्वयन समीक्षा सत्र में भी बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को उन्होंने सराहा। केनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री पी कृष्ण राव ने बैंक नराकास, लखनऊ के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

दिल्ली (बैंक) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

दिनांक 31 जुलाई, 2008 को दिल्ली अंचल कार्यालय के परिसर में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली के तत्वावधान में अंतः बैंक हिंदी वाक्य निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में उपस्थित अंचल कार्यालय के प्रमुख एवं महाप्रबंधक श्री एन एस श्रीनाथ ने दिल्ली स्थित विभिन्न बैंको के उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि महानगर दिल्ली में विभिन्न बैंकों की शाखाओं की संख्या को देखते हुए अधिक कर्मचारियों को हिंदी प्रतियोगिता में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए। सरकार की राजभाषा नीति का हम सभी को अनुपालन करना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए तत्पर रहें। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन प्रतियोगिताओं का महत्व है।

महाप्रबंधक श्री श्रीनाथ ने उपस्थित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्य-सचिव श्रीमती कविता चौधरी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। श्रीमती कविता चौधरी ने केनरा बैंक अंचल कार्यालय द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि केनरा बैंक का समिति की गतिविधियों में सराहनीय योगदान रहा है। इस प्रतियोगिता में उनका एक प्रशंसनीय कदम है। उपस्थित उप महाप्रबंधक श्री एस के कोहली ने बैंक की ओर से श्रीमती कविता चौधरी को स्मृति चिन्ह भेंट किया और उपस्थित कार्यापालकों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। सभा का सफल संचालन श्री रमेश चंद, वरिष्ठ प्रबंधक और श्रीमती अनीता रैलन ने किया। इस प्रतियोगिता में दिल्ली स्थित विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय के निदेशक डॉ. दंगल झाल्टे सम्मिलित रहे। ■

प्रशिक्षण

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011

विषय:-वर्ष 2009 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं उप संस्थानों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 10-9-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-18015/6/86-रा.भा.ई. में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संस्थानों, संगठनों एवं बैंकों में नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । **मूलतः ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा,** ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि तक प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें ।

अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि अनुलग्नक-I में उल्लिखित पाठयक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित कर इस सुविधा का लाभ उठाएं ।

2. **प्रोत्साहन** :- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर 12 महीनों के लिए, एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है । हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70%, 60% तथा 55% अंक प्राप्त करने पर अधिकारी/कर्मचारी क्रमशः रुपये 800/- रुपये 400/- रुपये 200/- तथा प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा में क्रमशः रुपये 1200/-, रुपये 800/-, रुपये 400/- के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार पाने के हकदार होंगे । इस राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता है ।

3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि पूर्णकालिक गहन हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामित सभी प्रशिक्षार्थियों की सूची केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा इसके उप संस्थानों के संबंधित सहायक निदेशकों अनुलग्नक-II को पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम 15 दिन पूर्व अवश्य भिजवा दी जाएं ।

4. हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के तीनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर पूरा होता है, जिसकी अवधि क्रमशः 25, 20 तथा 15 दिन होती है । ये पाठ्यक्रम इस प्रकार रखे गए हैं कि संबंधित कार्यालय जहां तक संभव हो पात्रतानुसार प्रशिक्षार्थी को प्रथम पाठ्यक्रम से लेकर अंतिम पाठ्यक्रम तक संपूर्ण अवधि के लिए एक ही बार में नामित और कार्यमुक्त कर सकें ।

प्रशिक्षण के लिए योग्यता एवं पात्रता :-

(क) प्रबोध :-यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है । इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी (मणिपुरी/मिजो) भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हे हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।

626 HA/09—17A

(ख) प्रवीण :- यह पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है, जो प्रबोध पास कर चुके हैं या जो प्राइमरी स्तर तक हिंदी पढ़ चुके हैं या जिनका हिंदी का ज्ञान 8वीं कक्षा से कम है । इसमें मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।

(ग) प्राज्ञ :- यह अंतिम पाठ्यक्रम है । यह उन सभी कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिन्हें मिडिल/माध्यमिक स्तर तक का हिंदी का ज्ञान है या जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या 10वीं कक्षा से कम है । उर्दू, सिंधी, पंजाबी तथा पश्तो भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ स्तर तक का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

5. संस्थान के ये पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होते हैं और इन्हें नियत कार्यदिवसों में पूरा किया जाता है । कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक चलाई जाती हैं । प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थी अपनी ड्यूटी पर माने जाते हैं तथा पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं । ये सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी के हिसाब से उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होता है ।

6. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली स्थित गहन प्रशिक्षण केंद्र पर दिल्ली से बाहर के प्रतिभागियों के लिए सीमित संख्या में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, जो कि "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर दी जाती है । हॉस्टल पहुंचने के लिए दिल्ली में बस सेवा उपलब्ध है ।

छात्रावास का पता इस प्रकार है:-

सहायक अभियंता (विद्युत) का कार्यालय,
सब डिवीजन VII, डिवीजन XI
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू. डी.)
फ्लैट नं. 2, गवर्नमेंट हॉस्टल, तीसरा तल,
देवनगर, करोल बाग के पास,
नई दिल्ली 110005 (फोन नं. 011-28715289)
(बस रूट - नई दिल्ली रेवले स्टेशन से बस रूट सं. 181
बस स्टाप का नाम-खालसा कालेज)

(पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 926, बस स्टाप का नाम -लिबर्टी सिनेमा हॉल) हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भवन तक आने के लिए बस रूट सं. 610 है । बस स्टाप का नाम-उद्योग भवन

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है और इसे सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार पूरा किया जाना है । अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण हेतु दिल्ली से बाहर के सभी संबद्ध, नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों/अभिकरणों/संगठनों, स्वायत्त संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण के पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में नामित करें । सभी अधिकारियों से यह अनुरोध है कि प्रशिक्षण के लिए नामित **प्रशिक्षार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर सीधे ही सहायक निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए निदेश दें । साथ ही यह भी अनुरोध है कि प्रशिक्षार्थियों को हॉस्टल के पते के बारे में, बस रूट सं, कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्र के फोन नं. आदि के बारे में पूरी-पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।**

626 HA/09—17B

8. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली का गहन (भाषा) प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली में स्थित है ।

दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्र का पता:
कमरा नं. 449 ए (चौथा तल),
उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011.
दूरभाष: 011-23063321 एक्सटेंशन 2207

—बी. सी. मंडल, निदेशक

अनुलग्नक-I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं इसके चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलूर, मुंबई एवं कोलकाता स्थित उप-संस्थानों द्वारा वर्ष 2009 में

आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्यदिवस	प्रशिक्षण की तिथियां
प्रथम	प्रबोध	25	01 जनवरी, 09 से 06 फरवरी, 09 तक
	प्रवीण	20	09 फरवरी, 09 से 06 मार्च, 09 तक
	प्राज्ञ	15	09 मार्च, 09 से 02 अप्रैल, 09 तक
द्वितीय	प्रबोध	25	01 मई, 09 से 04 जून, 09 तक
	प्रवीण	20	05 जून, 09 से 02 जुलाई, 09 तक
	प्राज्ञ	15	03 जुलाई, 09 से 23 जुलाई, 09 तक
तृतीय	प्रबोध	25	01सितम्बर 09 से 08 अक्तूबर, 09 तक
	प्रवीण	20	09 अक्तूबर, 09 से 06 नवम्बर, 09 तक
	प्राज्ञ	15	09 नवम्बर, 09 से 27 नवम्बर, 09 तक

अनुलग्नक-II

1. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, कमरा नं. 449 ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011. (दूरभाष 23063321-एक्स.-2207)
2. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3 सी ब्लाक, बेसंट नगर, चेन्नै-600090. (दूरभाष 044-24918904)
3. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन कोटि, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095. (दूरभाष 040-24747211) फैक्स 040-24747211
4. सहायक निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बी विंग, 5वाँ तल, केंद्रीय सदन, 17वाँ, मेन रोड, दूसरा ब्लॉक कोरमंगला, बेंगलूर-560034. (फैक्स-080-25537089) (दूरभाष 080-25537087)
5. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, केंद्रीय सदन "सी विंग" 6ठा माला, सी.बी.डी. बेलापुर, नवीं मुम्बई-400614. (दूरभाष 9522-27572705, 27572706) फैक्स 9522-27565417
6. उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन, 18वाँ तल, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020. (दूरभाष 033-22870793 और 22890038) फैक्स 033-22870793

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), नई दिल्ली का 3 दिसंबर, 2008 का
का. ज्ञा. सं. 21034/76/2008-रा.भा. (प्रशि.)/(i)

कार्यालय ज्ञापन

विषयः–केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर्स/डाटा एंट्री आपरेटर्स/डाक सहायकों/कार्यालय सहायकों/दूर संचार सहायकों/कर सहायकों आदि के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना ।

इस विभाग के दिनांक 10-8-1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12011/4/74-हिंदी-2/रा.भा.(डी) तथा दिनांक 10-1-1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12016/2/78-रा.भा.(डी), के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और हिंदी अनुवादकों को जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपिंग कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर भर्ती किया जा सकता है, और स्थान रिक्त होने पर उन्हें कक्षाओं में दाखिला दिया जा सकता है, और सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और हिंदी अनुवादकों को हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर अवर श्रेणी लिपिकों की भांति विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे । इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि "सहायकों" और "उच्च श्रेणी लिपिकों" के पदों में ग्रुप 'ग' के वे सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे जो दूसरे कार्यालयों में उनसे मिलता-जुलता कार्य करते हों, न कि पर्यवेक्षण कार्य और जिनके भिन्न पदनाम हैं, जैसे-लेखा परीक्षा विभाग में प्रवर लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक आदि ।

2. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों एवं अन्य नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइजेशन हुआ है और अब अधिकांश शासकीय कार्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है । कंप्यूटराइजेशन के बाद कार्य एवं प्रकृति में आए आमूल-चूल परिवर्तन के फलस्वरूप केंद्र सरकार के विभागों/कार्यालयों , उपक्रमों, बैंकों आदि में अवर श्रेणी लिपिक और इसके समतुल्य पदों को अपग्रेड कर अथवा उनकी स्थिति को बदले बिना, पदनाम में परिवर्तन किया गया है जैसे-

1. डाक विभाग में डाक सहायक एवं कार्यालय सहायक आदि;
2. रेल डाक सेवा में छंटाई सहायक/कार्यालय सहायक आदि;
3. दूर संचार विभाग में दूर संचार सहायक आदि;
4. आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायक आदि; एवं
5. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स/डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, आदि ।

3. विभिन्न मंत्रालयों एवं कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त संदर्भ में बार-बार यह स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि जिन पदों को अपग्रेड कर अथवा उनकी स्थिति को बदले बिना पदनाम में परिवर्तन किया गया है, उन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, अथवा नहीं? यह भी स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि इन कर्मचारियों के लिए यदि हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य है तो क्या प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा पास करने पर ये कर्मचारी भी विभिन्न सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार हैं अथवा नहीं ?

4. कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन की आवश्यकता एवं मांग को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना शासकीय कार्यों के निष्पादन में उपयोगी होगा, अतः ग्रुप 'ग' के निम्नलिखित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा:-

(क) डाक विभाग में डाक सहायक एवं कार्यालय सहायक आदि;

(ख) रेल डाक सेवा छंटाई सहायक/कार्यालय सहायक आदि;

(ग) दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायक आदि;

(घ) आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायक आदि, तथा

(ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर ।

5. इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी तरह/इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं । प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कर्मचारी भी इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में निहित प्रावधानों और शर्तों के अधीन सभी वित्तीय लाभ पाने के हकदार होंगे जैसे–वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार तथा एक मुश्त पुरस्कार आदि ।

6. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

7. यह कार्यालय ज्ञापन एकीकृत वित्त प्रभाग की दिनांक 28-8-2008 की टिप्पणी सं. 1530/AS & FA[H] पर प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है ।

–विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव(प्रशिक्षण)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), नई दिल्ली का 3 दिसंबर, 2008 का का. ज्ञा. सं. 21034/76/2008-रा.भा. (प्रशिक्षण)/(II)

कार्यालय ज्ञापन

विषयः–केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सभी वर्ग के अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर कंप्यूटर पर हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना ।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों एवं अन्य नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइजेशन हुआ है और अब सभी वर्ग के अधिकारियों द्वारा अधिकांश शासकीय कार्य अपने स्तर पर कंप्यूटर के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है । इस संदर्भ में बार-बार यह स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत सभी अधिकारियों को क्या केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए?

2. कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन की आवश्यकता एवं मांग को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि सभी वर्ग के अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना कार्यालीन कार्यों के निष्पादन में उपयोगी होगा, अतः केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है । किंतु, ये अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि ।

3. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन एकीकृत वित्त प्रभाग की दिनांक 28-8-2008 की टिप्पणी सं. 1530/1530/AS & FA [H] द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है ।

–विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव (प्रशिक्षण)

पाठकों के पत्र

"राजभाषा भारती" (जुलाई-सितंबर, 2007) अंक 118 हमें प्राप्त हुआ । धन्यवाद ! इसके सभी लेख रुचिकर व ज्ञानवर्धक्र हैं, विशेषत: राजभाषा संबंधी विस्तृत जानकारी अत्यंत ही उपयोगी है राजभाषा के विकास की दिशा में आपका यह योगदान सराहनीय है ।

संपादक मंडल को विशेष रूप से हार्दिक बधाईयां ।

–सहायक निदेशक (रा.भा.),
महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय,
मैसूर दूरसंचार जिला, जयलक्ष्मीपुरम, मैसूर (कर्नाटक)-570012

त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का अक्तूबर-दिसम्बर, 2007 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद ! यह पत्रिका कश्मीर से कन्याकुमारी, गोवा से गुवाहाटी तक अर्थात् सम्पूर्ण भारतवर्ष राजभाषा हिंदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को प्रतिबिंबित करती है । पत्रिका में प्रकाशित सामग्री ज्ञानवर्धक एवं पठनीय है । संपादक मंडल को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं ।

–डॉ. अमर सिंह सचान
हिंदी अधिकारी, कोर-5 ए, तृतीय तल, इंडिया हेबीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

"राजभाषा भारती" अंक 118 में प्रकाशित सभी लेख एवं रचना ज्ञानवर्धक है । खासकर संपादकीय एवं लेखक डॉ. परमानंद पांचाल द्वारा लिखी आलेख "देवनागरी लिपि विकास, वैज्ञानिकता और मानवीकरण" में जिस प्रकार से इन्होंने भाषा का वर्णन करते हुए लिखा वह वास्तव में काबिलेतारीफ लायक है । उसी प्रकार से साहित्यिकी में डॉ. प्रमोद कोव्वप्रत द्वारा लिखी लेख आध्यामिक तथा रहस्यवादी चेतना महादेवी के काव्य में एवं पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में राजशेखर व्यास लिखी लेख प्रेम से भरे थे । भगत सिंह और विश्व हिंदी दर्शन में दि.कु. शर्मा द्वारा लिखी आलेख "विश्व मंच पर हिंदी" पत्रकारिता के क्षेत्र डॉ. संतोश अग्रवाल द्वारा लिखी लेख जनसंचार माध्यम-महिला उन्नयन और पर्यावरण के क्षेत्र में लिखी आलेख पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण जो सुधाकर किशनराव गायकवाड द्वारा लिखी गई है ।

–सुजीत कुमार
राष्ट्रपति रोवर स्काउट-सह-सचिव जिला मुख्यालय, रोवर क्यू, आर.एम.एस.
कॉलोनी, उर्दू बाजार, भागलपुर (बिहार)

"राजभाषा भारती" पत्रिका प्राप्त हुई । पत्रिका में प्रकाशित लेख भावात्मक एकता और हिंदी, मानक हिंदी : स्वरूप एवं विशेषताएं तथा विदेशों में राजभाषा की प्रगति का उल्लेख ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणाप्रद है ।

–संगीता श्रीवास्तव
सहायक प्रबंधक (राजभाषा) इरेडा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित, भारत पर्यावास केंद्र, कोर-4ए, ईस्ट
कोर्ट, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" (अक्तूबर–दिसंबर, 2007) अंक 119 पत्रिका का सामग्री संकलन, राजभाषा संबंधी प्रदत्त जानकारी एवं सचित्र समाचार अत्यन्त रोचक, ज्ञानवर्धक, पठनीय एवं अनुकरणीय हैं । यह कहना कतई

अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ''राजभाषा भारती'' राजभाषा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों एवं अन्य सूचनाओं को प्रतिबिंबित करने का एक सशक्त माध्यम है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका अपने उद्देश्य प्राप्ति में अवश्य ही सफल होगी । पत्रिका से जुड़े सभी कर्मियों, संपादक मंडल एवं लेखकों/रचनाकारों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ।

–एम.बी. चित्तौड़िया

प्रभारी (राजभाषा), दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
भरतपुर हाउस, सिविल लाइन्स, महात्मा गाँधी मार्ग, आगरा-282002

''राजभांषा भारती'' के सभी अंक ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण और संग्रहणीय होते हैं । इस अंक में भी विभिन्न शीर्षकों-चिन्तन, साहित्यकी, पुरानी यादें–नए परिप्रेक्ष्य में, विश्व हिंदी दर्शन, पत्रकारिता, संस्कृति, उदारीकरण, विविध आदि के अंतर्गत प्रकाशित सभी लेख चिन्तनीय, माननीय और पठनीय हैं। राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ और हिंदी के बढ़ते चरण के अन्तर्गत दी गई सूचनाएं उपयोगी और उत्साहवर्धक हैं । सुष्ठु संपादन के लिए साधुवाद !

–प्रो. (डॉ.) सुन्दरलाल कथूरिया

बी-3/97, जनकपुरी, नई दिल्ली-50

''राजभाषा भारती'' का 118वाँ अंक पत्रिका के क्रमिक अंकों की भाँति पठनीय है । इस अंक के सम्मिलित सभी रचनाओं में सारगर्भित समाविष्ट है । विशेषकर ''विश्व हिंदी दर्शन'' स्तम्भ में श्री गिरीश् चन्द्र पाण्डे जी ने अपने लेख '' भारत और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी'' में तथ्यों के मध्य सत्य यानी वस्तुस्थिति को सटीकता से चित्रित कर विषय के साथ न्याय किया है । इस लेख में सत्यता, सटीकता, वस्तुस्थिति, लक्ष्य प्राप्ति की कामना के मध्य प्राथमिकता निर्धारण के संकेतकों के साथ दिशा बोधक और प्रेरक तत्व भी हैं । यह लेख प्रासंगिक है जिसमें वैचारिक तारतम्य का लेखनी के धाराप्रवाह ने बख़ूबी साथ दिया है तथा ऐसा दर्पण है जिसमें स्पष्ट बिम्ब उभर कर आए हैं ।

–मेहरबान सिंह नेगी

संपादक, ''लेखापरीक्षा-प्रकाश'', भारत के नियंत्रक-
महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110024

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी वर्ष: 30, अंक: 119 अक्तूबर–दिसंबर, 2007 पत्रिका काफी सूचनापरक व ज्ञानवर्धक है, ''भक्ति, ज्ञान एवं दार्शनिकता की त्रिवेणी: संत मलूकदास का काव्य चिंतन'', ''आधुनिक मीडिया का हिंदी–भाषा पर शुभ–अशुभ प्रभाव-दबाव'', "उदारीकरण और भारत " जैसे आलेख सुंदर बन पड़े हैं। संगोष्ठी/सम्मेलनों की चर्चा पठनीय व हिंदी की प्रचारमूलक गतिविधियों से हमें अवगत कराती है । "राजभाषा भारती" हिंदी की दशा व दिशा दोनों ही सफलतापूर्वक निर्धारित कराती है । हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें ।

–एन.के. प्रसाद

वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, एयर इंडिया,
50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता-700071

''राजभाषा भारती'' के अक्तूबर–दिसम्बर, 2007 का अंक का संपादकीय प्रेरणाप्रद एवं राजभाषा के प्रयोग को बढाने में मील के पत्थर का कार्य करेगा । पत्रिका के सभी स्तंभों के लेख बहुत उपादेय और जानकारी युक्त हैं । भारत भर में फैले केंद्रीय कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों की राजभाषा गतिविधियों की जानकारी भी पत्रिका से मिली । इसी प्रकार निरंतर ये गतिविधियाँ चलती रही तो राजभाषा हिंदी को अपनी मंजिल तक पहुँचने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा ।

–गजानंद गुप्त

मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद्, ''दुगा सदन'', 19-3-946,
शमशीरगंज, हैदराबाद-500053 (आंध्र प्रदेश)

''राजभाषा भारती'' का अक्तूबर–दिसंबर अंक संपूर्ण अंक पठनीय है । अंक में कई स्तम्भ देकर राजभाषा हिंदी की विषयवस्तु को आपने विविधता प्रदान कर पत्रिका को अत्यंत रुचिकर बना दिया है । पाठकीय स्वाद को आपने समृद्ध किया है । डॉ. अरुण होता और डॉ. सुंदरलाल कथूरिया के आलेख अंक की उपलब्धियाँ हैं । डॉ. राहुल को मानक हिंदी

की समझ नहीं है । खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप खुद हिंदी प्रदेशों में एक-सा नहीं है । मेरठ, इलाहाबाद, पटना आदि की हिंदी एक नहीं है । मेरठ की हिंदी ही मानक हिंदी है । हिंदी का मौलिक रूप नहीं है । वहीं परिवर्तित और परिष्कृत होकर सर्वत्र व्यवहारित है । मानक का अर्थ यहां मूल रूप से है । सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई ।

–प्रो. (डॉ. लखनलाल सिंह आरोही)
''ऋतंवरा'', खैरा, पो. पतसौरी खैरा,
जिला- बांका (बिहार)-813107

''राजभाषा भारती'' 119वां अक में सभी विषयों पर प्रामाणिक विचार पढ़कर, अहिंदी भाषी मेरा मन प्रमुदित होता है । विशेषकर आखिरी पृष्ठ की ''विनोबा वाणी'' मुझे सामयिक लगी ।

–श्री जे. आर. बालकृष्णन नायर
प्रथम भवन, चिलक्कूर, वर्कला, तिरुवनन्तपुरम (695141)

''राजभाषा भारती'' के 118वें अंक की प्रति सहर्ष प्राप्त हुई, सधन्यवाद ! आपने पत्रिका के लेखों के चयन में इतना दत्तचित्त है जिससे सभी लेख ज्ञानवर्धक, सूचनाप्रद एवं बेजोड़ हैं । दरअसल यह पत्रिका राजभाषा के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शक भी है । आपने पत्रिका के जरिए विभिन्न आयामों के समसामयिक एवं सारगर्भित लेखों के अलावा केंद्र सरकारी कार्यालयों में चलाये विभिन्न हिंदी कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जो एकदम सराहनीय एवं प्रेरणाश्रोत भी है ।

–वी.ए. शशिधरन नायर,
कंपनी सचिव एवं कार्यपालक निदेशक (सी ए एस)
हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, लेटेक्स भवन, पूजापुरा, तरुवनंतपुरम-69501

''राजभाषा भारती'' का 119वां अंक पूरा देखा । प्रत्येक दृष्टि से यह उच्च कोटि का लगा । राजभाषा सम्बन्धी गतिविधियों के उल्लेख और विभिन्न चित्रों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन समाचारों से अवगत हुआ । आदेश-अनुदेश के शीर्षक से दिया गया आदेश भी देखा । ऐसे आदेश राजभाषा विभाग समय-समय पर जारी करता रहता है और बाद में उन्हें संकलित करके एक उपयोगी पुस्तक का रूप दे दिया जाता है । यह बहुत अच्छा प्रयास है और मेरे विचार में पत्रिका में ऐसे महत्वपूर्ण आदेश-अनुदेश अधिक संख्या में दिए जाने चाहिएं । वैसे तो सभी संकलित लेख अत्यंत ज्ञानवर्धक और उपयोगी हैं, किन्तु डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया का लेख ''आधुनिक मीडिया का हिंदी भाषा पर शुभ-अशुभ प्रभाव-दबाव'' मुझे विशेष रूप से अच्छा लगा ।

–श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर,
पूर्व सचिव, संसदीय राजभाषा समिति,
एफ बी/16, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-27

राजभाषा भारती का प्रशिक्षण विशेषांक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद ! आपने समयबद्ध योजना के तहत विशेषांकों की शृंखला प्रारंभ कर प्रेरक कार्य किया है । नराकास अध्यक्ष से हिंदी कार्यान्वयन संबंधी बातचीत भी अच्छी लगी । किसी भी कार्यालय में राजभाषा का परचम लहराने का श्रेय मुख्यालय मुख्य कार्यपालक व वहां पदधारित राजभाषाकर्मी/अधिकारी व गौणत: सभी प्रयोक्ताओं को जाता है । अत: कहीं भी किसी मंच पर किसी कार्यालय(यों) विशेष की चर्चा करते हुए ससम्मान वहां कार्यरत राजभाषाकर्मी, जो मूल व व्यावहारिक उत्प्रेरक हैं, का भी उल्लेख किया जाना उतना ही आवश्यक है । ''राजभाषा भारती'' ने अपने विषय व ज्ञान वैविध्य के सामान्तर अपनी पैठ व सम्प्रेषण में भी वृद्धि की है, यह सराहना का विषय है । आशा है आने वाले समय में भी पत्रिका कुछ विशेष उपयोगी विषयों पर इसी तरह के सारगर्भित सामग्री/विशेषांक प्रकाशित करेगी । सुंदर अंक के प्रकाशन के लिए ''विकल्प'' परिवार की ओर से पत्रिका से जुड़े सभी सहकर्मियों को साधुवाद !

डॉ. दिनेश चमोला ''शैलेश''
प्रभारी, राजभाषा अनुभाग, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं संपादक ''विकल्प'',
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्,
हरिद्वार रोड, मोहकपुर, देहरादून-248005, (उत्तराखण्ड)

MGIPRRND—626 HA/09—5,000

...ाषा विभाग द्वारा अरवनकाडू (ऊटी) में आयोजित दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए माननीय गृह राज्यमंत्री डॉ. शकील अहमद, संयुक्त सचिव श्रीमती पी.वी. वल्सला जी कुट्टी एवं श्री वाय. आर. जयसिम्हा, महाप्रबंधक कार्डाराइट निर्माणी, अरवनकाडू ।

राजभाषा विभाग द्वारा अरवनकाडू (ऊटी) में आयोजित दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में मंच पर आसीन माननीय गृह राज्यमंत्री डॉ. शकील अहमद, संयुक्त सचिव श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी एवं श्री वाय. आर. जयसिम्हा, महाप्रबंधक कार्डाराइट, अरवनकाडू ।

पं.सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

सांविधानिक उपबंध सार

1. संविधान सभा ने दिनांक 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था।
2. भारत के संविधान के भाग-5 (अनुच्छेद 120) भाग-6 (अनुच्छेद 210) और भाग-17 (अनुच्छेद 343 से 351, 350 को छोड़कर) तक में हिंदी संबंधी प्रावधान हैं।
3. अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप हेगा।
4. हिंदी संघ की राजभाषा दिनांक 26 जनवरी, 1950 से बनी।
5. अनुच्छेद 343 के तहत गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बी.जी. खेर थे।
6. अनुच्छेद 344(4) के तहत खेर आयोग की सिफारिशों पर निर्णय के लिए गठित तीस सदस्यीय समिति के अध्यक्ष जी. बी. पंत थे।
7. संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में भाग-5, अनुच्छेद 120(1) में लिखा गया है कि संसदीय कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
8. राज्य के विधान मंडल में कार्य के बारे में भाग-6, अनुच्छेद 210 में लिखा गया है कि राज्य विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी/अंग्रेजी में किया जाएगा।
9. भाग-17, अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधान मंडल को अधिकार दिया गया है कि वह अपने सरकारी कार्यों के लिए अपने राज्य की किसी भाषा/भाषाओं को या हिंदी का प्रयोग अंगीकार कर सकेगा।
10. भाग-17, अनुच्छेद-346 के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्यों द्वारा आपस में और राज्यों द्वारा संघ के साथ पत्राचार के लिए संघ की राजभाषा काम में लाई जाएगी।
11. अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निदेश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा का विकास हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं से रूप, गुण और शैली तथा मुख्यत: संस्कृत से और फिर अन्य भाषाओं से शब्द संपदा ली जाए।
12. भाग-17, अनुच्छेद 351 के तहत आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। नई भाषाएं हैं-मैथिली, बोडो, डोगरी तथा संथाली।
13. अनुच्छेद 343(2) के तहत राष्ट्रपति के मई 1952 के आदेश द्वारा राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए देवनागरी अंकों का प्रयोग प्राधिकृत किया गया।
14. अनुच्छेद 343(2) के तहत 3 दिसम्बर, 1955 को राष्ट्रपति जी के आदेश द्वारा 1965 से पहले ही जनता के साथ पत्र-व्यवहार, प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद रिपोर्ट, संकल्प हिंदी राजभाषा वाले राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारतीय पदाधिकारियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी जारी किए जाने की व्यवस्था की गई।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।